राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ३२ वां दिवस [संख्या २४

सोमवार, दिनांक २३ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बजकर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, शिक्षा, विकास, आयुर्वेद, श्रम, वित्त, सहकारी, एवं यातायात-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री रविशंकर याज्ञिक।

ग्राम पंचायतों को अनुदान

५७८. श्री रविशंकर याज्ञिक (पिण्डवाड़ा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार राज्य की प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी को ५० न० पै० प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान देती है ?

(२) क्या सरकार इसी तरह से ग्राम पंचायतों को भी अनुदाद देती है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार पंचायतों को भी इसी हिसाब से अनुदान देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां। केवल २० नये पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से।

(३) फिलहाल ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री रविशंकर याज्ञिक : पंचायतों को कम क्यों दिया जाता है ? कारण क्या है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसके अलावा प्रत्येक पंचायत समिति को भी २५ नए पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से मदद दी जाती है और चुनाव में जो सरपंच व पंच अस्सी प्रतिशत से या निर्विरोध निर्वाचित होता है उनको २५ प्रति नए पैसे अधिक दिये जाते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : आप जो पंचायत समिति और म्युनिसिपैलिटीज को मदद देते हैं वह उनके काम के लिए देते हैं या चुनाव के आधार पर देते हैं ? फिर पंचायतों और नगरपालिकाओं में यह भेद क्यों रखा जाता है ?

Page No. 2

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति के अनुसार करते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : आपकी कन्डीशन है कि जो निर्विरोध निर्वाचित होता है उसको २५ नए पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से अधिक दिया जाता है तो ऐसा आप म्युनिसिपैलिटियों के साथ क्यों नहीं करते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायतों में पार्टीबाजी न पैदा करने के खयाल से सरकार ने इस प्रकार का नियम बनाया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ऐसी भी कोई पाबन्दी है क्या कि यह मदद थोड़ी पंचायतों को दी जायगी या सबको दी जायगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने जैसे म्युनिसिपैलिटियों के लिए यह पाबन्दी लगाई है कि जो हाउस-टैक्स नहीं लगाएंगी उनको यह सहायता नहीं मिलेगी।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायतों में हाउस-टैक्स का कोई सवाल नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पंचायतों के पास भी कई विकास योजनाएं हैं तो सरकार म्युनिसिपैलिटियों को और पंचायतों को समान रूप से एड देने के सवाल पर विचार करेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सादिक अली कमेटी बैठी हुई है उसकी रिपोर्ट आने के बाद यदि सरकार ने आवश्यक समझा तो विचार किया जायगा।

श्री रविशंकर याज्ञिक : मन्त्री महोदय ने फरमाया कि गांवों के अन्दर पार्टीबाजी पैदा न हो इसलिए २५ न. पै. प्रति व्यक्ति उनको अधिक दिया जाता है, इसका मतलब हुआ कि म्युनिसिपैलिटियों में भी पार्टीबाजी बढ़े।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदराम फुलवारिया।

छात्राओं के लिए मिडिल स्कूल-भीनमाल।

श्री बिरदराम फुलवारिया (जालोर) [श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भीनमाल में लड़कियों का मिडिल स्कूल नहीं होने के कारण लड़कियों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है ?

(२) क्या यह सही है कि भीनमाल की जन संख्या को देखते हुए भी भीनमाल में लड़कियों का मिडिल स्कूल होना चाहिए ?

(३) यदि हां तो क्या सरकार भीनमाल में लड़कियों के स्कूल को मिडिल स्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) जी हां, बाधा हो सकती है।

(२) जी हां।

Page No. 3

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(३) १९६४—६५ में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर जनता भवन इत्यादि की शर्तों को पूरा करदे तो इस प्रश्न पर ऐसी ही अन्य शालाओं के साथ विचार किया जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने बताया कि इसका कोई प्रावधान नहीं है। जबकि इतना बड़ा करबा है, म्युनिसिपैलिटी है और वहां पर १५ हजार की आबादी है तो राज्य सरकार उपयुक्त नहीं समझती कि इतने बड़े कस्बे में लड़कियों का मिडिल स्कूल होना चाहिए ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : १९६४-६५ में प्रावधान नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी तो प्रश्न पूछा गया है कि क्या सरकार गम्भीरता के साथ सोचेगी इसके लिए ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस समय सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

पंचायत समिति, कामां द्वारा बांध-निर्माण कार्य।

५८० श्री मजलिस खां (कामां) क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कामां पंचायत समिति ने ग्राम मांची, औलन्दा, झीलपट्टी खेड़ां और बासौली में नए बांधों के निर्माण का प्रस्ताव पास किया है और सिंचाई विभाग को इस प्रस्ताव की कापी भेजी है ?

(२) यदि हां तो प्रस्ताव की कापी कब प्राप्त हुई और सिंचाई विभाग द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या सरकार उपरोक्त बांधों को १९६३—६४की सिंचाई योजना में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां तो सर्वे कब तक शुरू करा दिया जावेगा ?

उपमंत्री, विकास (श्री भवानी शंकर मंदवाना) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इरीगेशन डिपार्टमेंट से संबंधित था। इसलिए उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। वे अपनी टर्न पर इसका उत्तर देंगे।

प्रश्न संख्या ५८१

श्री अध्यक्ष : श्रीजोधसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह।

कुए की मरम्मत, ग्राम टला

५८२. कु० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम टला, पंचायत भाडा हेड़ा, पंचायत समिति सुलतानपुर जिला कोटा में पीने का पानी का सिर्फ एक कुआ है जिसकी इस समय बहुत जीर्ण अवस्था है ? यदि हां, तो फिर पंचायत

(श्री महेन्द्रसिंह)

समिति द्वारा इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई जाती है ?

उप-मंत्री पंचायत (श्री भवानी शंकर नंदवाना) : जी हां। ग्राम टला मे पानी के पीने का कुआ जीर्ण है। पंचायत समिति द्वारा ५००) रु० मरम्मत के लिए स्वीकृत किये गये किन्तु श्रमदान न मिलने से सरपंच मरम्मत नही करा सके।

प्रश्न संख्या ५८३

श्री अध्यक्ष : श्री फूल चन्द जैन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५८४

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा

आयुर्वेदिक औषधियां

५८५. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार की ओर से औषधि-निर्माण के कार्य हेतु मापदंड कायम किया हुआ है ?

(२) यदि हां, तो क्या प्रत्येक बार एक ही जैसी औषधियां बनायी जाती हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों की औषधियों के विरूद्ध उनके प्रमाणित होने के संबंध में आम शिकायत है ?

उपमंत्री आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। आयुर्वेद शास्त्रीय पद्धति से औषधि-निर्माण का ही माप दंड वर्तमान में निर्धारित है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जी हां से तो मैं कुछ नहीं समझा। औषधियों जो बनाई गई हैं उनकी उपयोगिता किस प्रकार की विधियों से जज करते हैं। जो वैद्यों के सम्मेलन में निर्णय लिए गए हैं उसके अनुरूप है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : काहे का निर्णय ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो वैद्यों का सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने इस तरह का...

श्री दौलतराम सारण : औषधियों के निर्माण से वैद्यों के सम्मेलन का कोई सम्बन्ध नहीं है। आयुर्वेद में जो औषधियों का निर्माण होता है वह शास्त्रीय पद्धति से होता है। आयुर्वेद में विधि बताई गई है उसी विधि से औषधियों का निर्माण होता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कोई माप-दंड तो होगा ?

श्री दौलतराम सारण : सब माप-दंड उसमें दिया गया है उसके हिसाब से ...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सरकार के पास कौनसा आधार है कि इस विधि के अनुसार........

श्री दौलतराम सारण : प्राचीन काल से यह अनुभूत पद्धति है इसमें और अधिक आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह प्रश्न नहीं है। जो विधि आपने बताई है कि इसी के अनुसार दवाइयां बनाते हैं तो उसके जानने का आधार क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : वह हमारा विभाग है। औषधियों का निर्माण सरकारी निर्माण शाला में किया जाता है, इसलिए उसमें अन्यथा होने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विभाग भी क्या करे ? औषधालयों की ऐसी शिकायतें हैं कि जिन मात्राओं में दवा बननी चाहिए वह नहीं होता। इसलिए जांच करके उसके ऊपर सरकार क्या कदम उठाएगी ?

श्री दौलतराम सारण : आपकी केवल धारणा है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह धारणा नही है। इस तरह की चीजों का आपके पास आधार नहीं। आप विभाग से रिपोर्ट मंगाते हैं, बाकी आपके पास साइंटिफिक आधार कौनसा है ? कोई कमेटी बैठी कि इसी मात्रा में आपको दवाइयां....

श्री दौलतराम सारण : केवल कमेटी की रिपोर्ट इसका आधार नहीं होता। आयुर्वेद स्वतः एक साइंस है, उसके अनुसार औषधियों का निर्माण किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय प्रश्न समझ नहीं सके। सवाल किस फारमूला के मापदंड से दवाइयां तैयार करने का नहीं है। जो जो दवाई आपका विभाग निर्माण करता है, सही मात्रा में निश्चित दवाइयां डाली गई हैं इसको चैक करने की क्या व्यवस्था है ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सरकारी निर्माणशाला है, उस रसायन शाला में औषधियों का निर्माण होता है और उस निर्माण-विधि को विभाग की तरफ से देखने की व्यवस्था है, इसलिए उसमें अन्य कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पहले भी आ चुका है कि कोई इन्डिपेंडेंट चैक होनी चाहिए। (कोई सैम्पल्स लिए जायं और दूसरी जगह से इन्डिपेंडेंट चैक कराई जाय। लाखों रुपए औषधियां मैन्यूफैक्चर करने में लग रहे हैं, इसलिए चैक तो होना चाहिए। कन्टीन्यूअस चैक डिपार्टमेंट की ओर से कि वाकई दवाई सैम्पल के अनुसार बनी हुई है। आप सोच कर इसकी व्यवस्था करें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : प्रत्येक बार एक जैसी दवाइयां बनती हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए।

प्रश्न संख्या ५८६

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थोसिंह

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल जब्बार।

Page No. 6

सार्वजनिक लाईब्रेरी, ग्राम पंचायत घोसुन्डा

५८७. श्री अब्दुल जब्बार : (निम्बाहेड़ा) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्राम पंचायत घोसून्डा में सार्वजनिक लाइब्रेरी थी ? यदि हां, तो उसमें कितनी पुस्तकें हैं और पत्र दैनिक, साप्ताहिक व मासिक कौन-कौन से मंगाये जाते हैं ?

(२) लाइब्रेरी में क्या रेडियो भी था ? यदि हां, तो अब कहां है और क्या काम में आ रहा है ?

उप-मंत्री, पंचायत : (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। पुस्तकालय में करीब ७५० पुस्तकें हैं। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकायें मई १९६२ से मंगवाना बन्द है ।

(२) जी हां। रेडियो खराब हो जाने से दुरुस्ती हेतु भेजा गया है ।

श्री अब्दुल जब्बार : यह मई, १९६२ से लाइब्रेरी बन्द है, इसका क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत समिति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण ।

श्री अब्दुल जब्बार : पंचायत समिति का बजट कितना है कृपया रोशनी डाल दें ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस समय यह जानकारी नहीं है। अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्वयम् पंचायत समिति के सदस्य हैं। यह बात तो वहीं पूछना चाहिये ।

प्रश्न संख्या ५८८

श्री जयनारायण सालोदिया

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ ।

स्वर्णकारों का पुनर्वास-गंगानगर

५८९. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : Will the Labour Minister please reply—

How many Godsmiths have been adversey affected by the God Control Rules in Ganganagar District and what steps have been taken by the Government to rehabilitate them ?

उप-मंत्री, श्रम : (श्री भवानीशंकर नंदवाना) गंगानगर के ये स्वर्णकार जो स्वर्ण नियंत्रण नियमों द्वारा प्रतिकूलतया प्रभावित हुए हैं उनकी सही संख्या की जानकारी के लिये कोई सर्वे (Survey) अभी तक नहीं किया गया है। परन्तु फिर भी ऐसे स्वर्णकारों की संख्या लगभग ५४७ हैं। स्वर्णकारों को उनके पुनर्वास हेतु जो सुविधायें राज्य सरकार द्वारा दी गई हैं उनकी एक सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 7

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि अभी तक किसी भूमिहीन को गंगानगर जिले में जमीन मिली है ? कोई तकावी दी है स्वर्णकार को ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो आप रेवेन्यू विभाग से पूछते क्योंकि यह उन्हीं से सम्बन्धित हैं और ये अधिकार उन्हें दिये हुए हैं, तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में न तो कोई किसी को तकावी मिली है, न कोई नौकरी। सिर्फ तीन आदमियों को चपरासी की जगह मिली है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

राज्य सरकार का विभिन्न कम्पनियों में इन्वेस्टमेन्ट

४६०. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : [श्री भैरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] क्या वित्तमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार द्वारा किस २ कम्पनी में कब-कब से कितना कितना इन्वेस्टमेन्ट किया हुआ है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इन कम्पनियों की डाईरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स तथा बेलेन्सशीट के आधार पर किस २ वर्ष में कितना २ रुपया मिला तथा प्रदेश कांग्रेस कमिटियों तथा अखिल भारतीय कांग्रेस को चन्दे के रूप में दिया हुआ है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) इन कन्सर्न्स में से जिन २ में राज्य सरकार के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने शेयर-होल्डर्स की मीटिंग में इस चन्दे के विषय में क्या अपनी अनुमति प्रकट की है ? यदि हां, तो किन २ में और किन किन में नहीं ?

उप-मंत्री, वित्त : (श्रीमती कमला बेनीवाल) (१) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(२) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सरकार के प्रतिनिधि ने किसी भी ऐसी बैठक में भाग नहीं लिया अतः राय देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : भाग ३ का जवाब क्या दिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने इन बैठकों में भाग नहीं लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके भाग लेने के लिए सूचना दी गई थी या जानबूझ कर उन्होंने भाग नहीं लिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह जानकारी मेरे पास नहीं है वे गये या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो महत्वपूर्ण सवाल है। कम्पनियों में गवर्नमेन्ट का पैसा इन्वेस्टेड था। कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया जाता है उन्हीं कम्पनियों के द्वारा। चन्दे के मामले में जिन बैठकों में यह निर्णय लिया गया तो क्या सरकार के प्रतिनिधि उनमें पहुंचे थे या नहीं ? नहीं पहुंचे तो यही तो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्यों नहीं पहुंचे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि इन कम्पनियों ने कांग्रेस पार्टी को कितना चन्दा दिया जो कि सदस्य महोदय को बता दिया गया है। सूची दे दी गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जो भी चन्दा दिया जाता है जनरल मिटिंग में उनकी उपस्थिति आवश्यक है और उनके द्वारा कन्फर्मेशन होना चाहिये। तो उन्होने कन्फर्म किया या नहीं ? सरकार का कोई सदस्य गया ही नहीं प्रतिनिधि के रूप में जिससे कि उसको पता हो।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसको एडजोर्न किया जाय। अध्यक्ष महोदय, हमारा इन कम्पनियों में १,३७,८४,०००) रु० राजस्थान स्टेट के बनने के पहले का है। और १,४२,००,०००) रु० राजस्थान बनने के बाद का है। इसी सूची के अनुसार यह मैंने बताया है। इसलिए इसको एडजोर्न कर दें। लिस्ट भी अनकम्पलीट है। तीन कम्पनियों के ही नाम दिये हैं। बाकी की कम्पनियों की सूचना भी उपलब्ध करके दस दिनों में पेश करें ताकि सदन को अवगत हो सके।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना अपने आप में पूर्ण है। जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को कितना चन्दा दिया गया है और जिन कम्पनियों के द्वारा दिया गया है उनकी सूची दे दी गई है। जिन्होंने चन्दा ही नहीं दिया उनकी सूची कैसे प्रकाशित होगी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितनी कम्पनियों ने चन्दा दिया है। किस कम्पनी ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश लेवल पर कितना कितना चन्दा दिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कांग्रेस पार्टी के नाम से नहीं दिया। चेरिटी फन्ड से लम्प में मनी देते हैं उसका विवरण नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सरकार इसको गलत परम्परा नहीं समझती है कि एक तरफ कम्पनियों में सरकार अपना इन्वेस्टमेंट रखे, अपने डाइरेक्टर्स रखे, सरकारी पार्टी को कांग्रेस पार्टी को वह कम्पनियां चन्दा दें और उनकी बैठकों में सरकारी डाइरेक्टर्स हाजिर न रहें ? क्या आप इसको गलत परम्परा नहीं समझती हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, ये कम्पनियां दूसरी जगह भी चन्दे की रकम देती हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए है तो परम्परा के अनुसार ही देती है out of way जाकर नहीं देती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे चन्दा दें इसमें हमें एतराज नहीं है। डाइरेक्टर्स हाजिर रहें तो डाइरेक्टर्स की भी कन्सेन्ट

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उसमें हो। आप इस बात की सूचना देती नहीं हैं कि कौन हाजिर था या नहीं। आप कहती हैं कि मीटिंग की इतला नहीं होने से नहीं गये। इतला नहीं हुई तो कम्पनीज एक्ट के तहत जरूरी था देना।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरे पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इतला मिली या नहीं। गये या नहीं गये, मैं नहीं कह सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इन कम्पनियों में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं। डाइरेक्टर्स उसके बोर्ड के प्रतिनिधि हैं। उनको डाइरेक्टर्स की पोस्ट किस लिए दी है ? इसको पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

सीमावर्ती इलाकों के गैर-सरकारी स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकें

५६१. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर के सीमा क्षेत्रों में कितनी प्राइमरी स्कूलें हैं ?

(२) क्या सरकार की सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए नई स्कूल खोलने की भी कोई योजना है ?

(३) क्या यह सही है कि सीमावर्ती इलाकों की कुछ गैर-सरकारी स्कूलों में पाकिस्तान राज्य की पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अंश ३ बड़ा महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में। इसलिए इसको....

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव की भी सूचना आई है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यही उसके लिए अर्ज करना पड़ेगा। फेक्ट्स और डेटाज कलेक्ट करने में देरी लगेगी।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जी हां।

प्रश्न संख्या ५६२

श्री रामानन्द अग्रवाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६३

श्री जेठमल बरवड़

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६४

श्री भीमसेन

(अनुपस्थित)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

Page No. 10

सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा की ऑडिट रिपोर्ट

५६५. श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा, [श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) द्वारा पूछा गया] : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सैन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा सन् १९६२-६३ का ऑडिट हो चुका है यदि हां, तो इसकी ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह भी सही है कि ऑडिट पार्टी ने वक्त ऑडिट के समय कुछ रेकार्ड मांगे जो उन्हें नहीं दिये गये, इसलिए उन्होंने कुछ शर्तों के साथ ऑडिट रिपोर्ट दी है ?

(३) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी शर्तें हैं जो ऑडिट पार्टी ने रखी हैं ? विभाग ने उन शर्तों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की है ?

(४) क्या यह सही है कि ऑडिट पार्टी को जो प्रोविजनल रिपोर्ट दी गई इसके बाद उपरोक्त बैंक का पूरा रेकार्ड बदल दिया गया है ?

उप मंत्री. सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) यह सही है कि सैन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि०, भीलवाड़ा का वर्ष १९६२-६३ का ऑडिट हो चुका है। ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह सही है कि ऑडिट पार्टी ने वक्त ऑडिट के १९६२ के वाउचर्स मांगे जो मैनेजर ने ऑडिट के समय प्रस्तुत नहीं किये ऑडिट रिपोर्ट में कोई शर्त नहीं लगायी गई।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) ऑडिट पार्टी ने प्रोविजनल रिपोर्ट नहीं किन्तु फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है और सरकार को बैंक का रेकार्ड बदले जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार इस बैंक को कितना घाटा है ?

श्री भीमसिंह : यह ऑडिट रिपोर्ट ११० पैजेज की सदन की मेज पर रख दी गई है। इस प्रश्न में यह स्पेसिफिक पूछा नहीं है कि कितना घाटा हुआ, यह मैं ऑफ एन्ड ऑन अर्ज नहीं कर सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऑडिट रिपोर्ट को रखवाने का अभिप्राय ही यही है कि उस रिपोर्ट से अगर कोई ग्लेरिंग इर्रेगुलेटीज या मिसएप्रोप्रियेशन हों तो यह प्रश्न पूछा है।

श्री भीमसिंह : इस प्रश्न में तो वाउचर्स मांगे जाने पर स्पेसिफिक कन्सेन्ट्रेशन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसके लिए आपने क्या कार्यवाही की वाउचर्स नहीं दिये ?

श्री भीमसिंह : जितनी ऑडिट भी रपोर्ट्स आई बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के पास भेज दी गई और एतराजात किये हैं उनके ऊपर जवाब आने पर सरकार का एक्शन होगा।

श्री मानिकचन्द्सुराणा : क्या इस बैंक की स्थिति ऐसी है कि इसमें लिक्विडेटर अपॉइन्ट किया जाय और और आप अपॉइन्ट नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोसिंह।

अध्यापकों के प्रमोशन तथा प्राइवेट परीक्षा देने के नियम

५६६. **श्री भैरोसिंह** : (किशनपोल जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में किस-किस ग्रेड के कितने-कितने अध्यापकों का कन्फर्मेशन हो चुका है और कितनों का कन्फर्मेशन बाकी है, और क्यों ?

(ख) किस-किस ग्रेड के अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट अन्तिम रूप से बन चुकी है और किस-किस ग्रेड की नहीं, और क्यों ?

(ग) अध्यापकों के प्रमोशन के क्या नियम हैं ? कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) अध्यापकों के प्राइवेट रूप से परीक्षा देने सम्बन्धी क्या नियम हैं ? कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (क) सूचना निरीक्षकों से प्राप्त की जा रही है। उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(ख) सूचना निरीक्षकों से प्राप्त की जा रही है उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(ग) प्रथम ग्रेड में ७५ प्रतिशत जगह राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भर्ती से भरी जाती हैं और २५ प्रतिशत जगह द्वितीय ग्रेड से सीनियोरिटी कम मेरिट के आधार पर तरक्की देकर भरी जाती हैं। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के चयन किये हुये उम्मेदवार प्राप्त न हों तो ७५ प्रतिशत जगह द्वितीय ग्रेड से अस्थायी तौर पर तरक्की देकर भरी जाती है और काम चलाने के लिये २५ प्रतिशत जगह पर बाहर से विशेष विषयों गणित तथा अंग्रेजी, साइन्स इत्यादि में अस्थायी तौर पर भर्ती की जाती है। तृतीय ग्रेड से द्वितीय ग्रेड में तरक्की देने के नियम सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(घ) नियमों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोसिंह : जिन अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट अभी तक नहीं बनी है जिसके लिये आप सूचना एकत्र कर रहे हैं तो अभी किस-किस जिले की सूचना आ चुकी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (१) और (२) में मैं स्पष्टतया निवेदन कर चुका हूँ कि सूचना उपलब्ध की जा रही है, सूचना नहीं आ पाई है।

Page No. 12

श्री भैरोंसिंह : क्या आज तक आप इस पोजीशन में नहीं आये हैं कि यह केटेगरिकली कह सकें कि इन इन जिलों की सूचना आ गई है और सीनियोरिटी लिस्ट बन चुकी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो कहा जा सकता है कि सीनियरिटी लिस्ट तैयार हुई है करीब ९, १०, ११, १२, १३ जिले हैं—अलवर, अजमेर, गंगानगर, चुरू, कोटा, बीकानेर, नागौर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, बूंदी जोधपुर, झुंझुनू ।

श्री भैरोंसिंह : जहां जहां की सीनियोरिटी लिस्ट तैयार हो चुकी है उस जगह के पंचायत समिति के अधीनस्थ टीचर्स एवं गवर्नमेन्ट टीचर्स इनकी इन्टर सी सीनियोरिटी लिस्ट बन चुकी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कॉमन सीनियोरिटी लिस्ट है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस कॉमन में दोनों कर होते हैं, गवर्नमेन्ट टीचर्स और पंचायत समिति के टीचर्स ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों कॉमन हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह इन्टर सी सीनियोरिटी लिस्ट है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन्टर सी सीनियोरिटी लिस्ट है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह पबलिश कर दी गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is being circulated amogst teachers for inviting their objections.

श्री भैरोंसिंह : यह कब सर्कुलेशन में आयी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह इत्मिनान से कह सकते हैं कि यह सर्कुलेशन में है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : यह इत्तिला आपको कब से मिली है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न आने पर मिली है ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न आने के बाद यह इत्तिला तो मिल गई, लेकिन बाकी के जिले की इत्तिला आप नहीं कर पाये कि सीनियोरिटी लिस्ट बनीं या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं कर पाया ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपके अधिकारी समय पर आपको इतनी भी सूचना नहीं दे सकते कि सीनियोरिटी लिस्ट बनी या नहीं, यह वाजिब है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : चज्युकेशन की मांग की बहस का उत्तर देते हुए आपने बताया था कि १९ जिलों की सीनियोरिटी लिस्ट फाइनल हो चुकी है । आज आप कह रहे हैं कि इसकी मुझे जान-

(श्री मानकचन्द सुराणा)

कारी नहीं है। जो लिस्ट सर्कुलेशन में है, क्या यह माना जाय कि वह फाइनल नहीं हुई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सर्कुलेशन में है इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्शन आने बाकी हैं हमारी तरफ से तो फाइनल है टीचर्स की तरफ से ऑब्जेक्शन्स आना शेष है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब तक ऑब्जेक्शन्स नहीं आते है तब तक आप फाइनल कैसे मानते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अजीब डेफीनीशन है.आपकी फाइनल की !

श्री मानिकचन्द सुराणा : सीनियोरिटी लिस्ट में ऑब्जेक्शन तब आते हैं जबकि आप उसको गजट में छापा कर देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन इनवाइट किये जाते हैं और उसके लिये पार्टीकुलर टाइम दिया जाता है। यह जो लिस्ट आपने सर्कुलेशन में बतायी है क्या प्रत्येक लिस्ट प्रत्येक टीचर के पास पहुंचा दी गई है ? और उसमें पार्टीकुलर टाइम दिया है क्या एक महिना दो महिने की अवधि में ऑब्जेक्शन आपके विभाग के सामने पेश कर दे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, गजट में छापा होना और सर्कुलेशन में होना इसमें इतना फर्क हैं। टीचर्स के पास लिस्ट चली जाय ताकि वे स्वतः उस लिस्ट को देख सकें। जहां तक गजट का सवाल है गजट कहीं किसी टीचर्स को उपलब्ध भी होता या नहीं होता है। उससे टीचर्स को परेशानी होती है इसलिये यह सर्कुलेशन का बेटर मेथड काम में लिया गया। हमारी मान्यता है कि हर टीचर के पास सीनियोरिटी लिस्ट पहुंच जायगी ताकि वह अपना ऑब्जेक्शन दे सके।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पहुंच जायगी या पहुंच गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहुंच जायगी। हर स्कूल में सर्कुलेट कर देंगे जिसको अध्यापक लोग देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जिस ढंग से आप हर टीचर के पास भेजने को कहते हैं क्या आप यह बता सकते हैं कि एक भी जिले में इस प्रकार का सरकुलेशन हो गया है, किसी भी स्कूल में हुआ है क्या ?

श्री मानिक चन्द सुराणा : इवन टेन स्कूल्स।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा सरकुलेशन में है इसका मतलब है पहुंचने वाली है पहुंच। सकती है।

श्री भैरोंसिंह : किसी भी स्कूल में पहुंच चुकी है क्या यह बता दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे गांव के स्कूल में पहुंच चुकी है ?

श्री भैरोंसिंह : इनके गांव में कोई स्कूल ही नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह (पिड़ावा) : आपके कहने के अनुसार कुछ जिलों की सीनियोरिटी

Page No. 14

(श्री गोबिन्दसिंह)

लिस्ट बन गई और कुछ जिलों की शेष है तो वैसी हालत में जब तक सारे राजस्थान की सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बन जाती तब तक ऑब्जेक्शन इनवाइट नहीं हो सकते। पहले लिस्ट सारे राजस्थान की बनायी जाय फिर सर्कुलेट की जाय नहीं तो सारा काम अधूरा रहेगा। यह तो सारे राजस्थान लेवल का सवाल है इसका जवाब दिया गया है वह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पहले सारे जिलों की तो बनने दीजिये।

श्री मानिकचंद सुराणा : पहले तो १६ जिलों की बन जाने की सूचना दी ?

श्री अध्यक्ष : उसके अब तेरह होगये।

श्री मानिकचंद सुराणा : कल तीन हो जायेंगे। आप के जो यह कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट है पहले आप कहते हैं १६ जिलों की हो गई अब १३ की ही बताते हैं इसका क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने किस कन्टेस्ट में कहा उसको देखकर ही मैं कह सकता हूँ। आखिर १६ का मैंने किस संदर्भ में कहा वह जब तक मैं न देख लूं इस वारे में कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा आप भी यहीं पर हैं। आप मेरे से मिल लीजिये मैं आपसे मिल लूंगा उस समय देख लेंगे।

श्री मानिकचंद सुराणा : कहीं आप-को विभाग ने तो मिस गाइड नहीं कर दिया ?

श्री भैरोंसिंह : अभी तक नये ग्रेड के अनुसार कनफर्मेशन नहीं हुआ इस प्रकार के कितने जिले हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने इस बारे में अपनी विवशता बतायी है। मैं खुद खेद प्रकट करता हूं जैसा कि पहले प्रश्न के भाव एक में बताया इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी है और यह प्रश्न भी उसी पर आधारित है। इस सूचना प्राप्त नहीं होने पर मैंने विवशता बतायी है। सूचना प्राप्त होने पर अलग से नजर कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन्टर सी लिस्ट फाइनल न हो जाय तब तक नये ग्रेड में फिक्सेशन नहीं हो सकता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न हाइपोथिटिकल है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि इसी सदन में सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था जब तक इन्टर सी सीनियोरिटी लिस्ट फाइनल नहीं हो जाती ग्रेड के अनुसार प्रमोशन फिक्सेशन फाइनल नहीं होता है, हो नहीं सकता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी विवशता है मेरी स्मरण शक्ति इतनी तेज नहीं कि जो भी आश्वासन दिये जांय उनको स्मरण रख सकूं। माननीय सदस्य मेरे विश्वासों को याद कर लेते हैं। मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है इसलिये उनसे निवेदन है कि वे मुझे बतला दें इस प्रकार का एश्योरेन्स दिया है तो मुझे सहूलियत हो जायगी जवाब देने में ?

श्री भैरोंसिंह : इनको आयुर्वेद की औषध च्यवनप्राश का सेवन कराया जाय ताकि इनकी स्मरण शक्ति ठीक हो सके ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इनकी भी एबनॉर्मल है उसको मिटिकेट करने के लिये.... अस्पताल में

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : आयुर्वेद मन्त्री कहीं बदला निकालने के लिये इनको जंगल में छोड़ नहीं आयें ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सरपंच का चार्ज-पंचायत भिरानी

५६७. श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिनांक १४.१०.६३ को वैध तौर पर चुना हुआ सरपंच घोषित होजाने के बावजूद श्री परमेश्वरीलाल सरपंच पंचायत भिरानी, तहसील भादरा, जिला गंगानगर को भूतपूर्व सरपंच व उप सरपंच भिरान ने आज तक सरपंच का चार्ज नहीं दिया ?

(२) अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) चार्ज दिलाने की कार्यवाही एस० डी० ओ० नौहर द्वारा की जा रही है ।

श्री हरदत्तसिंह : यह कार्यवाही एस० डी० ओ० द्वारा किस तारीख को शुरू हुई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : २.१.६४ को तहसीलदार ने एस० डी० ओ० की कोर्ट में दावा दायर कराया है ।

श्री हरदत्तसिंह : जब १४.१०.६३ को हाईकोर्ट द्वारा फैसला हो चुका उसके तीन महिने बाद यह कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दाना : तहसीलदार ने प्रयत्न किया लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ तो उसने फिर दावा दायर करवाया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या दावा दायर करवाया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : चार्ज दिलाने का ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : चार्ज तो तहसीलदार खुद ही दिला सकता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उन्होंने नहीं दिया तो एस० डी० ओ० की कोर्ट में दावा दायर किया है । उसकी अन्तिम पेशी भी हो चुकी है और फैसला होने वाला है । जल्दी ही कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो भूतपूर्व सरपंच थे जिनको हाईकोर्ट ने सरपंच वैध तौर से घोषित कर दिया और गलत तौर से जो सरपंच बने हुए थे उन्होंने चार्ज नहीं दिया तो क्या उनके खिलाफ कोई

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज जो कि एक्ट के अन्तर्गत प्रावधान है वह की गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसमें दो महीने का साफ प्रावधान है कि कोई भी आदमी चार्ज देने से रिफ्यूज करता है जो उसको नियमों के अन्तर्गत सजा दिलाई जा सकती है और उसमें एस० डी० ओ० फोर्सिबिली सारे रेकार्ड को अपने पजेशन में लेकर जो कानूनी तौर पर सरपंच है उसको दे सकता है। इसमें जो भी आफिसर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं उसका क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वही तो सारी कार्यवाही चल रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ३ महीने हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, और हाईकोर्ट के फैसले को भी ६ महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक चार्ज नहीं दिलाया जा रहा है।

श्री हरदत्तसिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस की इमदाद से भूतपूर्व सरपंच से चार्ज क्यों नही दिलाया गया जबकि कानून में ऐसा प्रावधान है कि चार्ज दिलाने में पुलिस की मदद ले सकते हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोर्ट में दावा दायर करा दिया है। एस० डी० ओ० के समक्ष चल रहा है जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह जानते ही नहीं है कि दावा क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है....

श्री हरदत्तसिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मदद से फौरन चार्ज दिलाया जा सकता है वह पॉवर्स क्यों नहीं इस्तेमाल किये ?

श्री मानिकचंद सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह चार्ज गैरराजनैतिक कारणों से नहीं दिला रहे हैं। १५ (क) के अनुसार उन्होंने मामला दायर किया है और वह मामला एस० डी० ओ० के यहां चल रहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एस० डी० ओ० के यहां मामला चल रहा है और अन्तिम पेशी १३ मार्च को हो चुकी है और अब मामला फसले में है।

श्री विजय सिंह झाला (नाथद्वारा) : दावा एस० डी० ओ० में कब गया था ?

श्री हरदत्तसिंह : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सरपंच के खिलाफ एस० डी० ओ० को कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज चल रही हैं लेकिन अभी तक चार्ज भूतपूर्व सरपंच के पास है, वह पुलिस की मदद से क्यों नहीं दिलाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है। पंचायत के कानून के अन्तर्गत प्रोसीडिंग्ज़ चल रही हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रोसीडिंग्ज तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज़ होती हैं। २ महीने की सजा

Page No. 17

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

प्रावधानों के अन्तर्गत होती है और चार्ज दिलाना अलग मामला है। चार्ज तो एस० डी० ओ० फोर्सीबली दिला सकता है। ऐसा नियमों में प्रावधान है। उसके लिए उनको प्रोसीक्यूट किया जाये और सजा दिलाई जाये। यह एक कार्यवाही उनको सजा दिलाने को चल रही है लेकिन चार्ज नहीं दिलाते हैं इसलिए कि उनकी पार्टी के आदमी हैं। आप एस० डी०-ओ० को डाइरेक्ट नहीं करते हैं कि वह फोर्सीबली सारे रेकर्ड को पजेशन में लेकर जो आपके अधिकारी हैं वह चार्ज दिला दें।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसी कोई पार्टीबाजी का सवाल नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी नींद कभी खुलेगी या नहीं। हम यह आश्वासन चाहते हैं कि चार्ज फौरन दिलाया जाये। हाईकोर्ट के जजमेंट को ६ महीने हो गये फिर भी चार्ज नहीं दिला रहे हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अध्यक्ष महोदय, कोई देरी हुई है तो जल्दी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मनफूलसिंह।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें तो मैं पूछलूं।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना प्रश्न संख्या ५९८ का उत्तर पढ़ने लगे)

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो पूरा आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि देरी हुई है तो जल्दी की जायेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय इनकी जल्दी तो ६ महीने में भी नहीं आयेगी १५ दिन में, १० दिन में, एक महीने में चार्ज दिला दिया जायेगा कोई स्पेसिफिक जवाब तो आना चाहिए। आप ट्रंक कॉल करें कल चार्ज दिलाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : Yes, next.

श्री विजयसिंह झाला : पहले इसका उत्तर तो आना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ चुका है।

इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, सूरतगढ़

५९८ श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : [श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) द्वारा पूछा गया] : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सूरतगढ़ में इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट खोलने का निश्चय कर लिया था ?

(२) क्या पहले इस इन्स्टीट्यूट को खोलने का प्रश्न अगस्त, १९६३ तक के लिए स्थगित किया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि अभी तक इसके खोलने के सम्बन्ध में सरकार उदासीन

(श्री मनफूलसिंह)

रही है और किसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

उप-मन्त्री, श्रम श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२ जी हां।

(३) तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहले श्री गंगानगर में एक इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निश्चय किया। बाद में राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के सुझाव पर यह तय हुआ कि यह इन्सटीट्यूट सूरतगढ़ में खोल दिया जावे। परन्तु सूरतगढ़ में आवश्यक व्यवस्था न होने के कारण बाद में यह निश्चय किया गया कि यह इन्टीस्ट्यूट पूर्व योजनानुसार गंगानगर में ही रहने दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

खराब बीज का वितरण-पंचायत समिति, अन्ता

५६६. श्री दयाचन्द सोन (बारां) [श्री जयलाल (डग) द्वारा पूछा गया] क्या पंचायत मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि गत वर्ष व इस वर्ष पंचायत समिति, अन्ता में जो बीज वितरित हुआ वह खराब था ?

(२) क्या इसकी शिकायत वहां के किसी सरपंच द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) यह बीज किन-किन व्यक्तियों को दिया गया व किन-किन काश्तकारों के खेतों में नहीं उठा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां, बीज न उगने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच करने पर मालूम हुआ कि बीज में कोई खराबी नहीं थी।

(३) बीज लगभग तीन हजार व्यक्तियों को बांटा गया इसलिए इसकी सूची नहीं बन पाई है। जिन काश्तकारों के खेतों में बीज नहीं उगा उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सुनाई नहीं दिया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) जी नहीं।

(२) जी हां, बीज न उगने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच करने पर मालूम हुआ कि बीज में कोई खराबी नहीं थी।

(३) बीज लगभग तीन हजार व्यक्तियों को बांटा गया इसलिए इसकी सूची नहीं बन पाई है। जिन काश्तकारों के खेतों में बीज नहीं उगा उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

श्री जयलाल : आप बता रहे हैं कि बीज में खराबी नहीं थी तो उगा क्यों नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : केवल ६ काश्तकारों के नहीं उगा है और इसके कारण दूसरे होंगे।

श्री जयलाल : बहुत से काश्तकारों के नहीं उगा है और लोगों के खेत काले रह गये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं स्पष्ट उत्तर दे चुका हूं कि ६ काश्तकारों के नहीं उगा है। बाकी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपका बीज खराब था। हजारों किसानों ने उगया और लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : गलत बात है।

श्री अब्दुल जब्बार : (निम्बाहेड़ा) ६ किसानों के खेतों में नहीं उगा उसका क्या कारण था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ज्यादा पानी दे दिया होगा, जमीन खराब होगी कोई न कोई कारण होगा।

श्री जयलाल : या पानी लगता ही नहीं है।

प्रश्न संख्या ६००

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम चौहान।

अलवर-भरतपुर जिले के पुरुषार्थियों के क्लेम

६०१. **श्री हरिराम चौहान** : (तिजारा) क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर-भरतपुर जिलों में पुरुषार्थियों के कई क्लेम ५०० रुपयों से कम या ५०० रुपयों तक की रकम के मजूर किये गये हैं ? उनकी तादाद कुल कितनी है और कम से कम क्लेम कितने रुपयों का मंजूर हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार इनसे जमीन की कीमत ४५० रु० फी स्टेन्डर्ड एकड़ मांग रही है ?

(३) क्या यह सही है कि इनके क्लेम मंजूर नहीं होते तो इनको जमीन की कीमत १५०) रु० फी स्टेन्डर्ड एकड़ या इससे भी कम देनी पड़ती ?

(४) क्या सरकार इन छोटे क्लेमदारों के लिए जमीन की कीमत में कमी करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जावेगा ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री पुनर्वास : (श्री परसराम मदेरणा) अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का संबंध भारत सरकार से है इसलिए मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूं।

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार का सारा मामला इनको सौंप दिया है, यहां की सरकार को और अब इस सवाल का जो जवाब है वह देने में आनाकानी करते हैं और सवाल बिलकुल सीधा है कि किसी भी क्लेमेन्ट का जैसे १०० रुपये का भी क्लेम मन्जूर हो गया है तो उससे १६ बीघा जमीन की कीमत २२५० रुपये सरकार मांगती है। वह कहती है कि हमको क्लेमेन्ट तसलीम मत करो और हमारा जो भी क्लेम है और जो भी सरकार ने हमको दिया है वह वापिस ले लो ताकि हमारी जान तो छूट जाये और हमको ४५०

(श्री हरिराम चौहान)

रुपये फी स्टेन्डर्ड एकड़ उसकी कीमत न देकर १०० या १५० रुपये फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से देनी पड़े ? यह उन लोगों को इस तरह का क्लेम देकर उल्टे मुसीबत में डाल दिया उनको सरकार उल्टे सजा दे रही है। या तो उनका आप क्लेम रद्द कर दें या फिर उनको नॉन–क्लेमेन्ट मान लें या फिर उनसे कम कीमत ले लें क्योंकि बड़े बड़े क्लेम २-३ हजार के हों तब तो बात दूसरी है लेकिन जब ज्यादा के क्लेम नहीं हैं और कीमत जो जमीन की है उससे भी कम के क्लेम हैं तो उनसे भी आप कहते हैं कि हम तो ४५० रुपये फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से लगायेंगे तो उनको नॉन–क्लेमेन्ट्स की हैसियत से रख दिया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के क्लेम्स को मंजूर करना या उनको रिजेक्ट करना और क्लेम्स के मन्जूर होने के अगेन्स्ट में कम्पन्सेशन एक्ट के ५४ के अन्दर उनको जमीन दिया जाना और जमीन के मुतल्लिक फी स्टेन्डर्ड एकड़ की रेट का वेलुएशन करना और उसके बाद में रकम की वसूली करना भारत सरकार का इससे संबंध है और राज्य सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य कन्फ्यूज हो रहे हैं। १५० रुपये लिया जाये उनको इसके साथ में जोड़ रहे हैं वह अलग से प्रश्न है और एडहाक बेसिस पर जो डिसजन हुआ है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री हरिराम चौहान : हमने यह पूछा है कि ५०० रुपये तक के क्लेमेन्ट्स के आदमी कितने हैं, आप तो यह बता दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, ५०० रुपये से नीचे का इन्होंने पूछा कि कितने क्लेमेन्ट हैं। यह जानकारी राज्य सरकार के पास में नहीं है। यहां भारत सरकार के रिप्रेजेन्टेटिव जो कि रीजनल संटलमेन्ट कमिश्नर रहते हैं उनसे भी हमने पूछा। तो उन्होंने भी यह कहा कि हमारे पास नहीं है। यह चीफ कमिश्नर, दिल्ली के पास में इत्तला है। इसलिए विषय भी राज्य सरकार का नहीं है और हाउस भी कॉम्पीटेन्ट नहीं है और इस तरह के अगर क्वेश्चन्स पूछते हैं तो किसी लोक सभा के सदस्य द्वारा पूछें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

श्री हरिराम चौहान : वे सब राजस्थान में रहते हैं और उनका सरकार को पता नहीं कि कितने ५००) रुपये से कम क्लेम वाले यहां पर बसते हैं और उनके लिए भारत सरकार से कह सकती है कि इनकी रीजनेबल मांग है। हम यह मान लेते हैं कि यह आपके बस की बात नहीं है और भारत सरकार के बस की बात हो सकती है, लेकिन यह कहां का न्याय है कि १००) रुपये का क्लेम मन्जूर कर लिया और यदि १०) रुपये का क्लेम नहीं होता है तो उनको करीब १५०) रुपया फी स्टैण्डर्ड एकड़ के हिसाब से पैसा देना पड़ता और चूंकि उनका १००) रु. का क्लेम मन्जूर कर दिया तो उनको ४५०) रुपये फी स्टैण्डर्ड एकड़ देना पड़ेगा। कम से कम एक फेमिली में ५ सदस्य होते हैं तो ५ एकड़ एक आदमी के पास है तो उसको २-२॥ हजार के करीब का नुकसान कर दिया १००) रुपये का क्लेम मन्जूर करके। यह जो दिक्कत है तो आपको इसके ऊपर विचार करके इसके लिए भारत सरकार से कहें तो इस बात

Page No. 21

(श्री हरिराम चौहान)

का फैसला तो कर सकते हैं। इसमें आपका क्या बिगड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

एक माननीय सदस्य : इसका उत्तर तो आने दें।

(प्रश्न संख्या ६०२ और ६०३ नहीं पुकारे गये)

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

रूरल हाउसिंग लोन, जिला जयपुर

६०४. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर जिले में सन् १९६१ में किन किन पंचायतों को कितना कितना रुपया रूरल हाउसिंग लोन के लिए दिया गया ? विवरण सदन के समक्ष रखें।

(२) जो रुपया रूरल हाउसिंग लोन के लिए दिया गया वह सब इसी कार्य में युटिलाइज किया गया और इससे कितने कितने मकान किन किन पंचायतों में बने ?

(३) क्या पंचायत बीलवाड़ी को भी रूरल हाउसिंग लोन का रुपया दिया गया था ? यदि हां, तो उस रुपये का पंचायत ने क्या किया ?

(४) क्या रूरल हाउसिंग लोन व पंचायत समिति के फ्री फण्ड के कोई नियम या सक्यूलर राज्य सरकार के द्वारा निकाले गये हैं ? यदि हां, तो सदन के समक्ष रखे जावें।

(५) क्या यह सच है कि पंचायत बीलवाड़ी ने रूरल हाउसिंग लोन से दुकानें बनाना चालू किया जिस पर कलेक्टर व मंत्री महोदय ने स्टे आर्डर जारी किये पर पंचायत ने कोई तामील नहीं की ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह सूचना भी सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

(३) जी हां रकम वापिस जमा करवा दी गई है।

(४) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी नहीं। इस संबंध में शिकायत होने पर स्टे आर्डर दिया गया था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

स्टे आर्डर मिलने पर दुकानों का निर्माण कार्य रोक दिया गया था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ये दुकानें बनकर तैयार हो गई हैं कि नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हो गई हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : किस फण्ड से पंचायत को आपके द्वारा रुपया दिया गया था और किस मद से दिया गया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह फ्री फण्ड की रकम में से बनी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह क्या हाउसिंग लोन जो उनको दिया गया था उसमें से बनी हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फ्री फन्ड की रकम पंचायतों को अपने आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए होती है जिसमें से दी जाती है। उसमें में यह रकम दी गई है। हाउसिंग लोन की रकम में से नहीं बनी हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सही है कि यह जो हाउसिंग लोन दिया गया था उसको इन्हीं दुकानों पर खर्च कर दिया गया है और राज्य सरकार ने उसको रेग्युलेराइज करने के दृष्टिकोण से और रुपया मन्जूर किया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : फ्री फण्ड के कोई नियम वगैरह बने हुए हैं या अपनी मर्जी के मुताबिक दिया जाता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हां जी, बने हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये गजट में प्रकाशित हुए हैं क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ये प्रकाशित हुए हैं नियम। ६०–४० के बेसिस पर सहायता दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि फ्री फण्ड के जो नियम बने हुए हैं वे गजट में पब्लिश हुए हैं क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नहीं हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो नियम कैसे लागू हो गये। और उनके अन्तर्गत पावर्स उनको कैसे मिल गये ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आर्थिक सहायता पंचायतों को अपने आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए फ्री फण्ड में से दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन यह आता है कि बिना नियमों के पंचायत समितियां और पंचायत समिति के अधिकारी कैसे पैसा कलेक्ट कर सकते हैं ? और माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि नियम बने हुए हैं तो वे नियम गजट में प्रकाशित क्यों नहीं हुए ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वह एक स्कीम के अन्तर्गत दिया जाता है। पंचायत समितियों के आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए सरकार सहायता देती है। वह एक स्कीम है। उसके अन्तर्गत सहायता दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : स्कीम के अन्तर्गत दी जाती है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिना नियम के कैसे दी जाती है ? क्या फ्री फण्ड की कोई रसीद नहीं दी जाती।

(विराम)

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नियम बनाये गये हैं वे सदन की मेज पर रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या उसकी रसीद दी जाती है ? फ्री फण्ड के लिए सरकारी अधिकारी रुपया कैसे कलेक्ट कर सकते है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तो केवल अमुक पंचायत के लिए है ।

श्री भैरोंसिंह : नियम, अध्यक्ष महोदय, सब पर लागू होते हैं तो क्या उन नियमों के अनुसार सरकारी अधिकारी कलेक्शन कर सकते हैं क्या ?

(कोई उत्तर नहीं, विराम)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कल भी फ्री है ।

श्री भैरोंसिंह : यह क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेन्ट है कि वे कर सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए नोटिस चाहिए । आपने दूसरी बात शुरू कर दी ।

श्री भैरोंसिंह : इनके दिमाग में भी तो कुछ होना चाहिये । नोटिस तो मैं दे दूंगा लेकिन फिर भी जवाब देना मुश्किल होगा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या फ्री फण्ड देने के बाद वापिस नहीं होता है ।

एक माननीय सदस्य : फ्री फण्ड फ्री स्टाइल से लिया जाता है ।

श्री भवानी शंकर नंदवाना : यह ग्रान्ट है।

श्री भैरोंसिंह : यह ग्रान्ट है या कलेक्शन ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : उनके आर्थिक साधन सुदृढ़ करने के लिए यह आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे कि वे अपने आर्थिक साधन बढ़ा सकें।

श्री भैरोंसिंह : यह सहायता गवर्नमेंट से दी जाती है या पब्लिक से ली जाती है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : पंचायत समिति लेती है ।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट की ओर से कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : ६०।४० के बेसिस पर दिया जाता है। उनका भी होता है और पचायत समिति का भी होता है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत ।

(प्रश्न संख्या ६०५ नहीं पुकारा गया)

६-३-६४ का स्थगित प्रश्न

मूर्तियों की चोरी, मैणाल मन्दिर, जिला भीलवाड़ा

२६१. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या मंत्री, पुरातत्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के मैणाल के भव्य मंदिर केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के तहत होने पर भी वहां किसी चोकीदार का प्रबन्ध नहीं होने के कारण वहां से मूर्तियों की चोरियां होती रहती हैं ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी)

(२) यदि हां, तो चोरी कब हुई और उक्त मूर्तियां बरामद हुईं या नहीं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं, राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह वही बात दोहरा रहे हैं कि राज्य सरकार को जानकारी नहीं है। क्या उस चौकीदार को मोअत्तिल नहीं किया गया ? क्या आपके विभाग ने बड़ौदा के पुरातत्व मन्दिर को नही लिखा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है। इस सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। ऊपर से जानकारी मालूम की है कि उसको निलम्बित किया गया है। सरकारी स्तर पर जानकारी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जब प्रश्न पूछा गया तो जानकारी करके जवाब क्यों नहीं देते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको केन्द्रीय सरकार से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : चोरी क्या राजस्थान में हुई है या बाहर हुई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिजोलिया का टैम्पल और मैणाल के टैम्पल्स केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत हैं इसलिए यह हमारी जानकारी में नहीं है कि वहां पर चौकीदार है या नहीं है या क्या व्यवस्था है ? चोरियों के सम्बन्ध में जिस तरह से जानकारी आपको होती है उसी तरह से हमको भी होती है। लेकिन सरकारी स्तर पर कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : वह तो मैं जानना चाहती हूं कि कैसे हुई ? वह मन्दिर बिजोलिया का राजस्थान की जमीन पर है या दिल्ली की जमीन पर है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जमीन तो राजस्थान की है लेकिन आधिपत्य दिल्ली का है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या आपको इस बात की जानकारी मिली है कि चोरी हुई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली है कि वहां पर चोरी हुई है। इस प्रकार की जानकारी मिली है कि कहीं से एक व्यक्ति जो बस में पकड़ा गया उसके पास में इस तरह का सामान था। वे जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनका सम्बन्ध मन्दिरों से है। यह नहीं कहा जा सकता है अभी कि किस मन्दिर की हैं। अभी इसकी तफतीश जारी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह आपको जानकारी मिली है कि अमुक मन्दिर के अन्दर चोरी हुई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि अमुक

Page No. 25

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मन्दिर में चोरी हुई है । जानकारी इस तरह की है...

श्री भैरोंसिह : वह जानकारी नहीं चाहिए । क्या इस प्रश्न के आने के बाद सरकार ने जानकारी की कि इस मन्दिर में कोई चोरी नहीं हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मन्दिर के सम्बन्ध में अर्ज किया कि यह जानकारी की है । मन्दिर में चोरी हुई हो ऐसा जाहिर नहीं आया । चोरी से सम्बन्धित वस्तुओं में कुछ ऐसी चीजें निकली हैं कि उनसे इस बात का पता लगता है कि कहीं से चुराई हुई हैं । उसकी तफतीश मांडलगढ़ थाने में हो रही है ।

श्री भैरोंसिह : माननीय मंत्री जी इस बात को इवेड न करें । क्वेश्चन पूछने के बाद क्या सरकार ने इस बात की जानकारी की है कि इस मन्दिर में कोई चोरी नहीं हुई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानकारी हुई है और यह जाहिर नहीं आया कि इसी मन्दिर में चोरी हुई है । अभी तक तफतीश जारी है ।

श्री भैरोंसिह : जिस मन्दिर की जानकारी मिली कि चोरी हुई है या चोरी कहां हुई है इसकी राज्य सरकार ने जांच करवाई है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया कि जो सामान कब्जे में से बरामद हुआ है उसकी जानकारी की जा रही है । मांडलगढ़ पुलिस थाने में उसका केस चल रहा है । उसकी तफतीश जारी है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : पुलिस थाने में केस चल रहा है और आपको जानकारी प्राप्त नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानकारी है जैसा कि मैंने निवेदन किया । आपको जो जानकारी है उसी तरह से जानकारी प्राप्त की है ।

श्री अध्यक्ष : पुलिस थाने में किस दफा में किसने एफ० आई० आर० दर्ज कराई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह ऐसा हुआ कि श्यामसुन्दर जड़िया को यह सामान ले जाते हुए बस में पकड़ा गया और वह बस विधइन जुरिस्डिक्शन माण्डलगढ़ थाने की थी....

श्री अध्यक्ष : किस ने पकड़ा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक स्ट्रेन्जर ओमप्रकाश ने जो उसी बस में यात्रा कर रहा था पकड़वाया है । अब वह सामान पुलिस थाने में है और उसकी तफतीश हो रही है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आई. पी. सी. की किस सेक्शन में मुकद्दमा दर्ज किया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस थाने में रजिस्टर्ड है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : (सांचोर) किस सेक्शन में ? ५२३ में या किसी और में ?

श्री निरंजननाथ आचाय : सिर्फ दो ही सेक्शन्स हो सकती हैं ४११ या ३७६ केस रजिस्टर इनमें नहीं हुआ है। उस व्यक्ति के खिलाफ तफतीश जारी है। उसको बुलाया गया है और मुकद्मा जेर तजवीज है। लेकिन यह पता नहीं चला है कि मूर्त्ति यह जो बरामद हुई वह उस मंदिर से संबंधित है या और कहीं से उठा कर लाया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इतना आपको पता है फिर कहते हैं कि पता नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने इसके बारे में पूछा इसलिये पता लगाया गया। विभागीय स्तर पर केन्द्र की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई।

एक माननीय सदस्य : एज्युकेशन मिनिस्टर के तौर पर ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एज्युकेशन मिनिस्टर के तौर पर सद्भाग्य से थोड़ा बहुत संपर्क है इसलिये पता लगाया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : खाली सम्पर्क ही है, क्या कर्त्तव्य नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा विभाग से होम ,विभाग में गया होता तो पूरी जानकारी होती।

श्री विजयसिंह झाला: पूरी जानकारी तो मुख्य मन्त्री जी होंगे आप तब होगी, तब तक इन्तजारी की जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जानकारी के लिए तो प्रश्न पूछा था। जानकारी करके बताना चाहिये था ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जब भी उपमन्त्री जी से प्रश्न करती है तब कहते हैं कि जानकारी नहीं है, वे शायद इनसे प्रेज्युडिस्ड हैं ?

श्री अध्यक्ष : और आप पूछते हैं तब बता देते हैं।

(विराम)

श्री कृष्ण कुमार गोयल

स्थगित प्रश्न

(१०-३-६४)

बी. एड. ट्रेनिंग सैंटर, कोटा

३११. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या यह सत्य है कि कोटा नगर में बी. एड. ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की योजना सन् ६३-६४ के लिए स्वीकृत हो चुकी है ? अगर हां, तो सेन्टर क्यों नहीं खोला गया ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : पहले का उत्तर जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या सरकार ने इस कभी योजना के अन्तर्गत शामिल किया था ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जी हां किया था।

श्री भैरोंसिंह : फिर कैसे बन्द हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अर्थ-विहीनता के कारण।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौन से साल विचार किया था ?

श्री निरंनाथ आचार्य : गत वर्ष ही किया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उक्त कॉलेज के लिये कितना खर्चा अनुमानित था ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक बी. एड. कालेज के लिये जितना खर्चा होता है उतना ही, आंकड़े मालूम नहीं किन्तु खर्चा काफी था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सच है कि कॉलेज के लिए स्थान वगेरा मुकर्रर कर दिया था ?

श्री निरंजननाथ आचाय : एक पैलेस में व्यवस्था करने का विचार था। उस पैलेस को देखा गया था, लेकिन एडीशन और आल्ट्रेशन काफी करने की जरूरत थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या कोटा में बी. एड. कॉलेज खोलने का प्रश्न विचारधीन है या समाप्त हो चुका ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अब कई कालेजेज खुल चुके हैं, जोधपुर बीकानेर और जयपुर में खुले हैं। डिमाण्ड पूरी हो चुकी है। फिर भी डिमाण्ड रह गई तो अगले साल विचार करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सच है कि कोटा में खोलने के लिये बातचीत चल रही थी और उसके पश्चात् दूसरी जगह खोल दी गई और कोटा में नहीं खोली गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वे एडेड खोली गई हैं।

श्री अध्यक्ष : ३६६ श्री मजलिस खां।

स्थगित प्रश्न

[१२–३–६४]

नये बांध का निर्माण, तहसील कामां

३६६. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील कामां, नागल ग्रामवासियों ने नये बान्ध के निर्माण के लिये कभी कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ?

(२) अगर हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) उक्त निर्माण-कार्य शुरू कराने में किनना समय और लगेगा ?

उप-मन्त्री विकास श्री भवानीशंकर नन्दवाना: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रान्सफर होकर आया है इसलिये जवाब उपलब्ध नहीं हो सका इसलिए अगले सप्ताह इसका उत्तर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ५८१

Page No. 28

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५८३

श्री फूलचन्द जैन

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाग बाढ़दार ।

प्राइवेट छात्रों के परीक्षा-फार्म की व्यवस्था

५८४. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर नगर से प्रतिवर्ष मैट्रिक व इण्टर व अन्य बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों (प्राइवेट) के फार्म भरने की राज्य सरकार की ओर से क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि हर विद्यार्थी को अपना फार्म प्राइवेट संस्थाओं से फारवर्ड कराने के लिए करीब १० रुपया अधिक व्यय करना पड़ता है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) प्राइवेट छात्र परीक्षा में बैठने के लिए फार्म एक रुपये में या तो बोर्ड से मंगवा सकता है या बोर्ड द्वारा जिस शिक्षण संस्था को फार्म बेचने का अधिकार दे रखा है उससे प्राप्त कर सकता है । प्राइवेट छात्र अपना फार्म भर कर बोर्ड द्वारा अधिकृत फारवर्डिंग ऑफिसर के पास स्वयं जाकर अपना फार्म भिजवा सकता है । फॉरवर्डिंग ऑफीसर्स के नाम प्रत्येक प्राइवेट छात्र की एप्लीकेशन फार्म के साथ भिजवा दिये जाते हैं ।

(२) जी नहीं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह व्यवस्था जयपुर नगर में कहां-कहां की गई है जहां से प्राइवेट छात्र अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवा सकते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये अलग-अलग १४ स्थान जयपुर नगर में हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ये १४ स्थान कब से कायम किये हैं आपने ?

श्री निरंजनानथ आचार्य : गत वर्ष से ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या राज्य सरकार को मालूम है कि गत फरवरी में दस-दस रुपये प्राइवेट एजेन्सीज को दिये गये थे और इसकी शिकायत आपको की गई थी और आपने इस मामले को टेकल करने का कहा था ?

श्रीनिरजननाथ आचार्य : उस आधार पर ही हमने सुधार किया है ।

प्रश्न संख्या ५८६

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थोसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५८८

श्री जयनारायण सालोदिया

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६२

श्री रामानन्द अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ५६० रह गया है।

प्रश्न संख्या ५६३

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरबड़।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६४

श्री भीमसेन

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६००

श्री बाबूराम चौधरी

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०२

श्री जेठमल बरबड़

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०३

श्री फूलचन्द जैन

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०५

श्री नत्थीसिंह

(अनुपस्थित)

(श्री भैरोंसिह से) कौनसा प्रश्न था आपका।

श्री भैरोंसिंह : ५६० रह गया था।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसका जबाब हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा नाम रह गया था।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेंन्ट्री पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय उप-मंत्री जी बतायेंगी कि जिन-जिन कम्पनियों में आपके शेयर्स हैं उनमें आपके जो रिप्रजेन्टेटिव्ज है वे मीटिंग्ज में प्रेजेन्ट रहते हैं तो इस बात की ओपीनियन देते हैं कि किस-किस पार्टी को कितना-कितना चन्दा दिया जाय ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, आप गैर हाजिर थे। यह जवाब दिया जा चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे।

प्रश्न समाप्त हुए।

Page No. 30

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर डिवीजन के अध्यापकों की बकाया का भुगतान ।

२०४. श्री रामकिशन (वैर)-क्या यह शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करें :—

क्या जयपुर डिवीजन (शिक्षा सर्किल) में सरकार को अध्यापकों के किन्हीं एरियर, यात्रा तथा भत्ता बिलों का भुगतान करना है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने-कितने रुपयों का ?

उत्तर

१. जी हां। एरियर्स के रुपयों की जिले वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

आयुर्वेदिक परामर्शदात्री मण्डल

२०५. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने आयुर्वेदिक विकास के सम्बन्ध में कोई परामर्शदात्री मण्डल बना रक्खा है ?

(२) यदि हां, तो यह मण्डल कब बना ? इसके कुल कितने सदस्य कौन-कौन हैं ?

(३) आयुर्वेदिक परामर्शदात्री मण्डल के कुल कितने अधिवेशन कहां-कहां पर हुए और अब तक इन अधिवेशनों में कुल कितनी धन राशि खर्च हुई ? मय टी० ए० व डी० ए० के खर्च का व्योरा प्रस्तुत करें।

(४) आयुर्वेदिक परामर्शदात्री मण्डल ने आयुर्वेद के विकास के लिये कुल जितने प्रस्ताव कब कब पारित किये और परामर्शदात्री मण्डल द्वारा पारित प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणित किया गया व कितनों पर विचार जारी है ?

(५) क्या यह सही है कि परामर्शदात्री मण्डल में इस बारे में भारी असन्तोष है कि सरकार का खर्चा करने के बाद बार-बार प्रस्ताव अधिवेशन में पास किये जाते हैं, और उन पर विचार नहीं किया जाता ?

(६) यदि मण्डल के प्रस्ताव आयुर्वेदिक विकास के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इतने रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता है ? क्या इसके सभापति स्वयं आयुर्वेद मन्त्री हैं और क्या भविष्य में भी अधिवेशन करने की योजना सरकार के सामने विचाराधीन है ?

उत्तर

१. जी हां।

२. आयुर्वेद परामर्शदात्री मण्डल सन् १९५६ में बनाया, बाद में यह तीन दफा पुनर्गठित हो चुका है। अन्तिम पुनर्गठन सन् १९६१ में हुआ है। इसके कुल २१ सदस्य हैं। जिसकी नामावली सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

३. आयुर्वेद परामर्श दात्री मण्डल के कुल ८ अधिवेशन हुए हैं, यह अधिवेशन, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर इन तीन जगहों पर ही हुए हैं। इनमें अनुमानित धन राशि ७६५००·६० टी० ए०, डी० ए० पर खर्च हुए हैं।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

४. आयुर्वेद परामर्शदात्री मण्डल के द्वारा ८ अधिवेशनों में सौ से भी अधिक प्रस्ताव पास किये गये, ये प्रस्ताव सन् ५६ से ६३ तक बोर्ड के अलग २ अधिवेशनों में पारित किये गये है। इन पारित प्रस्तावों में कई प्रस्तावों की विभिन्न सदस्यों द्वारा पुनरावृति की गई है। जैसे वैद्यों की वेतनश्रृंखला बढ़ाना, अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ करना, औषधियों के स्तर को ऊंचा करना, आयुर्वेद विश्व विद्यालयों की स्थापना करना, वनौषधि-उद्यान लगाना, वैद्यों को प्रशिक्षण देना आदि, आदि प्रत्येक अधिवेशन में बीस और तीस के बीच प्रस्ताव पास हुए हैं, परन्तु कुछ प्रस्ताव इस प्रकार के रहे है कि उनकी भाषा भिन्न २ होते हुए भी भाव व उद्देश्य एक ही रहा है। अतः मौलिक प्रस्तावों की दृष्टि से पारित प्रस्तावों की संख्या पचास से अधिक नहीं है। इनमें निम्नतम पूर्ण प्रस्ताव पूर्णरूप से या आंशिकरूप से सरकार द्वारा स्कीकृत कर दिये गये हैं।

१. रसायनशाला में कच्ची औषधिया के क्रय हेतु एक स्टोर पर्चेज कमेटी की स्थापना कर दी गयी है। आयुर्वेदिक परीक्षाओं के स्तर समुन्नत करने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय में आयुर्वेदफेकल्टी की स्थापना करने का निर्णय ले लिया है

२. बड़े २ शहरों में ए श्रेणी औषधालय स्थापित करने का निर्णय ले लिया है।

३. रसायनशालाओं का एकीकरण किया जाकर अजमेर में एक उच्चस्तरीय रसायनशाला की स्थापना की जा चुकी है।

४. आयुर्वेदिक कॉलेजों में प्राध्यापकों के पद बढ़ाये जाकर साजसज्जा पूरी की जाकर उनको अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज का रूप दे दिया गया है।

५. दोनों कॉलेजों में आतुरालयीय अनुसन्धान चालू कर दिये गये हैं।

६ आयुर्वेदिक मेडिकल रियूमेर्क्समेन्ट की व्यवस्था कर दी गयी है।

७. बोर्ड के सदस्यों के अधिकार व कर्तव्यों के अधिकार का निर्णय कर दिया है।

८. रसायनशालाओं का व्यापारिक पद्धति पर चलाने हेतु कदम उठा लिये गये हैं।

६. धात्री कल्पद् प्रशिक्षण कोर्स चालू कर दिया गया है।

१०. वैद्यों का प्रशिक्षण कोर्स चालू कर दिया गया है।

इस प्रकार दस महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा चुके हैं।

निम्न दस प्रस्ताव सरकार के विचार कोटि में चल रहे हैं।

१. जिलो-स्तरीय औषधालायों में वैद्य का प्रावधान स्वीकार करना।

२. नगरपालिका क्षेत्र के औषधालायों में विजिटिंग कमेटी कायम करना।

३. रजिस्टर्ड प्राइवेट चिकित्सकों को अफीम आसानी से मिल सके, इसकी व्यवस्था करना।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

४. आयुर्वेदिक एकेडेमी की स्थापना करना

५. शल्यशाला प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

६. कॉलेजों में डिसेक्शन हॉल खोलना

७. कॉलेजों के भवन-निर्माण करना

८. आरोग्यकेन्द्रों की स्थापना करना

९. आयुर्वेद में पंचशुद्धि द्वारा हैल्थ विभाग की स्थापना करना

१०. निरीक्षकों को गजेटेड ऑफिसर बनाना।

यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकार के निर्णय के लिये विचाराधीन हैं। जिस पर कार्तवाही चालू है। बाकी कुछ प्रस्ताव सामान्य हैं, और कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव हैं, जो कार्यवाही योग्य नहीं हैं, जिनकी संख्या दस है। और जिनको रिजेक्ट कर दिये गये हैं ? जैसे उदाहरण के लिये आयुर्वेद विभाग के नियन्त्रण हेतु एक कमिशन स्थापित करना।

कॉलेजों के लिये एक गवर्निंग कौंसिल स्थापित करना आदि।

इस तरह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय ले लिये गये हैं, और जो महत्वपूर्ण हैं उनपर विचार किया जा रहा है।

(५) जी नहीं, सरकार सभी प्रस्तावों पर विचार करती है और जो प्रस्ताव महत्व पूर्ण होते हैं उनको शीघ्र ही कार्यान्वित कर देती है। १) आयुर्वेद फेकल्टी का विश्व विद्यालय में खोलना २) रसायनशालाओं का एकीकरण करना ३) आयुर्वेदिक कॉलेजों को सभी दृष्टि से समृद्ध करना और उनको अष्टांग कॉलेजों में मूर्तरूप देना। ४) धात्री कल्पद प्रशिक्षण का चालू करना। ५) प्राचीन व अनुभवी वैद्यों के ज्ञान-वृद्धि हेतु एक वर्षीय रिफ्रेशर कोर्स चालू करना ६) आतुरालय अनुसन्धान का खोलना, ७) रसायनशालाओं का व्यापारिक पद्धति पर चलाने हेतु रसायनशालाओं में मशीनरी का लगवाना ८) वैद्यों का फिवसेशन करना, ९) बोर्ड के सदस्यों के अधिकार व कर्तव्य को निर्धारित करना, १०) संचालक का वेतन-स्तर बढ़ाकर उसको श्रेणी का अधिकारी बनाना, स्टोर परचेज कमेटी का स्थापना करना, आदि। जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे उन सब पर सरकार ने विचार किया है और कार्यान्वित किया है। इस विषय में यह जरूर ध्यान देने योग्य बात है कि आयुर्वेद परामर्श दातृ मण्डल एक सलाहकार मण्डल है अतः जो-जो सलाह मानने योग्य होती हैं वे सब मान्य की जाती हैं। प्रस्तावों को मान्य करते समय सरकार आर्थिक व्यवहार व प्रशासन की नीति को ध्यान में रखकर ही प्रस्तावों पर विचार करती है और सब दृष्टि से मान्य होते हैं उन्हीं को पारित करती है

(६) जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि परामर्श दातृ मण्डल बोर्ड अपनी दृष्टि से आयुर्वेद विकास के लिए ही होते हैं तभी सरकार ने उपयुक्त प्रस्तावों मान्य किया है। परन्तु सभी प्रस्ताव सरकार अनिवार्य रूप से मानने को बाध्य नहीं है। यह सही है कि परामर्शदातृ मण्डल के सभापति स्वयं आयुर्वेद मन्त्री हैं और आयुर्वेद के विकास के लिए आयुर्वेद परामर्शदातृ मण्डल के अधिवेशन करने की योजना उनके विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या ३ देखिये)

सीमेन्ट वर्क्स कर्मचारी संघ, सवाई माधोपुर की मांगें

२०६. श्री हरिप्रसाद शर्मा : (पाटन) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सीमेन्ट वर्क्स कर्मचारी संघ, सवाई माधोपुर ने सन् १९६२ में सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी के प्रबन्धकों को हड़ताल का नोटिस दिया था जिसकी प्रतिलिपि सरकार के संबंधित विभागों को भी भेजी गई थी ?

(२) इस नोटिस में किन किन मांगों को लेकर हड़ताल किये जाने का नोटिस दिया गया था ?

(३) सरकार की ओर से इन मांगों में से किस किस मांग के संबंध में किस किस हद तक क्या क्या एक्शन लिया गया और किस किस मांग के संबंध ने नहीं ?

(४) फैक्टरी मालिकों ने किन किन मांगों को स्वीकार किया है, किनको नहीं और क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) केवल सन् १९६०-६१ के बोनस के प्रश्न पर।

(३) सरकार ने समझौता वार्ता द्वारा यह प्रश्न हल न होने के फलस्वरूप औद्योगिक न्यायालय को सरकारी विज्ञप्ति दिनांक १९ फरवरी, १९६२ द्वारा सुपुर्द कर दिया। बाद में यह प्रश्न आपसी वार्ता द्वारा तय किया जा चुका है।

(४) प्रश्न पैदा नहीं होता।

सहकारी समिति, ग्राम तालाब

२०७. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम तालाब, तहसील पीपलदा, जिला कोटा में कोई सहकारी समिति है ? यदि हां, तो यह किस नाम से रजिस्टर्ड है और इसके कितने सदस्य हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस समिति के ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है लेकिन उसका उत्तर समिति को नहीं मिला है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र कब दिया गया और उसका उत्तर क्यों नहीं दिया गया है ?

(३) अब सदस्यों को कब तक रकम मिल जायेगी ?

उत्तर

(१) ग्राम तालाब तहसील पीपलदा जिला कोटा में तालाब ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० के नाम से रजिस्टर्ड सहकारी समिति है जिसके ११७ सदस्य हैं।

(२) जी हां-समिति ने १४-११-६३ को सहायक निरीक्षक को ऋण आवेदन पत्र दिया जिस पर बैंक द्वारा दिनांक ६-१२-६३ को अध्यक्ष समिति को लिखा कि १५८४) रु० समिति के रोकड़ पोते अनधिकृत सही है वह अनधिकृत रकम ३ व्यक्तियों के पास हैं वह बैंक में जमा करवाई जाये।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(३) रोकड़ पोते की राशि बेंक में जमा होने पर तथा एग्जीक्यूटिव आफिसर, बेंक कोटा द्वारा बाद जांच समिति की सन्तोषप्रद स्थिति ज्ञात होने पर समिति को ऋण दिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

अध्यापकों की अस्थाई नियुक्तियां

२०८. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को प्रतिवर्ष सत्र के आरम्भ में अस्थाई रूप में ग्रीष्मावकाश के पूर्व तक नियुक्त किया जाता है ?

(२) इस प्रकार की कितनी नियुक्तियां ६०-६१ एवं ६१-६२ में जयपुर पूर्व एवं जयपुर पश्चिम निरीक्षणालयों में हुईं ?

(३) इन नियुक्तियों में कितने पद स्थाई थे एवं कितने अस्थाई ?

(४) स्थाई पदों पर आवश्यक योग्यता के उम्मीदवार मिलने पर भी अस्थाई नियुक्ति की नीति किस आधार पर बनाई गई है ?

(५) क्या यह सही है कि ग्रीष्मावकाश के पूर्व सेवा से मुक्त हुए अध्यापक आगामी सत्र में पुनः सेवा कार्य के लिए उम्मीदवार के रूप में आते हैं तथा उनको एम्पलायमेंट एक्सचेंज आदि की सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस प्रकार की १६७ नियुक्तियां ६०।६१ एवं २१३ नियुक्तियां ६१।६२ में जयपुर पूर्व निरीक्षणालय में, एवं २२३ नियुक्तियां ६०।६१ में एवं १४२ नियुक्तियां ६१।६२ में पश्चिम निरीक्षणालय में हुई।

(३) इन नियुक्तियों में ४९३ पद स्थाई तथा २५२ पद अस्थाई थे।

(४) सभी नियुक्तियां अस्थाई रूप से करने का कारण यह है कि प्रायः ट्रेन्ड अध्यापकों का ही अस्थाई एवं स्थाई दोनों पदों पर नियुक्त किया जाता है। यदि कुछ ट्रेन्ड अध्यापकों को स्थाई पदों पर एवं कुछ ट्रेन्ड अध्यापकों को अस्थाई पदों पर नियुक्त किया जावे तो अस्थाई पदों पर नियुक्त अध्यापक यह आपत्ति कर सकते हैं कि एक ही प्रकार की योग्यता होने पर भी उनको अस्थाई पदों पर नियुक्त क्यों किया गया जबकि उनके साथियों को स्थाई पदों पर नियुक्त किया गया। वर्णित स्थिति में सब प्रार्थियों के साथ समान व्यवहार करने के विचार से उपर्युक्त सभी पदों पर अस्थाई नियुक्तियां की जाती हैं। इन अध्यापकों में से जो अध्यापक पहले कार्यारम्भ करते हैं उनको पुनः नियुक्त करते समय वरिष्ठता के अनुसार स्थाई पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है तथा जो देर से कार्यारम्भ करते हैं उन्हें जूनियर होने के नाते व अस्थाई पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है।

(५) यह सही नहीं है कि ग्रीष्मावकाश के पूर्व सेवा से मुक्त किये गये अध्यापकों को आगामी सत्र में पुनः सेवा कार्य के लिये एम्पलायमेंट एक्सचेंज आदि की प्रक्रियाओं से गुजर कर उम्मीदवार के रूप में आना पड़ता हो।

उत्तमा परीक्षा पास अध्यापकों के ग्रेड जिला बूंदी

२०६. श्री गंगासिंह (हिन्डौली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

बूंदी जिले में ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्होंने बम्बई हिन्दी विद्यापीठ की उत्तमा परीक्षा पास की है और जिन्हें मैट्रिक ग्रेड दी गई है, और ऐसे अध्यापकों में ऐसे कितने हैं जिन्हें मैट्रिक ग्रेड नहीं दी गई है ।

उत्तर

१. केवल २ अध्यापक हिन्दी उत्तमा परीक्षा बम्बई हिन्दी विद्यापीठ द्वारा पास है एवं दोनों ही मैट्रिक ग्रड में वेतन पा रहे हैं।

मैट्रिक ग्रेड में एम० ए० तथा बी० ए० पास अध्यापक

२१०. श्री मानिकचंद सुराणा : (कोलायत) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के कितने एम० ए० व बी० ए० पास अध्यापक अभी तक मैट्रिक ग्रेड में हैं ?

उत्तर

१. राजस्थान में एम० ए० तथा बी० ए० अध्यापक १७६४ हैं जो कि तृतीय वेतन शृंखला ७५ से १६० में कार्य कर रहे हैं। इनमें इन्सपेक्टोरेट सीकर तथा उप निरीक्षिका जयपुर की सूचना शामिल नहीं है। सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत करदी जावेगी ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(८.५८ म. पू.)

उदयपुर में साम्यवादियों द्वारा प्रस्तुत मांगों सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : श्री आचार्य ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : (कोटा) मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था ।

श्री अध्यक्ष : पहले दूसरा वक्तव्य आ जाय । फिर इसके बारे में ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : (उपमंत्री, गृह) श्री हरिराम चौहान द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवेदन यह है कि उदयपुर की कम्युनिस्ट पार्टी ने फरवरी, ६४ में कलक्टर, उदयपुर को एक विज्ञापन पेश किया जिसमें उन्होंने निम्नलिखित मांगें पेश कीं

(१) आवश्यक वस्तुओं को उचित कीमतें फिक्स की जाय,

(२) विदेशी गेहूं के बजाय देशी गेहूँ जनता को दिया जाय,

(३) अनाजों की कीमतों को जुलाई ६२ की कीमतों के समान फिक्स किया जाय,

(४) जिले के बाहर अनाज की निकासी बंद की जाय तथा

(५) हर एक वार्ड में सस्ते अनाज की दूकानें खोली जायं । इत्यादि ।

दिनांक २६-२-६४ को उन्होंने कलक्टर के सामने प्रदर्शन भी किया और एक विज्ञापन १३०० हस्ताक्षरों का वही मांगे दोहराते हुए कलेक्टर को प्रस्तुत किया जिसमें यह भी चेतावनी दी गई कि यदि १० मार्च, ६४ तक उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गई तो वह धरने पर बैठेगें और अनाज के व्यापारियों को गेहूँ १६) प्रति मन के भाव से बेचने के लिए मजबूर करेंगे । उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जनता द्वारा अनाज के व्यापारियों के गोदाम लूटने की संभावना हो सकती है।

दिनांक १६-३-६४ को कम्युनिस्ट पार्टी ने एक आम सभा का आयोजन किया जिसमें वक्ताओं ने दिनांक १६-३-६४ को धरना और सत्याग्रह तीन रोज के लिए प्रारम्भ करने की घोषणा की और यह भी कहा कि सत्याग्रह में तीन तीन कार्यकर्ताओं की टुकड़ियां भाग लेंगी। फलस्वरूप दिनांक १८-३-६४ को १० बजे सुबह स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)

के मेम्बर धानमंडी में इकट्ठे हुए और सर्वश्री प्रतापसिंह महरिया (जो जागीरदार कम्युनिस्ट हैं) वशीर मोहम्मद और हरिकांत शर्मा करीब १०० व्यक्तियों का जलूस बना कर कलेक्टोरेट पहुँचे और कलेक्टोरेट की फाटकों पर धरना देकर अधिकारियों एवं जनता का कलेक्टोरेट कम्पाउन्ड से बाहर या अन्दर आना जाना बन्द कर दिया तथा वहां नारे लगाने और भाषण देने शुरू किये। शान्ति भंग होने का अन्देशा देखकर उक्त तीनों व्यक्तियों को धारा १०७ एवं १५१ जा. फौ. के आधीन १२. ५० पी. एम. पर गिरफ्तार किया गया।

(६·०० म० पू०)

क्योंकि उन्होंने जनता का कलेक्टोरेट में आवागमन बन्द कर धारा ३४१ भारतीय दंड संग्रह के अपराध करने शुरू कर दिये थे। उनकी गिरफ्तारी होते ही वहां एकत्रित जन समूह शान्तिपूर्वक तितर बितर हो गया और बाद में शान्ति बनी रही। उसी रोज सायं ७. ३० बजे फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्राम सभा की और वही मांगें दोहराईं और आयन्दा पिकेटिंग जारी रखने की घोषणा की।

दिनांक १९-३-६४ को ८॥ बजे सुबह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सर्व श्री घायलदास, महफूजखां और रोशनखां धानमंडी में एकत्रित हुए और भाषण देने के पश्चात् करीब ४०,५० व्यक्तियों सहित जलूस के रूप में कलेक्ट्रेट में पहुँचे और फाटकों पर खड़े होकर लोगों का कलेक्ट्रेट में आना जाना बन्द कर दिया। श्री जयन्तिलाल शाह ने भाषण भी दिये जिसमें शान्ति भंग होने की सूरत से उक्त चारों व्यक्तियों को धारा १०७ तथा १५१ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

दिनांक १९-३-६४ को शाम को कम्युनिस्ट पार्टी ने जगदीश चौक में ग्राम सभा की जिसमें करीब १००-१५० व्यक्ति इकट्ठे हुए। भाषणों में वही मांगें दोहराई गईं और अगले रोज फिर धरना देने व सत्याग्रह करने की घोषणा की।

दिनांक २०-३-६४ को ९॥ बजे सुबह धानमंडी में कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर एक ग्राम सभा का आयोजन किया और वहां से जलूस बना कर सूरजपोल होकर कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। फिर जुलूस के रूप में उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रवेश पाने की चेष्टा की किन्तु उन्हें वैसा करने से रोक दिया गया और उन्हें यह कहा गया कि जो भी चाहें व्यक्तिगत रूप में कलेक्टर से मिलने अन्दर जा सकते हैं। किन्तु वे राजी नहीं हुए और उनके अलावा सर्व श्री वृद्धिचन्द तेली, लछमनदास और रामलाल ने फाटकों पर धरना देकर लोगों का कलेक्ट्रेट में आवागमन बन्द कर दिया। फलस्वरूप उन्हें भी धारा १५१ ज०ब्जा फौजदारी के अधीन गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात् भी सत्याग्रहियों ने कटु नारे व भाषण बाजी तांगे में लगे हुए माइक से शुरू किये जिससे काफी जन समूह इकट्ठा हो गया और पूरा ट्रेफिक रुक गया। श्री हरदयालसिंह को, जो माइक से भाषण बाजी कर रहे थे, तथा तांगे वाले को चेतावनी दी गई कि वे वहां से चले जावें वरना धारा ३४ पुलिस एक्ट के आधीन उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। फिर भी श्री हरदयाल सिंह ने उत्तेजनापूर्वक भाषण देने शुरू किये, अतः उन्हें धारा १५१ जाब्ता फौजदारी में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उसने गिरफ्तारी का विरोध करके बाधा उत्पन्न की अतः उसके विरुद्ध धारा १८६ भारतीय दंड संग्रह के आधीन इस्तगासा भी पेश किया गया। तांगे वाले श्री त्रिलोक

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सिंह के विरुद्ध धारा ३४ पुलिस एक्ट के अधीन चालान भर कर उसे जाने दिया गया। तत्पश्चात् भीड़ शान्तिपूर्वक तितर बीतर हो गई।

इस सत्याग्रह में आम जनता में किसी भी प्रकार का भय या उत्तेजना नहीं है। स्थिति साधारण सी है। सभी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति जुडिसियल लोक अप में हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जमानत देना स्वीकार नहीं किया।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा)— अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार सरकार की बात को सही भी मान लें कि इस तरह से लोग वहां धरना दे रहे हैं तो भी धरना देना, जलूस निकालना, सत्याग्रह करना—यह सब अधिकार हमारे कानून के अन्दर मौजूद हैं और हमारे बुनियादी अधिकारों के अन्दर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ केस बना कर उनको रोका जाय और जाते २ कार्यवाही हो जाय और सारा काम ठप्प हो जाय। पुलिस के पास एक दफा है, १०७ और १५१—इसके अधीन गिरफ्तार कर लिया, कि वे आने जाने वालों को मना करते हैं। जब किसी भी चीज के ऊपर कोई भी आन्दोलन हो तो इसका उपयोग करती है पुलिस और गलत तरीके से करती है....

श्री निरंजन नाथ आचार्य—आप सवाल पूछें तो अच्छा हो। भाषण देने लग गये।

श्री हरिराम चौहान: क्या कह रहे हैं?

श्री निरंजन नाथ आचार्य: सवाल पूछें तो क्लेरीफिकेशन हो जाय।

श्री हरिराम चौहान : सवाल पूछ रहा हूं। जो गिरफ्तारियां की हैं, वे गलत तरीके से की हैं—इसका क्या कारण है। इसके अलावा आपने जो हाजरियां बताई है, कहीं पर सौ आदमियों की हाजरी थी, कहीं पर पचास की थी, कहीं डेढ़ सौ की थी—यह आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के झंडे के नीचे वहां बड़े बड़े जलूस इन्टक के लोगों ने निकाले हैं मंहगाई के खिलाफ। वहां मंहगाई के कारण लोग भूखे मर रहे हैं, वहां के लोग परेशानी में है। गरीब मजदूर और किसान बुरी तरह परेशान है वहां के हरिजन परेशान हैं........

श्री निरंजननाथ आचार्य—कितने सवाल हो गये, एक साथ कितनों का जवाब दूं?

श्री अध्यक्ष—जवाब चाहते नहीं।

श्री हरिराम चौहान—जिनके पास काफी जखीरा है उनके स्टाक पर कब्जा करो, यह बात कही जाती है लेकिन सरकार इस को चाहती नहीं है और झूठा केस बना कर जेल के अन्दर लोगों को बन्द करती है। तो ये आपने केस लगाये हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

१०७ के अन्दर नहीं आते हैं इसलिए उनको छोड़ा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कालादत): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उससे ऐसा लगता है कि वहां स्थिति साधारण है, कहीं सौ, कहीं डेढ़ सौ और कहीं पचास लोग इकट्ठे हुए। आपके स्टेटमेंट से यह पता नहीं चलता कि किसी जिला मजिस्ट्रेट ने वहां जलूस को आने से रोकने के लिए १४४ दफा लागू की या नहीं? और यदि जलूस के आने से वहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या कलेक्टर को अनोयेन्स होती है या इन्जरी होती है तो जाब्ते में वह धारा १४४ लगा सकता था और प्रदर्शनकारियों का

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)

के लीडर हैं, मोहन सिंह ने उनका फौजदारी में चालान पेश किया है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मोहनलाल कैसे कह रहे हैं। श्री प्रतापसिंह।

श्री निरंजनाथ आचार्य : श्री प्रताप सिंह ग्राप करेक्ट कर लें।

ऐसी स्थिति में ग्रर्ज किया कि मैं स्वयं जाकर ग्राया हूं, कल कोई मामला नहीं था, परसों कोई मामला नहीं था....

एक माननीय सदस्य : ग्रापने बातचीत की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्राज होगा नहीं। ऐसी स्थिति में सौ पचास ग्रादमियों की सभा हो जाय, वहां तक एतराज नहीं है। लेकिन कलेक्ट्री में क्रिमिनल ट्रेसपास करके दाखिला हों, लोगों का ग्राब्स्ट्रक्शन हो। शांतिपूर्ण स्थिति में प्रासेस ग्रॉफ ला को काम में लाने का सवाल नहीं है। वहां वकील मिले हैं, उनका कहना है कि उनके मुकद्मे खारिज हो रहे हैं। दीवार लांघ कर उनको ग्रन्दर जाना पड़ता है, वह ग्राब्स्ट्रक्शन बनें तो बताइये क्या करें ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि १०० या १५० व्यक्तियों की भीड़ के द्वारा ग्राब्स्ट्रक्शन होने से लोग कोर्ट के ग्रन्दर नहीं जा सके तो या तो भीड़ जैसी ग्राप बताते हैं कि १०० या १५० ग्रादमियों की थी वह नहीं थी ग्रौर उसके बजाय १० या १५ हजार की होगी जिसको ग्राप १०० या १५० की संज्ञा देते हैं। क्योंकि १००–५० ग्रादमियों के कारण सारा रास्ता कोर्ट में जाने का रोका नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि यह सरकार की बिल्कुल कपोल कल्पित कल्पना की बात है। या तो ग्राप यह चाहते हो कि वकील वहां पर नहीं जा सके तो मुकद्मे उनके खारिज हो जावेगें। इसके ग्रलावा यह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है ग्रौर यदि किसी का मुकद्मा खारिज भी हो जाए तो हो जाए यह ग्रनाज नहीं मिलने का मसला है। ग्रगर ग्रनाज नहीं मिलने के कारण जनता कलेक्टरेट को घेर ले या मन्त्रियों के बंगले को घेर ले तो वह घेर सकती है क्योंकि यह उसका ग्रधिकार है कि सरकार के सामने ग्रपनी बातों को ग्रच्छी तरह से रखे।

(विराम)

ग्राप उन लोगों को खुद इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये बाध्य करते हैं क्योंकि ग्रापने सस्ते ग्रनाज का प्रबन्ध नहीं किया। ग्राप कर नहीं सकते। ग्राप करना नहीं चाहते। लोगों के पास ग्रनाज के गोदाम भरे पड़े हैं। इसलिये ग्रगर इस प्रकार की रुकावटें ग्रगर जरूरत हो तो जरूर पैदा की जावेंगी ग्रौर जनता का यह ग्रधिकार है ग्रौर यह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है ? ग्रापके इरादों को बदलने के लिये ग्रौर ग्रापको मजबूर करने के लिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : ग्रापने ग्रपने प्रश्न का स्वयं ही जवाब दे दिया है।

श्री ग्रध्यक्ष : दूसरा स्टेटमेंट बूंदी की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में मंत्री महोदया दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ग्रध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कोने कोने में भूख हड़तालें हो रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठता। ग्रापने जो मुद्दे उठाये वे गलत थे ग्रापने सवाल का जवाब दे दिया कि ग्रॉब्स्ट्रक्शन्स हम कर रहे हैं।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अन्दर आना बन्द कर सकता था। उसका विना उपयोग किये हुए जो जलूस गया, तो मैं समझता हूं कि विधान के अनुसार कोई प्रदर्शन कर सकता है, राइट ऑफ असेम्बली है, इकट्ठे होने, जलूस निकालने और नारा लगाने का अधिकार है। क्या सरकार अपना अधिकार समझती है कि वे उसमें कोई रुकावट डालते हैं तो आपके कानून में प्रावधान दिया गया है, उसका उपयोग करें और धारा १४४ लगायें। आप कहते हैं कि सौ पचास आदमी थे, तो आपके कलेक्टर कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्रीच आफ पीस का खतरा था? अगर नहीं तो किस प्रकार धारा १०७, १५४ और ११७ का उपयोग कर सकते हैं? आपने यह भी नहीं बताया कि धारा ११७(३) में गिरफ्तार किया। आपने १०७ और १५४ का नाम लिया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं अर्ज करना चाहूंगा इसके बारे में कि जलूस निकालने हैं तो यह तो एक तरीके से सरकार पर दबाव है कि क्योंकि फूड प्राईस बढ़ रही हैं, इसलिए गवर्नमेंट अपनी प्राइस पालिसी तय करे उसके बाद इम्प्लीमेंट करे। साथ ही जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राइस पालिसी की बात कही है उस पर सरकार नहीं चला पा रही है। उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जलूस निकाले जाते हैं। वे कानूनी अधिकार का दुरुपयोग नहीं करते लेकिन आपने १०७ और १५४ में उनको गिरफ्तार किया है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सभा में सौ पांच आदमी थे बहुत अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ब्रीच ऑफ पीस का खतरा नहीं हो सकता। फिर उनको क्यों गिरफ्तार किया है? आप मानते हैं कि स्थिति साधारण है, फिर प्रश्न यह है कि आपने उन लोगों को बन्द क्यों कर रखा है, उनको रिलीज क्यों नहीं कर सकते? १०७ की स्थिति समाप्त हो गई तो उनको रिलीज कर देना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दो मुद्दे हैं, उनको आपने एक बना दिया है। जहां तक उनका सभा करने का प्रश्न है, भाषण देने का प्रश्न है, प्रोसेशन का प्रश्न है—उसमें कोई एतराज नहीं है, यह फन्डामेंटल राइट है। अब १४४, आपका कहना था, लगा दी गई........

श्री मानिकचन्द सुराणा : कब लगाई? आपने क्यो नहीं लगाई?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कहने दीजिये। आपको डिस्टर्ब नहीं किया गया था, मुझे भी डिस्टर्ब न करें।

आपने कहा कि १४४ क्यों नहीं लगाई ऐसी स्थिति में-जलूस के प्रश्न, भाषण के प्रश्न से कोई स्थिति पैदा नहीं होती। अब दूसरा प्रश्न रहा. उसमें जो कुछ भी हमारा आरोप उनके खिलाफ है, वह है कलेक्ट्रेट के वहां धरना देना और आम लोगों को, जिसमें वकील समुदाय भी है, आना जाना रोकना और वहां आब्स्ट्रक्शन पैदा करना। उस स्थिति को काबू में लाने के लिए सिवाय इसके कोई चारा नहीं हो सकता। आम जनता को आब्स्ट्रक्ट करना, उनको न जाने देना, जिन वकीलों के मुकद्दमे थे, उनको न जाने देना—इससे ब्रीच ऑफ पीस होता है, उसको अवोइड करने के लिए एक्शन लिया गया। ऐसी स्थिति में १०७ और १५४ धारा को काम में लाया गया। मैं स्वयं वहां होकर आया हूं। ऐसा मालूम होता है, कुछ हो नहीं रहा, सिवाय इसके कि एक दो आदमी धरना देते हैं, उनको पकड़ रखते हैं। वे मुचलके नहीं देते हैं। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह हमारा फन्डामेन्टल राइट है। आप इसको ऑब्स्ट्रक्शन कहें या और कुछ कहें। क्या कारण है कि आप मंहगाई को नहीं रोक सकते और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही का मूल कारण मंहगाई है। आप अनाज सस्ता करावें। इस प्रकार की धटनाओं का मूल कारण सरकार की इस प्रश्न पर शिथिलता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रश्न पर सरकार जागरुक है और उचित कदम उठा रही है। लेकिन इस प्रकार कानून हाथ में लेना और ओब्स्ट्रक्शन्स पैदा करना हमारा फन्डामेन्टल राइट नहीं है। आप जानते है कि उदयपुर में कोम्युनिस्ट क्या हैं ?-१० : १५ आदमियों.......

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोम्युनिस्ट क्या हैं या जनसंघ क्या है, और कांग्रेस क्या है, यह तो सब मालूम है। आपको भी मालूम है। क्या है, तभी तो म्युनिसिपैलिटी पर कब्जा किये हुए हैं। इससे हवा का रुख मालूम होता है। आपको हवा का रुख देखना चाहिये कि हवा किस तरफ बह रही है।

९.२४ म. पू.

बूंदी में कुछ व्यक्तियों द्वारा भूख हड़ताल विषयक स्थगत-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : बूंदी के बारे में कह दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, बून्दी से प्रकाशित होने वाले एक पाक्षिक अखबार अकाल के सम्पादक श्री घनश्यामलाल लाडला ने १६ फरवरी, १९६४ को मुख्य मन्त्री को एक अल्टीमेटम देकर अपनी निम्न मांगों की पूर्ति चाही थी वह पूरी न होने पर धरना देने की घोषणा की थी :

(१) गवर्नमेंट अस्पताल बूंदी की एक्सरे मशीन की मरम्मत करवाई जाय।

(२) कॉलेज की बिल्डिंग को जल्दी ही बनाकर खत्म किया जाए जिससे वह विद्यार्थियों के शीघ्र काम आ सके।

(३) राजस्थान रोडवेज के मोटर स्टेन्ड पर यात्रियों की सुविधा हेतु प्रतीक्षालय, पेशाबघर व प्याऊ बनाई जाए।

(४) जिले में सस्ते गल्ले की और अधिक दुकानें खोली जाएं व चीनी वितरण सही ढंग पर हो, तथा

(५) नागरिकों व किसानों के कामों में सरकारी दफ्तरों में ढिलाई का व भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाए।

उपरोक्त अल्टीमेटम के अनुसार दिनांक १६-३-६४ को श्री घनश्यामलाल लाडला धरने पर बैठ गए व दूसरे रोज उन्होंने जिलाधीश, बूंदी व मुख्य मन्त्री को लिखित सूचनाएं प्रेषित कीं कि यदि उनकी मांगें दिनांक १८-३-६४ तक पूरी नहीं हुईं तो वे १९ मार्च से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ही प्रगतिशील पत्रकार संघ, झालावाड़ के सभापति श्री लालचन्द

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ने जिलाधीश बूंदी को सूचित किया कि वे भी श्री लाडला की सहानुभूति में दिनांक १८ मार्च को सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे और फलस्वरूप वे दिनांक १८ मार्च को भूख हड़ताल पर बैठे व दिनांक १९ मार्च को प्रातः इसे तोड़ दी।

श्री लाडला दिनांक १८ मार्च को कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ जिलाधीश से मिले जिन्होंने शान्ति-पूर्वक उन्हें सुन कर कहा कि उनकी अधिकांश मांगें तो पूरी हो चुकी हैं, कालेज बिल्डिंग का मामला सरकार को भेज दिया गया है तथा सरकारी दफ्तरों में ढिलाई व भ्रष्टाचार के उन्मूलन के प्रति वे सजग हैं व इस सम्बन्ध में जब कभी शिकायतें उनके पास आवेंगी तो वे उन पर उचित कार्यवाही करेंगे। जिलाधीश के इन आश्वासनों पर भी श्री लाडला ने अपना धरना नहीं उठाया और दिनांक १९ मार्च से उन्होंने भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी।

इस क्रम में दिनांक १८ मार्च को चौमुका बाजार बूंदी में श्री मगन भाई जोशी के सभापतित्व में एक आम सभा हुई जिसमें कुल मिला कर लगभग १००—१२५ आदमी थे व वक्ताओं में श्री लाडला के भाई सर्व श्री मदन मन्दिर, राजेन्द्र कुमार भारतीय (भूतपूर्व सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी), श्रवणकुमार भाटिया (भारतीय जनसंघ), रविदत्त (स्वतन्त्र पार्टी), मदन मोहन सोमानी (कॉम्यु पार्टी) तथा नाथूलाल (पी. एस. पी.) थे जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों की आलोचना करते हुए बताया कि श्री लाडला की मांगे उचित हैं परन्तु सरकार ने एक माह भी इन्हें पूरा नहीं किया है। इसलिये श्री में लाडला को जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती धरना चालू रखना चाहिये व जनता को पूरा सहयोग देना चाहिये। श्री लाडला ने भी इस सभा में कहा कि उन्हें जनता का सहयोग मिलेगा व वे अपनी मांगों की पूर्ति करवाएगें चाहे उन्हें राज्य-विधान सभा के सामने ही भूख हड़ताल क्यों न करनी पड़े। श्री मदन मोहन सोमानी (कॉम्युनिस्ट पार्टी) ने भी घोषणा की कि वे भी श्री लाडला के साथ ही दिनांक २१ से २३ मार्च तक भूख हड़ताल पर रहेंगे।

इसी प्रकार श्री श्रवण कुमार भाटिया (जनसंघ) ने भी घोषणा की कि यदि एक सप्ताह में मांगे पूरी नहीं होती है तो वे भी अपनी पार्टी के मेम्बरों के साथ भूख हड़ताल कर देंगे। श्री लाडला को कॉम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों के अतिरिक्त आम जनता से कोई सहयोग नहीं मिला है और इस तरह आम हड़ताल को कोई संभावना नहीं है।

कुछ सस्ते गल्ले की और दूकानें खोल दी गई हैं, अनाज के भावों में मामूली कमी भी हुई है व ठीक से चीनी-वितरण की व्यवस्था कर दी गई है, पर महंगाई में कोई अन्तर नहीं आया है।

श्री लाडला ने दिनांक १९-३-६४ की रात्रि से अपनी भूख हड़ताल तोड दी है एवं धरना भी उठा लिया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, पहली और दूसरी मांग के बारे में मैं यह कहूँगा कि बूंदी जिले में····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह माननीय सदस्य का स्टेटमेंट देना नियम के विपरीत है और जो परम्परा है उसके अनुसार माननीय सदस्य का जो परपज है वह सर्व नहीं होगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ८ महीनों से बूंदी जिले के अस्पताल की दुर्दशा हो रही है। राज्य सरकार ने एक पैसा अपनी ओर से नहीं लगाया राजाशाही जमाने में जो व्यवस्था थी वही है। यह कोई रोड़े बाजी नहीं है। इसके बारे में जुलूस निकाले गये हैं और आपको मालूम होगा कि जब लाल बहादुर जी पधारे तब बूंदी की जनता ने जो कुछ किया उसको आप भूले नहीं।

(व्यवधान)

आपने जनाना होस्पिटल की व्यवस्था के बारे में....

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में पहले भी व्यवस्था थी, उसके बारे में माननीय मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इन सारी बातों के कारण वहां असंतोष है और असंतोष के कारण भूख हड़ताल हो रही है। मैं यह कहूंगा कि यह भूख हड़ताल जयपुर तक में आने वाली है। इस पर आप

।

चम्बल नदी से आवश्यकता से अधिक पानी के बहाव से खाद्यान्नों की क्षति विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री कृष्णकुमार गोयल ने दी है जो इस प्रकार है :

दिनांक १९ मार्च, ६४ को जब कोटा बांध पर अधिक पानी आ जाने से खतरा पैदा हो गया था तब चम्बल सिंचाई विभाग ने दक्षिणी नहर में चम्बल के पानी को निकाल कर नदी व नालों में डालने के लिए नहर के फाटक खोल दिए जिसके कारण हजारों बीघा जमीन तथा गेहूँ व चने की फसलें पानी में डूब गई हैं ग्राम धाकड खेड़ी, दसलाना, रामपुरिया, नवलबाग, बोरखन्डी आदि ग्रामों के गेहूँ व चने के खेत पानी में डूब गये हैं और इस प्रकार कुछ ही दिन बाद तैयार होने वाली गेहूं व चने की फसलें पूर्णतया नष्ट हो गई हैं तथा अधिकारी वर्ग स्वयं को स्थिति पर काबू पाने में असमर्थ प्रकट कर चुका है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार की ओर इस से सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए एक विस्तृत जवाब दिया जावे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : कल मांग पर चर्चा की जावेगी, उस समय में जबाब दे दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : (कोटा) मैं इस सम्बन्ध में यह पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यह क्षति हुई है तो क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से मैन गेट से पानी नहीं छोड़ा गया ?

Page No. 43

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, ने कहा है कि वे कल जवाब दे देंगे।

श्री बरक्कतुल्ला खां : (स्वास्थ्य मंत्री) माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय यह तो बता दिया जाय....

(मंत्री महोदय और श्री हरिराम दोनों साथ साथ बोलते रहे)

श्री हरिराम चौहान : .... कि मेरा स्थगन प्रस्ताव था उसे कब लिया जायगा ?

(६.२१ म. पू.)

श्री अध्यक्ष : कल लिया जायगा।

मांग संख्या १६, १७ व ३६ चिकित्सा, जन स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत

श्री बरक्कतुउल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६५,२२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बरक्कतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन-स्वास्थ्य के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,४०,३१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बरकततुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक, ६४ जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०६,७०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए] :

मांग संख्या १६

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर):

१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (डूंगरपुर जिले के अस्पतालों में भ्रष्टाचार के कारण बढ़ते हुए असन्तोष पर बहस करने हेतु)।

२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (चिकित्सा विभाग में नियुक्तियों में पक्षपात के उत्पन्न परिस्थितियों पर बहस करने हेतु)।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) :

३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (औषधालयों की दयनीय दशा तथा समय पर उपयोगी दवा न पहुँचने से परेशानी पर बहस करने हेतु)।

५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय

(श्री गोविन्दसहाय गौड़)

(आयुर्वेद कालेज की अव्यवस्था एवं छात्रा-वास के अभाव पर बहस करने हेतु)।

५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील हैड क्वार्टर लूणकरणसर के लिये डाक्टर का पद न स्वीकार किये जाने पर बहस करने हेतु)।

६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (to expand the Out door in P, B- M. Hospital Bikaner पर बहस करने हेतु)

मांग संख्या १७

७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (गांव सिथल, कालू तथा लूणकरणसर की ग्रामीण नल परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकार करने पर बहस करने हेतु)।

८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील लूणकरणसर के खारे पानी वाले गांवों में पीने के पानी के अभाव पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :

९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (मेडिकल कालेज, बीकानेर की हड़ताल के सम्बन्ध में राज्य सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

१०. मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स के प्रति सरकारी ढिलाई पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३६

११. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी को लागत में १) रु० की कटौती की जाय (नगरीय जल प्रदाय योजना में राज्य सरकार द्वारा बर्ते गये पक्षपात पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

१२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (क्लिनिकल और नौन-क्लिनिकल साइड के डाक्टर्स के सर्विस रूल्स में भिन्नता पर बहस करने हेतु)।

१३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (राज्य में डाक्टरों की कमी की पूर्ति करने में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु)।

१४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (जयपुर मेडिकल कालेज के पैथोलोजी डिपार्टमेंट के टेक्निसियन्स तथा डाक्टरों को रिस्क अ लाउन्स देने के प्रश्न पर बहस करने हेतु)।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

१५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १०००) रु० की कटौती की जाय (सरकारी डाक्टरों के बकाया वेतन की रकम का चुकारा न होने पर बहस करने हेतु)।

१६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (मेडिकल कालेजेज में पढ़ाने वाले डाक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के प्रश्न पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) :—

१७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण जनता की जल कठिनाई को सुधारने में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) :—

१८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (प्रसूती गृहों में रोगियों की चिकित्सा करने के प्रति उपेक्षा पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा)

१६. Demand NO. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupee one (to discuss scarcity of Medicines and other equipments in Pindwara and Sheoganj Tehsils).

मांग संख्या १७

श्री अमरसिंह (दूदू) :—

२०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (परिवार नियोजन स्कीम में जन संख्या वृद्धि रोकने के बजाय दाम्पत्य-प्रेम को कुण्ठित कर दिया है इस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री जुझारसिंह (चेचट) :

२१. Demand No. XVI, Major head 29-Medical be reduced by Re. one (to discuss the Lack of provision for help to Hospitals and Dispensaries of private Individuals and charitable Institutions working in the rural areas with particular reference to Ram Ganj Mandi Tehsil of District Kotah.

२२. Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by Re. one (to discuss the delay in the supply of medicines to Despensaries and in Hospitals).

मांग संख्या १७

२३. Demand No XVII, Major Head 30-Public Health be reduced by Re. one (to discuss the inordinate delay in the execution of Rural Water Schemes in Chechat Constituency).

मांग संख्या १६

श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) :

२४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा में) १ रु० की कटौती की जाय

Page No. 46

(श्री उम्मेदसिंह)

(बाड़मेर जिले में चिकित्सा सम्बन्धी सरकारी उदासीनता पर बहस करने हेतु)।

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा) :

२५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (पदराड़ा में डिस्पेन्सरी के भवन के अभाव पर बहस करने हेतु)।

२६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (कोटड़ा एवं गोगुन्दा में डाक्टरों के अभाव पर बहस करने हेतु)।

श्री हरीराम चौहान (तिजारा) :

२७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (माण्डल) :

२८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (चिकित्सा विभाग में काफी अनुशासन-हीनता व्याप्त हो गई है उसे मिटाये जाने पर बहस करने हेतु)।

२९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर मेडिकल कालेज को बन्द करने पर बहस करने हेतु)।

३०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामों में डाक्टरों व नर्सों के पोस्टिंग होने पर भी उन्हें डेपुटेशन पर शहरों में रख लिया जाता है और ग्रामों में डाक्टर नहीं भेज कर गांवों की अवहेलना की जा रही है उसे रोके जाने पर बहस करने हेतु)।

३१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेदिक विज्ञान के अनुसन्धान के हेतु इस वर्ष कुछ भी राशि नहीं रखी गई है उसे रखा जाय इस पर बहस जरने हेतु)।

३२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (मानसिक चिकित्सालय जयपुर में काफी रोगी समय पर भरती नहीं हो सके हैं इस लिये उक्त चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था व रोगियों के रखने के स्थान बढ़ाये जांय इस पर बहस करने हेतु)।

३३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (मोबाईल सर्जीकल युनिटों से ग्राम-वासियों को काफी राहत मिलती है अतः इस विभाग को काफी बढ़ाया जाय इस पर बहस करने हेतु)।

३४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेद के वैद्यों की पे स्केल बहुत ही कम रखी गई है इस पर पुनर्विचार किये जाने पर बहस करने हेतु)।

३५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेद विभाग द्वारा जो औषधि निर्माण होता है उसके कलेवर को बढ़ाया जाय और बाजार में बिक्री कराने की व्यवस्था जाय ताकि सरकार को लाभ व जनसाधारण

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

को अच्छी औषधि प्राप्त हो सके इस पर बहस करने हेतु)।

३६. मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेदिक महाविद्यालय व आतुरालय जयपुर के चारों तरफ जिस प्रकार जयपुर का सारा मैला कचरा हमेशा डाले जाने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाहीं नहीं करने पर बहस करने हेतु)।

३७. मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (माण्डल जिला भीलवाड़ा ६ हजार की आबादी का कस्बा है वहां काफी अर्से से डाक्टर नहीं है इस पर बहस करने हेतु)

३८. मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम करेड़ा व उसके आस पास की ५०,००० जनता चिकित्सा के लिये करेड़े के चिकित्सालय के ऊपर ही निर्भर करती है परन्तु सरकार ने आज तक वहां डाक्टर नहीं भेजा, इस पर बहस करने हेतु)।

३९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (माण्डल तहसील १२,००० की आबादी है जिसमें ३ आयुर्वेदिक औषधालय है जब कि सरकार के दूसरी पंचवर्षीय योजना के टारजेट के अनुसार भी ६ औषधालय होने चाहिये जो नहीं खोलकर इस क्षेत्र की अवेहलना की गई है इस पर बहस करने हेतु)।

४०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (सहाड़ा तहसील में दूसरी योजना के टारजेट के अनुसार आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोले जाने पर बहस करने हेतु।

४१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेद विभाग में वैद्यों व स्टाफ की नियुक्तियों व पदोन्नति में काफी अनियमितताये हुई हैं उन पर पुर्नविचार कर नियमित किये जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

४२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जनस्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को अनुदान हेतु इस मद में काफी रकम रखी जाने पर बहस करने हेतु)।

४३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम जलप्रदाय स्कीम में जो राशि रखी गई है यह इतनी कम है कि इस रफ्तार से तो १०० वर्ष भी गांवों की पीने के पानी की समस्या नहीं मिटेगी इस पर खर्च होने वाली राशि पर पुनः विचार किया जाय इस पर बहस करने हेतु)।

४४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (इस विभाग का ज्यादा खर्च शहरों पर ही हो रहा है जब कि ग्रामों की आबादी ज्यादा व जन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा व साधनों की कमी भी है अतः सरकार का ध्यान ग्रामों

(श्री गोकुलप्रसाद)

की तरफ ज्यादा दिलाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३६

४५. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (पानी के मीटर्स के क्रय की रकम को बिल्कुल बन्द कर दिये जाने के कारण इस मद में लाखों रुपये हर वर्ष खर्च किये जाते हैं। अतः इस मद में अब राज्यकीय कोष से राशि खर्च नहीं की जाय इस पर बहस करने हेतु)

४६. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (अदर योजनाओं में होने वाली राशि को इस मद में नहीं देने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री मानसिंह महार (आमेर) :–

४७. Demand N0. XVI. Major Head 29—Medical be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government in making adequate supply of Medicines in the Hospitals and Dispensaries).

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :-

४८. मांग संख्या १६–मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (डाक्टरों की नियुक्तियों में देरी पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३६

४६. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (पेय जल प्रदाय योजनाओं को व्यवस्था में असफलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा):—

५०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० कटौती की जाय (डिस्पेन्सरीज में आबादी के लिहाज से दवाईयां नहीं भेजने के बाबत बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

५१. मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार मिलावट को रोकने में जो ढिलाई बरतती है उस पर बहस करने हेतु)।

५२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार adulteration को रोकने में असफल रही है इस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३६

५३. Demand No. XXXIX, Mojor Head 94-Capital Outlay on Improvement of Public Health be reduced by rupees 100/- (to discuss the failure of the Government to provid any water supply scheme at Naseerabad.

मांग संख्या १६

श्री हरीप्रसाद शर्मा (पाटन :

५४. मांग संख्या १६, मख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १) रु० कटौती को जाय (बून्दी में अस्पतालकी दुर्दशा है क्योंकि भवन की

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

अभाव वार्ड व पार्क की कमी एक्सरे मशीन की खराबी पर बहस करने हेतु) ।

५५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (लाखेरी में अस्पताल की आवश्यकता होने पर बहस करने हेतु) ।

५६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (चलते फिरते अस्पताल के उचित प्रबन्ध व आवश्यकताओं पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १७

५७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (प्रत्येक चीजों को मिलावट के कारण जन मानस के गिरते हुए स्वास्थ्य पर बहस करने हेतु) ।

५८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (लाखेरी में पानी के अभाव से होने वाले संकट व जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने पर बहस हेतु) ।

५९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य में १००) रु० कटौती की जाय (जीवाणु सम्बन्धी प्रयोगशाला के मनमाने खर्चे पर बहस हेतु) ।

६०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (केशवराय पाटन में ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत नल लगवाने के कार्य पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १६

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :—

६१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (मेडिकल कालेज, बीकानेर में विद्यार्थियों के आन्दोलन में सरकार द्वारा गलत प्रणाली अपनाने से भंयकर परिणामों पर बहस करने हेतु) ।

६२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (विभिन्न अस्पतालों में जनता को मरीज भर्ती कराने में होने वाली असुविधा पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १७

६३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (गांवों में वाटर के रेटस और मिनिमम चार्जेज को कम करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ३९

६४. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९४—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा रेगिस्तानी क्षेत्रों के नगरों के लिये जल प्रदाय योजना लागू करने में असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १६

श्री रावतराम (सादूलपुर) :—

६५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की

(श्री रावतराम)

जाय (राजस्थान के कम से कम एक हजार आबादी वाले गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३९

६६. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९४–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (कस्बा राजगढ़ जिला की वाटर वर्क्स स्कीम को पूरा करने में ढिलाई बर्ती जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर):

६७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर सरदार पटेल मेडिकल कालेज की हड़ताल के संबंध में सरकार की असफलताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

६८. Demand No. XVII, Major Head 30-Public Health be reduced by Re one (to discuss the Government has completely failed in taking steps to stamp down infections disease.

मांग संख्या ३९

६९. Demand No.XXXIX, Major Head 94–Capital outlay on improvement of public Health be reduced by rupee one (to discuss the amount provided for Urban Water Supply Schemes is not sufficient looking to the population and need of Rajasthan).

मांग संख्या १७

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी):

७०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र की कमी पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३९

७१, मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९४–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (पानी के मीटर्स के क्रय की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री जेठमल बरजड़ (परबतसर):

७२. मांग संख्या ३९ मुख्य शीर्षक ९४–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (मकराना तथा परवतसर में वाटर वर्क्स स्कीम चालू करने परबहस करते हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री हरिकिशन (राजगढ़):

७३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (राजगढ़ जनाना व मर्दाना डिसपैन्सरीज को सरकार द्वारा अभी तक अस्पताल में परिवर्तित नहीं करने पर बहस करने हेतु)।

७४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय जनाना व मर्दाना डिस्पेन्सरीज राजगढ़

Page No. 51

(श्री हरिकिशन)

जिला अलवर में सरकार द्वारा बिजली, पानी व सैनीटैरी फिटिंग नहीं कराने पर बहस करने हेतु)।

७५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (राजगढ़ सफाखाने में भवन बनने के बावजूद भी अभी तक X-RAY प्लांट नहीं लगाने तथा आपरेशन थियेटर रूम को अप्रेटस नहीं दिये जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

७६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (कस्बा रैनी जिला अलवर में जो पंचायत समिति में नल योजना बावजूद सर्वेक्षण के अभी तक चालू नहीं करने पर बहस करने हेतु)।

७७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (शहर सौप ग्राम तहसील नादोसी जिला सवाई माधोपुर में नल योजना द्वारा ग्रामीणों को पानी देने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

७८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (कस्बा टहला पंचायत समिति राजगढ़ में नल योजना चालू करने की आंवश्कता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३६

७६. मांग संख्या ३६. मुख्य शीर्षक ६४-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (सेमी डेजर्टट क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

८०. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (सेमी डेजर्टट क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू) :

८१. मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (प्रसूती गृहों में अव्यवस्था के कारण जनता को उचित लाभ न मिलने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :—

८२. Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupee one (to discuss the failure of Government to provide proper medical facilities to people in rural areas).

८३. Demand No. XVII, Major Head 29-Medical be reduced by rupee one (to discuss the shortage of Doctors, Nurses and Midwives in Jalore District).

मांग संख्या १७

८४. Demand No. XVII. Major Head 30-Public Health be reduced by rupee one (to dicuss the failure of Government to provide sufficient

Page No. 52

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

funds for rural water supply scheme in rural areas of Jalore District).

८५. Demand No. XVII, Major Head 30-Public Health be reduced by rupee one (to discuss the urgency of opening of maternity and child welfare centre in rural areas)

मांग संख्या १६

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) :

८६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (बडामहुग्रा पंचायत समिति सुवाणा में ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय शाखा खोलने पर बहस करने हेतु) ।

८७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (रायला में ग्रस्पताल खोलने पर बहस करने हेतु) ।

८८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (बनेड़ा ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय को बी श्रेणी का ग्रौषधालय बनाने ग्रथवा वहां पूरा स्टाफ तथा इन्डोर पेशेन्ट रह सकें इसकी व्यवस्था कराने पर बहस करने हेतु) ।

८९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (बनेड़ा के गांव दूलांस व उफरेडा में ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय खुलाने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १७

९०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जनस्वाथ्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को ग्राम जल प्रदाय के लिये दी जाने वाली रकम के बंटवारे पर बहस करने हेतु) ।

९१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को चेचक के टीके लगाने व पीने के पानी के कुग्रों में दबा डालने हेतु दी जाने वाली रकम के ग्रौचित्य पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १६

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) :—

९२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (चिकित्सा के ग्रभाव से जन स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १७

९३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (जन स्वास्थ्य ग्रनवेषणों के ग्रभाव में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर बहस करने हेतु) ।

श्री लच्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) :-

९४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० कीं कटौती की जाय (सिकराया हेल्थ सेन्टर में पूरी सुविधा न होने पर बहस हेतु) ।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) :—

९५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की

(श्रीमती गौरी पूनिया)

जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है इस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :—

६६. Demand NO. XVI, Major Head 29—Medical be reduced by Re. one (to discuss the failure of the Government to give adequate Medical facilities to the rural masses).

मांग संख्या १७

६७. Demand NO. XVII, Major Head 30—Public Health be reduced by Re. one (to discuss the failure of the Government to take proper measures to check the fast deteriorating health of the children).

मांग संख्या १६

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)

६८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (कस्बों के सफाखानों में दवाइयों की व्यवस्था न होने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

६६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार फैलते हुए संक्रामिक रोगों को रोकने में असमर्थ रही उस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री मोहनराज (बाली) :

१००. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकविसा में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा अभी तक रानी स्टेशन पर चिकित्सालय और खोड में एड-पोस्ट न खोलने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

१०१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम खोड, चानोद, जवाली, नाडोल, बीजोवा, खीमेल, देसूरी आदि ग्रामों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :–

१०२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० को कटौती की जाय (विभाग में डाक्टरों की नियुक्तियां, स्थानान्तरण करने में अनियमितताएं तथा माहवारी वेतन के भुगतान न करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

१०३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (गांवों में पानी की मांगों के अनुपात में पानी देने में विभाग की असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

(श्री भैरोंसिंह)

मांग संख्या १६

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) :—

१०४. मांग संख्या १७, शीर्षक–३० जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय Dispensaries में दवाइयां न मिलने एवं बाजार से छोटी २ दवाइयां Doctors द्वारा मंगाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

१०५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० को कटौती की जाय (चाकसू जिला जयपुर में नल यं.जना लगाने पर बहस करने हेतु)।

(मांग संख्या १६)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमूं) :-

१०६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में बहुत धनराशि के खर्च होने पर भी चिकित्सा का प्रबन्ध ठीक नहीं होने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १७

१०७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (प्राइमरी हैल्थ सैण्टर गोविन्दगढ़ को खेंजड़ोली स्थानान्तर करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :—

१०८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में १०० रु० की कटौती की जाय (भीमसिंह अस्पताल कोटा में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) :

१०९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्र में डिस्पेन्सरी आदि खोलने पर विशेष ध्यान न देने पर बहस करने हेतु)।

११०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (सुनेल शफ़ाखाना की मरम्मत न करवाने पर बहस करने हेतु)।

१११. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में १ रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों में साधारण जनता पर ध्यान न दिए जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) :

११२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (बिजौलियां, बिगोद, काछोलो नामी ग्राम जिला भीलवाड़ा में डाक्टरों के अभाव की पूर्ति के लिए बहस करने हेतु)।

श्री गंगासिंह राठोड (जायल) :

११३. Demand No. XVI, Major Head 29-Medical be reduced by rupee one (to discuss the mismanagement in the Hospitals in Nagaur District),

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :

११४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (चिकित्सा की पूर्ण सुविधा उपलब्ध न कर सकने पर बहस करने हेतु)।

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली) :

११५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक १६ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण जनता को पूरा चिकित्सा का लाभ प्राप्त न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :

११६. मांग संख्य १६, मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक औषधालयों में वृद्धि की जाये इस पर बहस करने हेतु)।

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) :

११७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों में दवाइयों के ब्लैक पर बहस करने हेतु)।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) :

११८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों आदि में डाक्टरों व नर्सों के अभाव पर बहस करने हेतु)।

११६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (गांवों में चिकित्सा व्यवस्था उचित प्रकार की नहीं होने पर बहस करने हेतु)।

श्री देवेन्द्र कुमार (सहाड़ा) :

१२०. मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (जिला भीलवाड़ा में रायपुर व सहाडा की डिस्पेन्सरी में अर्से से डाक्टरों के नहीं होने से जनता को काफी कष्ट हो रहा है उसे दूर किये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री नत्थीलाल (नदवई) :

१२१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (चिकित्सा विस्तार में भेद भाव बरते जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री प्रभुलाल सेएटर (खानपुर) :

१२२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (गांवों में उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करने पर बहस करने हेतु)।

श्री मजलिस खां (कामां) :

१२३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (चिकित्सा विभाग की ओर से जनता को सन्तोषजनक दवाइयां तथा सुविधायें न दिये जाने और इसमें अनियमिततायें बरती जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई) :

१२४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (सरकारी चिकित्सालयों में फैली अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

१२५ मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (डाक्टरों व लेडी डाक्टरों की नियुक्ति समय पर न करने से फैले असंतोष पर बहस करने हेतु)।

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

१२६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (दौसा स्थित D. M. & H. O. के दफ्तर में डाक्टरों को न रखकर जयपुर अस्पताल में रखने से उत्पन्न असंतोष पर बहस करने हेतु)।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) :
१२७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के अभाव पर बहस करने हेतु ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :
१२८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (चिकित्सा की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्रीरामकिशन (वैर) :
१२६. मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में प्रपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं के न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) :
१३०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा में १) रु० कटौती की जाय (देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने में सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु)।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :
१३१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस की जाती है उस पर बहस करने हेतु)।

१३२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (उदयपुर अस्पताल में फैली अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री विट्ठल (बांसवाडा) :
१३३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (जिला बांसवाड़ा के अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को दवाइयां वक्त पर नहीं मिलने पर बहस करने हेतु)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) :
१३४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों में दवाईयां मिलने का ठीक प्रबन्ध नहीं होने पर सरकार का ध्यान दिलाने पर बहस करने हेतु)।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) :
१३५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (भूपालपुरा उदयपुर डिस्पेन्सरी में दवाइयों की कमी पर बहस करने हेतु)।

श्री स्वरूप नारायण पुरोहित (सीकर)
१३६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेद विभागीय अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

श्री सांवलियाराम (रूपवास) :
१३७ मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की

(श्री सांवलियाराम)

जाय (चिकित्सा विभाग द्वारा दवाइयां एवं डाक्टरों की उचित व्यवस्था न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री सागरमल (फुलेरा) :—

१३८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (भदाल पंचायत समिति जोबनेर जिला जयपुर के आस पास कोई Dispensary न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री हरदत्त सिंह (नौहर):—

१३६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों में सामान व दवाइयों की कमियों पर बहस करने हेतु)।

१४०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (देहाती क्षेत्र के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी पर बहस करने हेतु)।

१४१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (भादरा अस्पताल में एक्स–रे मशीन की मरम्मत के संबंध में सरकार द्वारा बरती गई लापरवाही पर बहस करने हेतु)।

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) :—

१४२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (प्रतापगढ़ जनरल अस्पताल में डाक्टरों की कमी को दूर करने व अनियमितता और अव्यवस्था, रोगियों की अवहेलना कर समय पर औषधोपचार नहीं होने से होने वाले कष्टों को दूर किये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) :—

१४३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय अस्पतालों (में दवाइयों के अभाव की पूर्ति करने के लिए बहस करने हेतु)।

(६·२२ म. पू.)

खाद्यान्नों की स्थिति विषयक कृषि मंत्री का वक्तव्य

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मांगों पर, जो मूव की गई हैं, चर्चा शुरू हो इसके पहले मैं सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं। इस सदन में जब से यह सदन चालू हुआ, तब से लेकर आज तक एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो कि खास तौर से खाद्यान्न की बात से संबंधित मामला है, उस पर कई दफा इस सदन में चर्चा हुई। इस सदन के माननीय सदस्यों का सुझाव था कि हमें इसके ऊपर, निश्चित रूप से कीमतों पर काबू किया जाय ऐसा कदम उठाना चाहिये। मैंने सदन में जानकारी दी थी कि यह प्रश्न सारे देश का प्रश्न है, देश के सभी खाद्य मंत्रियों ने मिल कर कुछ चर्चाएं पोलिसी के तौर पर की थीं। उसके बाद माननीय अध्यक्ष, मैंने आपके जरिये निवेदन किया था कि कुछ फैसला हमें इस मामले में करना पड़ेगा। खास तौर से खाद्यानन्नों के मूवमेंट के बारे में कई बार सदन में चर्चाएं आईं, सदन के माननीय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सदस्यों का और बाहर भी सुझाव था कि कुछ पाबन्दियां खाद्यान्नों के मूवमेंट पर लगनी चाहिये। मैंने निवेदन किया था इस सदन में कि भारत सरकार सारे देश की परिस्थितयों को ध्यान में रख कर विचार कर रही है। भारत सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं, कुछ फूड जोन्स होंगे, राजस्थान अपने आपमें फूड जोन होगा, उसके साथ साथ हिन्दुस्तान के और प्रोविन्सेज भी फूड जोन्स में बांटे गये हैं। पहला कदम यह उठाया गया है कि गेहूँ का, गेहूँ कि प्रोडक्ट्स का मूवमेंट इन जोन्स में रेस्ट्रिक्ट किया जायगा। इसलिये आज की तारीख से राजस्थान में निर्णय लिया गया है कि गेहूँ और गेहूं से बनी प्रोडक्ट्स राजस्थान के बाहर नहीं जा सकेंगी और न राजस्थान में आ सकेंगी। इसलिये यह निर्णय जो भारत सरकार के निर्णय से राजस्थान गवर्नमेंट ने लिया है यह मैंने आपकी आज्ञा से सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये रखा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मक्का और ज्वार के बारे में भी कुछ निर्णय लिया है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : व्हीट के लिये ही लिया है।

श्री मानिकचंद सुराणा : (कोलायत) क्या इस निर्णय से राजस्थान में बाहर से गेहूँ नहीं लाया जा सकेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकारी गेहूं को ला सकते हैं, दूसरा बन्द है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मेवाड़ स्टेट से मक्का स्टार्च बनाने के लिये बाहर जाती है, यह गरीब लोगों का खास खाना है, क्या इसके सम्बन्ध में भी मुख्य मंत्री महोदय कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं जानकारी दे दूं कि जहां तक मक्का का स्टार्च के लिये उपयोग किया जाने का सवाल है, कुछ दिन पहले भारत सरकार के खाद्य मंत्री से स्पेसिफिक तौर से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि इम्पोर्टेड मेज फैक्टरीज़ को स्टार्च बनाने के लिये दी जाती है। जो इन्डिजिनस मेज है उसे फैक्टरीज को स्टार्च बनाने के काम में नहीं ला सकते।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिला से देखा गया है कि सैकड़ों मन मक्का रोजाना गुजारात जाती है। मक्का एक स्टेपल फूड है, मुख्य अन्न है आदिवासियों का जिस पर कि वे गुजर करते हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिये और जिस प्रकार गेहूं के सम्बन्ध में निर्णय लिया है उसी प्रकार का निर्णय मक्का और ज्वार के सम्बन्ध में लेना चाहिये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मुख्य मंत्री जी ने बताया वैसी बात नहीं है, बन्सीलाल चौथूलाल मूंदड़ा की दूकान से सीधी मक्का बाहर जा रही है, तो क्या सरकार उसको रोकने की कार्यवाही करेगी ? रेल्वे से बिल्टियां जाती हैं उनसे साफ जाहिर है कि मक्का स्टार्च बनाने के लिये बाहर जाती है।

Page No. 59

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में फैक्ट्स देंगे तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिखेंगे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : वीट की फ्लोर और सीलिंग प्राइस के लिये सरकार ने क्या किया है ?.......

श्री अध्यक्ष : इस पर दूसरी बहस नहीं की जाय। मंत्री महोदय ने जानकारी दे दी है, इसे यहीं समाप्त किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : गेहूं पर जो यह रोक लगाई है कि यहां से गेहूँ बाहर नहीं जा सकता तो इससे भाव सस्ते होंगे। यही भाव सब दिन चल नहीं सकेंगे और इससे किसानों को बड़ी कठिनाई होती है, इससे किसानों को बड़ा घाटा होगा। तो किसानों को गारन्टी देने के लिये कि इससे नीचे भाव नही जायं इसके लिये भी सरकार ने कुछ सोचा है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह बात साथ में ही जोड़ देना चाहता था पर अब प्रश्न उठ गया है तो कह देना चाहता हूं कि इस बात के लिये समुचित व्यवस्था की जायगी कि एक निश्चित दर से भाव नीचे नहीं जायं। अगर एन निश्चित दर से भाव नीचे जायेंगे तो सरकार खुद बाजार में आयेगी और किसानों के गेहूँ को खरीदेगी और उत्पादन कर्ताओं को लौस नहीं हो इस बात का प्रबन्ध किया जायगा।

(६.२६ म० पू०)

मांग संख्या १६, १७ व ३६ चिकित्सा जन स्वास्थ्य एवं जन-स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष डिमाड्ण्स पर (पूर्वक्रम से) बहस।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६, चिकित्सा के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। आने वाले बजट के अन्दर इस मद चिकित्सा में साढ़े सात करोड़ रुपयों का खर्च का प्रावधान रखा गया है अर्थात् यह प्रावधान गत वर्ष के खर्च से १,३२,३८,००० रु० अधिक हैं। प्रावधान के सम्बन्ध में, एड्मिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट पर, प्रशासन और कर्मचारियों पर बजट के अनुसार यह पाया जाता है कि ६० परसेंट से अधिक साढ़े सात करोड़ में से खर्च हो जाता है। मैं समझता हूँ यह आधार संतुलित नहीं है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इस व्यय को संतुलित किया जाय। एस्टेब्लिशमेंट, प्रशासन पर खर्चा हो पर उसके मुकाबले में जन स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में व्यवस्था करें वह निस्फा, निस्फ-फिफ्टी-फिफ्टी करेंगे तो अधिक उचित मेरे अनुमान से होगा।

अध्यक्ष महोदय, डाक्टरों का जो कोर्स है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वह खर्चीली और एक लम्बी ट्रेनिंग है, एक लम्बा कोर्स है, एक एक्सपेंसिव कोर्स है, उस सम्बन्ध में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो डाक्टर्स क्वालीफाइड होकर और सरकारी सेवा करने के ध्येय से सरकार के पास आते हैं तो आप सिलेक्शन के सम्बन्ध में दो वर्ष, कभी तीन वर्ष लगाते हैं। हर किसी काम में मैं यह देखता हूँ कि प्रायः सरकार ढ़िलाई रेडटेपिज्म बरतती है। कोई भी निर्णय सरकार का तत्काल नहीं होता। इसके अन्दर प्रशासनिक व्यवस्था में कोई अच्छा नहीं कह सकता। इसमें भ्रष्टाचार की गुन्जाइश होती है। तरह

Page No. 60

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तरह की सिफारिशें इसके अन्दर पैदा होती है सरकार का ध्यान में इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सिलेक्शन की व्यवस्था सुचारू ढ़ग से आप करें और कम से कम समय सिलेक्शन के अन्दर लगाएं, वैसी व्यवस्था आप करें। सिलेक्शन के पश्चात् कन्फर्मेशन, फिक्सेशन में वही रेडटेपिज्म होती है, तरह तरह की सिफारिशें करनी पड़ती हैं और इस व्यवस्था से इस ढिलाई से डाक्टरों का भविष्य भी मिस्मार होता है, उनका फ्यूचर कैरीयर मार होता है और उनको निराशा होती है और उससे असंतोष उत्पन्न होता है। असंतोस उत्पन्न होने के कारण स्थिति अच्छी नहीं होती। इसमें रोकथाम हो सकती है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं। डाक्टर इसी ढ़िलाई और देर के कारण प्राइवेट प्रेक्टिस करना विशेष लाभदायक समझते हैं और यही देखा गया है कि बहुत से डाक्टर पड़ोसी राज्यों में जाकर राज्य सेवा करना अधिक पसंद करते हैं बनिस्पत कि वे राजस्थान सरकार की सेवा करें। मैं सरकार का आपके द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि सेवा की शर्तें आप विशेष आकर्षित करें, उनके टर्मस आँफ सर्विस मोर अट्रेक्टिव यदि आप बनाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको और अच्छे डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

कंपाउन्डर्स और नर्सेज के सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन में प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि नर्सों की तादाद कम है, हम उनको प्राथमिकता देना चाहते हैं, प्रोत्साहन देना चाहिए। यह स्वाभाविक है, उसका में स्वागत करता हूं, किन्तु मेल कम्पाऊंडर्स, मेल नर्सेज जो हैं उनके ऊपर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे जिस हद तक जानकारी मिली है, मैं सरकार को संक्षिप्त रूप से यह निवेदन करूंगा कि कम्पाऊंडर्स जो तीसरे दर्जे के हैं और जो स्टाफ नर्सेज हैं जो समान श्रेणी की सेवाएं हैं उनमें तीसरे दर्जे के कम्पाऊंडर का प्रारंभिक वेतन ६० रुपये प्रतिमास से होकर १७० तक जाता है। इसी तरह से कम्पाऊंडर्स जो दूसरे ग्रेड के हैं और सिस्टर्स ट्यूटर हैं इनकी समान श्रेणी की सेवा है। कम्पाऊंडर्स प्रथम ग्रेड और असिसटेंट मेट्रन भी समान श्रेणी के कर्मचारी हैं और मेट्रन ग्रेड २ और मेट्रन ग्रेड १ ये केवल स्त्रियों के लिए सुरक्षित होने चाहिए और हैं। मेरे निवेदन करने का मूल ध्येय यह है कि यह प्रथम श्रेणी के कम्पाऊंडर और मेट्रन प्रथम ग्रेड के उनका जो वेतन है उसमें २५० रुपए का अतर है। यानी कम्पाऊंडर्स प्रथम ग्रेड की मैक्सीमम सैलरी २६० रुपए हैं और मेट्रन फर्स्ट ग्रेड की मैक्सीमम सैलरी ५४० रुपए हैं। मैं समझता हूं कि यह अंतर आवश्यकता से अधिक है। इतना अंतर होने का मैं कोई कारण नहीं समझता। यदि इस अंतर को घटाकर आप २०० रुपए तक ले आएं और कम्पाऊंडर्स को मेल नर्सेज को कुछ हद तक प्रोत्साहन दें तो मेरे ख्याल से चिकित्सा की व्यवस्था के अंदर और भी सुदृढ़ और सुचारू प्रबंध हो सकता है। वैसे ही यह विशेष महत्व का प्रश्न है कि ये तीसरी ग्रेड के कम्पाऊंडर्स जिनकी सैलरी जैसे मैं निवेदन कर

(महारायल श्री लक्ष्मणसिंह)

चुका हूँ, केवल ६० रुपए माहवार है वह आजकल की मंहगाई को देखते हुए नगण्य है यदि आप उनको स्टार्टिंग पे १२० रुपए माहवार की रखें तो मेरे ख्याल से सर्वथा उचित होगा और न्यायसंगत होगा। आपके ये कर्मचारी विशेष सेवा भी अर्पित करेंगे और उनको इसके द्वारा प्रोत्साहन भी मिलेगा।

इसके अतिरिक्त कम्पाउंडस के कोर्स के संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तीन वर्ष का कोर्स है और छात्रवृति केवल आप ४० रुपए माहवार देते हैं। यह ४० रुपए की छात्रवृत्ति मेरे ख्याल से नाम मात्र है, एक मखौल है। कई कम्पाउन्डर्स विवाहित होते हैं कुछ कम्पाउंडर्स के घर में एक दो बच्चे होते हैं। तीन वर्ष के लिए ४० रुपए माहवार की छात्रवृत्ति मेरे ख्याल से नवण्य ही नहीं निंदास्पद है और इसका मैं विरोध करते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि अगर इन लोगों की छात्रवृत्ति कम से कम ६० रुपए करदें और वैसे ही अगर आप नर्सों के संबंध में ६० की जगह ७५ रुपए माहवार इनको बढ़ाकर दें तो उत्तम होगा।

निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कर्मचारियों और अन्य लोगों के संबंध में है। अन्य देशों में भी वैसा ही है। मैं उस सम्बन्ध में विशेष विवेचन नहीं करना चाहता हूँ किन्तु मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाकी की जो ९९ प्रतिशत जनता है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आऊट डोर और इन्डोर पेशेन्ट्स को देखा गया है कि चिकित्सा व्यवस्था उनकी उपेक्षाकृत है। डाक्टर्स केमिस्ट के लिए प्रिस्क्रुप्शन देते हैं कहते हैं कि पंसारी के पास जाओ भूतपूर्व राज्यों में हजारों रुपये की मुफ्त दवाएं दी जाती थीं। वह व्यवस्था प्रायः लुप्त सी हो गई है और आउटडोर पेशेन्टस के सम्बन्ध में, चिकित्सा के सम्बन्ध में सरकार की नीति उपेक्षाकृत है। इन्डोर पेशेन्ट्स के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल जो बड़े आदमी हैं उनके लिए कीमती दवाएं दी जाती हैं और जो छोटे आदमी हैं उनको चीप मेडिसिन्स दी जाती हैं, प्रभाव शून्य दवाइयां दी जाती हैं, पुरानी दवाइयां अक्सर दी जाती हैं यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है।

इनडोर पेशेन्ट्श की भर्ती के अन्दर भी भ्रष्टाचार है। डूंगरपुर के अन्दर क्षय रोग निवारण कक्ष (टी. बी. क्लिनिक) है। उसमें कुल २०-२५ बैड्स की व्यवस्था है। वहां इतनी भीड़ है, अध्यक्ष महोदय, कि रिश्वत के बिना भर्ती होना भी दुश्वार है। मेरे एक पर्सनल कर्मचारी का उदाहरण मैं निवेदन करूं। वह टी. बी. ग्रस्त हुए। उन्होंने इस टी, बी. कक्ष के अन्दर भर्ती की इच्छा प्रकट की। उन्हें ना कहा गया और उन्हें कह दिया गया कि अमुक धन-राशि अमुक व्यक्ति को देने पर ही विचार किया जा सकता है। उन्होंने आकर मुझे यह कहा तो मैंने खेद प्रकट करते हुए कहा कि मैं समझता हूँ, रिश्वत देने वाला विशेष अपराध करता है बनिपस्त इसके जो रिश्वत लेता है। किन्तु जो गरजबन्द हैं उसकी स्थिति के साथ मुझे सहानुभूति है। येन केन प्रकारेण, वह भी मुझे मालूम है, उन्होंने भर्ती प्राप्त की और भर्ती प्राप्त करने के पश्चात् भी उनको किस तरह से खुशामद दरामद करनी पड़ी। तो यह सब के लिए, मेरे ख्याल में, व्यवस्था

Page No. 62

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आज की इस टी. वी. क्लिनिक के सम्बन्ध में है।

भूतपूर्व राज्य में क्षय रोग की चिकित्सा के सम्बन्ध में राज्य के द्वारा व्यय करके, चन्दा करके, व्यक्तिगत रूप से मैंने, मेरे परिवार ने चन्दा करके एक संस्था बनायी नेताओं ने उसे बन्द करके वहां बापा छात्रावास स्थापित किया । खैर । वहां पर बापा छात्रावास यदि स्थापित किया तो उसके सम्बन्ध में मुझे कोई विशेष निवेदन करते की आवश्यकता नहीं है। जनोपयोगी कार्य के लिए छात्रावास भी आवश्यक है, किन्तु डूंगरपुर जिले की एक वस्तु थी उसके विषय में आपने क्या किया ? मेरा अध्यक्ष महोदय, सरकार से यह निवेदन है कि इस टी. वी क्लिनिक को, अभी जो २०–२५ बैड्स की व्यवस्था है, आप उसे हो सके वहां तक ५० या ४५ बैड्स का क्लिनिक यदि बनाये तो विशेष हितकर होगा।

मरीजों के लिए खुराक के सम्बन्ध में भी यह दुर्दशा है। पहले भूतपूर्व राज्य में या कोई शासक वहां इस विषय में दिलचस्पी लेकर १२-१५ दिन में खुद जाकर निगरानी करता था, देखता था और उसका और उसका परिवार हजारों रुपये के रूप में क्या फल, क्या खिचड़ी क्या दूध इन मरीजों को देने के लिए व्यवस्था किया करता था। आज बिलकुल वहां पर जैसे लावारिश हिसाब हो इस तरह से व्यवस्था चल रही है। फल दूध आदि कर्मचारियों की टेबल पर सजाये जाते हैं और मैं समझता हूँ, यदि मैं यह कहूं कि रक्षक भक्षक हो गये हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर उदयपुर जिले के अन्दर एक महत्वपूर्ण नगर है। वह आदिवासियों की आबादी के अन्दर स्थित है। वह म्युनिसिपल टाउन भी है। वहां पर चिकित्सा भवन एक किराये के मकान में पुराने जमाने से स्थित है। वहां पर एक व्यक्ति ने दस हजार रुपए भवन निर्माण के लिए दिये भी हैं और यदि आवश्यकता होगी तो सरकार को इस सम्बन्ध में सहयोग भी दिया जायगा और विशेष धन राशि भी एकत्रित की जायगी। मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहूँगा कि सलूम्बर में राजकीय चिकित्सालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में व्यवस्था करे तो अच्छी बात है।

उसी तरह से भींडर नगर भी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक म्युनिसिपल टाउनशिप है। वहां पर भवन इतना छोटा है कि एक मखोल सा है । एक छोटा सा टीबा जिसके अन्दर दो या तीन कमरे केवल मात्र हैं। तो मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भींडर नगर में चिकित्सा भवन निर्माण के सम्बन्ध में व्यवस्था हो और में जानता हूं कि डाक्टरों की कमी है लेकिन भींडर जैसे टाउनशिप के अन्दर डाक्टर ही नहीं है। यह भी एक निन्दनीय बात है। इस सम्बन्ध में इस सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और निवेदन करता चाहूँगा कि भींडर नगर में डाक्टर भेजने की व्यवस्था की जाय।

पुराने अस्पतालों में दिन ब दिन, यह मैं अनुभव करता हूं खास कर कि जहां से मैं आया हूँ, हालत गिरती जा रही है। डूंगरपुर का अस्पताल आज लगभग पचास साल वर्ष से प्रसिद्ध है । उसके संस्थापक

(महारावल श्रीं लक्ष्मणसिंह)

के नाम से यदि उसका नाम आप नहीं भी रखना चाहते है, मिटा देना चाहते हैं तो उसकी मुझे परवाह नहीं। केवल मात्र मेरा निवेदन है कि यह संकीर्ण बुद्धि की मनोभावना है और आपके उत्तराधिकारी यह निर्णय लेते हैं आपकी संस्थाओं आपकी बनायी दुई संस्थाओ के नाम में भी परिवर्त्तन किये जायं तो आपको कितना अच्छा लगेगा यह आप स्वयम् विचार कर सकते हैं। खैर इस अस्पताल में १०० बैड्स की व्यवस्था थी। आज वहां १२५ बैड्स की व्यवस्था है। मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने गत वर्ष भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि डूंगरपुर के अस्पताल को १५० बैड्स का बनायें और बी. ग्रेड का बना सकेंगे सारे नजदीकी क्षेत्रों के धन्यवाद के पात्र होंगे। ऐसा अस्पताल पचास पचास मील के ईर्द गिर्द नहीं है उसको प्रोत्साहन देना मेरे ख्याल से भौगोलिक स्थिति और सिद्धान्त से भी सरकार के लिए उपयुक्त होगा। वहां के सी. एम. ओ, अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ लेकिन वे डूंगरपुर के ही निवासी हैं, वे लगातार १६ वर्ष से बिना तबादले के कभी सागवाड़ा, कभी डूंगरपुर, लेकिन डूंगरपुर जिले में ही रहते आये हैं। इतनी क्वालिफिकेशन नहीं, वे पुराने डॉक्टर हैं किन्तु एल. एम. डूंगरपुर के अस्पताल में भूतपूर्व राज्य के समय डॉक्टर शर्मा जो डाइरेक्टर मेडिकल सर्विसेज राजस्थान हैं, वे पी. एम ओ. रह चुके हैं। ऐसी संस्था में एक एल. एम. पी. की व्यवस्था आप करते हैं तो आप स्वयम् विचार करें कि किस हद तक उचित है। इलाज में उनकी अभिरुचि, मैं समझता हूँ, विशेष नहीं है। सामान्य नेताओं के प्रश्रय से वे निश्चित रूप से वहां पर विराजमान हैं इसके बावजूद कि गवर्नमेन्ट सरकुलर इस विषय का निकल चुका है कि वरिष्ट अधिकारी होम डिस्ट्रिक्ट में न रखा जाय। मेरे या मेरे परिवार के प्रति शासनारूढ दल के महानुभावों की दुर्भावना हो तो मैं समझ सकता हूं किन्तु यह दड डूंगरपुर की जनता के लिए क्यों दिया जाय यह मेरी समझ के कतई बाहर है।

अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात भी मैं निवेदन करना चाहूँगा और वह है लेडी डॉक्टर के सम्बन्ध में। गत १५ वर्ष से डूंगरपुर के अस्पताल में लेडी डॉक्टर की व्यवस्था आपने नहीं की। आप कहते हैं लेडी डॉक्टर्स की कमी है। उसके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति अवश्य हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में दस बहाने भी करें, विशेषतया और कारण प्रकट करें लेकिन पुरजोर रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि डूंगरपुर के अस्पताल में कम से कम लेडी डॉक्टर की व्यवस्था होना परम आवश्यक है। सिद्धान्ततः कोई भी शासन हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे प्रोटोक्रेसी हो, चाहे बेनवलेन्ट मोनार्की हो, कैसा भी शासन हो, लेकिन जिस शासन के अन्दर चिकित्सा, शिक्षा न्याय व्यवस्था सब के लिए उपलब्ध जहां तक हो सके भरपूर रूप से नहीं है तो मेरे ख्याल से उस शासन की एक बड़ी भारी कमी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि लेडी डॉक्टर के सम्बन्ध में डूंगरपुर अस्पताल

Page No. 64

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में भेजने के सम्बन्ध में विचार अवश्यमेव करें।

अध्यक्ष महोदय, हैल्थ सेन्टर्स के सम्बन्ध में मेरा यह दृढ़ अनुभव है कि राजनैतिक आधारों पर पंचायत समिति के निर्णय के बावजूद भी हैल्थ सेन्टर्स एक व्यक्ति केवल डॉक्टर की सलाह के ऊपर स्थापित होते हैं। डॉक्टर की सलाह आवश्यक है संचालन के सम्बन्ध में, एड्मिनिस्ट्रेशन एवं टेक्नीकल व्यवस्था के सम्बन्ध में लेकिन जहां पंचायत समिति का निर्णय हो कि अमुक स्थान पर हैल्थ सेन्टर कायम किया जाय लेकिन उसके उपरान्त एक मात्र डॉक्टर का यह निर्णय हो कि वहां पर स्थापित न करके अन्य स्थान पर स्थापित की जाय यह उस बात की द्योतक है जो बातें इस सदन में बार बार दोहराई जाती हैं कि धीरे-धीरे मन्त्री महोदय नौकरशाही के ग्रहण से ग्रसित होकर नौकरशाही उनके साथ राहू और केतु के माफिक धीरे-धीरे ग्रसित कर रही है।

आयुर्वेदिक औषधालयों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां दवाइयां आयुर्वेदिक हों या यूनानी हों जहां भी ये दवाइयां बनती हैं वे प्रभावशून्य होती हैं। रसायनशाला के अन्दर कीमती वस्तुएं; जैसे सोना, चान्दी, केशर, कस्तूरी इलायची लोंग आदि जो दी जाती हैं उनका सदुपयोग नहीं होता है यह सन्देहास्पद है कि किस हदतक ये दवाइयां दी जाती है उनका सदुपयोग होता हो। जहां तक कैरोमीन और केम्फर के इन्जेक्शन का प्रभाव बरावर होता है वहां कोई वजह नहीं पाते कि जवाहर मोहरा और मकरध्वज का असर न हो। यह इस बात का द्योतक है, कि रसायनशालाओं में जहां ये औषधियां निर्मित होती हैं वहां की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है उसमें घोटाले, गोलमाल और भ्रष्टाचार होना संभव है।

अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर में जो आयुर्वेद के इन्सपेक्टर हैं लगभग १८ साल से वे डूंगरपुर में ही विराजमान हैं। वे महाशय डूंगरपुर जिले के प्रमुख कांग्रेसी नेता भोगीलाल जी पंड्या के रिश्तेदार हैं, उनकी विरोधी लोगों के प्रति कितनी सद्भावना है वह हम ही जानते हैं। वे कर्मचारियों को तंग करने में प्रसिद्ध हैं इस विषय के भी वे प्रकाण्ड पण्डित हैं ऐसा मालूम होता है सी० एम० ओ० इन्सपेक्टर ऑफ आयुर्वेद औषधालय को इनके कार्य से सन्तोष न होते हुए भी राजनीति के कारण ही ये डूंगरपुर में लगातार १८ साल से विराजमान हैं। माननीय मन्त्री महोदय जानते हुए भी इसको दर गुजर करते जा रहे हैं वह क्यों यह भी एक हद तक मैं समझ सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद और यूनानी दवाखानों को प्रोत्साहन मिले और जो खर्चा हो रहा है उसका सदुपयोग हो यही आपके द्वारा मेरी सरकार से मांग है।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक २६ में मेरा आयुर्वेद के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए करीब १७ वर्ष हो चुके हैं अभी तक आयुर्वेद के प्रति सरकार की उदासीनता की नीति को देखकर अत्यन्त दुःख होता है। आयुर्वेद

वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

एक लम्बे समय देश की सेवा करता आ रहा है करीब ७०० वर्षों तक मुगल साम्राज्य के वक्त भी आयुर्वेद ने देश की सेवा की है हालांकि उस समय सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं दिया गया उसके बावजूद भी वैद्य लोग देश की जिस तरह की सेवा करते आ रहे हैं वह सब लोगों के सामने है। करीब २०० वर्ष ब्रिटिश शासन काल में आयुर्वेद को किस प्रकार से उपेक्षित किया गया और इस पद्धति को नष्ट करने का प्रयास किया गया वह सब भी आप लोगों के सामने है। आज दुःख इस बात का है भारत में स्वतंत्र होने के बाद भी भारतीय चिकित्सा पद्धति को यह कह करके कि यह अवैज्ञानिक पद्धति है, वैद्य लोग कुछ जानते नहीं कहकर इसको उपेक्षित किया जा रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि इतने लम्बे समय से जिस पद्धति को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया करीब एक हजार वर्ष बाद सरकार की ओर से उपेक्षा की गई हो जिसको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली हो आज वही पद्धति देश की ८० प्रतिशत जनता की चिकित्सा कर रही है वह भी आप लोगों के सामने है। फिर भी इसको अवैज्ञानिक कहा जाता है और उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। इस तरह से आज तक हमारे देश को आजाद हुए १७ वर्ष हो गये हम सोचते थे कि आजादी के बाद जैसा कि बुजुर्ग नेता लोग कहा करते थे कि आजादी मिलने के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन वह आज तक नहीं मिल पाया है। इसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा हुआ है। मुझे जब भारत की स्वास्थ्य मंत्राणी राजकुमारी अमृतकौर महावीर जी पधारीं तो उनसे साक्षात्कार करने का अवसर मिला। उनकी जो आयुर्वेद के प्रति दुर्भावना थी उसे देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं नहीं समझ पाया कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर ऐसी महिला को नियुक्त किया जाता है जिसका लालन पालन विदेशी प्रणाली में हुआ है यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है।

अब मैं अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आयुर्वेद शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां पुराने समय से दो आयुर्वेदिक कालेज चल रहे हैं एक तो जयपुर में और दूसरा उदयपुर में। अध्यक्ष महोदय, उनमें छात्रों के बैठने के लिये जगह नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। यहां के कालेज में ३०० छात्र शिक्षा पा रहे हैं लेकिन होस्टल की व्यवस्था है उसमें केवल ४० छात्रों के लिये है। एक ओर कहा जाता है कि वैद्य तरक्की नहीं करते, दवाइयों में खोज नहीं करते अध्यक्ष महोदय, जहां रहने के लिये पूरी तौर से व्यवस्था न हो जहां अध्ययन करने वाले छात्रों के बैठने के लिये व्यवस्था न हो वे आगे चल कर किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं।

जयपुर कॉलेज में अध्ययन की व्यवस्था है वह यह है कि यहां पर अभी तक कई अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं। विशेष चिकित्सक के, ३, प्रोफेसर के ५, मैनेजर का १ अन्य दो इनकी आज तक नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। शिक्षकों की संख्या जो स्वीकृत है उन पर भी नियुक्तियां नहीं होती हैं।

(वैद्य श्री गोबिन्दसहाय)

(१०.०० म. पू.)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर एक अलग आयुर्वेद मंत्रालय खोला गया है यह ढिंढोरा-मात्र है। मन्त्री महोदय आयुर्वेद के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। वेतन शृंखला का तो इतना अजीब हाल है कि राजस्थान में एक मखौल किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय एक छात्र हायर सैकेन्डरी पास करने के बाद में भिषगाचार्य की कक्षा में प्रवेश पाता है और ५ वर्ष अध्ययन करने के बाद उसे तनख्वाह दी जाती है १०५ रुपये और उसकी वेतन शृंखला होती है १०५-५-१५०-१०-२०० जब कि हायर सेकेंडरी करने के बाद एक आदमी मास्टर हो जाता है तो उसको ११० रुपये पे के मिलते हैं। पांच साल एक व्यक्ति आयुर्वेद कालेज में पढ़कर निकले और उसको आप १०५ से स्टार्ट करें यह आयुर्वेद की प्रगति नहीं है। हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं कि हमने इतने औषधालय खोल दिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि औषधालयों में बैठने के लिए वैद्यों को जगह नहीं है, उनके बैठने के कमरे ऊपर से चूते हैं, सामान रखने के लिए जगह नहीं है और औषधियां रखने को जगह नहीं है। वहां पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। मैं कहता हूं कि आप औषधालयों की संख्या न बढ़ायें चाहे आप कम ही खोलें लेकिन वहां पर व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि संख्या बढ़ाने से और स्कीमों बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि आप १० के बजाय २ औषधालय ही खोलिये २ की जगह १ ही खोलिये लेकिन कम से कम वैद्यों के रहने के लिए व्यवस्था और औषधियों को रखने के लिए व्यवस्था और भवनों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी सरकार ने इस समय आयुर्वेद के भवन निर्माण के लिए केवल ५० हजार रखे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय आज बी ग्रेड के वैद्य को १३० से स्टार्ट किया किया जाता है। 'ए' ग्रेड के वैद्य को १७० से स्टार्ट किया जाता है। इस तरह का सौतेला व्यवहार तो ब्रिटिश शासन काल में ही था परन्तु आज भी वही व्यवहार उनके साथ होता है। दूसरी तरफ आप मेडीकल कालेज के प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स का ग्रेड देखिये दोनों में बहुत भारी अन्तर है। पहले संस्कृत और आयुर्वेदिक कालेज का वेतन स्तर बराबर था लेकिन आज उसमें भी काफी अन्तर है। खाली आयुर्वेद मंत्रालय अलग से खोलने पर कोई आयुर्वेद का उत्थान नहीं हो जाता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जिनको आप छोटी छोटी तनख्वाहें देते हैं उनको आप अपने जिले में न रखकर दूसरे जिलों में रखते हैं। जैसे कोई सवाई माधोपुर जिले का है उसको आप जोधपुर और बाड़मेर लगा देते हैं तो इन छोटी छोटी तनख्वाह में वे बाल बच्चों को लेकर कैसे जायें। उनके आने जाने में ही काफी व्यय हो जाता है और इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि छोटी तनख्वाह वालों को उन्हीं जिलों में रखा जाये जहाँ के कि वह रहने वाले हैं और जहां भी उनकी नियुक्ति हो वहां पर उनके रहने के लिए भवनों की व्यवस्था की जाये।

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक नया सरकुलर निकला है कि जो डाक्टर रूरल एरिया में जायेंगे जिनकी आबादी अनुमानतः ४ हजार से कम नहीं होगी तो उनको ७५ रुपया अलाउन्स दिया जायेगा। जब कि वैद्यों को इस प्रकार का कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता है और वे गांवों में ही रहते हैं। केवल उनको १०५ रुपये तनख्वाह के ही दिये जाते हैं। आप ही बतायें देहाती क्षेत्रों में डाक्टर रहता है या वैद्य ? इस हिसाब से तो डाक्टर आदमी है और वैद्य जानवर है। जो डाक्टर होते हैं उनके लिए मकानों की व्यवस्था फ्री होती है, सारी और व्यवस्थायें फ्री होती हैं; इसके अलावा भी उनको रूरल एरिया में रहने का ७५ रुपया अलाउन्स तनख्वाह के अलावा दिया जाता है जब कि वैद्य वहां पर एक पचास रुपये की झोंपड़ी में रहता है, वहां आने-जाने के कोई साधन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मसलपुर और मंडराय में कोई डाक्टर नहीं है, कोई डाक्टर वहां पर जाना पसन्द नहीं करता है। वहां पर वैद्यों को डेप्यूट किया जाता है। डाक्टरों को बड़ी जगह पर भेजा जाता है तहसील हैडक्वार्टर्स पर जाता है वे वहां भी जाना पसन्द नहीं करते हैं। फिर हमारी सरकार कहती है कि डाक्टर ज्यादा सेवायें करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा शल्य चिकित्सा की व्यवस्था हमारे आयुर्वेद में है लेकिन वहां उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि आज तक शवच्छेदन के लिए कितने शव दिये गये हैं ? फिर आप चाहते हैं कि वैद्य होनहार हों और आधुनिक चिकित्सा में ढले हुए आदमी हों। हमारी सरकार औषधालयों को ज्यादा से ज्यादा खोलने में आगे बढ़ रही है लेकिन सवाई माधोपुर जिले के बारे में मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पर इतने जंगल हैं कि वहां पर आने जाने की भी उचित व्यवस्था नहीं है और वहां पर डाक्टर नहीं हैं। वर्तमान समय में सवाई माधोपुर जिले में ऐसी हालत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब एक लम्बे अर्से से सवाई माधोपुर जिले में सिर्फ ११ स्थानों पर डाक्टर नहीं हैं जब कि कुल डिस्पेन्सरीज वहां पर १६ हैं जिनमें से ११ डिस्पेन्सरीज़ में आज तक डाक्टर नहीं हैं। वहां पर इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं की जा जाती कि वहां गांवों में न इलेक्ट्रिसिटी है, न पाईप है इसलिए वह वहां पर रहना पसन्द नहीं करते हैं। ऐसी छोटी जगहों पर वैद्यों की नियुक्ति की जाती है और वैद्य बेचारे अपनी रोजी को सामने रखते हुए छोटी छोटी जगहों पर भी जाते हैं और फिर भी उनके लिए अलाउन्स की व्यवस्था नहीं की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां यह हाल चल रहा है। हमारे यहां पर आयुर्वेद का उदयपुर में कालेज है और जयपुर में भी आयुर्वेद कालेज हैं और यहां से जो भी स्नातक निकलते हैं उनको इन्डीयन मेडीशन्स बोर्ड के द्वारा रजिस्टर नहीं किया जाता है। मैंने सुना है कि चेयरमैन इन्डियन मेडीशन बोर्ड और आयुर्वेद के डाइरेक्टर के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा है इस कारण जो भी स्नातक निकलते हैं उनको रजिस्टर नहीं किया जाता है। मैं नहीं समझता कि मन्त्री महोदय क्या करते हैं ?

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छात्र स्नातक बनकर वहां से निकलता है तो दो साल तक वह फिरता रहता है और दो दो वर्ष तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है और मन्त्री महोदय उनके झगड़े को नहीं मिटा पाते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि इस साल इन्डियन मेडीशन्स बोर्ड के लिए राशि ही खत्म कर दी। पहले इन्डियन मेडीशन्स बोर्ड के लिए हर वर्ष २० हजार रुपया स्वीकृत हुआ करता था इस साल उसको भी समाप्त कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि जब कि पृथक विभाग दिया है और झगड़ों को नहीं निपटा सकते तो फिर क्या है। एक एक वैद्य का ६-६ बार ट्रान्सफर होता है। सवाई माधोपुर से जयपुर और जयपुर से बाड़मेर उनका ट्रान्सफर किया जाता है। इसको एक खिलवाड़ बना रखा है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आपके जरिये माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय का ध्यान कुछ सुझावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वैद्यों की जो वेतन श्रृंखला है वह मेडीकल कालेज के डाक्टरों के मुकाबिले में रखी जाये। मेडीकल कालेज के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स का ग्रेड है उसके बराबर उनका भी ग्रेड किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोले जाते हैं वहां से औषधालय पृथक कर दिये जाते हैं। वहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स में डाक्टर पहुंचते नहीं है और कम्पाउन्डर्स काम करते हैं इसलिए वहां की हालत बहुत गयी गुजरी है। वैद्य ५ साल तक पढ़ते हैं और फिर उनको इतना कम वेतन दिया जाता है जिससे उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सवाई माधोपुर जिले की स्थिति अर्ज करूं कि वहां पर इतने प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं गंगापुर और गुडाचन्दर को छोड़कर बाकी सारे के सारे प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स में एक भी डाक्टर नहीं है और सब जगह कम्पाउन्डर्स काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय सवाई माधोपुर जिले की जनसंख्या करीब ९।। लाख है वहां एक भी लेडी डाक्टर नहीं है। यह बिलकुल ठीक है कि आज लेडी डाक्टर्स की कमी है परन्तु जिलास्तर पर तो कम से कम यह तो ख्याल रखा जाये कि वहां भी तो एक लेडी डाक्टर रहे। वहां भी आदमी रहते हैं। सिर्फ शहरों में ही आदमी नहीं रहते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि राजस्थान में ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और दूसरी तरफ आप उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय १० साल से कोई भी लेडी डाक्टर सवाई माधोपुर जिले में काम नहीं कर रही है। करौली में एक हास्पीटल चल रहा है जिसमें ५० बेड्स की व्यवस्था है। इसमें पुलिस लाइन्स के जो डी० एम० एच० ओ० हैं उन्होंने एक जगह लेकर १५० आदमी भर रखे हैं और भेड़ बकरी की तरह उनको भरा हुआ है। वहां कहते हैं कि भर्ती होना है तो अपनी चारपाई ले आओ। तो यह तो आज हमारे यहां की चिकित्सा व्यवस्था का हाल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आयुर्वेद इन्सपेक्टर तथा 'ए' क्लास के वैद्य हैं उनको अविलम्ब गजेटेड आफिसर घोषित किया जाय, एवं निरीक्षक को प्रशासनिक अधिकार दिये जाने चाहिए। तथा प्रति वर्ष जयपुर

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

तथा उदयपुर में चलने वाली अनुसन्धान केन्द्रों की रिपोर्ट प्रकाशित होनी चाहिए। आज तक जो ये अनुसन्धान केन्द्र चल रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, माननीय अध्यक्ष, उनकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। तथा जामनगर केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान जैसी जयपुर में स्थापित की जानी चाहिए। आयुर्वेद के कम्पाउन्डरों को और वैद्यों को कम वेतन मिलता है इस लिए उनको जिले से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिए। औषधालयों भवनों का निर्माण किया जाय और उनमें वैद्यों के रहने के लिए समुचित व्यवस्था की जाय। जब तक वह व्यवस्था नहीं हो पाती है तब तक वैद्यों को मकानों का किराया पृथक मिलना चाहिये। डाक्टरों को क्वाटर्स फ्री मिलते हैं और ७५) रुपये अलाउन्स मिलता है। इसलिए वैद्यों को भी यह दिये जाने की आवश्यकता है। इस तरह की सुविधाएं वैद्यों को भी मिलनी चाहिए और कम से कम ५०) रुपया जिस तरह से डाक्टरों को अलाउन्स मिलता है उनको भी अलाउन्स दिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष, इन सब के बावजूद में माननीय मंत्री महोदय में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से औषधालयों की दयनीय दशा है तो आयुर्वेद के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार है। इस ओर मैं उनका अवश्य ध्यान दिलाऊंगा। तथा आयुर्वेद की प्रगति के बारे में बराबर यह कहा जाता है कि औषधियों की व्यवस्था है तो औषधालयों में मैंने खुद ने जाकर देखा है कि जहां पर बुखार की दवा चाहिये वहां पर मलहम पड़ा हुआ है और जहां पर फोड़े की दवाइयों की जरूरत है वहां पर बुखार की दवा पड़ी हुई है। तो जो स्वीकृत औषधियां हैं वे भी पर्याप्त नहीं हैं। यह स्वीकृति औषधिया पहले से ही स्वीकृत हैं। आज प्रत्येक दवाई का भाव इतना ऊंचा हो गया है तो उसकी वजह से जो स्वीकृत धनराशि ६००) रु० उस समय से स्वीकृत थे जब कि प्रवाल का भाव ८) रुपये सेर था और इस वक्त प्रवाल का भाव ८० रुपये सेर है। तो यह ६००) रुपये की धनराशि 'सी' क्लास औषधालयों के लिए उस वक्त स्वीकृत थी जब कि ८-१० रुपये सेर प्रावल का भाव था। इसलिए में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित चाहूंगा कि जिस वक्त कि दवाइयों के भाव बढ़ रहे हो, हर चीज के दाम बढ़ रहे हों तो जो स्वीकृत धनराशि औषधालयों को दी जाती है उसको विशेष किया जाना चाहिए।

आज आयुर्वेद कालेजों के लिए भवन-निर्माए का अभाव है। वहां पर वंद्य अध्यापक आज तक नियुक्त नहीं हो पाये है उनकी नियुक्तियां शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए।

आयुर्वेद में शवच्छेदन की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर शव आज तक नहीं दिये जाते हैं। उसके लिए शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए।

जो स्नातक आयुर्वेद कालेज से निकलते है उनको इन्डियन मेडिशन्स बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। उनको शीघ्रा-तिशीघ्र किया जाना चाहिये। हो सकता है कि माननीय मन्त्री महोदय या डाइरेक्टर का इन्डियन मेडिसन्स बोर्ड से किसी का संघर्ष हो, लेकिन उसका परिणाम, माननीय अध्यक्ष, यह नहीं होना चाहिए कि वैद्य लोग उनके दरवाजे पर घूमते रहें और उनको कह दिया जाय कि उनको चिकित्सा का अधिकार नहीं

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

दिया जाता है। प्रमाणपत्र तुमने प्राप्त कर लिया तो ठीक है लेकिन चिकित्सा नहीं कर सकते हो। माननीय मन्त्री या किसी से झगड़ा हो सकता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इन्डियन मेडिसिन्स बर्ड से जो झगड़े चल रहे हैं। उनको समाप्त करवाने की कृपा करें।

जो छात्रवृत्तियां आयुर्वेद विद्यार्थियों को दी जाती हैं वे अत्यन्त न्यून हैं। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि अगर आयुर्वेद को प्रोत्साहन देना है तो आयुर्वेद कालेज और खोले जाने चाहिए। उनके लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए और छात्रावासों की व्यवस्था की जानी चाहिये। भवनों का जो अभाव है वहां पर शीघ्रातिशीघ्र भवन निर्माण किये जाने चाहिए। कम से कल जयपुर में जो आयुर्वेद कालेज हैं उसको माननीय अध्यक्ष ने भी देखा है कि क्या हालत है। कितने स्थान का अभाव है। दूसरे जो मेडीकल कालेजेज चल रहे हैं वहां पर सारी व्यवस्था होस्टल की जाती है। इतने लम्बे अर्से से यह आयुर्वेद कालेज चल रहा है और लड़कों को शहर में रहना पड़ता है। वहां पर केवल ४० छात्रों के रहने की व्यवस्था है। वहां पर लड़के बकरियों की तरह से भरे हुए हैं। वहां पर ज्यादा जगह की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आयुर्वेद में पर्याप्त मात्रा में प्रगति नहीं हुई हैं। इसमें जो दूसरी प्रगति रिपोर्ट दी है तो उसमें मेडीकल कालेज के लिए ३,५७,००,०००) रु० हैं उसमें आयुर्वेद की प्रगति के लिए और आयुर्वेद के विकास के लिए सिर्फ ३७ लाख है तो इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारे आयुर्वेद मन्त्री जो अलग से मन्त्रालय बनाकर बैठे हैं और काफी औषधालयों की मात्रा को बढ़ा देने से प्रगति नहीं मानी जायगी जब तक कि आप उनकी समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे। वहां पर न कम्पाउन्डर है, न वैद्य हैं और न चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि एक औषधालय में एक वैद्य एक कम्पाउन्डर, एक नर्स और एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी प्रत्येक औषधालय में होना आवश्यक है। यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : (श्री भीमसेन)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :—माननीय अध्यक्षजी, मैंने अपने इलाके की कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। सबसे पहले मैं लूणकरणसर में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, बीकानेर से सूरतगढ़ का ११० मील का फासला है और अनूपढ़ से सरदार शहर करीब १५० मील पड़ता है। इतने लम्बे-चौड़े इलाके के लिए जहां कम से कम तीन लाख की पापुलेशन है और जो बहुत दूर २ इलाके में बसे हैं, डेजर्ट एरिया है, ऐसे इलाके में कहीं भी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं होना इस जमाने के अन्दर बड़ी शोचनीय यह बात है। वैसे तो स्टेट के टाइम से लूणकरनसर तहसील हैडक्वार्टर शुरू से रहा है। स्टेट के टाइम में डॉक्टर की व्यवस्था थी लेकिन राजस्थान का निर्माण

(श्री भीमसेन)

हुआ इसके बाद हमारे यहां जो डॉक्टर की पोस्ट थी वह सरकार ने समाप्त कर दी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या इतनी बड़ी पापुलेशन के लिए कम से कम डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए ? सरकार यह दलील दे सकती है कि डॉक्टरों की शार्टेज है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि डॉक्टरों की आप के पास में शार्टेज हो सकती है, लेकिन आप इतनी बड़ी पापुलेशन के लिए, जो एक डेज़र्ट एरिया है और कम से कम १० हजार वर्गमील में है, इतने लम्बे-चौड़े इलाके के लिए कम से कम एक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर सकते ? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक डॉक्टर की पोस्ट तो सेन्क्शन कर दें। उसके बाद में डॉक्टर का वहां पर एप्वाइन्टमेंट होगा यह हम निश्चित मान कर चलते हैं। सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम एक डॉक्टर की पोस्ट बना दें जिससे तहसील हैडक्वार्टर पर इलाज की व्यवस्था लोगों को मिल सके। यह मिनिनम रिक्वायरमेंट है उस इलाके की जिसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष, लूणकरणसर तहसील एक ऐसा इलाका है जो ४० स्क्वायर माइल में अकेली तहसील है और वहां की आबादी ५२,००० है। वहां पर गांवों में पीने के पानी की बहुत तकलीफ हे। बहुत से गांव तो ऐसे हैं कि जहां पानी के कुंए या पानी की तलाई या पीने के लिए टैंक की व्यवस्था नहीं है। खास तौर से लूणकरनसर जो कि तहसील का हैडक्वार्टर है वहां पर बीकानेर से रेल के टैंकों के द्वारा पानी पहुंचता है। इस बात के लिए सरकार को प्रतिवर्ष ३०,०००) रुपया खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत से गांव ऐसे हैं उस तहसील में कि जहां पर खारा पानी है, और कई कई गांव तो ऐसे हैं कि जिन में कुओं का पानी पीने से मवेशी मर जाते हैं। उनको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि उन कुओं का पानी बेरुजना है, पोइजनस वाटर है। इस तरह से जहां पानी का इन्तजाम हो तो सरकार की तरफ से उस ओर ध्यान जाना चाहिए। यह बहुत अहम समस्या है वहां राजस्थान में सरकार ने केवल राजस्थान की जो आबादी है उसके लिए मेरे ख्याल से केवल २ करोड़ रुपया इस समस्या के समाधान के लिए रखा है। गांवों में पीने के पानी की जो समस्या है वह बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिये यह २ करोड़ रुपयों का प्रावधान कुछ भी नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार क्या चाहती है ? कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था तो गांव में हो। आज यह मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हैं जो हरेक ग्रामीण सरकार से अपेक्षा रखता है। सरकार को चाहिये कि इस बारे में अधिक से अधिक फंड प्राप्त करने के लिये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्रोच करे और अधिक से अधिक धन प्राप्त हो इसकी कोशिश करनी चाहिये पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो लोगों का जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा। डेजर्ट एरिया में एक एक आदमी को पीने के पानी के लिये काफी समय लगाना पड़ता है तो वह पेट के लिये कैसे काम कर सकेगा। इसलिये यदि लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़ाना है तो पहले पानी की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। खास तौर से बीकानेर के कालू, संथाल

(श्री भीमसेन)

और लूणकरणसर इन तीनों स्थानों की रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स चीफ इंजीनियर के ऑफिस में है, सैंक्शन के लिये आई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन तीनों स्थानों के लिये जल्दी से जल्दी सैंक्शन दी जाय। वहां के लोगों ने अपना कांट्रिब्यूशन भी सरकार में जमा करा रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीनों स्कीम्स के लिये मंजूरी जल्दी से जल्दी दें जिससे कि वहां के लोगों की तकलीफ दूर हो।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा बीकानेर में हमारा हॉस्पिटल है पी. बी. मेन्स होस्पिटल उसके एक्सटेन्शन की आवश्यकता है। आज बीकानेर में मेडिकल कॉलेज होने से आम तौर से इसका विस्तार होने की बहुत आवश्यकता है। अन्यथा हमारे वहां पर डाक्टर्स को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने से जिस तरह के डाक्टर्स हम भविष्य में निकालना चाहते है और उनमें जिस तरह की एफिशियेन्सी चाहते हैं, प्रशिक्षण न मिलने से, उनसे जो आकांक्षा रखते हैं वह पूरी नहीं हो सकेगी।

इसके अलावा बीकानेर में, सभी लोग जानते हैं कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज में जो स्ट्राइक हुई उसमें सरकार ने बड़ी ढ़िलाई से काम लिया। लंबी स्ट्राइक दो तीन महीनों तक चली और आज भी कॉलेज बंद पड़ा है। यदि सरकार शुरू में सचेत होती, स्ट्राइक हुई उसके दो तीन दिनों में उचित स्टेप्स लेती तो आज जो परिणाम सामने आया है वह नहीं होता। लड़कों की जो हालत हुई, मारपीट हुई, किताबें जलाई गई, प्रोपर्टी को डेमेज हुई ये सारी चीजें रोकी जा सकती थीं। लेकिन सारी व्यवस्था में ढ़िलाई चलने से यह काम हुआ। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को अब भी इस बारे में निर्णय लेना चाहिये और जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में इस, स्ट्राइक में किसी तरह का हाथ रहा है उन लोगों के हाथ में काम सौंपेगे तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। इसलिये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे आदमी वहां लगाये जाय जिससे लड़कों में जो कन्फ्यूजन बढ़ रहा है वह दूर हो सके।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के फूड इन्सपेक्टर्स के बारे में सब तरह से आम तौर से शिकायत आती रहती है। हमारी मान्यता है कि बड़े बड़े स्थान जैसे बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर या और जो कस्बे हैं उनमें फूड इन्सपेक्टर्स लगातार वहीं आदमी रखे जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आया है कि ऑफिसर्स और फूड इन्सपेक्टर्स मिले हुए होने से जो भी पब्लिक की शिकायत होती है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। आज फूड इन्सपेक्टर्स जिन जिन स्थानों पर काम कर रहे हैं, यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वे ही व्यक्ति बराबर उन्हीं पोस्टों पर काम करते आये हैं। फूड इन्सपेक्टर्स के पोवर्स उनको दिये हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार आवश्यक कार्यवाही करे। पब्लिक की ग्रिवेन्सेज हैं आम तौर से जाता है कि फूड इन्सपेक्टर्स दूकानदारों से ताल्लुक रखते हैं और कारण करप्शन किस तरह होता है यह आम शिकायत की बात है। सरकार चाहती है कि किसी चीज में मिलावट नहीं हो लेकिन

Page No. 73

(श्री भीमसेन)

आज फूड इन्सपेक्टर्स का व्यवहार ऐसा है जिसके कारण हमें विश्वास नहीं होता, जनता को विश्वास नहीं होता कि जो अधिकार उन्हें सौंप दिये हैं और जिस चीज के लिये सरकार अपेक्षा रखती है कि मिलावट किसी तरह से रोकी जाय, उसके बारे में कोई सुधार हुआ हो यह मैं नहीं समझता। हमारे जो आफिसर्स हैं उनको सतर्कता रखनी चाहिये। और आम तौर से मेरा सुझाव है कि एक व्यक्ति साल भर से अधिक उसी स्थान पर नहीं रखा जावे यदि एक व्यक्ति लगातार कई वर्षों तक एक ही स्थान पर रहता है तो उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और जम जाती हैं और उसकी सिफारिशें भी बहुत हो जाती हैं जिससे उसको हटाना या इधर उधर करना मुश्किल हो जाता है। और आफिसर्स का नाम मैं यहां लेना नहीं चाहता, कुछ ऐसे आफिसर्स हैड क्वार्टर हैं जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। इसलिये मैंने निवेदन किया कि फूड इन्सपेक्टर्स जो लगे हुए हैं उनकी जांच की जाय कि वे कितने सालों से एक ही स्थान पर क्यों लगे हुए हैं ?

इसके अलावा जालौर डिस्ट्रिक्ट की कुछ समस्याएं हैं। पीने के पानी के बारे में वहां के काफी गांवों की रूरल वाटर सप्लाई स्कीम सरकार ने हाथ में नहीं ली है। वहां बहुत बड़ी तकलीफ लोगों को है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा वहां के गांवों में चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर्स नहीं हैं न मेटरनिटि की व्यवस्था है। इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष, खास तौर से हमारे बीकानेर के मेन्स हॉस्पिटल के आउट डोर एक्सटेन्शन की ओर मैंने ध्यान दिलाया, मैं समझता हूं सरकार इस बारे में सक्रिय कदम उठायेगी ताकि अच्छे डाक्टर्स वहां से प्रशिक्षण पाकर निकल सकें और उनके प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था हो सके, सरकार इन बातों की ओर ध्यान दे सके इसलिये मैंने अपने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द।

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : अध्यक्ष महोदय मैं दौसा के अस्पताल के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। वहां के डाक्टर और दूसरे लोग हैं वे इस विभाग से तनखा लेकर जयपुर के दफ्तर में रखे जाते हैं। इनको वहीं रहना चाहिये अगर वहां का डाक्टर छुट्टी पर चला जाता है तो उसको आफिशियेट करने के लिये कोई नहीं आता इस पर विचार किया जाना चाहिये। दौसा की आबादी २० हजार की है फिर भी वहां पर एक ही डाक्टर है और वह भी अस्पताल में नहीं बैठता। तीसरा मसला यह है कि वहां के जच्चा खाने में लेडी डाक्टर साल भर से नहीं है जो भेजनी चाहिये। वहां पर एक्सरे की मशीन नहीं है इसलिये एक्सरे मशीन भी वहां पर भेजनी चाहिये। इसके लिये १० हजार रुपये म्युनिसिपेलिटी द्वारा भी दिये गये हैं अगर एक कमरा भी बनाया हुआ है। वह कमरा अब तक अधूरा पड़ा है लेकिन कोई इन्तजाम नहीं है। वहां पर दवाइयां और औजार नहीं हैं, इनका

Page No. 74

(श्री मूलचन्द चौधरी)

कोई प्रबन्ध नहीं है । जल्दी से जल्दी दवाइयों और औजारों का प्रबन्ध होना वाजिब है । और अस्पताल में ऐसी गड़बड़ी है उसको मिटाना चाहिये ताकि वहां का अस्पताल फिर अच्छी तरह से काम कर सके ।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेडीकल विभाग की मांगें आज सदन के समक्ष हैं । हमारे सदन के करीब चार माननीय सदस्य इस बहस में हिस्सा ले चुके हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह चार करोड़ के फिगर दिखते हैं मेडिकल विभाग के । इस चार करोड़ की ग्रान्ट के बावजूद राजस्थान के अस्पतालों में आज दवाइयों का इन्तजाम नहीं है । राजस्थान की डिस्पेंसरीज में आज डॉक्टर्स का अभाव है । राजस्थान के लेडी हॉस्पिटलस में लेडी डॉक्टर्स का अभाव है । यह जो सारे बेसिक फेक्ट्स हैं यह चार करोड़ की डिमान्ड में इन बेसिक फेक्ट्स को इस सदन से छिपा नहीं सकते । मेडिकल विभाग के विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दिनों दिन इसकी व्यवस्था में गिरावट आती जा रही है जब कि अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है । रोगियों की संख्या के मुकाबले में दवा-पानी का इन्तजाम अस्पतालों में नहीं बढ़ रहा है और बजट में उनके अनुपात में मेडीकल फैसलिटी का इन्तजाम नहीं करते हैं । एक प्रश्न के उत्तर में इस सदन में यह सूचना दी गई, अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में ५२ लाख रुपया आजकल अस्पतालों में दवाओं के लिए खर्च होता है । जब कि ४ करोड़ और कुछ लाख का बजट है, इसके बावजूद ५२ लाख रुपया दवाओं पर खर्च होना इस बात को साबित करता है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति ४५ नये पैसे यह सरकार दवाईयों की सुविधा के लिए एक साल में खर्च करती है । यह बजट प्रावीजन की जो कमी है, इसमें जो मीगरनेस है, वह इस बात से साफ झलकती है । इसके साथ-साथ अस्पतालों की व्यवस्था का जिक्र करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज अस्पतालों में मरीजों को कोई खाट नहीं मिलती, उनको नीचे सुलाया जाता है । भीड़ वहां इतनी है कि लगता है, अस्पताल नहीं स्लम है । एस. एम. एस. अस्पताल, जो सरकार की नाक के नीचे है, उसका माननीय सदस्य दौरा करें, कुछ माननीय सदस्य करते हैं, मन्त्रीजी और उपमन्त्राणी भी करती होंगी, वहां ऐसा लगता है, इतनी बदबू अस्पताल में आती है और जो मरीजों की व्यवस्था है उसको देख कर दुःख हो सकता है । राजस्थान की राजधानी में जिस तरह की मेडिकम फैसिलिटी है और जिस तरह की सुविधा राजस्थान सरकार मरीजों के लिए करती है, वह राजस्थान सरकार के लिए शोभा की बात नहीं कही जा सकती । यह केन्द्रीय अस्पताल की व्यवस्था का हाल है तो दूसरे अस्पताल के सम्बन्ध में क्या कहा जा सकता है । आप जनाना अस्पताल को लें, असाइलम को लें, आइसोलेशन को लीजिये, लेज्राटा अस्पताल को लीजिये, पागलखाने को लीजिये—सबकी व्यवस्था में इस तरह की अव्यवस्था है । मुझे अफसोस होता है यह देखकर और ऐसा लगता है जैसे मेडीकल डाइरेक्टोरेट राजस्थान

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

में एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे इस विभाग के मन्त्री नहीं हैं, इस विभाग की कोई खबर लेने वाला नहीं है और राजस्थान की जनता को बे भरोसे और बिना खबर के अस्पतालों में डाल दिया गया है। जनाना अस्पताल में ऐसी कोई लेडी एडमिट नहीं होती जिसको कि मुफ्त में काटन सप्लाई की जाती हो, जिसको प्रसव के समय मुफ्त में सुविधा दी जाती हो। कितनी भी गरीब हो, उसको कहा जायगा–इतने इन्जेक्शन ले आओ। इतने कोटन के पेकेट्स ले आओ उनको लाने के बाद उन काटन पेकेट्स और इन्जेक्शन्स का उपयोग नहीं होता है और अस्पताल के सामने किसी साहब की दुकान है, वहां की दवाइयां आती हैं उसके बाद उनका उपयोग न करके अस्पताल के स्टोर से दवाइयों का उपयोग किया जाता है और वह दवाइयां वापिस वहां की वहां पहुंच जाती हैं। जो मरीजों के पैसों से मंगवाई जाती हैं, वे दवाएं ब्लैक मार्केट में उसी दुकान में बेच दी जाती हैं।

इसी तरह आप पागलखाने को लीजिये, इसके डाक्टर साहब को लीजिये। राजस्थान सरकार को फिक्र नहीं है कि क्या करना चाहिये राजस्थान सरकार को। अखबारों में समाचार छपते हैं, उनको फिक्र नहीं राजस्थान सरकार को। सरकार बेखबर है, वहां के डाक्टर की इन्कम २० हजार रुपया पर-मन्थ होगी, लेकिन राजस्थान सरकार को इस बात की फिक्र नहीं। जो भी पेसेन्ट एडमिट होता है, जब तक वह अपने घर पर बुलाकर डाक्टर को फीस न दे दे, उसका मुकम्मिल तौर पर प्रोपर इलाज नहीं किया जाता और केयर नहीं ली जाती।

यह मैं जयपुर की बात अर्ज कर रहा हूं। किसी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, जो राजधानी से एक हजार मील दूर हो, की बात नहीं कर रहा हूं। लेवर एसाइलम है, वहां तीन तीन दिन तक डॉक्टर जाते नहीं हैं। मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हैं। मरीजों के लिए खाट की व्यवस्था नहीं हैं।

आपने जो आइसोलेशन हॉस्पीटल बनाया है उसके अन्दर जो काटेजेज हैं, उनकी ऐसी इनसेनीटरी कन्डीशन है कि मैं समझता हूँ कि राजस्थान के जयपुर को बहुत से गन्दे मोहल्लों की स्थिति अच्छी होगी। मरीजों को वहां ठीक नहीं किया जा सकता, वहां उनको और बीमार किया जा सकता है।

राजस्थान के केन्द्र जयपुर के अन्दर यह स्थिति हो रही है मेडिकल फैसेलिटी में। मैं निवेदन करता हूं यह असन्तोषजनक स्थिति है और राजस्थान सरकार के मन्त्री और डाइरेक्टर इनकी खबर नहीं ले सकते तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के दूसरे अस्पतालों की क्या स्थिति होगी, इसका आसानी से अन्दाज लगाया जा सकता है और तो और, अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के एक ओर तो डाइरेक्टोरेट है और दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज हैं। इस डाइरेक्टोरेट और मेडिकल कालेजेज की व्यवस्था को लीजिये। मैं मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में अर्ज करूं। मेडिकल कॉलेज के जो प्रिन्सिपल्स हैं वे रिटायर्ड पर्सन होंगे। जो रिटायर हो चुके हैं उनको प्रिन्सिपल बना रहा है। इसके अलावा पी० एम० एच० ओ० कौन हैं, जो पचपन साल की उम्र पार कर चुके हैं। यह डाक्टर सरीन, डाक्टर कंसल-यह क्या रिटायर नहीं है। रिटायर होने के बावजूद भी उनको पी० एम० एच०

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ओ० बना रखा है, प्रिन्सिपल भी रखा है। इस तरह जो नीचे से लोग आते हैं उनको आप मौका नहीं देना चाहते। पचपन साल की जिनकी उम्र हैं, जो रिटायर हो गये हैं उनको आपने पी० एम० एच० ओ० बना रखा है। और जो नीचे से आ रहे हैं, जिनको हविश है प्रिन्सिपल बनने की, उस हविश को मार रखा है क्योंकि आपके लिए कनविनिवेन्ट है इनको इन पोस्ट पर बनाये रखना। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप रिटायर्ड लोगों को रि-एम्प्लायमेंट दे रहे हैं मेडिकल विभाग में, इसका मैं विरोधी नहीं हूँ। डाक्टर्स की कमी है तो उनको रि-एम्प्लायमेंट देना चाहिए। लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जिनका मौका है बनने का, उनके अवसर को छीन कर आप रि-एम्प्लायमेंट देते हैं, मैं इस बात का विरोधी हूँ क्योंकि कहीं भी रिटायर्ड पर्सन्स प्रिन्सिपल नहीं हैं या रिटायर्ड पर्सन्स को, जिनका प्रमोशन पाने का अधिकार है, उनका चान्स खत्म करके, बनाये रखा जाय। उदयपुर मेडिकल कॉलेज में प्रिन्सिपल बी० एन० शर्मा हैं, उनको पी० एम० एच० ओ० से प्रिन्सिपल बना दिया रिटायर होने के बाद। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्या मेडिकल कौंसिल रूल्स के अनुसार, जो रूल्स बनाये हैं, स्टेट्यूज बनाये है उसके अनुसार श्रीमान् बी० एन० शर्मा को प्रिन्सिपल बनाया जा सकता है? क्या वेल–एक्सपीरियेन्स्ड प्रोफेसर अपने यहां नहीं है। लेकिन इस बात की फिक्र नहीं है। वे कह देंगे कि हमने ऑफिशियेटिंग अपोइन्ट किया है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह उस समय तक चलते रहेंगे जब तक रि-एम्प्लायमेंट की उम्र समाप्त न हो जाय। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे मेडिकल डाइरेक्टोरेट और मेडिकल कॉलिज के अन्दर जिस तरह से रिटायर्ड ऑफिसियल्स को रिटायर्ड पर्सन्स को हैड बना रखा है, यह राजस्थान के लिए शोचनीय स्थिति है। माननीय मेडिकल मिनिस्टर का विचार डा० बी० एन० शर्मा को ओबलाइज करने का हो सकता है,........

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : कोई ओबलाइज करने का सवाल नहीं उठाता। जो टेलैन्टेड आदमी हैं, जिनकी सेवा की आवश्यकता हैं, उनको लिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : टैलेन्टेड हैं, लेकिन आप जवाब दीजिये कि क्या मेडिकल कौंसिल के रूल्स के अनुसार उनको बनाया जा सकता है। मेरी चुनौती है कि यदि मन्त्री महोदय कोई नियम बता दें, उप-नियम बता दें या कह दें कि मेडिकल कौंसिल ने कह दिया है तो मैं बड़े से बड़ा काम करने को तैयार हूँ। इस सदन में इस्तीफा देने की बात कही जाती है, मन्त्री महोदय स्वीकार करें और यह बता दें कि यह मेडीकल कौंसिल के रूल्स के अनुसार है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर उनका अपाइन्टमेंट मेडिकल कौंसिल के अनुसार लाफुल है, लीगल है तो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ नहीं तो आप दे दें। सोच लीजिये भीखा भाई............

श्री भीखा भाई : अभी मिनिस्टर सहाब जवाब देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सोच लीजिये पांच मिनट में, जब तक मैं समाप्त करूं।

श्री भीखाभाई : मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। वह एक टैलेन्टेड आदमी है और उनकी सेवाओं की जरूरत है........

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस तरह भीखा भाई टैलेन्टेड हैं।

श्री भीखाभाई : राजस्थान में और हिन्दुस्तान में जो टैलेन्टेड आदमी माने जाते हैं, उनका रिएम्प्लायमेंट करने में एतराज नहीं होता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं भी टैलेन्टेड आदमी के खिलाफ नहीं। मैं खुद स्वीकार करता हूं। कि उन्हें सर्जरी में कमाल हासिल है। मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं चुनौती इस बात के लिए दे रहा हूँ कि क्या उनको किसी भी मेडिकल कालेज का प्रिन्सिपल बनाया जा सकता है ? जो लोग क्लीनीकल लाइन में हैं उनको नॉन-क्लीनीकल लाइन में इस तरीके से हैड नहीं बनाया जा सकता। मेरा यह दावा है कि उनको मैंडिकल कौंसिल के रूल्स के अनुसार प्रिन्सिपल नहीं बनाया जा सकता। इस तरह से जिन लोगों के चान्सेज हैं उनको समाप्त करने में सरकार होशियार है। एक बार किसी अधिकारी से लगाव हो गया तो उसको छाती से चिपकाये रखेंगे। रूल ऑफ लॉ है, उसको ताख में रख देंगे, उसी पद पर बनाये रखेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस तरीके से रीटायर्ड ऑफिसर्स को अपने हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट बना रखा है उनको हटाया जावे और उनको दूसरी जगह सेवा का मौका दिया जावे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप उनको दूसरी जगह सेवा करने का मौका न दें। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उनको इस तरह से हैड नहीं बनावें और दूसरे लोगों को भी मौका दें। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की अनियमितताएं हेड के एपोइन्टमेंट में ही नहीं होती बल्कि दूसरे लोगों के एपोइन्टमेंट्स में भी होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने डॉ. मिश्रा को रीडर की पोस्ट के लिये रिकमन्ड किया और स्वीकृति दे दी। यह जयपुर का ही केस है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हमारी सरकार ने इनको रीडर पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश करने पर भी नहीं बनाया और उसकी जगह डॉ. गोपिया को, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से रीडर के लिये एप्रूव्ड नहीं हुआ था, बनाया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको सिलेक्ट नहीं किया तो आपको क्या अधिकार है कि जिस व्यक्ति को पब्लिक सर्विस कमीशन ने एप्रूव किया उसको नहीं लेकर दूसरे को लेते।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उनमें भी वही टैलेन्ट की बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस तरह से भीखाभाई में टेलेन्ट हैं और ज्वालाप्रसाद जी में टेलेन्ट नहीं देखा गया। भीखाभाईजी में टेलेन्ट देखा तो उनको मिनिस्टर बना दिया और ज्वालाप्रसादजी में नहीं देखा तो मिनिस्टर नहीं बनाया। मैं यह कहूंगा कि ज्वालाप्रसादजी में टेलेन्ट है भले ही उनको मन्त्री न बनाया गया है अगर बनाया जाता तो आराम से दो तीन साल में ज्यादा अच्छा काम करते। मगर हमारे यहां तो उल्टे तरीके से काम चलता है। (रिवर्स प्रोपोर्शन है)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपका बड़ा शुक्रिया जो आपने यह बात कहीं। लेकिन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। शर्मा साहब को बनाया गया है उनके लिये मैं कहूँगा कि जिनमें टेलेन्ट हो उनको प्रिन्सीपल बनाया जा सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर हमारे भीखाभाई को बनावेंगे तो शाँति से बैठ जाऊँगा, अपना भाषण भी नहीं दूंगा।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : पब्लिक सर्विस कमीशन इनको एप्रूव नहीं करेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पब्लिक सर्विस कमीशन एप्रूव नहीं करे तो भी ओफिसियेटिंग एपोइन्टमेंट कर दिया जावे।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिस व्यक्ति को रीडर के लिये रिकमन्ड किया उसको आपने रीडर नहीं लिया। और तो और एक आर० के० अग्रवाल हैं जो बहुत सीनियर हैं लेकिन हमारी सरकार उनको लेक्चरार नहीं बनाती और उनके स्थान पर एक बहुत ही जूनियर उदयपुर मेडिकल कालेज में लेक्चरार की पोस्ट के लिये जो सीनियोरिटी लिस्ट बनी है उसमें ५८३ नम्बर है और जो आर. के. अग्रवाल सीनियोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे हैं फिर भी आर. के. अग्रवाल को एपोइन्टमेंट नहीं दे कर ५८३ नम्बर पर है या ४५० नम्बर पर है उसको ओफिसियेटिंग एपोइन्टमेंट दिया गया है। डाक्टर लोग जब अपना क्लेम रिप्रेजेन्ट करते हैं तो सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि उस रिप्रेजेन्टेशन का कोई जवाब नहीं मिलता। रिप्रेजेन्टेशन की कोई सुनवाई नहीं होती। जब मंत्री जी के पास जाते हैं, सेक्रेट्री के पास जाते हैं तो उनको रिप्रेजेन्टेशन का पता तक नहीं चलता कि वे कौनसी कोटडी में पड़े रहते हैं। इतना भी नहीं कि उस रिप्रेजेन्टेशन का एकनॉलेजमेंट भी नहीं मिलता। सेन्टर में कम से कम एकनोलेजमेंट तो मिलता है। राजस्थान में चाहे आप किसी को तनख्वाह कम करें या किसी की सिनियोरिटी को मार दें और कोई रिप्रेजेन्टेशन करे तो सरकार की तरफ से इतना भी नहीं लिखा हुआ आता कि मैटर विचाराधीन है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की धांधलीबाजी लेक्चरार और रीडर्स के एपोइन्टमेंट के बारे में हो रही है उसे राजस्थान सरकार को फौरन समाप्त करना चाहिये, अगर नहीं करेंगे तो इसका नतीजा सर्विस क्लास पर बहुत बुरा पड़ेगा।

बीकानेर मेडिकल कालेज में जो हड़ताल हुई इसके बारे में बहुत बहस हुई और यह कहा गया कि बीकानेर के जो नेता है वे यदि इसमें सहयोग देते तो शायद हड़ताल का नतीजा दूसरा ही होता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि बीकानेर मेडिकल कालेज की हड़ताल सारे मेडिकल विभाग के लिये बहुत ही शर्मनाक बात है और इससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि बीकानेर मेडिकल कालेज बन्द होगा सरकार यह कहेगी कि लॉ एन्ड आर्डर को खतरा था और विद्यार्थियों में आपस में झगड़ा था इसलिये यह बन्द करनी पड़ी। स्टूडेन्टों में आपस में झगड़ा हुआ और कई विद्यार्थी हॉस्पिटल में दाखिल हुए। मगर मैं यह कहूँगा कि जिस रात की यह घटना है उस रात मेडिकल कालेज के एक ग्रुप पर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पर जो स्ट्राइकर्स थे जब नोन स्ट्राइकर्स ने हमला किया और ८ या ६ स्ट्राइकर्स घायल हो गये और उसके बाद क्लेक्टर और एस. पी. को सूचना दी गई और यह कहा गया कि हमारे पर हमला हो गया है और रोइट हो जावेगी मगर फिर भी क्लेक्टर और एस. पी. वहां देरी से जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि वहां के ओफिसियेटिंग प्रीन्सीपल के. डी. गुप्ता कहते हैं कि कोइ खास बात नहीं है। जब कि इससे पहले ही ८ विद्यार्थियों को हॉस्पिटल में भेज दिया था। आपका ओफिशियेटिंग प्रीन्सीपल कलेक्टर और एस. पी. कहते हैं कि कोई खास बात नहीं हैं तो १० या १०।। बजे पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद फिर रात को दो या २।। बजे दूसरा हमला हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब झगड़ा हुआ तो पुलिस को इन्तजाम करना चाहिये था। पुलिस को वहां पर रहना चाहिये था। यह बात स्वायत्त शासन मन्त्री कहेंगे कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं थी यह तो पुलिस की जिम्मेदारी थी। मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी सरकार की जोइन्ट रेस्पोन्सीबिलिटी है और इस कारण मैं कोई कारण नहीं देखता कि वे इस तरह से कह कर बरी हो जावे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि बीकानेर कॉलेज में दूसरा हमला दो बजे या ढाई बजे हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर है। आपने १०।। बजे या ११ बजे पुलिस को वापिस विथड्रा कर लिया अगर उस समय पुलिस को वहाँ से विथड्रा नहीं करते तो दूसरा हमला नहीं होता। दूसरा हमला जब हुआ तो वह स्ट्राइकर्स की तफर से हुआ और १७ या १८ स्टूडेन्ट हॉस्पिटल में दाखिल हुए। इस घटना से सारे लोगों को दुख हुआ। विद्यार्थी समाज में जो दूसरे लोग थे उनको भी बहुत दुख हुआ और सरकार को भी दुख है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि १० या २० लड़कों में आपस में झगड़ा हो जाता है तो उस कारण आप सारी युनिवर्सिटी को बन्द कर दें यह तो शोभाजनक नहीं है। क्या सरकार यह कह सकती है कि लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई इसलिये यूनिवर्सिटी को बन्द कर दिया इससे सरकार यह जाहिर करना चाहती है कि यहाँ सिचुएशन खराब हो जाएगी, उसके साथ-साथ यह भी मालूम होता है कि सरकार बिल्कुल निकम्मी थी और क्लेक्टर और एस० पी० भी कोई मदद नहीं कर सके।

तो मैं यह कहूंगा कि यह स्थिति स्टूडेन्टों और सरकार दोनों के लिये शोभनीय नहीं है। (बीकानेर की पार्टीज ने आपको इत्तला दी मगर किसी ने सुना नहीं) फिर भी विद्यार्थियों ने झगड़ा कर दिया तो आपको कॉलेज बन्द नहीं करनी चाहिये। यह कॉलेज अभी तक बन्द पड़ा है। आज इस कॉलेज के २० या ३० लड़कों के झगड़े के कारण बन्द करने से वहां पर दूसरे ४३० लड़के पढ़ते हैं उनका एक साल बरबाद हो जाएगा व एक साल की सिनियोरिटी मारी जाएगी और पैसों का नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी क्या स्वायत्त शासन मन्त्री अपने खुद पर लेने को तैयार हैं और अगर इस जिम्मेदारी को अपने पर लेने को तैयार नहीं तो वे कॉलेज को क्यों नहीं खोलते। इसके लिये आपके नये प्रिन्सीपल हैं उन्होंने स्टूडेन्टों कि गार्जियन्स हैं उनसे

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लिख कर मांगा है कि वे अनुशासन के तरीके से काम करेंगे ३०० के अन्डरटेकिंग्ज आपके पास आ चुकी हैं कि वे बिल्कुल अनुशासन के तरीकों से रहेंगे फिर भी आप यह नहीं बताते कि आपका यह कॉलेज कब तक खुलने वाला है। अगर यह कॉलेज दो चार रोज में नहीं खुलता है तो स्टूडेन्टों का जीवन बरबाद हो जावेगा और वे परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। यह जो हड़ताल हुई और झगड़े हुए वह सरकार की शिथिलता के कारण हुए। यदि पुलिस का इन्तजाम रहता तो इस प्रकार के झगड़े बाद में नहीं होते। जो पहले हुआ वहीं समाप्त हो जाता और इस प्रकार से स्ट्राइक नहीं होती और दुबारा नॉन-स्ट्राइकर्स पर हमला नहीं होता। इसके लिये आपने कोई व्यवस्था नहीं की और स्टूडेन्टों को आप ने आपस में लड़ने की छूट दी।

वहां के प्रो-स्ट्राइकर्स और एन्टी-स्ट्राइकर्स सरकार को गालियां देते हैं, कहते हैं कि हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि आज राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नही हैं, हमें कोटा से झालावाड़ से और जगहों से पढ़ने के लिए बुलाया गया और आज हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। वहां स्टूडेन्ट एक दूसरे की किताबें जलाते हैं, और दूसरी तरह की जलालत करते हैं, कलेक्टर, एस. डी. ओ., एस पी. कोई वहां जाता नहीं और कोई जाता है तो जाकर वापिस आ जाता है, पुलिस फोर्स को विथ्ड्रा कर लिया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एक बड़ी दुःखद घटना हुई, पर अब सरकार को चाहिये कि फौरन बीकानेर मेडिकल कालेज को खोले, जो जो अनुशासन में नहीं रहते हैं उनको भर्ती मत कीजिये, क्लासों में मत बैठने दीजिये पर उन स्टूडेन्टस को बैठाइये, एक तारीख निश्चित कर दीजिये कि फलां तारीख तक जिनके अभिभावक लिख कर दे देंगे कि उनके स्टूडेन्ट्स अनुशासन में रहेंगे, उनको तो बैठाइये। यह ४५० लड़कों के एक साल का सवाल है। इसलिए मैं इस निवेदन के साथ दूसरे पोइन्ट पर आना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर अस्पतालों की क्या स्थिति है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा।

यहां अस्पतालों की स्थिति मैंने रखी डाक्टरों के द्वारा मेडिकल रीइम्बर्समेंट के बारे में क्या हो रहा है, बड़े बड़े अधिकारी तनख्वाह से ज्यादा या अपनी तनख्वाह के बराबर मेडिकल रीइम्बर्समेंट के बिल से सरकार से रुपया ले लेते हैं, मेडिकल रीइम्बर्समेंट का नाजायज फायदा उठाते हैं। जयपुर में ऐसे डाक्टर्स का और ऐसे केमिस्ट्स का गैंग है जो फर्जी बिल्स, फर्जी मेडिशन्स वेरिफाई कर के पेश करते हैं। केमिस्ट्स का गैंग है जो फर्जी दवाइयों, फर्जी वाउचर्स बड़े बड़े अधिकारियों को सप्लाई करता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के पास शिकायतें पेश गईं, और राजस्थान सरकार ने कुछ डाक्टर्स और केमिस्ट्स के लिये आदेश निकाला कि तीन चार महीने तक वे बिल वेरिफाई नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने फर्जी बिल वेरिफाई किये हैं। जब फर्जी बिल वेरिफाई किये हैं तो सरकार ने उनके लिये यही हुक्म क्यों दिया कि तीन चार महीने तक बिल वेरि-फाई करने का उनको अधिकार नहीं होगा, इसके लिये उनको दूसरी सख्त सजा क्यों

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नहीं दी गई, दूसरी सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? अब फिर उनको वेरिफाई करने के अधिकार दे दिये हैं, वे आज भी बिल्स का वेरिफिकेशन करते हैं। नाजायज रूप से अधिकारी सरकारी खजाने से रुपया ले रहे हैं, पर हमारी सरकार को इन चीजों की रोक के लिये, इन चीजों को चैक करने के लिये फुर्सत नहीं है।

डाइरेक्टर पोस्ट्स एण्ड टेलिग्राफ्स के यहां एक बड़ी अजीब घटना हुई। यहां के पोस्ट्स एण्ड टेलिग्राफ्स के लिये जितना साल भर का मेडिकल के लिये बजट रखा हुआ था, जितना प्रावधान रखा हुआ था वह सब तीन महीनों में ही उठा लिया गया। डाइरेक्टर जनरल ने पूछा कि क्या जयपुर में कोई एपिडेमिक फैल गया है, तो उनको सूचना दी गई कि जयपुर में एपिडेमिक कोई नहीं फैला है पर यहां फर्जी डॉक्टर्स और फर्जी केमिस्ट्स का गिरोह बन गया है। पोस्ट एण्ड टेलिग्राफ ने हमारे डायरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ को कहा कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करिये, ये पुलन्दे हैं, इनकी जांच करा कर कार्यवाही कीजिये। लेकिन डायरेक्टर साहब ने यह सब करने से रिफ्यूज कर दिया। इसके बावजूद भी सरकार ने दस बारह का लाइसेंस सस्पेन्ड किया।

(१०.५५ म० पू०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभा-नेत्री, पदासीन)

पर फिर से उन्हें वेरिफाई करने के लिये ऑथोराइज कर दिया गया है। इस तरह का जो गैंग है जो फर्जी बिल्स और फर्जी वाउचर्स दे कर सरकार के खजाने से लाखों रुपया निकलवाता है इसके खिलाफ कार्यवाही करने को सरकार को फुर्सत नहीं है। ड्रग लाइसेंसिंग ऑथोरिटीज उन सारे रेकर्ड्स की जांच नहीं करना चाहती। इस प्रकार की फर्जी कार्यवाहियां करके जो लोग सरकार को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लाइसेंस एक दफा के सस्पेन्ड करने के बाद फिर बहाल कर देती है। इस प्रकार मेडिकल रिएम्बर्समेंट के नाम पर सरकार के खजाने को लूटा जा रहा है और इस सम्बन्ध में सरकार या मेडिकल डिपार्टमेंट कोई सक्षम कदम नहीं उठा पा रहे हैं।

आपके द्वारा जो स्टोर्स की परचेजेज की जाती हैं, सारे राजस्थान के लिये जो खरीद की जाती हैं इसमें भी घोटाले किस प्रकार के हैं, इस सम्बन्ध में मैं पूरे तथ्य सदन के समक्ष रखता यदि मेरे पास पूरा समय होता तो। राजस्थान में स्टोर परचेज कमेटी बनती है। उसके कोई सिद्धांत नहीं हैं कि कौन चैयरमैन होगा। यह कोई निश्चित नहीं जब वांचू साहब डायरेक्टर थे तो मेहता साहब थे, जब मेहता साहब आये तो ओझा साहब हैं। कभी तो आने वाला चैयरमैन बन जाय और कभी जाने वाला।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसका चैयरमैन डाइरेक्टर होगा, यह नियम है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो इससे जाहिर होता हैं कि सरकार को अपने कुछ आदमियों पर भरोसा है और कुछ पर भरोसा नहीं है। तो इस पर भी निश्चित पॉलिसी होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No. 82

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पब्लिक हैल्थ की डिमाण्ड पर मेरी पार्टी के और कोई सदस्य बोलने वाले नहीं हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आपको २५ मिनिट हो गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पब्लिक हैल्थ की डिमान्ड में पीने के पानी के लिये २० लाख का प्रावधान रखा गया है जो बिलकुल कम है। और यह इस बात की ओर संकेत करता है कि राजस्थान के मेडिकल मिनिस्टर का, हैल्थ मिनिस्टर की केबिनेट में कोई वॉयस नहीं हैं। हमारे हैल्थ मिनिस्टर बिलकुल अयोग्य हैं। जब कि भारत सरकार ने १२ करोड़ रुपया इस पर खर्च करने के लिये कहा वहां इसके लिये बजट प्रावधान केवल २० लाख का रखा गया है, उसमें से ७ लाख रुपया तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेण्डीचर है पानी पर तो सिर्फ १३ लाख ही खर्च किया जायगा। १३ करोड़ की मांग और प्रावधान रखा जाय १३ लाख का, प्रावधान रखें १३ लाख का। तो क्या यह सरकार चाहती है कि हम उसे १०० साल तक राज करने की छूट दे दें कि वह प्रत्येक वर्ष में १३ लाख खर्च करती रहे ? राजस्थान की जनता पीने के पानी की समस्या के लिये १०० वर्ष देने को तैयार नहीं है। आपकी बात केबिनेट नहीं मानती है तो आप इस्तीफा देकर बाहर आ जाइये वर्ना गांवों के पीने के पानी की समस्या को हल कीजिये। रूरल वाटर सप्लाई की जो स्कीम है योजना के अनुसार उस कार्य को पूरा करने के लिये इस साल ७० लाख रुपया चाहिये पर आपके पास १३ लाख हैं और उसका नतीजा यह है कि आप पानी का इन्तजाम नहीं कर सकते। तो आपकी इस अयोग्यता को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। राजस्थान नहर का एक करोड़ का प्रावधान काट दीजिये और राजस्थान के गांवों में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये यह १ करोड़ रुपया लगाइये। एक करोड़ रुपया आप देंगे तो भारत सरकार आपको एक करोड़ की एड देगी। इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री ने हाउस को गलत सूचना दी थी कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया एड नहीं देती है। मैंने पूछा है, गवर्नमेंट आफ इन्डिया पीने के पानी के लिये ५० पर्सेंट एड देती है। श्री हरिश्चन्द्र माथुर को जो उत्तर सुशीला नैयर ने दिया, उसकी प्रति मेरे पास है। उन्होंने साफ कहा है कि हमने १३ करोड़ का कहा, पर राजस्थान ने २० लाख ही रखा है।

जिन-जिन गांवों में आपने स्कीम्स को शुरू किया।

(११.०० म. पू.)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जसापुर में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम को हाथ में लिया। वहां के जो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं उन्होंने सिफारिश की, राइटिंग में सिफारिश की····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके बावजूद सरकार ने नए कुए नहीं बनाए। वहां जो स्कीम चल रही है उसमें पंचायत की कोई राय नहीं ली।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जहां भी आपने स्कीम शुरू कर दी है····

श्रीमती सभानेत्री : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : १९६४–६५ में जो मेडिकल डिपार्टमेंट का बजट प्रस्तुत हुआ है उस संबंध में आगे कुछ कहूं उससे पहले मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन चाहूँगा कि आज राजस्थान की जितनी विकास योजनाएं हैं उन योजनाओं के सम्बन्ध में या उपलब्धियों के सम्बन्ध में, महंगाई के सम्बन्ध में जब कोई चर्चा की जाती है तो राज्य सरकार एक बात कहती है कि हमारे राजस्थान की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है। यह बढ़ती हुई आबादी आज राजस्थान की ही नहीं है परन्तु हिन्दुस्तान की भारी समस्या है। इसे रोकने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दलील देते हैं कि इस हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोका तो हिंदुस्तान के सामने बड़ी भारी कठिनाई पैदा हो जायगी। राजस्थान के अंदर भी इस प्रकार का अभियान सरकार ने चलाया है परिवार नियोजन के नाम से जिससे कि बढ़ती हुई आबादी को रोका जाय। लेकिन सभापति महोदया यह सारा परिवार-नियोजन का कार्यक्रम राजस्थान के अन्दर असफल हुआ है। पिछली बार जब इस सदन में विचार हुआ था और उस समय परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में लोगों ने अपने विचार रखे थे। तीन साल पहले उस समय और इस समय जो स्वास्थ्य मन्त्री महोदय हैं उन्होंने इसी सदन में खड़े होकर दलील के रूप में कहा था कि सरकार परिवार-नियोजन के प्रति जागरुक है और उदाहरण के लिए उन्होंने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया और यह कहा कि देखिए हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो डाइरेक्टर हैं वह शादीशुदा नहीं हैं, मैं स्वयं शादीशुदा नहीं हूं। डाइरेक्टर साहब तो अपनी बात पर अड़े रहे परन्तु मंत्री महोदय की बात नहीं रही, फिसल गए। आज आप दूसरों को उपदेश देते हैं "पर उपदेश कुशल बहुतेरे"। आज आपके १८ मंत्री हैं। आपने अंदाजा लगाया है कि आप दुनियां को तो उपदेश देते हैं, दुनियां में प्रचार करते हैं, तो आप भी कुछ कम बच्चे पैदा करें। मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके जो केबीनेट कलीग्स हैं और उप-मंत्री हैं, उनके आंकड़े इकट्ठे किए कि १८ मंत्रियों में से कितनों ने स्टेरीलाइजेशन करवाए ? एक ही ऐसा है बाकी १७ ऐसे ही बैठे रहे। यह बात सही है कि यह दलील स्वास्थ्य मंत्री पर लागू नहीं होती क्योंकि वह अभी तक उस परिधि से दूर हैं। आज आप दूसरों से कहते हैं कि तीन से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, कभी इन मंत्रियों के आंकड़े इकट्ठे किए कि इनमें टाप पर लीडर कौन है ? यह बात सही है कि बच्चों कि गिनती में मुख्य मंत्रीजी टाप करेंगे। एक मंत्रीजी हैं श्री नाथूराम मिर्धा उनके ४ बच्चे, श्री मथुरा दास माथुर के ६ बच्चे श्रीमती कमला के ५ बच्चे और उपमंत्री श्रीमान् दौलतराम सारण के ८ बच्चे, सुखाड़ियाजी के ७ और श्री भीखाभाई का झगड़ा चल रहा है कि ७ हैं या ८ हैं, पता नहीं।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : आपके कितने बच्चे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे तो तीन हैं, आपके और दूसरे मिलाकर बढ़ते जा रहे हैं।

श्री चंदनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : आपके नेताजी के कितने बच्चे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप मानकर चलिए कि हमारे नेताजी हालांकि परिवार-नियोजन को दलील नहीं रखते फिर भी वह आपकी तरह नहीं हैं कि वे दूसरों को उपदेश दें और खुद नहीं करें। डाइरेक्टर को कुंआरा रख दिया और मंत्री महोदय ने शादी कर ली।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : आपने उन बच्चों की तादाद तो नहीं बताई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका करेन्ट अकाऊंट चालू है।

श्री चन्दनमल बैद : श्री दौलतराम के ८ बच्चे नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : श्री दौलतराम के दो-दो बच्चे होते हैं एक की जगह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको शायद मालूम नहीं कि आप में ऐसे भी मंत्री हैं कि हमारे जैसे और हमारे नेताजी को तो एक-एक होता है और आपके मंत्री एक साथ दो-दो पैदा करते हैं।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : यह तो क्षमता का सवाल है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : श्री दौलत राम ने क्षमता का सवाल कह कर स्वास्थ्य मंत्री को सर्टीफिकेट दे दिया कि उनमें कोई क्षमता नहीं है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार ने इस मेडिकल के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, पब्लिक हैल्थ के संबंध में, जो इस सदन में बजट प्रस्तुत किया, वह राजस्थान की गरीब जनता के सामने जो बड़ा मसला है, बीमारियों का, दवाइयों का, चिकित्सा का, तो क्या आज बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में राजस्थान के अन्दर चिकित्सा की व्यवस्था सरकार ने बढ़ाई है ? मुझे कहना पड़ेगा कि राजस्थान के अन्दर केवल ४॥ करोड़ की ज्यादा व्यवस्था रखी है वह राजस्थान की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। राजस्थान के अन्दर मलेरिया जैसी चीजें, ट्रकोमा जैसी बीमारियों, ऐसे प्रकार की बीमारियां आज हर गांव में मौजूद हैं और हजारों लाखों प्राणी इस प्रकार से पीड़ित हैं। राजस्थान का चिकित्सा विभाग इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। आज राजस्थान के अन्दर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए दवा नहीं मिलेगी जो कामन यूज की मेडिसिन्स हैं, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में तो क्या, किसी भी अस्पताल में जाइए तो आपको अनुभव होगा। यह हो सकता है कि जिनका जोर होगा, जिनकी ताकत होगी, उनको अच्छी दवा भी मिलेगी, एक्सरे भी किया जायगा लेकिन आज गरीब आदमी अस्पतालों में जायं तो मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का प्रिसक्रिपशन गरीबों को देते हैं और उनसे कहा जाता है कि दवाई बाहर से ले आओ। दुर्भाग्य से मरीज भरती होता है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कोई अटेंड नहीं करता और दवाई बाहर से आएगी। दो घटे तक दवाई न आए तो मरीज ही मर जाता है। इस तरह से हम राजस्थान की जनता से खिलवाड़ करना चाहते हैं। अस्पतालों में कॉमन यूज की मेडिसिन्स एस्प्रिन, सोडा सिलीकान, कोरामाइन, मारफिया, सल्फा ड्रग्स, निसिलिन ये सब जनता के उपयोग की चीजें हो सकती हैं लेकिन हमारी अस्पतालों में मोजूद नहीं हैं। आप कॉस्टली दवाइयां खरीदते हैं लेकिन गरीबों को नहीं दी जातीं। आप अस्पतालों पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, बिल्डिंग पर, इक्विपमेंट पर। रिफ्रीजरेटर्स और कूलर्स लाकर खड़े कर दिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कभी इस इस बात की जांच की है कि जो रिफ्रीजरेटर्स, कूलर्स दवाइयां रखने के लिए बने हुए हैं जिनमें दवाइयां रखी जाती हैं जिससे दवाइयां सुरक्षित रहें, समय पर लोगों को मिल जायं। आपने कभी इस बात की जांच की है कि ये रिफ्रीजरेटर्स और कूलर्स अस्पताल में मौजूद हैं या डाक्टरों के घरों पर रखे हुए हैं? कितने लोगों के काम आते हैं? आपने सवाई मानसिंह अस्पताल की हाजिरी देखी है? वहां ४५० मीनियल स्टाफ के आदमी बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अभी सी. आइ. डी. के आदमी वहां भेज दें, आज वहां पर जाकर देखें तो पता चलेगा कि अस्पतालों के रिफ्रीजरेटर्स और कूलर्स लोगों के घरों पर रखे हुए हैं।

आज अस्पताल में हालत खराब है। कोई देखने वाला नहीं। हजारों आदमी स्टाफ के हैं। वार्ड ब्वॉयज रजिस्टर में डयूटी पर लगा रखे हैं, लेकिन एक्चुअली वे डयूटी पर हैं नहीं। लोगों के घरों पर जाकर देखिये, वे वहां काम करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी इसी सदन से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ऐसी व्यवस्था करें कि इसकी जांच करायें। आपको मालूम हो जायगा कि ४५० आदमी मीनियल स्टाफ के दिखाये गये हैं, कोई सेक्रेटरी के मकान पर, कोई डिप्टी सेक्रेटरी के मकान पर कोई असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के मकान पर है। यह होता है। मैं नाम नहीं बताना चाहता। हाजरी दफ्तर में दर्ज है लेकिन लोगों के घरों पर काम करते हैं। हाजरी अस्पताल में दर्ज है, लोगों के घरों पर काम करते हैं। आपने इन्क्वायरी कराने की कोशिश नहीं की। आपने जानने की कोशिश नहीं की। आज चाहे मास्टर रॉल का सवाल हो, चाहे रिफ्रीजेरेटर्स का सवाल हो, लोगों के घरों पर रखे हों, इसकी सरकार को कोई चिन्ता नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मैंने शुरु ही किया है। दस मिनिट हुए हैं।

तो सभापति महोदया मैं निवेदन कर रहा था कि यह अस्पतालों की हालत है।

आपने रिएम्बर्समेन्ट की व्यवस्था की है। आपको इसके सम्बन्ध में गम्भीरता से जांच करना चाहिये। लाखों का बजट गलत तरीके से लोग ले जाते हैं। लोग फर्जी बिल बना लेते हैं। लोगों ने फर्जी कम्पनियां बना रखी हैं, फर्जी वाउचर्स दुकानों के बना रखे हैं, काउन्टर वाउचर्स बना रखे हैं, बिशेष तौर से इस प्रकार काउन्टर सिग्नेचर, वाउचर्स बना रखे हैं और बिल बन जाते हैं, डॉक्टरों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से तस्दीक करा लेते हैं और पास करा लिये जाते हैं। शिकायतें की जाती हैं तो आपने थोड़े दिनों के लिए सस्पेन्शन कर दिया लेकिन फिर रिएम्बर्समेन्ट को आथोरिटी की इजाजत दे देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन डॉक्टरर्स की रिएम्बर्समेन्ट की आथोरिटी को खत्म कर दी उनके खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की ? आपने फिर से उनको रिआथोराइज क्यों कर दिया ? किस प्रकार कर दिया इतना ही नहीं सभापति महोदया, जयपुर में एक व्यक्ति है। नाम मैं नहीं लेना चाहता। डॉक्टर के दस्तखतों की मोहर बना ली और हजारों लाखों रुपयों का पेमेन्ट करा लिया। लेकिन मंत्री महोदय को कोई जानकारी नहीं। आप पूछेंगे कि कौनसा उदाहरण है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। मेयो डिस्पेन्सरी का है।

आपने निर्णय ले लिया। आपको यह जानकारी नहीं है कि बी० सी० जी० का मतलब क्या हैं ? सरकार लाखों रुपया इस पर खर्च करती है। आपको इसका मतलब मालूम नहीं है। आपको मतलब मालूम है बी० सी० जी० का तो बतायें ? आपको मालूम नहीं है इसका मतलब क्या होता है ? आप क्या पूछते हैं दोलतराम जी से ?

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री) : अगर यह सिलसिला हो तो आपके इम्तिहान का जवाब दे दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जरा खड़े होकर तो बता दें कि बी० सीं० जी० का क्या मतलब होता है ?

(विराम)

बताओ, चुप क्यों बैठे हो ?

श्री बरकतुल्ला खां : ट्युबर क्युलोसिस को कन्ट्रोल करने के लिए जो वेक्सिनेशन होता हैं उसको बी० सी० जी० कहते है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो एब्रोवियेशन के रूप में उसका अर्थ बतायें। बी० सी० जी० इसका क्या मतलब होता हैं ? जिस प्रकार एब्रोवियेशन हैं 'एच एस' इसका माने है ऑनरेबल स्पीकर। इसी प्रकार आप बताइये कि बी० सी० जी० का क्या मतलब होता है ?

(विराम)

उधर क्या देखते हैं ? इतनी जल्दी चिट नहीं आ सकती।

श्री बरकतुल्ला खां : आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से मतलब है ? इतनी टेक्नीकल टर्म्स हैं कि क्या सही कहा जाय। बी० सी० जी० का मतलब है टी. बी. को कन्ट्रोल करने के लिए जो वेक्सिनेशन दिया जाता है उसको कहते हैं। और क्या कहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके हिसाब से शायद बी० सी० जी० बर्थ कन्ट्रोल की गारन्टी है, लेकिन बी० सीं० जी० का मतलब यह नहीं है। आप बी. सी. जी. का अर्थ नहीं जानते।

रिइम्बर्समेन्ट के मामले में जांच करानी चाहिये थी किस प्रकार इस में कॉन्स्पीरेसी है। फर्म और उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज के साथ किन-किन की किस-किस प्रकार से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कॉम्स्पिरेसी है। गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के बिल आये, कितने बिल आये, कभी जांच नहीं, किस फर्म के आये, जांच नहीं, कितने २ और किस प्रकार से प्रेस्क्रिप्शन्स थे यह जांच करायी नहीं, एक ही कम्पनी की दवाओं के प्रेस्क्रिप्शन्स आये उसकी जांच की नहीं। डॉक्टर के दस्तखतों की सील मोहर लगायी और बिल बनाये और वही कम्पनी की दवायों लाखों रुपया इस प्रकार से उठा लिया गया। आपने इन सब की कोई जांच नहीं कराई। आप इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बिठायें जो इस बात की जांच करे कि जयपुर में रिएम्बर्समेन्ट के बिल किन-किन डॉक्टर्स के हैं, उन्होने एक ही कम्पनी की दवाओं के बिल कितने किये हैं ? क्या दूसरी कम्पनीं के नहीं हैं ? सारी बातों की जांच करें। क्या दस्तखत फर्जी कराये गये हैं ? आपने ऑथोरिटी सस्पेन्ड कर दी। फिर उसको ऑथोरिटी दे दी। ताज्जुब की बात तो यह है कि आठ-आठ वर्ष से ही डॉक्टर्स जमे बैठे हैं। तीन वर्ष में ट्रान्सफर कर देना चाहिये। लेकिन नहीं करते। छः महीने में, तीन महीने आप मिड वाइव्ज वगैरा का ट्रान्स्फर कर देते हैं। इधर-उधर वे चक्कर काटती रहती हैं। जयपुर में रहने वाले डाक्टर इस डिस्पेन्सरी से उस डिस्पेन्सरी में चले जांय। उनको वहां से ट्रान्सफर करना नही चाहते। समयाभाव के कारण में इस और अधिक नहीं कह सकता। मैं निवेदन अधिक इस ओर नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपके रिएम्बर्समेंट के मामले में बड़ा भारी स्केन्डल है, जिसमें सरकार का लाखों रुपया बर्बाद होता है। आप देखिये कि गरीबों को नहीं मिलता है। आप को कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। इस लिए आप रिएम्बेर्समेन्ट के बजाय २०) ३०) का मेडिकल अलाउन्स कर दीजिये जिससे इस प्रकार का स्केन्डल न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

डॉक्टर के एरीयर्स का सवाल है असेम्बली में यह कई बार सवाल खड़ा किया गया है। डॉक्टर्स की राजस्थान में कमी है। आपने उनकी तनख्वाह के बकाया के सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया, आपने उनके एरीयर्स की बकाया के सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया। अगर आपकी बकाया हो तो आपको घर में नहीं घुसने देगे। डाक्टर्स की बकाया है वे कहां जांय। किसके पास मांगने के लिए जांय ? चेयरमेन महोदया इस सम्बन्ध में वे कार्यवाही करें। जल्दी से जल्दी इसको निपटायें :

बीकानेर मेडिकल कॉलेज का झगड़ा उठाया। हड़ताल हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

खतम ही कर रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : Be brief.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, जिन्होंने मेडिकल कालेज बीकानेर का झगड़ा उठवाया, विद्यार्थियों को इन्स्टीगेट किया, यह सब प्रकट हो गया है रिपोर्ट से हड़ताल हुई बीकानेर में, उन्हीं डॉक्टर साहब को यहां जयपुर में लाकर ट्रान्सफर कर दिया। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस डॉक्टर को यहां क्यों लाये ? उस हालत में जब कि आपके डिपार्टमेन्ट को यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सभी पता लग चुका था कि इन्होंने बीकानेर की हड़ताल करवायी। हड़ताल को इन्स्टीगेट किया। बीकानेर के हड़ताली विद्यार्थियों को इन्स्टीगेट किया हड़ताल पर जाने के लिये, ऐसा हेड ग्रॉफ दी डिपार्टमेन्ट सेक्रेटरी का नोट मौजूद है। फिर ग्रापने ऐसे ग्रादमी को, मैं डॉ० बनर्जी की बात कह रहा हूं, बीकानेर से लाकर जयपुर में क्यों रख दिया ? सदन को यह जानकर ताज्जुब होगा कि एक तरफ तो हड़तालियों को भड़काना, उसको उठाकर जयपुर में लाकर रख देना। यह वही डॉक्टर बनर्जी है जिसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेन्ट ने सर्विस से निकाल दिया था। उनका वेस्ट बंगाल गवर्नमेन्ट ने फरवरी, १९५९ में निकाला ग्रौर उसको ग्रापने फरवरी १९५९ में नौकरी दे दी। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जिसको निकाल दे सर्विस से, जिसको सर्विस से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेन्ट रिमूव कर दे इस ग्राधार पर कि उसने फाल्स टी. ए. बिल चार्ज किया उसको ग्रापकी राजस्थान सरकार सर्विस में रख ले। ग्रापकी सिलेक्शन कमेटी है। मैं डॉ० बनर्जी से रिलेट करने वाला पोर्शन पढ़ कर सुनाता हूं :

"He has been recently removed from service...... on two charges."

फर्स्ट चार्ज की मैं बता नहीं सकता।

"The second charge was that in two of his T. A. bills, he claimed and got the amount for the distances which to some extent overlapped. The journeys were performed in 1953 and the bills were presented to different authorities.........In respect of the second charge he has been found guilty."

जिस डॉक्टर बनर्जी को वेस्ट बंगाल गवर्नमेन्ट ने फरवरी, १९५९ में चार्ज लगा कर निकाल दिया, उसको राजस्थान सरकार ने फरवरी, १९५९ में ही रख लिया अपनी सर्विस में। किसकी चिट्ठी लाया, किसकी सिफारिश लाया, किससे उसने कहलवाया ? बी०सी० राय की वेस्ट बंगाल की सरकार ने फरवरी, १९५९ को सर्विस से निकाल दिया। फाल्स टी०ए० बिल चार्ज किया इस कारण सर्विस से निकाल दिया। ग्रापने उसको ग्रपनी सर्विस में रख लिया। यह कोई धर्मशाला है ? यह कोई सराया है कि दुनिया भर ....

(शेम, शेम की ग्रावाज)

के निकाले हुए ग्रादमी को राजस्थान में भरती करते चले जायं। सभापति महोदया, यह कोई बीकानेर मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है, कोई जयपुर के मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है, उदयपुर कॉलेज की बात नहीं है। सारे राजस्थान की हायर एजुकेशन को इस प्रकार से पॉइजन किया जा रहा है जो हमारी सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है। इससे हमारे राजस्थान को बड़ा भारी नुकसान होगा। हमारा लाखों–करोड़ों रुपया बेकार चला जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह रेफर किया उसको टेबल पर रख दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर सरकार के पास नहीं हुआ तो दे दूंगा।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। प्रो० भारद्वाज की बात आयी। हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट की बात बताता हूँ।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मन्त्री) : सभापति महोदया, इनका अपॉइन्टमेन्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ है। चार-पांच साल पहिले हुआ था। यह इनफोरमेशन आप दे रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है राजस्थान गवर्नमेन्ट के पास नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन के बिना सिलेक्शन नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके लिये सिलेक्शन कमेटी बनायी थी उसकी रिपोर्ट है– 'Report of the Selection Committe appointed vide' Government of Rajasthan Order No. F. 14 (2) MPH/59/Plan dated 23. 2. 59 to make seletion of teachers of S. P. Medical College, Bikaner."

श्री बरकतुल्ला खां : सिलेक्शन कमेटी में पब्लिक सर्विस कमीशन का रिप्रेजेन्टेटिव होता है उसी की राय से यह होता है। जो रिपोर्ट आपने पढ़ी है। वह सदन की मेज पर रख दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास नहीं है। तो मैं रख दूंगा। इसके बारे में केबीनेट मीटिंग हुई। उसके सामने एक मीमो पुटअप होता है। उस मीमो में लिखा है, "There is no direct proof of Dr. Banerjee, Professor of Physiology of his being involved in the strike, but the reports of the police and the information that has been received from time to time and subsequent actions of Dr. Benerjee do give impression that Dr Banerjee, to say the least, has sympathy with the strikers and gave his blessings indirectly. As per orders of the Health Minister, he has been transferred from Bikaner."

यह आपकी केबीनेट का मेमो है। आप ने क्या किया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : सन्तोष नहीं किया गया है। कम्पनेन्ट के ऊपर ही किसी को निकाला नहीं जाता है। उसकी इन्क्वायरी होती है। बीकानेर कॉलेज के स्टाफ के बारे में यह आक्षेप था कि ये सिच्युएशन खराब कर रहे हैं इसलिये इनको वहां से हटाकर जयपुर लाया गया है। इसके बारे में फरदर इन्क्वायरी करने का सवाल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा काम तो तथ्य रखने का है। टी० पी० भारद्वाज के बारे में सवाल खड़ा हुआ आपको यह भी मालूम है कि इन्हीं भारद्वाज द्वारा जो पेथोलोजी विभाग के हैड हैं एक माइक्रोस्कोप गायब है।

श्री बरकतुल्ला खां : माइक्रोस्कोप की इन्क्वायरी की गई। इसके अलावा उनके लिये यह सवाल किया गया कि केन्सर कान्फ्रेन्स में उनको प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था या नहीं। उस समय मेरे पास सूचना नहीं थी। उसकी इन्क्वायरी की गई तो मालूम हुआ कि इनको डेलीगेट बनाकर नॉमीनेट किया गया था। उसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में भी जांच की गई। इस पर इन्डीविज्युअल रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की गई। ये हैड ऑफ दी

(श्री बरकतुल्ला खां)

डिपार्टमेन्ट थे। इसलिए यह इन्हीं पर ग्रायद होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राप तो पुराने माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। कल ही पांच हजार का माइक्रोटोम गायब हुग्रा है, उनका कह रहा हूँ।

श्री बरकतुल्ला खां : हमारे पास तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्रापको फुरसत कहां है ?

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे जब सूचना मिलेगी तभी तो जानकारी करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे ग्राप से यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुग्रा है। माइक्रोटोम नारायण मिस्त्री को मरम्मत के लिए दिया गया। २२-१०-६३ को दिया गया। उसने मरम्मत कर उसको लौटा दिया। उसके लिये हैड ग्रॉफ दी डिपार्टमेंन्ट से रसीद ले ली। प्रिन्सीपल ने उसकी रसीद दे दी। माइक्रोटोम जो पांच हजार की कीमत का है उसके बारे में सारे स्टाफ ने डिक्लेरेशन दिया है वह मैं पढ़कर सुनाता हूँ !

"As per verbal instructions of the Principal, S M. S. Medical College, a thorough search was made of the missing Microtome model A-20, but it could not be traced any where except in the room of Professor which was sealed by the Principal at 9 A. M. on 21. 3. 1964."

श्री बरकतुल्ला खां : जिस रोज माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था उसी रोज मैंने प्रिन्सिपल महोदय को बुलाया ग्रौर उन से डिटेल्स में जानकारी ली कि इस तरह का ग्रारोप लगाया गया है, ग्रतः इसकी जांच करनी चाहिए। ग्रापने जिस सिरीयसनेस से यह मामला रखा था उसी सिरीयसनेस से मैंने उसकी जानकारी की.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं ग्राज माइक्रोटोम की बात कर रहा हूँ। ग्राप माइक्रोस्कोप ग्रौर माइक्रोटाम में डिफरेन्स समझिए।

श्री बरकतुल्ला खां : यह तो मैं भी जानता हूँ। इसमें डिफेरेन्स है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिफरेन्स केवल स्पेलिंग का ही नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : ग्राप ही जैसे स्कूल मास्टर हो गये ग्रौर ग्रापने मुझे छात्र समझ लिया। इतना तो मैं भी जानता हूँ। उस वक्त ग्रापने जिस सिरीयसनेस से ग्रारोप लगाये थे मैंने प्रिन्सीपल को बुलाया ग्रौर तमाम बातों की जानकारी करने लिये कहा ....

श्रीमती सभानेत्री : ग्राप समय से काफी बोल चुके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राजकल जो दवाइयां बाजारों में बिक रही हैं वे काफी मात्रा में नकली दवाइयां है। जहां तक इन्जेक्शन का सवाल है ऐसी शीशियां जो खाली ग्रस्पताल में पड़ी रहती हैं उन्हीं में वापिस इन्जेक्शन बन्द करके भेज दी जाती है। इनसुलीन का इन्जेक्शन जिसकी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

खाली शीशियां इक्ट्ठी कर ली जाती हैं और वह बजार में आ जाती हैं। उसी में वापिस कोई अन्य दवाई भर कर बेची जाती हैं। मरीज तो सोचते हैं हमने वह इंजेक्शन लगवाया लेकिन असर नहीं हुआ। असर हो हो कैसे ? उसमें वह दवा होती ही नहीं है। मैं कुछ दवाइयां साथ में लाया हूँ जो ये सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। यह दवा लाइसिन १२ ड्रोप्स है जो बच्चों के लिए है। इसके अन्दर फुंगस लगा हुआ है। जो बच्चों के पीते ही खत्म हो जाने का अन्देशा है। गरीब बच्चे जो तन्दुरूस्त होने के लिये दवा लेते हैं वे यह नहीं समझते कि इसके लेने से मौत आ जायगी।

दूसरी शीशी है बायोक्लीन ग्रेनुएल्स ड्राई सीरप। इसमें पानी मिलाया जाता है। पानी मिलावे किसमें इसमें तो कांच पीसा हुआ है......

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक इस शीशी का सवाल है इसके बारे में आलरेडी एक्शन ले लिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका एसोसियेशन लिखता है तब जाकर आप एक्शन लेते है आप और आपका विभाग क्या करता हैं ? आपके लिये यह शोभा नहीं देता है। आप चाहे एज्युकेशन का प्लान कम करिये, और दूसरा बजट कम कर दीजिये लेकिन गरीब जनता को इस प्रकार की दवाइयां तो मत खिलाइये ताकि वे सीधे मौत के मुंह में चले जावें। जनता के स्वास्थ्य के साथ जो आपका विभाग खिलावड़ कर रहा है वह सहन नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री महोदय अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो जिस तरह से दो साहब को इस्तीफा देना पड़ा है कहीं आपको देना न पड़ जाय। अन्य सब चीजों की अपेक्षा स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत जरूरी है। आप इस ओर जरा ध्यान करिये।

अलवर में मंहगाई के खिलाफ हड़ताल चलती है, जलसे निकलते है। समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि सब कहती हैं कि यहां जो प्रसूतिगृह है उसको बाहर ले जाइये, जनाना अस्पताल को मत ले जाइये। लेकिन आप किसी को मानते नहीं हैं। दो करोड़ जनता का सवाल है दवाइयों में जो इस प्रकार से जहर पिलाये जा रहे हैं इस ओर ध्यान दीजिये।

वाटर वर्क्स में गड़बड़ियां हैं उनको दुरूस्त करिये। सभानेत्री जी बार बार घंटी बजा रही हैं इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, ये दवाइयां जो है वे सदन की मेज पर रखता हूँ। इस बारे में आप उचित कार्यवाही करें।

जयपुर में आज भी सैकन्ड स्टोरी पर पानी नहीं चढ़ता है एक करोड़ का खर्चा कर दिया, लेकिन अभी तक पानी की सुविधा नहीं है। इन शब्दोंके साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : सभापति महोदया, १७ साल के इस दीर्घकाल में भी हमारी राजस्थान की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पीने का पानी सब लोगों को अभी तक मुहैय्या नहीं कर पाई है इसके लिए मेरा कटौती का प्रस्ताव है। इस वर्ष के बजट में रूरल वाटर सप्लाई के लिए सिर्फ २० लाख रुपये का प्रावधान है। इस २० लाख रुपये के प्रावधान को देखते हुए और

Page No. 92

(श्रीमती सुमित्रा)

यहां के गांवों की जनता की संख्या को देखते हुए यह १५ न० पं० औसत भी नहीं पड़ता है। मुझे इस बात से एतराज नहीं है कि शहरों के लोगों को उनके नहाने के स्थान पर, उनके रसोई बनाने के स्थान पर तथा और कहीं भी जहाँ वे चाहें उनको पानी मुहैय्या किया जाये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांवों के लोग अभी तक इस बात से परेशान हैं कि इस अकाल की अवस्था में लोगों को मीलों दूर तक पानी के लिए भटकना पड़ता है, पानी के लिए तड़पना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि कला और संस्कृति हमारे भारतीय जीवन का एक अंग है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और मैं यह भी मानती हूँ कि मनुष्य को अपने अवकाश के क्षण रवीन्द्र मंच के रंगमंच पर किसी नाज़नीन के पायलों की झनकार में अपने अवसादों को भुलाने का अधिकार है तो सही लेकिन तब जब हम पानी की तृष्णा से तड़पते हुए और व्याकुल होते हुए इन्सानों की तृष्णा को बुझा सकें, उसके बाद ही हमें यह अधिकार है। एक तरफ रवीन्द्र मंच के निर्माण पर १२ लाख रुपये खर्च किये गये हैं और दूसरी तरफ गांवों में रहने वाली १ करोड़ से ज्यादा जनता के पानी पीने के लिए हमने सिर्फ २० लाख रुपये का प्रावधान रखा है यह मेरी समझ में क्या हमारी लोक कल्याणकारी सरकार है ? तथा उसका जो लोक कल्याणकारी राज्य का दावा है यह उसके लिए शोभनीय बात नहीं है।

सभापति महोदया, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हमारे बालकों के खेल-कूद के लिए स्थान होने चाहिएं और इस बात के लिए उनको अधिक से अधिक इस तरह के साधन जुटाये जाने चाहिए, मैं इसके लिए मना नहीं करती। जयपुर शहर में एक तरफ स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए २० लाख से भी अधिक रुपयों का प्रावधान किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत अधिक आवश्यकता हैं लेकिन एक तरफ हमारे राजस्थान की ग्रामीण जनता प्यासी तड़पती है, पीने का पानी और वह भी खारा पानी लेने के लिए उसको मीलों दूर जाना पड़ता है और दूसरी तरफ हम एक ऐसी चीज जिसको दो साल बाद भी कर सकते थे, पांच साल बाद भी कर सकते थे उसके ऊपर २० लाख रुपया खर्च करते हैं, मेरी समझ में ऐसा करने से पहले हमारी राज्य सरकार को सोचना चाहिए था। वैसे मैं भी मेरे से पहले बोलने वाले सदस्यों की तरह से इस बात को भी मानती हूं कि पिछले तीन चार साल से जब कभी इस मांग पर सदन के अन्दर बहस की जाती है तो एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे माननीय सदस्य इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि ग्रामीण जनता को पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था हम मुहैय्या नहीं कर पाये हैं, लेकिन हर साल इस मांग के ऊपर बहस होने के बाद भी राज्य सरकार अधिक जागरुक इस समस्या के प्रति नहीं हो पाई है। ऐसा कहते हुए मुझे संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जितना रुपया बजट में रखा जाना चाहिए वह नहीं रखा जाता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत असन्तोष है और जो भी माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो बारबार इस समस्या के लिए वहां के

(श्रीमती सुमित्रा)

लोग उनका ध्यान दिलाते हैं और तब उनको बड़ा संकोच अनुभव होता है तथा हम इसके लिए जनता को क्या जवाब दें ? इसलिए माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहती हूं कि अगले वर्ष के बजट में चाहे हम शिक्षा में कटौती करें, चाहे हम राजस्थान कैनाल और इसी तरह के दूसरे विकास के कार्य जैसे सड़कें और चाहे बिजली में कटौती करें लेकिन कम से कम हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो जनता है उसको पीने के पानी की समस्या नहीं रहनी चाहिए। आज भी राजस्थान के ग्रामीण लोग गंदा पानी पीते हैं। वह पानी के लिए परेशान ही नहीं होते बल्कि उनको स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलता है और इस कारण वह नहारू और ऐसी ही दूसरी भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं जो कि इन्फेक्शस डिज़ीजेज़ हैं। इसका एक उदाहरण हमारे माननीय मंत्री भीखाभाई जी हैं। आप सब लोग जानते हैं उनका एक पांव इस नहारू की बीमारी से ही गया हुआ है। इसलिए राज्य सरकार को इस तरफ बहुत जागरूक रहना चाहिए। पानी जीवन की अनन्य आवश्यकता है, आदमी अच्छा कपड़ा शिक्षा और, बिजली ऐसी कई दूसरी चीजें हैं उनके बिना तो रह सकता है लेकिन हवा और पानी के बिना जिन्दा नहीं रह सकता। इसलिए राजस्थान में रहने वाले लोगों को कम से कम पीने का स्वच्छ पानी इस सरकार द्वारा दिया जा सके ऐसी मैं राज्य सरकार से उम्मीद रखती हूं।

श्रीमती समानेत्री : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : सभापति महोदया, मेरा कटौती प्रस्ताव जनस्वास्थ्य पर है और इसी पर मैं सदन के समक्ष संक्षिप्त पंक्तियों में और सीधी सी बात कहना चाहूंगी। कई बातों पर कई शिकायतें सदन के चारों ओर से आई हैं इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि उनकी पुनरावृत्ति न हो। मोटी-मोटी बातें हैं कि स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं, नर्सेस पूरी नहीं हैं, कम्पाउन्डर्स पूरे नहीं हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी इनके पास पूरे नहीं हैं। उसकी वजह से शफाखानों की हालत इतनी गिरती जा रही है कि रात और दिन आने वाली शिकायतें इसका बहुत बड़ा सबूत हैं। मोटे-मोटे उदाहरण इसलिए देना चाहती हूं कि जनरल बातों पर तो बहुत लोग बोल चुके हैं। राजस्थान सरकार ने यहां रोगियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें मिल सकें इसके लिए प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स खोले हैं, डिस्पेन्सरीज़ खोली हैं, औषधालय खोले हैं और बड़े-बड़े शफाखानों को तो बात ही छोड़िये। इसमें शक नहीं है कि सरकार ने कदम आगे बढ़ाये हैं लेकिन ऐसे-ऐसे प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं जहां दो-दो साल से डॉक्टर नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि वहां की औषधियां खराब हो जायेंगी, उनको फैंक देनी पड़ेंगी क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं हैं तो एडवाइज कौन करेगा ? कम्पाउन्डर्स में इतनी लियाकत नहीं है कि वह कर सके। सभापति महोदया, कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां पूरा स्टाफ नहीं होने की वजह से दिक्कतें होती हैं।....

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : दवाइयों का ट्रान्सफर भी तो नहीं करते हैं ताकि दूसरी जगह तो यूटीलाइज़ हो जाय।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : फुर्सत नहीं है, इसलिए।

सभापति महोदया, बड़ी बीमारी वाले बड़े शफाखानों में इसलिए जाते हैं कि वहां जाकर वह स्वास्थ्य सुधार करें। लेकिन वहां पर सौदेबाजी होती है। जब तक पैसा नहीं हो डॉक्टर उसे देखेगा नहीं और इस प्रकार की शिकायतें पहुंचती हैं रात और दिन उसके बाद भी कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया जाता है। अगर यही स्वास्थ्य सुधार है तो फिर जनता क्या आशा रखे ? आपने जो डिस्पेन्सरीज़ खोली हैं वह इसलिए खोली हैं कि समय पर औषधियां मिलें और सेवायें मिलें लेकिन सेवाओं के स्थान पर, स्वास्थ्य सुधार के स्थान पर पैसे की करामात है और सौदेबाजियां होती हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहती हूं, सभापति महोदया, कि इस विभाग में आये दिन तो तबादले होते हैं, डॉक्टरों के साथ इनजस्टिस है। मेडिकल कालेज में अव्यवस्था है। तो यह आप लोग क्या हैं ? माननीय मंत्री महोदय को मालूम होगा कि कोटा जनरल हॉस्पिटल में दो वर्ष से लगातार यह शिकायतें हो रही हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार पनप रहा है, औषधियां समय पर नहीं मिलतीं, मरीजों को नहीं देखा जाता है और गरीब मरीज जिनके पास पैसा नहीं है उनको विना इलाज कराये ही लौटना पड़ता है। आप इसकी व्यवस्था कीजिए। हमने सुना था कि हाकिम जाता है हुकम नहीं जाता है। लेकिन हमने देखा है कि एक दिन में किसी एक पेपर पर तीन-तीन हुकम होते हैं। एक सुबह हुआ, दोपहर को कैंसिल हो गया और शाम को फिर तबादला हो गया। यह तो एफीशियेन्सी है। मैं लम्बा-चौड़ा समय सच-मुच नही लेना चाहती हूं और मैं बोलती भी नहीं लेकिन क्योंकि कई दफा इस प्रकार की समस्यायें आई है और उनके लिए दुख होता है। इसलिए मैं, सभापति महोदया, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से कहना चाहती हूं कि यदि आपका स्वास्थ्य सुधार में विश्वास नहीं है या स्वास्थ्य की ओर आपकी रुचि नहीं है या इस विभाग के प्रति आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है तो महरबानी करके मुख्यमन्त्रीजी से कहें कि वह आपको दूसरा विभाग दे दें वर्ना यह देखा गया है कि एक डॉक्टर ८ साल से एक जगह बैठा है, एक ६ साल से बैठा है और एक डाक्टर का ६ दफा एक साल में ट्रान्सफर हो जाता है। तो यह व्यवस्था है आपकी ? उनमें शांति नहीं तो कैसे काम करेंगे ?........

समय पर उनको वेतन वगैरा मिलने की दिक्कत आती है तो कैसे काम करेंगे ? औषधियों की दिक्कत आती हैं तो वह कैसे काम करेंगे ?

कोटा में जनाना शफाखाना है, लेडीज़ हॉस्पिटल है, उसमें शिकायत हैं कि बकरियां घूमती हैं। बिल्लियां घूमती हैं। रात-दिन शिकायतें आती हैं। क्यों घूमती हैं ? कहां से आती है ? क्या रोकथाम की है सरकार ने ? ये सारी इतनी बड़ी शिकायतें हैं कि मैं इस लम्बे-चौड़े विषय में नही जाना चाहती। मैं फिर जोरदार शब्दों में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल विभाग की ओर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। जगह जगह जाकर घूम कर देखें कि क्या शिकायतें हैं। और उनको रफा-दफा किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री फूलचन्द जी।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिडवाड़ा) : सभानेत्री महोदया...

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : हमारी पार्टी को भी समय मिलना चाहिए ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री फूलचन्द जैन ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सभापति महोदया, मैं सबसे पहले तो जल समस्या, जो पीने के पानी की समस्या है उसके सम्बन्ध में कुछ विचार अपने यहां पर रखना चाहूँगा । इसमें कोई शक नहीं कि पिछले १५–१६ वर्षों के अन्दर पीने की जो बहुत वर्षों से चली आ रही बड़ी भारी राजस्थान की समस्या है उसके ऊपर राजस्थान सरकार ने ध्यान दिया है और काफी काम किया है। परन्तु इस सम्बन्ध में इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूँ कि पीने के पानी की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसको टाप प्रायोरिटी देकर करें। आज के युग के अन्दर लोगों को पीने का पानी मुहैय्या न हो, यह शोभा देने की बात नहीं हो सकती । इसके लिए योजना में किसी भी रूप में हम इसको एडजस्ट कर सकें, चाहे इसके लिए दूसरे काम को कम प्रॉयोरिटी दे सकें, चाहे इसके लिए और साधन जुटा कर इस समस्या का हल करना पड़े तो इसको टाप प्रॉयोरिटी देकर हल करना चाहिए, मैं ऐसा महसूस करता हूँ ।

सभापति महोदया, इसके साथ ही मैं इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पीने के पानी की समस्या के लिए आज जो चीफ इन्जीनियर आफ हैल्थ का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, और राजस्थान अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड भी बना हुआ है, वाटर वर्क्स का डिपार्टमेंट बना हुआ है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट भी इस पीने के पानी की समस्या को जिस गम्भीरता से लेना चाहिए उस गम्भीरता से नहीं लेते हैं । इसके लिए मैं सुजानगढ़ का एक उदाहरण इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करना चाहता हूं। वहां पर पीने के पानी की समस्या बड़ी ही गम्भीर है। इसको माननीय मुख्य मन्त्री जी और सभी लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी वहां पर जनता ने अपने पैसों से समय समय पर कई स्थानों पर बोरिंग कराये । आज भी यहां पर डूंगरास के कुए के अंदर वहां के नागरिकों के पैसों से बोरिंग टैस्ट कराये जा रहे हैं, लेकिन सभापति महोदया, मुझे अफसोस होता है यह कहते हुए कि वाटर वर्क्स की ओर से मशीनें वहां पर गईं लेकिन मशीनें वहां से पूरा काम किए बगैर ही कई बार लौट आईं । कभी वे कहते है कि पानी नहीं निकल सकता हैं, कभी कहते है कि मिट्टी आ गई और वे काम छोड़कर चले आये । कभी कहते हैं कि फुरसत नहीं है फिर वापिस आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार की लापरवाही इस डिपार्टमेंट के अंदर बढ़ रही है मुझे इसके कहने में संकोच नहीं है कि राजस्थान सरकार चाहे कुछ भी करे, चाहे कैसे भी करें, इस समस्या को हल नहीं कर सकेगी । परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस टॉप प्रॉयोरिटी को देने की बात मैंने कही है वहां पर इस विभाग के अंदर जो भी अधिकारी हैं उनका भी मानस यह बनना चाहिए कि इस समस्या का सम्बन्ध इंसान की जिन्दगी

(श्री फूलचन्द जैन)

के साथ है। इसलिए इन्सानियत की तरह से इसके बारे में अपना व्यवहार रखें और काम करें। माननीय सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में ही इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अब मेडिकल विभाग के बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। मेडिकल विभाग के सम्बन्ध में मैं समय की कमी के कारण विस्तार से नहीं बोल सकूंगा केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर का मेडिकल कालेज जो हमारे सामने आज बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में जो घटनाएं घटी हैं पिछले अर्से के अन्दर उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की बातें माननीय सदस्यों ने इस सदन में कही हैं और उसके सम्बन्ध में कमेटियां और कई कई दूसरी चीजें हमारे सामने आई हैं मैं उनकी गहराई में न जाकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए राजस्थान सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से महसूस करनी चाहिए। जब मैं जिम्मेदारी की बात कहना चाहता हूं तो मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि आज मेडिकल डिपार्टमेंट भयंकर रूप में राजनैतिक अखाड़ा बना हुआ हैं और इस राजनीति का संचालन राजस्थान सरकार स्वयं करती है, मुझे यह कहते हुए शर्म आती है।

मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि सीनियोरिटी लिस्ट बना कर हम डॉक्टर्स को यह कहते हैं कि अमुक अमुक वर्ग की सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई है। उसके अन्दर आप टीचिंग लाइन का अलग सीनियोरिटी बनाते हैं। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन या हास्पिटल्स को देखने के लिए डाक्टर्स की अलग सीनियोरिटी लिस्ट बनाते है। वह सीनियोरिटी लिस्ट पहले बनाते हैं फिर रिवाइज की जाती है और नवम्बर के अंदर फाइनल सीनियोरिटी लिस्ट निर्धारित की जाती है। जब एक तरफ हम उनके असंतोष को दूर करने के लिए सीनियोरिटी लिस्ट बनाते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार खुद सीनियोरिटी लिस्ट का पालन नहीं करती है। टीचिंग के अन्दर जो सीनियर हैं उनको हॉस्पिटल में भेज देते हैं और जो हॉस्पिटल में सीनियर हैं उनको टीचिंग में भेज देते हैं। परिणाम यह होता है कि इसके कारण एक अजीब किस्म की रस्साकशी इस विभाग के अन्दर चल रही है और इतनी ज्यादा चल रही है कि मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर यही गड़बड़ नहीं है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर दूसरे तरीके से मुआवजे देने की प्रवृत्ति इस विभाग के अन्दर चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि श्री बी. एन. शर्मा जो उदयपुर कालेज के इन्चार्ज हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में क्या मेडिकल कौन्सिल ने यह एतराज उठाया कि इनको रिकगनाइज नहीं करते हैं क्योंकि ये एफ. आर सी. एस. नहीं हैं। क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान सरकार ने मेडिकल कौन्सिल को यह लिखा है कि हमारे पास एफ. आर. सी. एस. की कमी है इसलिए इनको मान्यता दी जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि एफ. आर. सी. एस. की वस्तुतः राजस्थान में कमी अगर है तो जो मौजूदा एफ. आर. सी. एस. राजस्थान के अन्दर हैं और जिनको

(श्री फूलचन्द जैन)

कि टीचिंग लाइन का एक्सपीरियन्स है और जो आज राजस्थान के अन्दर सर्विसेज में हैं उनको आपने राजस्थान के अन्दर चांस नहीं दिया। आपने कैसे लिख दिया मेडिकल कौन्सिल को कि हमारे यहां एफ. आर. सी. एस. की कमी होने की वजह से इनको रिकमण्ड करते हैं कि आप इनको रिकोग्निशन दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, इसी तरह से रिटायर्ड आदमियों को एड्जस्ट करते हैं कि हम चाहते हैं तब काम करते रहें और जो आदमी आगे आकर सीनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक अधिकार चाहता है उनको अधिकार नहीं देते हैं और इसके साथ साथ आप यह कहते हैं कि डाइरेक्टर बन जाने के बाद कहते हैं कि पी. एम. ओ नहीं बना सकते हैं, किसी मेडिकल कालेज का प्रिन्सिपल ही बनायेंगे। आप क्यों पहले उसको डाइरेक्टर बनाते हैं ऐसे आदमी को जो कि सीनियर नहीं है और जो कि सीनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक नहीं है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसके बाद में वह गैर-कानूनी तरीके से डाइरेक्टर का काम करता है और डाइरेक्टर बनने के बाद चूंकि पी. एम. ओ. नहीं बन सकता है इसलिए उसको टीचिंग लाइन में मेडिकल कालेज का प्रिन्सिपल बनाकर भेज देते हैं। उनको भेज देते हैं जो कि टीचिंग लाइन का एक्सपीरियन्स नहीं रखते हैं। इस तरह की स्थिति जहां पर हो और अपने मनमाने तरीके से सारी बातों को डालना चाहते हैं फिर आप चाहें कि मेडिकल विभाग में गड़बड़ न हो, फिर यह चाहें कि मेडिकल विभाग में इस प्रकार का असन्तोष न हो तो यह कैसे संभव हो सकता है ? इसी का परिणाम है, सभापति महोदया, कि बीकानेर मेडिकल कालेज में यह स्थिति है कि स्टुडेन्ट्स की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज मेडिकल कालेज को बन्द कर दिया गया है। इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि भविष्य में क्या होगा ? वे परीक्षा कब देंगे ? मैं माननीय मन्त्री महोदय से जोरदार शब्दों में मांग करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की इर्रेग्युलेरिटीज़ को खत्म करें और वहां पर जो स्टुडेन्ट्स की जिन्दगी और मौत का सवाल है, स्टुडेन्ट्स के भविष्य का सवाल है। मेडिकल कालेज बीकानेर को अविलम्ब खोलने की आज ही इस सदन में घोषणा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रविशंकर याज्ञनिक।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : हमारी पार्टी को टाइम नहीं मिला है।

श्रीमती सभानेत्री : मिल जायगा।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (गिडवाड़ा) : सभापति महोदया,····

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : On a point of order...

श्रीमती सभानेत्री : पहले पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सुन लिया जाय।

श्री अब्दुल जब्बार : माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स काफी दिये हैं। यह डिमान्ड बहुत इम्पोर्टेन्ट है और राजस्थान के २ करोड़ से अधिक जनता के स्वास्थ्य और जान से सम्बन्धित है....

श्रीमती सभानेत्री : आप कहना क्या चाहते है ?

श्री अब्दुल जब्बार : यही कहना चाहता हूं कि इस मांग को ध्यान में रखते हुए, इसकी इम्पोर्टेन्स को ध्यान में रखते हुए यदि सदन का समय इस मांग के लिये बढ़ा दिया जाय तो बेहतर होगा।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे पूरा ध्यान है, उसी के अनुसार कह रही हूं।

श्री रविशंकर।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : सभानेत्री महोदया, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं एक तो चिकित्सा के ऊपर और दूसरा केपिटल आउट ले ऑन इम्पूवमेंट ऑन पब्लिक हैल्थ पर।

सभानेत्री महोदया, ग्रामीण जनता को सरकार के प्रति शिकायत है जैसी कि आज सदन के अन्दर चारों ओर से आ रही है। जो ग्रामीण जनता है उसकी तरफ सरकार ने जो नीति अपनाई है वह भेद भाव की नीति है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे जन स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को देखें तो आप यह कहेंगे कि सरकार शहरों से ज्यादा पैसा खर्च करती है और ग्रामों के प्रमोशन के लिये चौथाई हिस्सा भी खर्च नहीं करती है। इसके लिये आपको मैं उदाहरण दूं इस साल ४।। करोड़ रुपयों का बजट है उसमें ५२ लाख रुपये दवाइयों के लिये रखे हैं। उसको देखा जाता तो ४२ नये पैसे प्रति व्यक्ति आते हैं। मैं ग्रामीण अस्पताल का उदाहरण मेरे क्षेत्र का देता हूँ। मेरे क्षेत्र में रोहिड़ा ग्राम है वहां की डिस्पेन्सरी में करीब २० हजार व्यक्ति लाभ उठाते है आस पास के। वहां बजट रखा है एक साल का सिर्फ २८००) यदि देखा जाय तो सिर्फ १२ नये पैसे एक व्यक्ति के हिसाब से दिये गये हैं। यदि एवरेज देखा जाय तो ४२ नये पैसे के हिसाब से ८०००) की दवाइयां आनी चाहिये उसके बदले केवल २८००) आप देते हैं। जहां ३५००० पोपुलेशन है वहां आप ५०,०००) देते हैं और जहां एक लाख की पोपुलेशन है वहां सिर्फ १७.१८ हजार ही खर्च करते हैं। इसलिये मेरी अर्ज यह है कि इस प्रकार से भेद भाव की नीति नहीं बरतनी चाहिये। गांवों के लोग गरीब हैं उनके पास पैसा नहीं है, खाने को उनके पास अन्न नहीं है और चिकित्सा की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है इसलिये बीमार पड़ने पर वे लोग बे मौत मरते हैं। यह नीति सरकार की खतरनाक है। मेरा आपकी मार्फत सरकार से निवेदन है कि इस नीति को खत्म करके ग्रामीणों की तरफ ज्यादा ध्यान दें।

यही नहीं इससे बढ़कर बात यह है कि जो २८००) बजट में रखे है मेरे क्षेत्र में पिंडवाड़ा, शिवगंज, पालड़ी स्वरूपगंज आदि स्थानों पर जो अस्पताल हैं उनके लिये दवाइयों का जो बजट रखा है उसके मुताबिक भी पूरा नहीं मिलता है, आधी

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

दवाइयाँ मिलती हैं और आधी बची हुई दवाइयां जिले का जो अस्पाल है उसमें खर्च की जाती हैं। ऐसा लगता है कि छोटी मछली को मंझली मछली खाती है और मंझली मछली को बड़ी मछली खाती है। जिला स्तर पर जो अस्पताल हैं उनकी दवाइयां हैं वे बड़े शहर जयपुर, जोधपुर इत्यादि के अस्पतालों में खर्च हो जाती हैं और कस्बों के अस्पतालों की दवाइयां जिला स्तर के अस्पतालों में खत्म हो जाती हैं। यह नीति सरकार की खतरनाक है और यह नीति खत्म होनी चाहिये।

इसके अलावा सभापति महोदया, इन अस्पतालों में इम्प्लीमेंट्स नहीं हैं आज गांवों में चेचक की बीमारी बहुत फैली हुई है और जो पागल कुत्ते काटते हैं तब मरीजों को जो इन्जेक्शन लगाये जाते हैं उनका तो गांवों में सवाल ही नहीं है। जिला अस्पतालों में जाते है तो वहां डाक्टर मिलते नहीं हैं और मरीजों को वापस आना पड़ता है इसलिये गरीबों को इलाज मुहैया नहीं होता है इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रत्येक गांव की डिस्पेन्सरी को एक छोटा रेफ्रिजिरेटर दिया जाय जिसमें कुत्ते के इंजेक्शन और चेचक की दवाई और दूसरी आवश्यक दवाइयां वही रखी जा सकें और लोगों दूर को जाना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। गांवों के एरिया में ज्यादा लोग रहते है उनको फायदा वहीं मिल जाना चाहिये।

अब केपिटल आउटेले ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हैल्थ पर जो पैसा रखा है वह तमाम शहरों के लिये है। अरबन एरियाज के लिये ६६ लाख २७ हजार रुपये रखे हैं। और इसी तरह और इम्प्रूमेंट के लिये ४ लाख रुपये और रखे है। इस तरह से १ करोड़ से ज्यादा पैसा शहरों के लिए रखा है। इसी तरह से पब्लिक हैल्थ में शहरों में ४० लाख रुपये रखे हैं गांवों में १२ लाख ५१ हजार रखे हैं। आज गांवों की स्थिति भयानक है वहां पर पीने को पानी नहीं मिलता है और आपने थोड़ी सी रकम गांवों के लिये रखी है। शहरों में करोड़ों की तादाद में रुपये खर्च करते हैं, यह चीज खत्म होनी चाहिये। सरकार इस ओर ध्यान दे और ग्रामीण क्षेत्र की अस्पतालों को दवाइयां सही ढंग से मिलें, गरीबों को दवाइयां मिल सकें इसका पूरा इन्तजाम करें यही मेरी प्रार्थना है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री अमरसिंह दूदू।

श्री हरिराम चौहान (तिजार) : सरकार से जवाब कब दिया जायगा ?

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें वक्त आयगा तब दिया जायगा।

श्री अमरसिंह (दूदू) : सभापति महोदया, मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३०, जन स्वास्थ्य पर परिवार नियोजन के सम्बन्ध में खाश तौर से आपके सामने कुछ अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। बिना उसकी आज्ञा के जन संख्या में कमी नहीं आ सकती। जन संख्या बढ़ती जा रही है उसका भी बड़ा भारी रहस्य है हमको चाहिए तो यह कि हम उसके काम में मदद करें लेकिन सवाल यह है कि बढ़ती जन संख्या है उसके लिए

Page No. 100

(श्री अमरसिंह)

सरकार आवश्यक वस्तुओं को जुटा नही पा रही है इसलिये हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि बढ़ती हुई जन संख्या को सरकार द्वारा किस प्रकार रोका जाय लेकिन देखना यह है कि इस बढ़ती हुई जन संख्या को रोकने के लिये सरकार ने क्या क्या तरीके अपनाये हैं और उनमें उसको कहां तक सफलता मिली है सरकार ने इसके लिए तीन तरीके अपनाये हैं। एक तो गोलियां और दूसरी पीने की दवाई देना शुरू किया था ये तो दोनों ६० प्रतिशत फेल हुई हैं । इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार का पैसा बेकार गया। फिर उन्होने एक्स्टरनेल एप्लाएन्सेज यूज करने का तरीका अपनाया है। इसके बारे में सदन में चर्चा करना अश्लीलता होगी इसलिये मैं उसमें नहीं जाना चाहता । जो ये बाह्य मीन्स अपनाये हैं इसका जो असर होता है उसको तो भुक्तभोगी ही जानता होगा। यहां उसकी चर्चा करना बेकार है। उसके बाद तीसरा तरीका ओपरेशन, स्टरलाइजेशन का अपनाया है। उसमें एक तो स्त्रियों के ओपरेशन का तरीका है जो बहुत मंहगा पड़ता है इसके लिए गरीब आदमी को ओप-रेशन का मौका अस्पताल में दिये जाने की व्यवस्था करनी चाहिए प्राइवेट ओपरेशन वे नहीं करा सकते । एक तो मैं यह अपील करूंगा कि औरतों को प्राइवेट तौर से ओप-रेशन कराने पड़ें तो उसके लिए उनको अनुदान देने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इस में बहुत कुछ सफलता मिल जाय उसके बाद भी फिर से ओपरेशन कराने के मामले भी सामने आते हैं। मैं उसको दुःखद ओपरेशन के नाम से पुकारता हूँ क्योंकि इसका नतीजा बुरा रहा है मिसाल के लिए बतलाना चाहूंगा कि इसका नतीजा कैसे खराब हुआ। इस बारे में मैं एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ । मेरे एक दोस्त ने होस्पिटल में ओपरेशन कराया। २ साल बाद नतीजा यह होता है कि उनकी श्रीमती जी का पैर भारी हो जाता है और वे पीली पड़ने लग जाती हैं और उधर उन दोस्त महोदय का चेहरा विकृत होने लगा। मैंने उनसे कहा कि आखिर बात क्या है। मैंने उनको बहुत कुछ समझाया जब उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी अजीब साथिन मिली है और उसके बाद मुझे उन्होंने सारा मामला समझाया।........ तो मैंने कहा, आपको गलतफहमी हो गई है। आप हास्पिटल चलिये मेरे साथ। मैं उनको हास्पिटल ले गया। हास्पिटल में उनका मुआयना करवाया। मुआयना कराने के बाद डाक्टर ने रिपोर्ट दी कि आपका ओपरेशन बिल्कुल सही हो गया है अब तो मैं भी असमंजस में पड़ गया। सोचने लगा दोस्त महोदय कह रहे हैं, उसमें बिल्कुल सत्यता है क्योंकि डाक्टर कह रहा है कि आपरेशन सही हुआ है, और उनकी बीवी का पैर भारी हो गया है तो कहीं जरूर दाल में काला है। मैंने कहा, फिर कोशिश करें, इस लिए एक प्राइवेट डाक्टर से टैस्ट करवाया तो उस डाक्टर ने कहा कि आपरेशन बिल्कुल गलत हुआ है, आपरेशन फैल हुआ है। मैंने कहा, सरकारी डाक्टर कह रहा है वह कैसे कह रहा हैं। उसने कहा, इधर आओ। उस ने मुझे माइक्रोस्कोप से दिखाया। मैंने देखा कि उसमें मछली जैसे जर्म्स तैर रहे हैं। मे देख कर स्तब्ध रह गया, यह आपरेशन गलत हो गया, और वह भी ट्रेन्ड डाक्टर के हाथ से गलत हो गया। मैंने अपने दोस्त को भी उनकी आंखो से दिखाया । तब जाकर उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो सका। मैं कहता हूं कि यह एक केस है लेकिन न जाने कितने व्यक्तियों की जिन्दगी इस तरह खराब हो चुकी है, न जाने कितने लोग इस तरह परेशान हो गये हैं।

(श्री ग्रमरसिंह)

(१२.०० मध्याह्न)

दूसरी बात में ग्रापको बताऊं कि मेरे क्षेत्र को पंचायत समिति में इसके केन्द्र खोल कर इसका प्रचार करते हैं। वहां हमारे एक सरपंच महोदय हैं जो सन्तान से दुःखी थे। वे मिले। मैंने कहा कि ग्रब तो घर बठे गंगा ग्रा गई है, इसी पंचायत समिति में केन्द्र खुल गया है। ग्रब ग्रापरेशन करा लो। पहले तो वे डरे। बाद में उन्हें समझाया तो उनका ग्रापरेशन उन्होंने करा लिया....

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा (नसीराबाद) : इधर भोंपू बज रहा है। हमको सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री ग्रमर सिंह : उसके सात महीने के बाद क्या होता है कि उन सरपंच महोदय की बीबी ग्राती हैं ग्रौर लाल ताती होकर मुझ पर टूट पड़ती है, मुझे बुरी तरह धमकाती है, गाली देती है। मैंने पूछा, बात क्या है? फरमाग्रों तो सही, कौनसा कसूर हो गया है? उन्होंने कहा, ग्रापके दोस्त साहब हैं, ग्रच्छा हो, उनको ग्राप दरबार सहाब के यहां जो नाजर रहते हैं उनकी गोद दे दो। यह बात सुन कर मैं सारी बात समझ गया। लेकिन ग्रब क्या होता है-छुरा चलना था वह चल चुका।

यह मिसालें मैंने बताईं, इनसे ग्राप देखें कि इस प्रकार की गड़बड़ी होती है। मेरा निवेदन है कि मामूली ग्रादमी को यह काम न दिया जाय ग्रौर जो प्रशिक्षित ग्रौर स्पेशियलाइज्ड लोग हैं उनको यह काम दीजिये ताकि लोगों कि जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न हो, एक ग्रच्छे डाक्टर के जरिये यह काम करायें। मेरा तो निवेदन है कि इस मामले को इस तरह हल कर सकते हैं कि लोगों की जिन्दगी के स्तर को ऊंचा उठायें, ग्रच्छी शिक्षायें दिलायें ताकि इस चीज की ग्रोर कम ध्यान जाय। पोपुलेशन के बारे में खास चीज यह है कि शिक्षा पर जोर दीजिये, उनके जीवन को ऊंचा उठाइये। इसके साथ ही एक बात ग्रौर ग्रर्ज कर दूं सिनेमाग्रों के बारे में। जो गन्दे सिनेमा ग्राते हैं, उनको लोग देखते है तो उनमें उत्तेजना पैदा होती है। इस प्रकार के सिनेमाग्रों पर रोक लगाई जाय, इससे पोपुलेशन को ग्राप कंट्रोल कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि तेरह लाख, चौदह लाख खर्च करते हैं, इस साल १३ लाख ३५ हजार खर्च किये, उसका क्या नतीजा हुग्रा। कितनी पोपुलेशन पर रोक लगी- यह सोचना चाहिए। खाली खर्च होने से तो कोई फायदा नहीं है। इतना कह कर मैं ग्रपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जुंझारसिंह (चेचट) : चेग्ररमेन महोदया, मैं महसूस करता हूं इस स्टेज पर मुझे ग्रब कि ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, मैं शार्ट में जो पाइन्ट हैं उनको हाउस के सामने ग्रपनी मार्फत रखूंगा।

मैं यह महसूस करता हूं ग्रौर इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा कि पिछले पन्द्रह साल में चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत तरक्की हुई है, लेकिन फिर भी ऐसी स्टेज पर नहीं पहुंच पाये हैं कि हमारी सारी जरूरतों को जो गांवों में ग्रौर शहरों में

(श्री ज्वालप्रशाद शर्मा)

महसूस होती हैं, सरकारी रिसोर्सेज से पूरा कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी इन्स्टीट्यूशन जो प्राइवेट तौर पर कार्य कर रही हैं, अपने हास्पिटल्स चला रही हैं और जनता की सेवा में लगी हुई हैं उनके लिए हमारी सरकार के द्वारा कोई इस तरह का आयोजन नहीं किया हुआ कि उनको सरकार ग्रान्ट-इन-ऐड देगी या उनको इमदाद पहुँचा कर उनको ज्यादा उपयोगी बनाया जायगा। मेरी कान्स्टिट्युएन्सी में तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कैथोलिक मिशन हास्पिटल्स चलते हैं, अलावद सातलखेड़ी और रीछडिया, यहां पर बहुत अच्छी तरह से अच्छे ट्रेन्ड डाक्टर्स के द्वारा कथोलिक मिशन हास्पिटल्स चलाये जा रहे हैं। उन लोगों की दो साल से मांग आती रही है कि ग्रान्ट-इन-ऐड दीजिये ताकि उनका कार्य-क्षेत्र बढ़े और जनता की ज्यादा सेवा कर सकें। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो ऐसी उपयोगी चीज है और जिससे सरकार के धन की बचत हो सकती है और क्योंकि सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि हर एक आदमी के जन-स्वास्थ्य के लिए सुविधायें प्रदान कर सके-तो जो दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स इस प्रकार की सुविधायें दे रही हैं उनको मदद न देना, मदद देने के काम में डिले करना और प्रोसीजरल डिफि-कल्टीज को सामने लाना न्यायसंगत नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को जो ग्रान्ट-इन-ऐड लेना चाहें, सरकार ऐड दे ताकि वे अपना काम ज्यादा विकसित कर सकें।

मेरा दूसरा निवेदन है वह यह है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं राजस्थान में जिनमें एक दो साल में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचने से वे विक-सित हुए हैं। उनमें जो हास्पिटल्स आते हैं, उनमें रफ्रिजेटर, स्टरलाइजर और ऐसे दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उपलब्ध किये जावें। साधारण तरीके से ज्यों ज्यों पावर का डेवलपमेंट होता है, हास्पिटल्स के क्षेत्र में पावर पहुँचती है वहां सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रकार की बिजली सम्बन्धी सहूलियतें दे जो बड़े हास्पिटल्स में मिलती हैं। ये चीजें बिना किसी तकलीफ के उपलब्ध कराई जायं ताकि वे भी माडर्न इक्विपमेंट का फायदा उठा सकें और जनता और डाक्टरों को ज्यादा सुविधा प्राप्त हो।

इसी तरह से मेडीशन की परचेजेज के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। देहाती अस्पतालों में लोग महसूस करते हैं कि उनको समय पर मेडिशन उपलब्ध नहीं हो पाती। जो मेडिशन जोनल परचेजेज ? स्टोर द्वारा दी जाती हैं, ये दवाइयां कोई सस्ती नहीं पड़ती हैं। लेकिन इस बीच के अरेंजमेंट की वजह से मिलने में देरी हो जाती है इसमें मेरा सुझाव है कि फिक्स्ड प्राइसेज हों, जो कोटेशन आते हैं पहले ही उनसे फिक्स कर दें और डाक्टरों को पाबन्द न करें कि जोनल स्टोर के मार्फत ही वे दवाइयां खरीदें। इस तरीके में डिफिकल्टी आती है। समय पर दवाइयां नहीं पहुँच सकतीं, गवर्नमेंट का तो खर्च हो जाता है लेकिन जनता को तकलीफ कम नहीं होती है और कोई इकानामी भी नहीं होती। दवाइयां तो जो प्राइसेज मार्केट में कोट होती हैं, उसी पर मिलती हैं। वे बाजार में भी उन Prices. पर मिल सकती हैं तो इस स्टोर को रखना वाजिब नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसे कैसेज आये हैं कि स्टोर के मार्फत जो दवाइयां जाती हैं वह खराब होती हैं और

(श्री जुझारसिंह)

काम में नहीं लाई जा सकतीं । ग्रभी साल दो साल का किस्सा है कि जयपुर में एक मेडिकल स्टुडेन्ट था वह सूई निगल गया। उसका ग्रापरेशन हुग्रा । उसके बाद उसके टांके लगे । लेकिन पांच दस दिन के बाद उसे छींक ग्राई तो वह टांके टूट गये ग्रौर पन्द्रह दिन के बाद फिर ग्रापरेशन करना पड़ा । इस प्रकार स्टोर्स के मार्फ़त जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वे ग्रच्छी नहीं होतीं, पुरानी हो जाती हैं ग्रोर मरीजों को टाइम पर नहीं मिल पाती हैं। इस तरीके की पाबन्दी को हटाया जाना चाहिए ग्रौर डाक्टर्स को फिक्स्ड प्राइस पर ग्रोपन मार्केट से दवाइयां खरीदने की इजाजत दी जानी चाहिए ताकि उन्हें जल्दी चीजें उपलब्ध हो सकें ।

फूड इन्स्पेक्टर्स के बारे में भी कहना चाहूंगा कि यह जो फूड इन्स्पेक्टर्स हैं, ये एटरेन्डम फूड का इन्स्पेक्शन करते हैं । इनका रेगुलर जांच करने का तरीका नहीं है । कभी कभी कोई ग्रादमी जाच करने चला जाता है ग्रौर चालीस पचास चालान बना कर लोगों को हरेस करता है। फूड इन्स्पेक्शन का यह ग्राइडिया है कि लोगों को ग्रच्छा ग्रौर हाइजनिक फूड मिले। इसके लिए चैकिंग रेगुलर वे में हुग्रा करे । इसके साथ ही जो लाइसेन्स होल्डर्स हैं उनको बारह महीने तक लाइसेन्स नहीं मिलता है । ऐसा इन्तजाम नहीं है कि फूड बनाने वाले लोग हैं उनको टाइम पर लाइसेन्स मिल जाया करे । थोड़े दिन पहले मेरी निगाह में एक केस ग्राया कि एक ग्रादमी का लाइसेन्स ३१ मार्च १९६३ के बाद पहुँचा था। इस प्रकार बारह २ महीने तक लाइसेन्स पहुँचाने की सुविधा नहीं है । उसके ग्रभाव में उसका चालान किया जाय, यह एक गलत चीज है या तो ग्राप इन्तजाम फरमावें कि टाइम पर लाइसेन्स मिल जाय । ग्रापकी ऐसी व्यवस्था नहीं है तो लोगों को हरेस करने में सेंस नहीं है ।

इसी तरह से मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के बारे में निवेदन करूं कि ग्रावां में जनता द्वारा ६० हजार रुपया का मकान बना कर खड़ा किया है ग्रौर वहां पिछले दो साल से लोग इन्तजार कर रहे हैं, पंचायत समिति से प्रस्ताव पास करके भिजवाये हैं ग्रौर पिछले छः महीनों में मैं दो चार बार मिनिस्टर ग्रौर डाइरेक्टर साहब से मिल चुका हूं लेकिन ग्रफसोस है कि उसके बारे में डिसीजन नहीं हो पाया है । इस तरह की बात है जिसमें जनता का सहयोग हो, उत्साह के साथ वे काम करें ग्रौर ग्रापकी फार्मेलिटीज को पूरा भी कर दें फिर भी उन्हें वह चीज न मिले जिसके लिए उन्होंने कोशिश की है तो यह खेद-जनक बात है ।

मेडिकल के ग्रलावा एक कट मोशन मेरा हैल्थ के बारे में है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में दो जगह सांगोद ग्रौर कनवास हैं जिनकी सर्वे हो चुकी है ग्रौर इसकी सूचना गवर्नमेंट के पास ग्रा चुकी है । इसलिये वहां पर रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के लिये इन्तजाम फरमाया जावे ।

इसी तरह सुनेल. भवानी मंडी, झालावाड़, झालरा पाटन ग्रादि छोटे छोटे कस्बे हैं, इनमें भी वाटर सप्लाई का इन्तजाम हो

(श्री जुझारसिंह)

चुका है मगर रामगंज मंडी, जहाँ पर रेल्वे स्टेशन है, एस. डी, ओ. हैड क्वार्टर है, म्युनिसिपैलिटी है इसके लिये ६ वर्षों का समय हो गया है परन्तु Water works मंजूर नहीं हुआ है। इतना समय गुजर जाने के बाद भी और सरकार की तरफ से सब तरह की गारन्टी देने के बावजूद भी रूरल वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर नहीं हुई है। इसलिये माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसमें भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन स्थानों पर Schemes लागू हो गई हैं जिन्होंने कई साल बाद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी मैं यह निवेदन करूंगा कि रामगंज मंडी के बारे में आप ध्यान दें जिससे लोग आपको दुवाएं दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : सभानेत्री महोदया, जिस प्रकार की दो मांगे स्वास्थ्य मंत्री ने आज हमारे सामने पेश की हैं मैं उन पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरा खास कर इस सरकार की जो इस सम्बन्ध में नीति है उस पर कुछ प्रकाश डालने का विचार है। इस विभाग के दो पहलू हैं एक तो स्वास्थ्य विभाग और दूसरा जन स्वास्थ्य विभाग। जन स्वास्थ्य के बारे में जो सरकार की मेरी कॉन्सटीट्यूएन्सी के प्रति जो सौतेला व्यवहार है उस पर मैं निवेदन करूंगा। खास करके हमारे जिले में जन स्वास्थ्य पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं अपने जिलें बाड़मेर से आया हूं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वहां पर आप पहुंचेगें तो आपको प्रतीत होगा कि वहां पर जन स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं है। इसका कारण यह है कि आप उन डाक्टरों को जो इस तरफ काम करते हैं उनको कोई ज्यादा वेतन नहीं देते। जो एम बी. बी. एस. डाक्टर होता है वह प्राइवेट प्रेक्टिश कर सकता है और इधर जो दूसरा डाक्टर डी. पी. हैल्थ डिग्री लेता है उस पर सरकार उसको ज्यादा पैसा नहीं देती और न वह कोई प्राइवेट प्रेक्टिस कर सकता है। इसलिये उसको ज्यादा इस तरफ कोई एट्रेक्शन नहीं रहता। इसलिये सब यही चाहते हैं कि उनको स्वास्थ्य में नहीं रखा जाए। पहले लोगों को १००) नोन प्रेक्टिसिंग एलाउन्स मिलता था जिससे उनको एट्रेक्शन भी था मगर इस एमर्जेन्सी के कारण यह १००) जो आप उनको पहले दिया करते थे वे बन्द कर दिये। दूसरे डाक्टर होते हैं वे काफी पैसा प्राइवेट प्रेक्टिस से कमा सकते हैं। तनख्वाह के सिवाय उनको अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन यह उनके लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनको यह अधिकार नहीं है और न उनको इसके लिये कोई एलाउन्स ही दिया जाता है। इसलिये जिनकी जो पहले प्रेक्टिस चलती थी और उनको नोन प्रेक्टिसिंग एलाउन्स दिया जाता था वह दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि हमारे सामने यह एक बात रहती है "Frevention is better than cure' 'अगर बीमार होने से पहले ही उसकी रोकथाम का प्रबन्ध किया जाए तो वह बीमारी पैदा ही नहीं होगी। क्योर से पहले ही प्रिवेन्शन होना चाहिये। लेकिन इसके लिये हमारी सरकार कोई ध्यान नहीं देती। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार इस तरफ ज्यादा ध्यान दे और जो जन स्वास्थ्य में

(श्री उम्मेदसिंह)

डाक्टर काम करते हैं उनको उसी तरह से एलाउन्स दे जिस तरह दूसरी रियासतों में पंजाब, उड़िसा, आदि में दिया जाता है देने की व्यवस्था करें जिससे वे अपना काम अच्छी तरह से करते रहें । दूसरा कारण यह है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग है वह डी. एम. एच. ओ. के अन्डर में है । उसके लिये वहाँ पर डी. पी. एच. होना चाहिये जिससे वे लोग वहाँ पर इन्डिपेन्डेन्ट वर्क कर सकें ।

तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वह यह है कि आज हमारी एसेम्बली में कई तरह की ड्रग्ज़ पेश हुईं और दिखाई गईं । मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने ड्रग्ज एक्ट जयपुर में ही लागू किया है, इसके लिये मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह ड्रग्ज एक्ट सारे राजस्थान में आप एप्लाई करें; तभी तो यह होगा कि यह मेल प्रेक्टिस है वह बन्द होगी ।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी यह व्यवस्था है कि स्माल पौक्स इरेडिकेशन का काम १६६५ तक पूरा खत्म हो जावे । मैं यह कहूंगा अभी तक यह काम बाड़मेर जिले में शुरू भी नहीं हुआ है । आप इसको १६६५ तक कैसे खत्म करेंगे ? सरकार की तरफ से डाक्टर जरूर लगाये गये हैं, मगर उस डाक्टर के पास न तो कोई टूल है, न कोई कम्पाउन्डर है, न कोई डिस्पेन्सरी है । मेरी समझ में नहीं आया कि आप इस टार्गेट को १६६५ तक कैसे पूरा कर सकेंगे ?

इसके बाद समय कम होने के कारण मैं मेडिकल को ले लेता हूं । बाड़मेर में मेडिकल की जो दशा है उसके लिये मैं यह कहूँगा कि सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये । अब तक यह डिस्ट्रिक्ट लेवल होसपिटल नहीं हुआ है । वहां पर अच्छी आबादी है । बाड़मेर एक बहुत अच्छा कस्बा है । मगर फिर भी इसके लिये मैं आपको बधाई जरूर दूंगा कि अभी ५ लाख की सेंक्शन देकर आपने वहां पर एक हॉस्पिटल के लिये बिल्डिंग खड़ी कर दी है । मगर मैं यह कहूँगा कि हम बिल्डिंग को देखने के शौकीन नहीं हैं । बिल्डिंग्ज तो जयपुर में भी हमको बहुत देखने को मिलती हैं । हम यह चाहते हैं कि इसको तैयार हुए ८ महीने गुजर, गये हैं वहां पर अभी तक न तो डॉक्टर है न और कोई प्रबन्ध है । इसलिये वहां पर, मैं यह निवेदन करूंगा कि वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल हो और अच्छे डॉक्टरों की वहां पर व्यवस्था की जावे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभानेत्री महोदया, मेरी पार्टी का समय बहुत बाकी है ।

हमारे मनुष्य समाज में मनुष्य और महिलायें, ये दो पहलू हैं । हम देखते हैं कि हमने महिलाओं की समस्या को भुला दिया है । हमारे जिले में लेड़ी डाक्टर नहीं हैं । वे क्यों नहीं रहती हैं, इसके लिये मैं यह कहूंगा कि उनको ज्यादा सहुलियतें दी जावें । दूसरा मेरा निवेदन यह है कि पहले बाड़मेर में एक्सरे मशीन का प्रबंध नहीं था । मगर बाद में सरकार ने कृपा करके एक्सरे की मशीन जालोर में पड़ी थी उसको यहां पर भेजी । मगर उसका अभी तक कोई यूज नहीं हो पाया । क्योंकि एक्सरे के लिये रेडियोलोजिस्ट नहीं हैं । इसके अलावा किसी ने इसको प्रयोग में लेने की कोशिश भी की तो वह काम नहीं कर रहे हैं और खराब

(श्री उम्मेदसिंह)

हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसकी व्यवस्था की जावे क्योंकि बाड़मेर ऐसा एरिया पड़ता है जहां पर वहुत केसेज होते हैं।

तीसरा मेरा पोइन्ट यह है कि जो हास्पिटल नया खुल रहा है वह शहर से तीन मील दूर है और जो एमर्जेन्ट केसेज होते हैं उनको वहां पहुंचने में बड़ी मुसीबत होगी। इसलिये जो पुराना हास्पिटल है उसको भी डिस्पेन्सरी के रूप में रखा जावे और वहां पर एक डाक्टर, कम्पाउन्डर और नर्स रह सके जो एमर्जेन्सी केसेज को संभालें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री ललितमोहन।

श्री ललित मोहन (गोगुंदा) : सभापति महोदया, मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६ चिकित्सा पर मेरा कटौती प्रस्ताव है, कोटड़ा एवं गोगुंदा में डाक्टरों का अभाव है। वह आदिवासी इलाका है लेकिन इस सरकार का इस इलाके के प्रति उपेक्षा का रवैया है। वहां पर दवाइयां ठीक तरह से नहीं मिलतीं हैं इसके साथ ही साथ वहां पर न तो पूरे डाक्टर हैं और न दवाइयों का ही प्रवन्ध है। इसके सम्बन्ध में कई बार मन्त्री महोदय को लिखा पर उन्होंने यही कहा कि इमर्जेन्सी है, दवाइयां अवेलेबल नहीं है। हमें भूख तो अभी लग रही है और ये कहते हैं कि इलाज कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, १७ साल हो गये, अभी तक चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण चीज का प्रबन्ध नहीं कर सके, यह अपने आपको जनता की सरकार और लोक तन्त्रीय सरकार कहने वाली सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। हमारा वह एक बड़ा लम्बा चौड़ा इलाका है, वहां क्रिमिनल केसेज बहुत होते हैं, उनको या तो आबू जाना पड़ता है जो २५ माइल है और उधर उदयपुर जाना पड़ता है जो ८० माइल है। तो इस सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव है कि वहां डाक्टरों की अच्छी तरह से व्यवस्था की जाय।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है कि पदराड़ा में डिस्पेन्सरी के लिये भवन नहीं है, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। डिस्पेन्सरी खोल दी पर भवन बनाने के लिये कोई मदद नहीं कर रही है, न दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। आंखों में लगाने की दवाई, फोड़ें फुंसी पर लगाने की दवाई भी इस सरकार की तरह असफल और वेकार साबित हो रही हैं। जिस तरह इस सरकार के काम समय समय पर असफल निष्फल होते हैं उसी तरह दवाइयां भी निष्फल होती जा रही हैं और इन दवाइयों के बेकार सावित होने से शनैः शनैः लोगों का विश्वास इन दवाइयों पर से उठ रहा है और लोगों में इनके प्रति निराशा फैल रही है। जहां पर ये दवाइयां बनती हैं, गलत ढंग से बनती हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि कहीं इन दवाइयों में सुइयां आ जाती हैं तो कहीं कांच के टुकड़े आ जाते हैं। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है वहां जो दवाइयां बनती हैं उनमें किस प्रकार की चीजें मिली हुई होती हैं इसको कोई चैक करने वाला नहीं है। इसका मैं एक नमूना पेश करता हूँ। यह यूनिनय मैन्युफैक्चर कम्पनी की दवाई है, कफ सिरप है, इसमें सिगरेट का टुकड़ा मिला हुआ है, सरकार को कोई ध्यान ही नहीं है। यह सरकार

(श्री ललितमोहन)

लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है स्वास्थ्य ये जैसी चीज़ के लिये जो सरकार ध्यान नहीं दे सकती उस सरकार को एक दम स्तीफा दे देना चाहिये और स्वतन्त्र पार्टी जैसी किसी पार्टी को मौका देना चाहिये।

"Health is wealth" लेकिन सरकार का स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नही है। ऐसी अनियमितताएं होती हैं, मिनिस्टर का इस ओर ध्यान ही नहीं है। स्वास्थ्य की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हरिराम !

श्री हरीराम चौहान (तिजारा) : सभानेत्री महोदय, स्वास्थ्य के बारे में बहस चल रही है। इस पर लम्बी चौड़ी सैद्धान्तिक बातें करूं तो टाइम नहीं मिलने वाला है, फिर भी कुछ बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। मान लें हम इस सरकार से कहें कि दवाइयां अस्पतालो में नहीं हैं, बाज़ार में मंहगी मिलती हैं, प्राइवेट कम्पनियां उनमें काफी मुनाफा कमाती हैं और तरह तरह की दवाइयां लोगों को बाजार से लानी पड़ती हैं। जहां तक अस्पताल में दवाइयों का सम्बन्ध है, कोई दवाई नहीं मिलती है वहां शीशियां खाली पड़ी रहती हैं, मामूली से मामूली इन्जेक्शन बाहर से मंगाना पड़ता है, तो सरकार की तरफ से जवाब मिलेगा अर्थाभाव है और अर्थाभाव के कारण ये जीजें नहीं हो सकतीं। जब सरकार से कहें कि अस्पताल के लिए बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें लोगों ने श्रमदान करके पैसा इक्ट्ठा करके, सरकार से सहयोग प्राप्त करके बिल्डिंग बनाई है उसमें दवाइयां नहीं हैं, डाक्टर नहीं हैं इसलिये डाक्टर भेज दीजिये दवाइयां भेज दीजिए तब भी सरकार की तरफ से यह जवाब मिलेगा कि, क्योंकि डाक्टरों की कमी हैं इसलिए डाक्टर नहीं भेज सकते।

आप दवाइयां सस्ती नहीं दे सकते, दवाइयां अस्पताल से नहीं दे सकते, अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं तो आप डाक्टर नहीं भेज सकते तो सरकार जो अपने को जनता की सरकार कहे, प्रजातन्त्रीय तरीकों से चलने वाली सरकार कहे, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी स्वास्थ्य के बारे में है। कोई भी बीमारी हो उसका मुफ्त इलाज होना चाहिये, हर बीमार की दवा मिलनी चाहिए, सस्ता इलाज हो, यह प्रारम्भिक जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है पर मुझे अफसोस है कि हमारी सरकार इस जिम्मेदारी को पूरा करने में अपने आपको असफल साबित कर रही है और तरह तरह की दिक्कतें हैं। दवाइयां नहीं मिलती हैं, डाक्टर नहीं, ये दिक्कतें तो हैं ही पर इस तरह की दिक्कतें भी हैं कि डाक्टर मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है पर बीमारों को अस्पताल में भर्ती नहीं करते हैं। मरीजों को भर्ती करने लिए भी पैसे मांगते हैं। इसके अन्दर सरकार को क्या कहना है, कह दिया जाता हैं चारपाइयां नहीं हैं। भर्ती नहीं होने से लोगों की मृत्यु हो जाय, देख भाल नहीं करने से मरीजों की मृत्यु हो जाय और उसकी लाश सड़ती रहे, सरकार की तरफ से डाक्टर हैं वे इन्तजाम नहीं कर सकें इस तरह की घटनाएं मैं आपके सामने रखता हूं। सीताराम नामका एक आदमी १६ तारीख को अलवर के एलेक्जेन्डर हास्पिटल में आता है, वह अस्पताल में आया पर उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, सुनते हैं उसके पास

(श्री हरीराम चौहान)

पैसे नहीं थे। बगैर पैसे डाक्टर भर्ती नहीं करते तो वह वहीं पर रात में बैठ गया दूसरे रोज १७ तारीख को सुबह वह मरीज मरा हुआ पाया गया। वह महज इस वजह से मर जाता है कि उसे भर्ती नहीं किया गया। पैसे उसके पास थे या नहीं, इसे छोड़िये; पर यह हकीकत है कि १७ तारीख को सुबह वह वहां बेंच के ऊपर मरा हुआ पाया गया। डाक्टरों को, सरकार को और जनता को पता लगा कि अस्पताल में मर गया तो बड़ा शोर हुआ, उसका पोस्ट मार्टम किया गया। जब पोस्ट मार्टम किया तो १८ तारीख को उसका पोस्टमार्टम होता है। १८ तारीख को पोस्ट मार्टम के कमरे में वह लाश बन्द रहती है। वह १८ तारीख फिर गुजर जाती है और उसको दफनाने का इन्तजाम नहीं किया जाता है। सारे शहर में शोर गुल मचता है। राजनैतिक कर्यकर्ता जाते हैं, भागदौड़ करते हैं। सरकारी डाक्टर से पूछते हैं, बताइये यह क्या माजरा है। वह कहता है हमने तो म्युनिसिपेलिटी को, पुलिस को कह दिया था। अभी तक लाश को दफनाने का इन्तज़ाम नहीं हुआ है। जिन्दा को आप दवा देकर इन्तजाम नहीं कर सकते और यदि मरता है तो पोस्ट मार्टम के कमरे में लाश सड़ती है। हमारी सरकार को क्या कहें, स्टाफ को क्या कहें ? स्टाफ के अन्दर नौकरशाही का बोलबाला पूरा छाया हुआ है। यही एक घटना नहीं है।

दूसरी घटना बता सकता हूँ। एक ऊंट-वाला गांव में डाका डला डाकुओं ने आकर गोली चलायी। एक आदमी जख्मी हुआ, डाकुओं की गोली से अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया गया। अब उसकी गोली नहीं निकालते, डाक्टर को पैसा दे तों गोली निकाले। कई रोज तक गोली नहीं निकालने के लिए शिकायत की गई, रिश्तेदारों ने लिख कर दिया। पता नहीं गोली निकली या नहीं। जब रिश्तेदारों ने शिकायत की तो उसने उसको मजबूर किया। खुद डाक्टर चारपाई के पास आकर कहता है और वह उसका स्टेटमेन्ट ले जाता है कि कोई पैसा नहीं दिया। डाकुओं से जो घायल हुआ हो उससे तो हमदर्दी होनी चाहिये। ज्यादा से ज्यादा उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिये, अच्छी तरह से उसका इलाज होना चाहिये, लेकिन वहां पर गोली नहीं निकालते हैं, पैसा मांगा जाता है और शिकायत करने पर उसको दबाया जाता है जबरदस्ती उसको एग्री कराया जाता है। शिकायत की जाती है तो हमारे तो स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं उनको तो शिकायतों की कोई परवाह ही नहीं है। वे तो इस बात को समझते ही नहीं है कि शिकायत नाम जैसी कोई चीज़ हो वे तो हंसते हुए उसको टाल देते हैं। गम्भीरता होनी चाहिये। गम्भीरता नाम की चीज उनके पास से हट गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो बहुत कुछ कहना है।

श्रीमती सभानेत्री : बहुत कुछ कहना हैं लेकिन समय नहीं है।

श्री हरिराम (चौहान) : मैं जल्दी ही बोल कर समाप्त करता हूँ।

इसी तरह से एक कंसरडा गांव है। चार आदमी मर जाते हैं। रात को सोये और मर गये। उनके इलाज के लिए माला-

(श्री हरीराम चौहान)

खेड़ा से डाक्टर आता है। हैल्थ सेन्टर से डाक्टर आया। पचास रुपया का गाड़ी का बिल बना दिया घर में लोग मरे हुए हैं उसको पैसा चाहिये। इलाज करने के लिए कहा मैं अलवर लेजाना चाहता हूँ वहां कहता है नहीं कर सकता अलवर के अन्दर उस डाक्टर के द्वारा पैसे लिये जाते हैं। घर पर गया डाक्टर ने कुल ८०) का बिल दे दिया। इस तरह से लोगों के स्वास्थ की रक्षा नहीं हो सकती है इसकी जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये। लेकिन कोई भी शिकायत करो जवाब नहीं मिलता है। डाक्टरों के ऊपर हमारे मन्त्री महोदय का कोई अवसर नहीं है। नौकरशाही पर्दे के पीछे पूरी तरह काम करती है और जब उनको कहा जाय कि आप डाक्टर को सजा दें तो वे किसी डाक्टर को सजा नहीं देते हैं। चाहे कोई डाक्टर झूठ बोले और अपोइन्टमेन्ट ले ले, चाहे उसके पास से कोई चीज गायब हो जाय, और कोई गड़बड़ी हो जाय, चाहे लोगों की मृत्यु हो जाय, आप कुछ एक्शन नहीं लेते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो चार मिनिट में समाप्त करता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : दो मिनिट।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभानेत्रीजी . .

श्री हरिराम (चौहान) : हमारी पार्टी की तरफ से अभी समय बाकी है। आप (श्री महार) हमेशा ही गड़बड़ करते हैं। मेरे टाइम में ही बड़बड़ करते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना समय ही खत्म कर रहे हैं।

श्री हरिराम (चौहान) : अगर इस तरह से हम उन शिकायतों को पूरी तरह से नहीं सुनेंगे, उन डाक्टरों की इस तरह की हरकतों के खिलाफ बाकायदा कोई एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं फिर जांच करने से कोई फायदा नहीं है। जांच के अन्दर पैसा खर्च करते हैं। भुटौली के अन्दर एक लड़के की मृत्यु हो गई। २०) इस बात के डाक्टर ने ले लिये कि पोस्टमार्टम करे नहीं तो। लोगों को पता लगा तो वापिस लौटा दिये। सरकार की तरफ से जांच हो रही है। सरकार की ओर से जांच करने वाले टी. ए. डी. ए. का बिल लेंगे उस पर पैसा और खर्च हो जायगा और सजा नहीं मिली तो जांच से कोई फायदा नहीं। एक ट्रान्सफर मन्त्री महोदय ने किया और ८ बीमार पड़ गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं सभापति महोदया। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बोल रहे हैं और एक ही सदस्य बोल रहे हैं, उनको समय मिलना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : समय नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १५ मिनट का तो पूरा समय दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : दूसरी पार्टीज को भी समय देना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल दस मिनट हुए हैं। इनको पांच मिनट का समय और दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : दस मिनिट से अधिक का समय नही दिया जा सकता।

श्री हरिराम चौहान : परिवार नियोजन के सम्बन्ध में चर्चायें की गईं। एक नमूना मेरे पास है। होतूरामजी हैं उनका ओपरेशन किया गया। गलत जगह से नस कट गयी। अब वे बेचारे एक डेढ़ महीने से परेशान हुए। उन्होंने कहा, क्या मामला है ? इलाज नहीं होगा। डॉक्टर तो यह कहा करते हैं कि हमारे पास आप ओपरेशन कराओ, पट्टी बंधा करके रिक्शा के अन्दर बैठ कर घर जाओ और बाजार से सब्जी ले आओ बाद में। हम डेढ महीने से परेशान हो रहे हैं। अच्छा हमारा परिवार नियोजन किया। दुबारा जांच करते हैं तो कहते हैं कि यह ओपरेशन नाकामयाब हो गया। अभी भी वे तकलीफ में हैं। मंत्री महोदय आप चाहें तो मेरे पास नाम हैं, नोट करें तो मेरे से कागज ले लें। मैं पूछना चाहता हूं अगर इस तरह के दस-बीस मामले हुए, सो-पचास मामले आपने पैदा कर दिये तो....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कई तलाक हो गये हैं इसको लेकर। ओपरेशन होते हैं और बच्चे हो जाते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : ऐसा ही होने वाला है।

श्री हरिराम चौहान : वह परिवार नियोजन के चक्कर में बीच में ही लटक रहा है। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिये।

कई माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : सभानेत्री महोदया, मैं स्वास्थ्य-विभाग की मांग के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहां जहां आपने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोले हैं वहां पर डॉक्टर्स का इन्तजाम नहीं है। मैं जिस जगह से आया हूं बागोर में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खुला हुआ है लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है।

मांडल में डिस्पेन्सरी है लेकिन साल भर से वहाँ डाक्टर नहीं है बागोर में तीन साल से आज तक नहीं है।

करेडा में डिस्पेन्सरी है जब से वह डिस्पेन्सरी खुली है डाक्टर नहीं है। जब जब भी इस बारे में मिनिस्टर महोदय के पास पहुंचा हूं उनसे विनती की है जैसे कि कोई मैं अपराधी हूं कहा डाक्टर नहीं है, आसपास में सड़क नहीं है रोगी जा आ नहीं सकते। डाक्टर भिजवाइये वे कभी इन्कार नहीं करते हैं कल भिजवा दूंगा दो दिन में इन्तजाम हो जायगा लेकिन अभी तक इन्तजाम नहीं हुआ व कभी ना भी नहीं हुई तब मुझे एक श्लोक याद आता है
"ददाति स्वर्ण मुद्रां या गता सा पद्म शंखिनी

श्री निरंजननाथ आचार्य : अहम् ढपोरशंखोऽस्मि वदाम्येव ददामि न।"

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह तो आप कह रहे हैं। यह तो आचार्य जी कहते हैं। जब जब भी मैं आया हूँ कहा गया

(श्री गोकुलप्रशाद शर्मा)

कि हां साहब आज हो जायगा कल हो जायगा इसी तरह ही कहा है लेकिन होता नहीं है डाक्टर का इन्तजाम। पता नहीं नाराज हैं या क्या हालांकि नाराज हो नहीं सकते इन तीनों चारों जगह डाक्टर नहीं पहुंचे हैं। इन्कार आप किसी को करते नहीं हैं लेकिन वह काम होता भी नहीं है कहा जाता है कि डाक्टर्स की कमी है। बागोर में डाक्टर भेजा गया दूसरे महिने बुला लिया गया। शहरों में डाक्टर्स की कमी नहीं जहां दो दो तीन तीन मिल की दूरी पर डिस्पेन्सरियां है लेकिन जहां ५००, ५०० स्क्वायर मील के सर्कल में डिस्पेन्सरी में डाक्टर नहीं है। इसमें आपकी मनमानी नहीं चल सकती। जनता के साथ आप इस प्रकार खिलवाड़ नहीं कर सकते। यह दया का विभाग है दया करने वाले को देवता कहा जाता है अतः डाक्टर लोग दया के देवता हैं क्योंकि वे रोगी को रुग्णावस्था से स्वस्थ अवस्था में ले जाने वाले होते हैं अगर आपने इन दया के देवताओं के बारे में इस तरह का व्यवहार किया तो जनता नाराज हो जायगी। इसलिये जहां आपने गत वर्ष भी कहा था डाक्टर भेजने का गतवर्ष न सही इस वर्ष तो अवश्य भेजिये यही मेरा निवेदन है।

इसी तरह से जहां नर्सों, कम्पाउन्डरों की पोस्टिंग हो जाती है वहां वह भी नहीं पहुंच पाते हैं। भेजते हैं, उनका तबादला एक दूसरे ही दिन इधर उधर हो जाता है आपका विभाग तबादला करने में माहिर है। एक डाक्टर का जो ६–७ वर्ष से एक जगह है तबादला हो जाता है मिनिस्टर साहब के पास बहुत लोग पहुंच कर उसका तबादला रुकवा देते हैं ऐसे कई उदाहरण है। ऐसे भी मामले आये हैं जिनके मामले एन्टी करप्शन में चल रहे थे कि इन्होंने पैसा लिया है आॅन ड्यूटी उस केस को दबा दिया जाता है यह ठीक नहीं बैठता है। आपके इस विभाग में इस तरह से भ्रष्टाचार फैलता है आप इसे फ़ैलाने में मदद न कीजिये।

अब मैं बीकानेर मेडिकल कॉलेज के बारे में कहूँगा वहां के लिए कहा जाता है लड़के उद्दंड थे इसलिये कालेज बन्द कर दिया गया उद्दंड छात्र थे तो उनको ठीक करना चाहिये ताकि दूसरे लड़के जो पढ़ने से महरूम रह गये हैं वे तो पढ़ सकें। कॉलेज बन्द करने से जो एक साल दो साल तीन या चार साल के बाद निकलते वे हमारे यहां डाक्टरों की कमी को पूरा करते। आपने तो उसको एक फरमान के साथ बन्द कर दिया। इतने बड़े छात्र जो कुछ दिनों में पास होकर गजटेड ऑफिसर होंगे ऐसे छात्रों के प्रति आपको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये उनके प्रति दया का भाव लाना चाहिये। जो लड़के बदमाश हैं उनको हटाने की कोशिश कीजिये पर जिन्होंने शैतान लड़कों के साथ मिल कर इसमें भाग ले लिया है तो उनको माफ कर दीजिये उनको पढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। अब मैं आयुर्वेद विभाग के बारे में कहना चाहूँगा।

आपके पास नजदीक ही यहां जयपुर में एक आयुर्वेद आतुरालय है उसी के सामने मैले की गाड़ियाँ ला ला कर डाली जाती हैं.......

श्री दौलतराम सारण (उपमन्त्री आयुर्वेद) : वह सब साफ हो गया है आप जानकारी कर लें।

श्री गोकुल प्रशाद शर्मा : अभी साफ नहीं हुआ। कॉलिज के पास में हरिजनों से क्वार्टर लेकर किराये पर लेकर लड़कों को ठहराया जाता है । आप ऐसा मेडिकल कॉलेज के लिये क्यों नहीं करते उनको आप अच्छी फेसीलिटीज देते है लेकिन आयुर्वेद के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्यों ? हरिजनों से किराये पर क्वार्टर लेकर लड़कों वहां रखा जाता है चारों तरफ दुर्गन्ध फैली हुई है इसके बाद भी वे पढ़ना चाहते हैं।

इसी प्रकार वैद्यों के पे सवाल है एलोपेथिक कम्पाउन्डर की पे रिवाइज्ड वैद्य को पे से अच्छी है जहां वे पन्द्रहवें ग्रेड में है तो वैद्य १४ वें स्केल में हैं। वैद्य का १०५ से प्रारम्भ होता है और कम्पाउन्डर फर्स्ट ग्रेड का १३० से प्रारम्भ होता है। जहां डाक्टर बनने में जितने साल लगते हैं उतना ही पांच साल का पीरियड भिषगाचार्य में लग जाता है। देशी पद्धति है इसलिए ये कम्पाउन्डर जितना भी वेतन नहीं पायेंगे। यह भावना आपको छोड देनी चाहिए।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : भिषगाचार्य को १०५ से ही स्टार्ट करते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने कहा भिषगाचार्य को II पर १३० दिया जाता है और III ग्रेड पर जब कि कम्पाउन्डर को १३० से शुरू करते हैं !

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : मैट्रिक पास को देते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कोटा के "महाराज भीमसिह अस्पताल" में सज्जाह हुसेन नाम के डाक्टर थे जिनको एन्टी करप्शन ने रिश्वत का पैसा लेते हुए पकड़ा। वह मामला आपके डिपार्टमेन्ट के पास आया आपने कहा ले सकते हैं लेकिन जब लॉ डिपार्टमेन्ट के पास गया लॉ डिपार्टमेन्ट ने यहा नहीं लेना चाहिये। एन्टी करप्शन विभाग चक्कर काटता रहा आपके पास वह मामला पड़ा हुआ है आप कुछ नहीं कर रहे हैं अगर आपने एक सज्जाह हुसेन को इस तरह की रियायत दे दी तो सैकड़ों इस तरह करने लगेंगे।

करेडा, बागोर और मांडल इन तीनों जगह पर आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर भिजवाने चाहिये।

अब में जन-स्वास्थ्य के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ पंचायत समिति की मार्फत अनुदान ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिये दिया जाता रहा है। खेद के साथ निवेदन करना पडता है कि गत वर्ष भी इसके लिये कुछ नहीं दिया गया इस वर्ष भी कोइ प्रावधान नहीं है जैसे मानो सारे गांवों में जल की पूरी व्यवस्था हो गई।

दूसरी तरफ शहरों की हालत यह है कि अर्बन जल प्रदाय योजनाओं के लिये करीब ७० लाख रुपया रखा गया है। ७० लाख का प्रोवीजन केपीटल आउट ले में करते हैं और गांवों के लिये एक पैसा भी नहीं करते। ग्रामीण जल प्रदाय योजना लागू जरूर की है कुओं और नल के लिये १६ लाख रुपया रखा है जहां १ करोड़ ७० लाख आदमियों के पीने का पानी का सवाल है वहां केवल १६ लाख रुपया और शहरों में जहां की आबादी १.५ है वहां आप ७० लाख रुपया रखते हैं। दूसरी ग्रामीण सफाई

(श्री गोकुलप्रशाद शर्मा)

का सवाल है वहां आप एक पैसा लगाना उचित नहीं समझते लेकिन शहरों में सफाई के लिये ६७ लाख का प्रावधान किया है। आप सफ़ाई की व्यवस्था करते हैं गांवों की तरफ ध्यान नहीं देते यह बेढंगा मामला चलने वाला नहीं है। गांवों में पीने के पानी की बड़ी कमी है मैं यह दर्द भरी आवाज से कहना चाहता हूँ कि अगर यही रफ्तार रही तो सौ साल तक भी पानी का इन्तजाम नहीं कर पायेंगे।

हमारे गांवों में स्वच्छ जल मिले भले ही दूसरी स्कीमों को हम काट दें लेकिन पीने के लिए पानी दें। इस सरकार के लिए और इस सदन के लिए भी यह जरूरी है कि यह सदन व्यवस्था करे कि प्रत्येक गांव में कम से कम स्वच्छ पानी वहां के रहने वाले पी सकें, इसका इन्तजाम करें। पानी पीने के लिए नहीं दे सकते हैं तो उनको क्या हक है कि यहां बैठकर शासन चलायें ? तमाशा है। आज हम पीने का पानी भी नहीं दे पायेंगे। आप जहां यह घोषित करते हैं कि खाना, रोजगार, मकान सब देंगे वहां पानी लाने के लिए परिवार का एक आदमी दिन भर लगा रहता है बीस-बीस मील चल कर उसको पानी लाना पड़े और एक एक, दो–दो घड़ा ऊंटों पर लाकर अपना दिन निकालते हैं। आप १२०० फीट ऊंचे तक लिफ्ट करते हैं। राजमहल से अजमेर के लिए। लेकिन राजस्थान कैनाल जहां कि ५००-५५० फीट ही लिफ्ट करना पड़ेगा वहां ३–४ डिस्ट्रिक्ट को जिससे पानी मिल जायेगा वहां आप नहीं करते। लेकिन १२०० फीट ऊंचे से अजमेर में पानी लाना जरूरी है। आप शहरों के निस्बत गांवों की अवहेलना मत कीजिए। बजट की कमी है तो किसी जगह से काट दीजिए। लेकिन पानी का इन्तजाम कीजिए। पानी अगर नहीं मिला तो बड़ा दुःख होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां तक डाक्टरों को विदेश भेजने का प्रश्न आता है वह नियमानुसार ही भिजवाये जायें। आयुर्वेद में नियुक्तियों के बारे में उप-मंत्री जी सुन लें। मंत्री महोदय तो हैं ही नहीं। आयुर्वेद में नियुक्तियों के बारे में बड़ी अनियमिततायें होती हैं, उनको सुधारा जाये और अनियमिततायें नहीं की जायें।

सभानेत्री महोदया, एक बड़ी भारी बात कहना चाहूंगा। वह व्यक्तिगत है। मेरा भाई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा भीलवाड़ा में। उसके बाद उसे गलती से न जाने किस प्रकार विष दिया गया। एक बेलेडोना नाम की एक विषाक्त औषधि होती है- वह १ पौंड चुराकर ले जाने के लिए एक आदमी ने आलमारी में से निकाल कर बाहर रख दी। दूसरा कम्पाउन्डर मिक्सचर पिलाने की जगह वही शीशी जिसमें बेलेडोना था लाकर दे देता है और कहता है कि यह पी लो। उसने गले से वह दवा उतारी और सभापति महोदया, इसमें मना मत कीजिए, घण्टी मत बजाइये, दुःख मुझे होता है क्योंकि मेरा भाई था, चाहे आपको सुनने में न आये तो उस दवा को गले से उतारते ही अंधिया गया। आदमी नार्मल कोर्स में दो–तीन मिनिट में मर जाता है। उसको जलन हुई उसने शीशी वहीं रखी और डाक्टर को बुलाकर पूछा कि यह कौनसी दवा है, तो डाक्टर ने कहा कि यह दवा तो विषाक्त है। उसको उल्टी वगैरह करवाई गयी और उसके बाद उसका दो-

(श्री गोकुलप्रशाद शर्मा)

चार महीने इलाज हुआ। मैं डायरेक्टर साहब के पास आया, भीलवाड़ा में भी इलाज करवाया। लेकिन उसके इलाज की व्यवस्था वहां संतोष जनक नहीं रही और मैं उसको जयपुर ले आया। यहां पर भी मैं मिनिस्टर साहब से और डाइरेक्टर साहब से भी मिला और जो डाक्टर सहाब इलाज करना चाहते थे और जिससे ठीक हो सकता था उसका बेड बदलवाने के लिए सिफारिशें करवानी पड़ीं। अब जिस आदमी ने चोरी की। उसको प्रमोशन मिला है। जिसने गलती की या लापरवाही से वह विष मेरे भाई को दिया। उसको प्रमोशन मिला है। चोरी करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि मेरे भाई को विष दिया इसलिए उसको निकाल दिया जाय। लेकिन प्रमोशन ऐसे लोगों को देगें तो मन्त्री महोदय, अनुशासन नहीं रहेगा न व्यवस्था ही रहेगी परन्तु उन्हीं दिनों उस को प्रमोशन दे दिया गया है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि दूसरे आदमियों के साथ भी वह उसी तरह की हरकत करेगा। उस औषधि का क्या नाम था, आप ने क्या उपचार दिया मैं और किसी प्रान्त में जा कर दिखाता और उसका इलाज करवाता, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया। वह जो बेड पर तालिका रखी हुई थी वह उठाली गयी, वह आज तक नहीं दी है इस विभाग ने। एक साल से ऊपर हो गया। क्या तो दवा थी, बेलेडोना तो थी लेकिन क्या पता वह पाइजन उसके दिमाग में एब्जोर्व कर गया या कहां कर गया, यह जांच कराने के लिए दूसरे प्रान्त में मैं जाना चाहता था। लेकिन वह तालिका मुझे आज तक नहीं दी गई। क्यों कि इस प्रान्त के इलाज में तो मुझे विश्वास नहीं। मैं चाहता था कि दूसरे प्रान्त में इलाज करवाऊं, लेकिन मुझे दवा क्या दी उसके लिए जानकारी नहीं दी अगर यह पेशा ऐसा रहा तो नहीं चलेगा। यह तो दया के देवताओं का विभाग है, दया करना उन रोगियों पर कि जो करुणावस्था में हैं। लेकिन इसके बदले उनके साथ खिलवाड़ होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, मेरा भाई तो ठीक है, मुझे सालभर लगा है, बाहर जाकर उसका इलाज कराने में। लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा कि आइन्दा आप अपने विभाग को सख्त कीजिए। ये बेईमानी और चोरियाँ मत होने दीजिए आप।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय सभानेत्री महोदया........

श्रीमती सभानेत्री : आपकी पार्टी का समय हो गया है।

श्री मानसिंह महार : १४ आदमियों को ८५ मिनट मिले हैं और हमारी पार्टी ने तो ४७ मिनट ही ली हैं। यह तो हमारे साथ अन्याय है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आपकी पार्टी का समय हो गया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदया........

श्रीमती सभानेत्री : आपकी भी पार्टी का समय हो गया है।

श्री मानसिंह महार : मैं ५ मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मानसिंह महार : माननीय सभानेत्री महोदया, मुझे सिर्फ ५ मिनट ही दिये जायें।

श्रीमती सभानेत्री : अच्छा, लेकिन छठा मिनट नहीं होगा।

श्री मानसिंह महार : अच्छा।

सभानेत्री महोदया, सदन के समय आज कई दिनों के बाद में मेडिकल विभाग उपस्थित हुआ है। मुझे खुशी है कि डाक्टर मेहता को डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विसेस बना दिया लेकिन दुर्भाग्य का नमूना है कि जो विभाग में सामान की खरीद फरोक्त की जाती है और जिसमें आज तक डाइरेक्टर उसका चेयरमैन होता था या उस कमेटी में होता था उसमें उन्हीं ओझा साहब को लिया गया है जो मन्त्री महोदय के कृपा पात्र हैं। इस प्रकार की बातें होती हैं तो सभानेत्री महोदया, दुख होता है। मन्त्री लोग हमारे मित्र हैं, साथी हैं। हम ज्यादा नहीं कहना चाहते सभानेत्री महोदया, माननीय मन्त्री महोदया स्वयं खुला सा कर देगी ऐसी मैं आशा करता हूं। लेकिन मेहता साहब को उस कमेटी में नहीं रखा गया क्योंकि वह एक निहायत ईमानदार और योग्य आदमी हैं और वह इस प्रकार की बातों को टालरेट नहीं करेंगे कि फलां फर्म को यह दे दिया जाये और वह दे दिया जाय। तो मेरी शिकायत यह है और सीधी शिकायत है और मन्त्री जी से खुद से है क्योंकि वे मेरे मित्र हैं।

दूसरी बात मैं निवेदन करूं। बीकानेर मेडिकल कॉलेज की बातें इस सदन में कही गयीं और डाक्टर मेहता को जिस प्रकार से एक कमेटी ने एग्जोनरेट किया, उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि उसी कमेटी ने जिस आदमी पर यह चार्ज लगाया कि बीकानेर के उस डाक्टर ने स्टुडेन्ट्स को बहकाया, उसने आपके कहने से स्टुडेन्ट्स को बहकाया इस लिए अब जयपुर के मेडिकल कालेज को बरबाद करने लिए उसको यहां भेज दिया है.......

श्री बरकतुल्ला खां : This is the same repetition of the old charges.

श्री मानसिंह महार : उस डाक्टर को जयपुर में लाकर इसलिए बिठा दिया गया कि अब जयपुर के मेडिकल कालेज को भी बरबाद किया जाय और यह सरासर अन्याय है और खासकर जयपुर के साथ में।

इसके अलावा इस सदन में उदयपुर मेडिकल कालेज की जमीन के मुआवजा देने संबंधी जो बातें और उसकी इन्क्वायरी की बहुत बड़ी बात कही गयी थी वह भी बहुत दुख पूर्ण विषय है कि जो इन्क्वायरी की गई वह अधूरी की गई। जो इन्क्वायरी करने गये और जो उसके सामने बयान देना चाहते थे उनके बयान नहीं लिये गये और एक तरफ इन्क्वायरी करके आप लीपापोती करना चाहते है....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : बयान ही नहीं लिये बल्कि सिर्फ एक दिन के लिए वह कमेटी गयी और वापस आ गयी।

श्री मानसिंह महार : आप अपने आदमियों को यदि सफा कराना चाहते हैं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

तो आपको जनता को भी सुनना पड़ेगा। आपको जो गलत बातें कही जाती हैं और आप गलतियां करते हैं उनको सही तरीके से सुनकर सदन में रिपोर्ट दी जाये।

इसके अलावा, मेरा समय चूंकि समाप्त हो रहा है एक मुद्दे की बात और कहना चाहता हूं। आज जो मेडिकल अलाउन्स नहीं दिया जाकर बिल्स को एन्डोर्स कराने का सिस्टम है वह हमारे प्रान्त के लिए बहुत घातक चीज है। आप अपने सरकारी नौकरों को इसके जरिये बेईमानी सिखाते हैं। आज जयपुर के अन्दर जहां जहां भी सरकारी अफसरान रहते हैं वहां पर इस प्रकार की दुकानें हैं कि जिनको एन्डोर्समेन्ट के बाद वह दवाइयां देते हैं। और अगर मैं गलत कहता हूं तो फिर एक चेलेन्ज देता हूँ मेडिकल मंत्री महोदय को कि आप मुझसे मिलें, आप मुझे समय दीजिए मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके कुछ सरकारी नौकर ऐसे हैं कि जो मेडिकल अलाउन्स के नाम पर ही जीते हैं। तनख्वाह तो १०० रुपये और ३०० रुपये का री—इम्बर्समेन्ट लेते हैं। इसको रोकने के लिए आपको चाहिए कि मेडिकल अलाउन्स मुकर्रर कर दिया जाये और री—एम्बर्समेन्ट जैसी चीज को रोका जाये, खत्म किया जाये। ये तीन-चार मुद्दे मैंने कहे।

(१०० म० प०)

मैं वाटर वर्क्स के बारे में भी बहुत बातें कहना चाहता हूँ। जब से मन्त्रीजी इस विभाग में आये हैं इस विभाग का भी खात्मा कर दिया है। मैं कहता हूँ कि इन मन्त्रीजी के जितने विभाग हैं उनको मोस्ट इनएफिशियेन्ट डिपार्टमेंट आफ, राजस्थान कहना चाहिए। (शेम, शेम) मैं आपसे सही कहता हूँ कि इस विभाग में बहुत बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले चल रहे हैं। उसके बारे में अगर मन्त्रीजी चाहेंगे तो जाकर स्पेसिफिक इन्स्टान्स दूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि आज आपका आदेश ५ मिनिट का हुआ है इसलिए अधिक डिटेल मैं नहीं जाऊंगा लेकिन एक बार प्रार्थना जरूर करूंगा मन्त्रीजी से कि वह इस सदन में वह यह कहें कि डा० मेहता को आपने परचेज कमेटी में क्यों नहीं रखा? दूसरी बात यह बताइये कि डाक्टर मेहता को एस० एम० एस० हास्पिटल में क्यों नहीं जाने दिया? इन दोनों बातों का आप जवाब दें सदन के अन्दर और उदयपुर में होने की बात की क्या जांच हुई। इससे ज्यादा मैं अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता और आपकी आज्ञा से अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(विराम)

श्री मानसिंह महार : यह एक दवा की शीशी मैं लाया था वह सदन की मेज पर रखता हूं। आज दवाइयां जहर हो रही हैं लोगों के लिए।

(हंसी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मन्त्रीजी उत्तर देंगे।

श्री दौलतराम सारण (उप मंत्री आयुर्वेद) : माननीय सभानेत्री महोदया, . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, यह एक व्यवस्था का सवाल है कि होना यह चाहिए कि इस तरह से जो कई चीजें लाकर पटकी जा सकती हैं, कि उसका आपको नोटिस देना चाहिए कि यह दवा या यह चीज रखी जायगी। बगैर नोटिस इस तरह से चीजें रखेंगे तो इस मेज पर कई चीजें पड़ जायगी। हम सब लाने को तैयार हैं। यह कन्वेन्शन चल रहा है कि झट बोतल आती है। जाने कहां से बोतलें आती हैं। तो इसका पता चलना चाहिए कि किस कम्पनी की है, क्या है और क्या नहीं है।

श्री मानसिंह महार : इसको आप पीकर देखें तो मालूम पड़ेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कौन सी कम्पनी की है, कहां से आ गई है, क्या है ? महार साहब घुसे हुए हैं उसके अन्दर या कीड़ा घुसा हुआ हैं ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उसमें ज्वालाप्रसादजी घुसे हुए हैं। (हियर, हियर)

श्रीमती सभानेत्री : Order please. माननीय मन्त्रीजी उत्तर दें।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का क्या हुआ ?

श्रीमती सभानेत्री : This is not point of order.

श्री दौलतराम सारण : आज सदन के सम्मुख आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में सुझाव रखे गये। माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद के बारे में बड़ी सहानुभूति प्रकट की। इससे हम लोगों को जो आयुर्वेद विभाग में काम करते हैं बड़ा प्रोत्साहन मिला है। और उन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है आयुर्वेद के बारे में . . .

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : हमको नहीं, महाबदौलत कहिये।

श्री दौलतराम सारण : आप मुझे ही कह लेने दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आप शान्ति रखें तो अच्छा हो, स्वास्थ परम्पराओं के मातहत।

श्री दौलतराम सारण : कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न रखा है कि आयुर्वेद के सम्बन्ध में कि मेडिकल विभाग की अपेक्षा इस विभाग के साथ उपेक्षावृत्ति बरती जाती है। उसको धनराशि कम दी जाती है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं आपके सामने स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जब से राजस्थान में यह सरकार काम करने लगी है आयुर्वेद को बराबर प्रोत्साहन दिया है। राजस्थान सरकार का ध्यान इस बात की तरफ बराबर रहा है कि राजस्थान में आयुर्वेद पनपे, आयुर्वेद की प्रगति हो, क्योंकि राजस्थान सरकार इस बात को मानती है कि आयुर्वेद राजस्थान के जन-जीवन में है, राजस्थान में आयुर्वेद उसकी सांस्कृतिक परम्परा में है और आयुर्वेद राजस्थान के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है इस परम्परागत चिकित्सा पद्धति के बारे में राजस्थान सरकार की आस्था इस बात से जाहिर होती है कि जहां राजस्थान का बजट पहले केवल १४.८८ लाख का था वहां आज ७२.६० लाख

(श्री दौलतराम सारण)

का है। इससे आप अन्दाजा कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार इस तरफ कितनी सक्रिय है। इसके अलावा जहां औषधालयों की संख्या राजस्थान के प्रारम्भ में केवल ३४६ थी आज १३४८ के लगभग है इसी तरह से औषधालयों के निर्माण और खरीद के अन्दर जहां केवल १.७५ लाख रुपया था वहां आज ८.३५ लाख का प्रावधान है।

वेतन-स्तर के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहीं गईं लेकिन बाद में मैं उन पर प्रकाश डालूंगा। इसी तरह से जहां पहले शिक्षण की इतनी माकूल व्यवस्था नहीं थी आज शिक्षण की भी माकूल व्यवस्था है और प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : विशेष व्यवस्था क्या की गई है ?

श्री दौलतराम सारण : आप मुझे पहले सुन लें। उसके बाद में कुछ कहना चाहें तो कहें।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक राजस्थान सरकार का सम्बन्ध है राजस्थान सरकार आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के दृष्टिकोण से देखती है और राजस्थान की जनता की चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए इसको बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति स्वीकार करती है। इसीलिए राजस्थान सरकार ने आयुर्वेद को महत्व देने की दृष्टि से अलग मंत्रालय और अलग संचालक कार्यालय स्थापित किये हैं। और इसी दृष्टिकोण से राजस्थान के जो मैंने अभी आंकड़े बतलाए हैं वे आपको बतलाते हैं कि राजस्थान सरकार का ध्यान इस तरफ कितना अधिक है।

इसके अलावा, मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जिससे राजस्थान सरकार के ऊपर आयुर्वेद के प्रति जो उपेक्षावृत्ति अपनाने का दृष्टिकोण प्रकट किया गया है वह उनका भ्रम दूर हो जायगा। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद का बजट लगभग ७० लाख का है, पंजाब को १० लाख का है, महाराष्ट्र का २२ लाख का है और गुजरात का निश्चित तो मालूम नहीं हैं लेकिन थोड़ा ही है। मद्रास में करीब १ लाख का है और केरल में ४० लाख का है, मध्य भारत में २० लाख का है, जब कि राजस्थान में आयुर्वेद का बजट जो है वह ७२ लाख से ऊपर का है। वह सबसे अधिक है।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : आप स्वयं जो बार बार यह कहते हैं कि आयुर्वेद को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखते हैं यही प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित कर दिया कि आयुर्वेद के साथ उपेक्षावृत्ति की जाती है।

श्री दौलतराम सारण : आपने अपने विचार प्रकट कर दिये मुझे भी सुन लें।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : मैंने मन्त्री महोदय को इसलिए अर्ज किया कि आप आयुर्वेद का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोत्साहन देना चाहते हैं और इसको राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति बनाना चाहते हैं। इसलिए अर्ज किया।

श्री दौलतराम सारण : मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूँ कि

Page No. 119

(श्री दौलतराम सारण)

आयुर्वेद के बारे में उनके दिल में जो आस्था है, उनके दिल में जो दर्द है तो उनको मालूम होगा कि मैं भी आयुर्वेद के विस्तार और विकास और आयुर्वेद की बहबूदी की भावना रखता हूं और यह सरकार भी रखती है। यह मान कर चलना चाहिए कि जो सदन को मैंने बतलाया है. वह स्पष्ट है। लेकिन केन्द्रीय सरकार क्या करती है और क्या नहीं करती है, यह केन्द्र का सवाल है। आपकी मार्फत और इस सरकार की मार्फत केन्द्रीय सरकार के सामने प्रश्न रखा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि केन्द्रीय सरकार इसके बारे में जागरुक है। केन्द्रीय सरकार भी कई तरह से आयुर्वेद की समस्याओं का हल उन पर कमेटियां बना बना कर खोजती है। लेकिन उससे मेरा अभी सीधा सम्बन्ध नहीं है। मैं उस स्थिति में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो स्थिति यहां पर है मैंने प्रस्तुत कर दी है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यहां की स्थिति तो साफ है, आपका स्ट्रक्चर देख रहे हैं और एलोपैथी वालों का देख रहे हैं।

(हंसी)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : इस्तेमाल के पहले का और इस्तेमाल के बाद का देख रहे हैं क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मुझे इस बात पर····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्षमता आयुर्वेद की ज्यादा है, यह विश्वास रखें।

श्री दौलतराम हाण्डा : मेरी यह पूरी····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह क्षमता तो ज्यादा परीक्षा की है।

श्री दौलतराम सारण : आयुर्वेद के बारे में आस्था है। उन्होंने अपनी राय प्रकट करके जो आयुर्वेद को बल प्रदान करने की चेष्ठा की है उसका एक दिन परिणाम आयेगा कि आयुर्वेद भी दूसरे विभागों की तरह फलेगा-फूलेगा और उसमें अधिक धन राशि उपलब्ध होगी, लेकिन आज जो स्थिति है वही मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इससे तो आयुर्वेद सूखता ही जा रहा है आपको देखते हुए।

श्री दौलतराम सारण : आप महरबानी करके सुनने का कष्ट करें।

श्रीमती सभानेत्री : Don't interrupt please.

श्री दौलतराम सारण : मैं यह कह रहा था आपके सामने कि आयुर्वेद के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने ध्यान दिया है और बराबर इसकी प्रगति हुई है।

जहां तक आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वालों के वेतन-स्तर का सवाल है अगर हम इसकी तुलना स्वास्थ्य विभाग से करते हैं तो निश्चित रूप से वेतन-स्तर कम है।

(श्री दौलतराम सारण)

लेकिन यदि हम पहले की स्थिति से तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें प्रगति हुई है। मैं आपके सामने यह प्रकट करना चाहता हूँ कि जहां पहले वेतन स्तर·······

एक माननीय सदस्य : आजादी के पहले क्या था ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : स्वतंत्र भारत के बाद का बतलाइये।

श्री दौलतराम सारण : जहां १.४.५० से २६.६.५० तक फर्स्ट ग्रेड १५०–१०-२५० था वह १७०-१०-३२०-१२।।-३८५ हुआ और जहां सेकन्ड ग्रेड १००-१०-१५० था वह १३०-५-१५५-१०-२३५-२५० हुआ और थर्ड ग्रेड पहले ६०-५-१०० था वह १०५.५.२०० हुआ। इससे आपके सामने स्थिति स्पष्ट है कि वेतन स्तर में भी राज्य सरकार ने वृद्धि की है और स्थिति में भी बराबर प्रगति हुई है। हां, यह ठीक है कि जो समय अध्ययन में लगता है और जो दायित्व का काम वैद्यों का है उसको देखते हुए यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। यह ठीक है कि जो धारणा आपकी वेतन के बारे में है मैं उससे इन्कार नहीं करता, वह भावना कदर लायक है लेकिन जैसी स्थिति आज है और जैसा आर्थिक संकट का वातावरण देश में है उसको देखते हुए राज्य सरकार फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वेतन दरों में वृद्धि करे। लेकिन समय आयेगा, आर्थिक स्थिति ठीक होगी उस समय राज्य सरकार अवश्य ध्यान देगी। इस स्थिति में भी उनके साथ हमारी सहानुभूति है लेकिन राज्य सरकार को साधनों और स्थिति के मुताबिक आज जो करना था वह किया है। उपेक्षा बरतने का जहां तक आरोप है वह सही नहीं है।

इसी तरह से कुछ बातें कट मोशन्स की मार्फत कुछ साधारण स्थानीय समस्याओं की भी सामने लाई गई, कुछ माननीय सदस्य बोल नहीं सके लेकिन फिर भी जो समस्याएं सामने लाई गई हैं औषधालय खोलने के सम्बन्ध में, वैद्यों के स्टेन्डर्ड के संबंध में और इसी तरह औषधालयों के संबंध में उनके बारे में भी मैं इस समय विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक इस विभाग का संबंध है, यह प्रयास किया गया है कि इसके कार्य कर्ताओं को न्याय मिले और नियम और कायदे से जो कुछ किया जा सके किया जाय।····

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : रूरल एरियाज में अलाउन्स देने के बारे में क्या विचार है ?

श्री दौलतराम सारण : २ मिनट बाद पूछ लीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य बार बार इन्टरप्ट न करें।

श्री दौलतराम सारण : यह भी कहा गया कि औषधालयों में औषधि ठीक नहीं मिलती, पूरी नहीं मिलती, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पहले प्रारम्भिक काल में केवल ३००) की दवाइयां मिलती थीं वहां आज 'सी' क्लास औषधालय में ६००) रु० की औषधियां मिलती हैं। स्टाफ के बारे में कहा गया कि पर्याप्त स्टाफ नहीं

(श्री दौलतराम सारण)

है, में निवेदन करूं कि 'सी' श्रेणी के औषधालय में १ वैद्य, १ उप वैद्य और एक परिचारक इतना स्टाफ रखा जाता है। 'बी' श्रेणी के औषधालय में ६००) की दवाइयां दी जाती हैं, और भी आवश्यकता हो तो अधिक दवाइयां दी जाती हैं। दवाइयों के अभाव में किसी भी औषधालय में अन्तर नहीं किया जाता है, जब जब मांगते हैं तब तब दवाइयां दी जातीहैं। 'ए' श्रेणी के औषधालय में ५ हजार से लगाकर २५ हजार रु० तक रोगियों की संख्या के अनुपात से दवाइयां दी जाती हैं। इससे आपके सामने स्पष्ट है कि सरकार ने सभी औषधालयों को ठीक करने की ओर ध्यान दिया है और स्टाफ भी रखा है।....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार की तरफ से इस बात की जांच की गई है कि आयुर्वेदिक औषधालयों का खर्चा जो सारे राजस्थान में होता है उसके हिसाब से जो बीमार आते हैं जिनकी एन्ट्री होती है, प्रत्येक व्यक्ति पर दवाई का कितना खर्चा आता है, एस्टेब्लिशमेन्ट और बाकी चीजों को छोड़ कर ?

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार ने रोगियों की संख्या और दवाइयों की आवश्यकता को देखते हुए व्यवस्था की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) दवाइयों पर पर हैड एक्सपेन्डिचर कितना है ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। अलग से निवेदन कर दूंगा।

श्री भीखाभाई (आयुर्वेद मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य पर केपिटा एक्सपेन्डिचर दवाइयों पर बताने की बात कह रहे हैं। अभी चार दिन की बात है, लम्बे अर्से की बात नहीं है, मैं खुद फ्लू से बीमार हूँ मुझ पर २) रु० की औषधि खर्च नहीं हुई, मेरी पत्नी बीमार हुईथी। उस पर करीब ५०) १००)रु० खर्च हुए। एक उप मंत्रीजी जो इस समय हाजिर नहीं हैं उन्होंने एक पैसा भी दवाई पर खर्च नहीं किया। यह तो दिनचर्या, का सवाल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही इलाज साथियों को भी बता दें।

श्री दौलतराम सारण : इसमें संदेह नहीं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जहां सस्ती है उसके साथ ही साथ उपयोगी भी है। केवल सस्ती होना ही एक गुण नहीं है लेकिन उसके साथ ही लाभकारी भी है गुणप्रद है। वह रोगों को दबाती नहीं है, जड़ से उन्मूलन करती है, सस्ती तो है ही, वह स्वास्थ्य प्रदान करती है और किसी भी सूरत में हानिकारक नहीं है। यह इसकी सबसे बड़ी खूबी है। रोग का शमन करके उन्मूलन करती है। आयुर्वेद पद्धति हमारी आर्थिक स्थिति के अनुकूल है क्योंकि मंहगी चिकित्सा पद्धति हमारे लिये सह्य नहीं है। इस दृष्टि से आयुर्वेद की चिकित्सा सस्ती, सुगम और सुलभ है। जिस प्रकार का रोग है, उसी प्रकार की दवाई प्राप्त है। इस तरह की यह चिकित्सा पद्धति है और यह चिकित्सा पद्धति राजस्थान की बहुत सेवा कर रही है। यद्यपि हमारे आर्थिक साधन ऐसे नहीं हैं कि अच्छे तरीके से सेवा कर सकें लेकिन जितने साधन हैं उनको देखते हुए काफी बड़ी सेवा

(श्री दौलतराम सारण)

आयुर्वेद के माध्यम से हो रही है। जहां सन् ५६ में केवल ११४ रोग शय्याएं थीं, वहां आज २०० से भी अधिक हो गई हैं। इसी तरह से जहां आयुर्वेद औषधालय है वहां ६२-६३ में १४ लाख जनता की औसत संख्या प्राप्त हुई है, उसी तरह से मैं आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार आयुर्वेद के माध्यम से अपने साधनों की सीमा में निरंतर प्रयास किया है इस बात का कि अधिक से अधिक आयुर्वेद का प्रसार हो। आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले, ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले और आयुर्वेदिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का वेतन स्तर का और दूसरी सुविधाओं का ध्यान रखा है। प्रशिक्षण की व्यवस्था की हैं, रिफ्रेशर कोर्स चलाये हैं। उप वैद्य और धात्रियां करीब ५०० शिक्षित हो चुकी हैं। उसी तरह हमने शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रगति और विकास के लिये यह प्रयास किया है कि शिक्षा की सुविधा विश्व विद्यालय की मार्फत हो और राजस्थान विश्वविद्यालय में आयुर्वेद फेकल्टी मुकर्रर करदी है यह सुनकर आपको हर्ष होगा (करतल ध्वनि)। जुलाई से शुरू होने वाले सत्र से फेकल्टी के अन्तर्गत परीक्षाएं चालू करदी जायेंगी।

इसी तरह मैं यह कह रहा था कि राजस्थान में निरन्तर इस बात का प्रयास किया है कि साधनों की सीमा में रहते हुए आयुर्वेद का प्रसार और विस्तार किया जाय और लोगों को राहत दी जाय।

श्री रामकिशन (वैर) : एक जानकारी लेनी थी.......

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में जवाब नहीं दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): On a point of clarification.

श्री रामकिशन : एक जानकारी लेनी थी....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : क्वेश्चन में ले लेना कभी। अभी क्या जानकारी लेनी है। टाइम तो देखो, अब सबको भूख लग रही है।

श्री रामकिशन : क्वेश्चन के टाइम पर पूछें तो कह देते हैं कि बजट के टाइम पर पूछ लेना और अब पूछें तो कहतेहैं कि क्वेश्चन के टाइम पर पूछें।

श्री नाथूराम मिर्धा : पूछ लेना, अभी तो जिन्दगी पड़ी है।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मन्त्री) : सभापति महोदया, बहुत से मुद्दे सामने आये हैं, हम इनके बारे में अपनी तरफ से अर्ज करना चाहते हैं...

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप शांत रहिये।

श्री बरकतुल्लाखां : जहां तक चिकित्सा और स्वास्थ्य का ताल्लुक है, हम इस प्रोबलम को आइसोलेशन में जज नहीं कर सकते। यह प्रोबलम इन्टर-रिलेटेड है इकोनोमिक कन्डीशन्स, इकोनोमिक डिस्पेरिटी

(श्री बरकतुल्ला खां)

और सोशियल प्रोब्लम्स से। इसको आइसोलेशन में लेकर जज नहीं करते और इन प्राबलम्स की लाइट में जज करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम चाहे जितना खर्च करदें, तो भी फिलहाल के लिए हम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते। इसका सारा बैक ग्राउन्ड हमें देखना पड़ेगा, इस अन्दाज के साथ कि जहां एक आदमी को पूरी खुराक नहीं मिलती है, खुराक बढ़िया नहीं मिलती तो यकीनी तौर पर वह जल्दी बीमार पड़ेगा। वह आदमी जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा तो यकीनी बात है कि दूसरी बीमारियों का भी हमला होगा। आज घरों के अन्दर सेनीटेशन नहीं है और ज्यादा लोग एक मकान के अन्दर रहते हैं तो यकीनी बात है कि ज्यादा बीमारी होने की गुंजाइश है। इस प्रकार यह प्रावलम एक सोश्यो-इकोनोमिक प्राबलम है और जो इन्टर-रिलेटेड है इकोनोमिक कन्डीशन्स से। इसका मुकाबला करने के सम्बन्ध में जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है राजस्थान हर साल अपना बजट बराबर बढ़ाता चला जा रहा है, उसके मैं आपको आंकड़े अर्ज करना चाहता हूं।

सन् १९५५–५६ तक हमारे पास ४१४ इन्स्टीट्यूशन्स थीं, जबकि आज १९६३–६४ में ६६९ इन्स्टीट्यूशन्स हैं। सन् १९५५–५६ के अन्दर कुल मिलाकर ५,७५४ बेड्स थे, जबकि आज १०,५०८ बेड्स हैं। इसी तरह से आप पर-कैपिटा खर्च मुलाहिजा कीजिये। १९५१–५२ में मेडिकल के ऊपर ६२ नये पैसे खर्च होते थे और पब्लिक हैल्थ में ४५ नये पैसे खर्च होते थे। उसके बाद १९५५-५६ के अन्दर मेडिकल के अन्दर ७३ नये पैसे खर्च होते थे और हैल्थ पर ६० नये पैसे खर्च होते थे और आज १९६३–६४ के अन्दर मेडिकल के ऊपर १) रुपया ६३ नये पैसे पर-कैपिटा खर्च होते हैं और हैल्थ के ऊपर ६९ नये पैसे खर्च होते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): मेडिशन्स पर कितना खर्च करते हैं एस्टेब्लिशमेंट का खर्च निकालने के बाद?

श्री बरकतुल्ला खां: वह भी आपको अभी बता देता हूं।

अगर यह समझा जाय कि अस्पतालों के अन्दर केवल मेडिशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सो है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीजें होना जरूरी है— डाक्टर्स, इक्विपमेंट और मेन्टीनेन्स की व्यवस्था। ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करती है हमारे बजट के ऊपर। उसके साथ साथ डाक्टर्स को ट्रेन्ड करने के लिए रुपया खर्च किया जाता है। उसके ऊपर भी रुपया खर्च किया जाता है वह भी अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करता है........

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): फ़िज़ूलखर्ची!

श्री सभानेत्री: Don't Interrupt.

श्री बरकतुल्ला खां: आज जितना रुपया दवाइयों पर खर्च करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं हो पाता है कि जो दवाइयों की कीमतें हैं वे दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। एन्टी-बायोटिक्स, सल्फा-ड्रग्स जितनी दवाइयां हैं इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो मेडिकल

(श्री बरकतुल्ला खां)

फैसेलिटी राजस्थान में मौजूद हैं उतनी हिन्दुस्तान के किसी और प्रान्त में मौजूद नहीं है। जो फैसेलिटी फ्री मेडिशन की हमारे यहां है वह किसी और जगह पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर मौजूद नहीं है—यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं...

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह तो नई बात बताई, साहब।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं दावा कर रहा हूं।

इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं इस चीज को सामने रखते हुए कि लोगों को तकलीफ न हो। गवर्नमेंट ने इस बात की कोशिश की है कि तमाम वे दवाइयां जो फ्री दी जाती है उनकी डिस्पेन्सरी में लिस्ट लगा दी जाय और जो रेअर केसेज आते हैं जिसमें मरीज बहुत बीमार हो, इमर्जेन्सी केस हों उनमें कास्टली मेडिशन फ्री दी जाय-एन्टी-बायोटिक्स, सल्फा-ड्रग्स देना शुरू कर दें तो, माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट आज से चौगुना, पचगुना करना पड़ेगा। आज हम उस स्थिति में नहीं कि उतना कर सकें लेकिन जहां तक अस्पतालों के अन्दर ओपरेशन का ताल्लुक है, अस्पतालों के अन्दर एक्स-रे का ताल्लुक है। पैथोलोजी का ताल्लुक है—मैं कह सकता हूं गरीब आदमियों को जितनी सुविधायें राजस्थान में मिली हुई हैं उतनी हिन्दुस्तान की और स्टेटों में नहीं है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): इसकी खास वजह यह है कि आपने कन्डीशन्स इनहैरेंट की हैं, दूसरी जगह वैसी नहीं की हैं। उसका अनुकरण कर रहे हैं वह दिनों दिन घटता जा रहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : बूंदी के अस्पताल में छः महीने से एक्स-रे की मशीन नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : वह भी बता रहा हूं। अभी मैंने खत्म तो नहीं किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आपके अस्पताल के अन्दर गरीब मरते हैं। डैथ-बैड के ऊपर सौदे होते हैं। मरीज पड़ा होता है ऑपरेशन टेबिल पर और डाक्टर सौदे करते हैं....

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आप बैठ जाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डाक्टर कल्ला ने सौदा किया। मैंने कई दफा कहा....

श्री फूलचन्द जैन : आपको....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मिनिस्टर को कहने दीजिये, आप चिल्ला क्यों रहे हैं?

श्री फूलचन्द जैन : आप मिनिस्टर को कहने दें। आप चुप रहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप भांड बन कर क्यों खड़े हुए हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : आप ध्यान रखें....

Page No. 125

श्रीमती सभानेत्री : जब तक मांगे स्वीकार नहीं हों सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढाया गया।

श्री बरकतुल्ला खां : इस डिपार्टमेंट के तीन ग्राब्जेक्टिब्ज हैं–एक एक्सपेंशन ग्राफ मैडिकल फैसेलिटीज, दूसरा ट्रेनिग और तीसरा कन्सोलिडेशन....

श्री मानसिंह महार : लूट भी तो है !

श्री बरकतुल्ला खां : वह तो होगी, यह ग्राप समझते हैं। मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि ये तीन ग्रॉब्जेक्टिब्ज हैं। मैंने ग्रर्ज किया था कि जब राजस्थान बना था....

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न किया था उसको खा गये।

श्री बरकतुल्ला खां : जब राजस्थान बना था...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेडिसन पर पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर बताये...

श्री बरकतुल्ला खां : मैं ग्रा रहा हूं। ग्राप उतावले क्यों हो रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्रापके पास ग्रांकड़े हैं ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय श्री हांडा I request you not to interrupt.

श्री बरकतुल्ला खां : मैं कह रहा था कि मेडिकल कालेज पहले एक था, ग्राज तीन हुए हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तो बन्द करवा दिया।

ग्रनेक माननीय सदस्य : सुनने दीजिये। सुनने दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : Listen to me Mr. Handa.

ग्रापसे बार बार कह चुकी हूं, ग्राप इन्टरप्ट न करें। शांति से सुन लें ग्रौर बाद में पूछ लें। I am very sorry to tell you again and again.

श्री बरकतुल्ला खां : तो मैं कह रहा था, इन कॉलिजों के ग्रन्दर इमर्जेन्सी होने के बाद हर कालेज के ग्रन्दर पचास-पचास लड़के ज्यादा भर्ती किये हैं ग्रौर वह इसलिए किये हैं कि डाक्टर बन कर वे भारत की डिफेन्स ग्रौर राजस्थान की सेवा कर सकें। उसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि मेडिकल कालेज के ग्रन्दर सिर्फ ग्रन्डर ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग न हो बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग के लिए भी प्रावधान रखा जाय। यह इसलिए रखा गया है कि ग्राज-कल जमाना ग्रा गया है स्पेशिलाइजेशन का। पहले एक सर्जन होता, वह सारे ग्राप-रेशन करता था, ग्राज एबडोमन का ग्रलग है, हार्ट का ग्रलग है ग्रौर हैड का सर्जन ग्रौर है। हर एक जगह पर स्पेशिलाइजेशन होता है ग्रौर जो स्पेशिलाइजेशन होता है, उसके ग्रन्दर यह नहीं हो सकता कि दुनियां ग्रागे बढ़ती जाय ग्रौर राजस्थान पीछे रह जाय। इसलिए चाहे हमें तकलीफ हो, चाहे

Page No. 126

(श्री बरकतुल्ला खां)

हमारे बजट के ऊपर वजन पड़े लेकिन आयन्दा चल कर राजस्थान के लोगों को वह तकलीफ न उठानी पड़े जो आज के दिन उठानी पड़ती है, इसलिए सदन को जानकर यह खुशी होगी कि आज हमारे पास तीन सौ से ज्यादा लड़के-लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के अन्दर रिजर्व हैं।

(विराम)

मैं यह भी बताता हूं कि राजस्थान के अन्दर····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी डिमाण्ड कितनी है और आउट पुट कितना है ?

श्रीमती सभानेत्री : Order please.

श्री फूलचन्द जैन : यह क्वेश्चन कर लीजिये बाद में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी डिमाण्ड कितनी है····

श्री फूलचन्द जैन : आप इस तरह इन्टरप्ट नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It is my privilege Sabhapati Mahodaya, to have point of information and to demand point of information.

श्रीमती सभानेत्री : Order please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज करना चाहता हूं····

श्रीमती सभानेत्री : Order please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I have raised a point of information मैंने पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन डिमाण्ड किया है। मैंने पूछा है, आपकी डिमाण्ड कितनी है और आउटपुट कितना है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपसे दो-तीन बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूं Please listen to me, Mananiya Shri Handa Otherwise, I will have to do something for you.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): एक व्यवस्था का सवाल है....

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप व्यवस्था का सवाल सुनिये पहले।

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें पहले....

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उप-मंत्री शिक्षा) : The Chair is on its legs.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, व्यवस्था का सवाल यह है कि आप इस सभा को कंट्रोल कर रही हैं या यह भीड़ इस सभा को कंट्रोल कर रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, it is unparliamentary expression.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस तरह सदन का अपमान करना है, लोग इस तरह चिल्ला रहे हैं जिससे कोई व्यवस्था कायम नहीं हो सकती।

श्रीमती सभानेत्री : I request you to sit down.

श्री मुकुटबिहारीलाल : आप सारा डिसआर्डर कर रहे है।

श्रीमती सभानेत्री : डिसआर्डर तो आप कर रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं यह कहूँगा कि यह चैअर की ओर से पक्षपात किया जा रहा है।

श्री फूलचन्द जैन : सभानेत्री महोदया अभी जो माननीय सदस्य ने ये शब्द कहे कि यह चैअर की ओर से पक्षपात है, मैं यह कहूंगा कि ये शब्द सदन को स्वस्थ परम्परा के लिये बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिये इन शब्दों को प्रोसीडिंग्ज में से एक्सपंज किया जाना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह पोइन्ट ओफ प्रीविलेज है।

श्री मानसिंह महार : पोइन्ट ओफ प्रीविलेज बाद में उठाइये।

(शोर गुल)

श्रीमती सभानेत्री : Order please. माननीय मंत्री अपना भाषण शुरू करें।

श्री बरकतुल्ला खां : हमारे यहां बड़े बड़े होस्पिटल्स हैं जैसे जोधपुर, अजमेर, जयपुर आदि में। वहां से भी पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर भेजे जावे ताकि वे अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में अपनी जनता की सेवा कर सकें। हमारे पहले एम. बी. बी. एस. एम. डी. एम. एस. चल रहे हैं। पहले के जो डाक्टर थे वे भी कन्टीन्यू कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमने यह निश्चय किया है कि यह बहुत जरूरी है कि क्लोरोफार्म देते वक्त किसी मरीज की जिन्दगी खतरे में न हो जाय, कोई ज्यादा क्लोरोफोर्म न दे दिया जाए, इसके लिये हमने यह तय किया है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अनेस्थिसियाका जयपुर में खोला जावे। इसी साल Pedriatics, Diploma in Social & Preventive Hygiene, Radiology में

इसलिये किया गया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल में हम असली तस्वीर देखना चाहते हैं। हमारे यहां नोज ईयर एण्ड थ्रोट के डाक्टर मौजूद हैं, एक्सरे के लिये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिये हुए डाक्टर मौजूद हैं जो एक्सरे का काम करते हैं। इसी तरह से बच्चों की बीमारी के लिये स्पेशलिस्ट हमारे यहां मौजूद हैं। इसी प्रकार हाथ पैरों की हड्डियें जोड़ने पर भी नजर रख कर हमारे यहां इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है और इसलिये यह सब खर्चा बर्दाश्त किया जा रहा है कि आगे चलकर राजस्थान को फायदा पहुंचे। इस बात को नहीं भूलना चाहिये और मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में कई दफा इस बात को उठाया गया कि डाक्टरों को पे वक्त पर नहीं मिलती। जिस समय यह कहा जाता था उस समय मेरी भी गर्दन शर्म से झुक जाती थी। हम उनके पेमेन्ट के लिये प्रोविजिनल पेमेंट कराते हैं। मगर इसके लिये अब राजस्थान सरकार ने एक

(श्री बरकतुल्ला खां)

बात तय कर दी है कि पहले पब्लिक सर्विस कमीशन से उनका अपोइन्टमेंट होता था अब उनके अपोइन्टमेंट को पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से निकाल दिया गया है। इनका अपोइन्टमेंट अब एक कमेटी के द्वारा होगा। यह कमेटी टेक्नीकल प्रोफिसर्स की होगी जिसमें डी. एम. एच. ओ. होंगे, डिपार्टमेंट के हैड होंगे। ताकि डाक्टरों को जिनको हमें लेना हो अपोइन्टमेंट मिल जावेगा और साल भर के बाद उनका काम ठीक देखा जावेगा तो उनको परमानेन्ट कर दिया जावेगा। इसके लिये गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है। पहले हम पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स के अनुसार काम करते थे और उसमें कुछ दिक्कतें होती थीं और अब मैं आशा करके चलता हूं कि आयन्दा डाक्टरों को तनख्वाह मिलने का जो प्रश्न उठाया गया कि उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है, तय हो जावेगा। क्योंकि वे ही अपोइंटिंग आथोरिटी होते हैं। जब पब्लिक सर्विस कमीशन से उनका अपोइन्टमेंट होता था तो इसका मतलब यह होता था कि कुछ फोर-मेलिटीज उसमें पूरी नहीं होती थीं इसलिये डाक्टर कन्फर्म नहीं होते और उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। इसलिये अब यह तय कर दिया गया है कि उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से निकाल दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप यह समझते हैं कि उनको जो तनख्वाह नहीं मिलती थी वह पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी है।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं यह नहीं कहता कि उनकी जिम्मेदारी थी, मगर मैं यह कहता हूं कि कुछ फोरमेलिटीज पूरी होनी रह जाती थी, उनको पूरा करने में देर होती थी।

श्री भैरोंसिंह : आप इसको दूर करके पब्लिक सर्विस कमीशन के जुरिस्डिक्शन को कम क्यों करना चाहते हो।

श्री बरकतुल्ला खां : इसको कम नहीं करना चाहते। अभी यह बात है कि डाक्टरों की कमी है। जो भी कहीं से मिल जाता है हम उसको एपोइन्टमेंट दे दें उस स्थिति में अभी हम नहीं हैं। इसलिये जब यह हो जावेगा तो हम उनको एपोइन्टमेंट दे सकेंगे। हमें कोई भी मिलता है तो हम उनसे बात करते हैं कि डाक्टर हो तो हमको दे दें। और हमको जहां कहीं से डाक्टर एम. बी. बी. एस. मिले उसको हम फौरन एपोइन्टमेंट देने को तैयार हैं इसमें यह बात कभी भी पैदा नहीं हो सकती कि इसको एपोइन्टमेंट दिया गया और इसको नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये आपके रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स होंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : इसमें खामियां हैं इनको दूर करने के लिये ऐसा किया जा रहा है ताकि एपोइन्टमेंट में दिक्कत और गड़बड़ी न हो।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहूंगा कि इससे आपके एपोइन्टमेंट में ज्यादा गड़बड़ियां होंगी। यह गड़बड़ी को दूर करने का उचित तरीका नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से इसको निकाला जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : गड़बडिये रहने का सवाल तो तब होता है जब कि डाक्टर

(श्री बरकतुल्ला खां)

ज्यादा होने हो और इसके अलावा यह काम अगर एक आदमी के हाथ में दे दिया गया हो तो गड़बड़ी हो सकती है अन्यथा नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : यह जो कमेटी बनाई गई है उसके अन्दर जो सिलेक्शन होते हैं इस तरह से सिलेक्शन होगा वह गलत सिलेक्शन हुआ।

श्री बरकतुल्ला खां : अभी तक सिलेक्शन्स नहीं हुए हैं।

इस तरह से मैं एपोइन्टमेन्ट के बारे में कह रहा था। जहां तक हमारे कॉलेजेज़ का ताल्लुक है उनमें टीचर्स की कमी है और यह कमी सारे हिन्दुस्तान में है। आज Anatomy, Pathology और Pharmaecology में सारे हिन्दुस्तान में टीचरों की कमी है और यह कमी पूरे देश में है, केवल राजस्थान में ही नहीं है। तो इस सम्बन्ध में राजस्थान ने अपनी तरफ से यह कोशिश की कि हमारी कॉलेज को अच्छे अच्छे टीचर्स मिलें, जो नॉन-क्लीनिकल टीचर्स नहीं हैं उनको ३००) रु० नॉन–प्रेक्टिसिंग एलाउन्स, रीडर को २००) रु० और सीनीयर डिमोन्स्ट्रेटर और लेक्चरार को १००) के हिसाब से नॉन–प्रेक्टिसिंग एलाउन्स दिया जावे, जिससे हमारे ग्रेड दुनिया में नहीं तो हिन्दुस्तान में सबसे अच्छे हों और नॉन-प्रेक्टिसिंग एलाउन्स का फायदा उठा कर लोग हमारे यहां राजस्थान मेडिकल कॉलेज में आ सकें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या आपने, इन्डियन मेडिकल कौंसिल ने जो सुझाव दिया था, उसको स्वीकार किया है?

श्री बरकतुल्ला खां : नॉन–प्रेक्टिसिंग एलाउन्स जिसको कम्पेन्सेटरी एलाउन्स समझना चाहिये। इसके बारे में कह रहा था और इसलिये मैंने अर्ज किया कि इसको हम किस तरह से कर रहे हैं।

इसी तरह से राज्य सरकार ने इस बात का ध्यान रखा।............ ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने लिख कर भेजा, इन्डियन मेडिकल कौंसिल ने पे स्केल के बारे में लिखकर भेजा कि राज्य सरकार इन्डियन मेडिकल कौंसिल के पे स्केल को मान ले तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सब्सेडाइज करने को तैयार है?

श्री बरकतुल्ला खां : सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को कहा है और किसी स्टेट ने कोई निर्णय नहीं लिया है। राजस्थान सरकार ने सबसे पहले माना है कि ऑल इन्डिया सर्विस मेडिकल में लगानी चाहिये इसलिये हमने यह भी रिकमेन्ड किया है कि मेडिकल सर्विस को ऑल इन्डिया मेडिकल सर्विस में शामिल करके वही बेनिफिट मिलना चाहिये। तो इसके साथ यह खयाल रखा गया है कि पोस्ट ग्रेज्युएट एसिस्टेन्ट सर्जन.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टी. डी. एच. और पी. डी. एच. का क्या मतलब होता है?

श्री बरकतुल्ला खां : बच्चों की बीमारी से कन्सर्न्ड हो उसे पेडियेटिक्स और हड्डियों से ताल्लुक रखने वाली बीमारी हो उसे ऑर्थोपेडिक कहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पूछ रहा हूँ टी. डी. एच., पी. डी. एच. का।

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार ने इस बात का ख्याल रखा कि जो पोस्ट ग्रेज्युएट्स क्वालिफाइड हैं, असिस्टेन्ट सर्जन बने हुए हैं उनको ७५) रुपया माहवार अलाउन्स दिया जाय और जिनके पास डिप्लोमा है उनको ३०) महावार दिया जाय। डिप्लोमा में उससे कम खर्चा और कम समय लगता है इसलिये कम रखा है। तो हमारे डाक्टर्स को इस बात से इनिशियेटिव दिया गया है कि पोस्ट ग्रेज्युएट्शन करें। ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेज्युएट्स को रख सकें।

इसके साथ ही साथ यह करना चाहते हैं, इस तरह इस बात का ख्याल रखा गया कि रूरल डिस्पेन्सरीज में डॉक्टर जाते थे उनको प्राइवेट प्रेक्टिस अलाउड थी और उनको रूरल अलाउन्स दिया जाता था। और जो डाक्टर्स प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स में जाते थे उनको ज्यादातर रूरल एरिया में रहना पड़ता था, उनको प्राइवेट प्रेक्टिस अलाउड नहीं थी। तो इससे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के डाक्टर्स को ग्रिवेन्स रहती थी। राजस्थान सरकार ने तय किया है दोनों को रूरल अलाउन्स दे दिया जाय, जिस तरह रूरल डिस्पेन्सरीज में प्राइवेट प्रेक्टिस की डॉक्टरों को इजाजत है उसी तरह प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स के डॉक्टर्स को भी प्राइवेद प्रेक्टिस की इजाजत दे दी जाय, इससे डॉक्टर्स को प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स में जाने के लिये एन्करेजमेन्ट मिलेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मन्त्री महोदय यह बात बता दें कि इन्टरव्यू के लिये जाते हैं, उसकी डॉक्टर्स फीस लेते हैं, वह फीस सरकार के पास जानी चाहिये। इनकी फीस का प्रन्द्रह २ हजार रुपया होता है, सेनिटरी इन्स्पेक्टर्स, कम्पाउन्डर्स छ, छ, सात सात रुपया मेडिकल सर्टिफिकेट का देते हैं, उसके लिये क्लेरिफिकेशन दिया जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : डॉक्टर्स को उनकी जो ड्यूटी है उससे अलावा काम करना पड़ता है उसकी फीस वे लेते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं साहब हॉस्पिटल्स के अन्दर ट्रेनिंग स्कूल्स के मास्टर आदि जाते हैं उनसे लेते हैं, घर पर लेने की बात नहीं है। गलत बयान दे रहे हैं।

श्री भैरोसिंह : (किशनपोल, जयपुर) सभानेत्री महोदया, दो माननीय सदस्य भिड़ रहे हैं उन्हें छुड़ाया जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं गलत बयान नहीं दे रहा हूँ, सही बात है........

श्री विजय सिंह झाला : (नाथद्वारा) On a point of order Madam, माननीय सभानेत्री महोदया, माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और उपमंत्री महोदय दबा कर बैठाते हैं, इस तरह उन्हें दबाने से उपमंत्री महोदय को रोका जाय।

श्रीमती सभानेत्री : This is no point of order, कोई किसी को दबायेगा तो मैं देख लूंगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of privilege Madam, माननीय सदस्य को बोलने से जबरदस्ती रोका जा रहा है।

Page No. 131

श्रीमती सभानेत्री : मुझे स्वयं को ध्यान है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : (मांडल) आपको यों ही वहम हो गया है।

श्री बरकतुल्ला खां : राजस्थान में डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रेक्टिस की इजाजत है, इसमें जो अपनी लेजिटिमेट ड्यूटीज के अलावा ड्यूटी करता है तो उसको फीस लेने का अधिकार है।

श्री मुकिलाल मोदी : मैंने पूछा उसका जवाब दें। यह गलत इत्तिला दी जाती है। हॉस्पिटल में इन्टरव्यू होते हैं और डॉक्टर्स फीस लेते हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : गवर्नमेंट जिनको भेजती है उनसे चार्ज नहीं कर सकते, पर जो स्वयं जाते हैं उनको फीस देनी पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपके नोटिफिकेशन्स, सर्कूलर्स में पर्टीक्यूलर होस्पिटल, पर्टीक्यूलर डाक्टर के लिए लिखा जाता है। इस प्रकार की लिमिटेशन्स क्यों करते हैं, जो डाक्टर सिमिलर क्वालिफिकेशन्स का सिमिलर क्वालिटी का कहीं भी है उससे सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया जाय, यह क्यों नहीं कर देते ?

श्री बरकतुल्लाखां : इस तरह की शिकायत आई थी तो मैंने कह दिया था कि इस क्वालिफिकेशन के डाक्टर्स से ले लेना चाहिये।

इसके अलावा इस सदन में कटमोशन्स आये, उनमें कुछ परेशानियां जाहिर की गई। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि हमारी ग्रामीण जनता की सेवा में कमी आ रही है। रूरल एरिया में हमने गये साल १२०० एक्स्ट्रा बैड्स बढ़ाये हैं ताकि हमारी ग्रामीण जनता को कम से कम तकलीफ हो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कहां कहां बढ़ाये हैं जरा बता दें।

श्री बरकतुल्लाखां : पूरे राजस्थान में बढ़ाये हैं। जहां हास्पिटल की बिल्डिंग थी, ८ बैड्स थे और १२ हो सकते थे वहां १२ कर दिए। जहाँ ऐसी बिल्डिंग्स थीं वहां बढ़ाया, पूरे राजस्थान में १२०० बैड्स बढ़ाये हैं।

इसी तरह प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स का ऑब्जेक्टिव था २० प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स खोलने का उनमें से १६ खुल चुके हैं और एक के बारे में बातचीत चल रही है। आशा है कि जो हमारा २० प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स खोलने का ओब्जेक्टिव था उसको पूरा कर रहे हैं। यह कहा गया कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स खोले जाते हैं पर डाक्टर्स नहीं मिलते मैंने पिछले साल भी कहा था और फिर दोहराना चाहता हूं, इसके लिए दो ही रास्ते हैं, पहला रास्ता तो यह है कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स नहीं खोलें। और दूसरा रास्ता यह है कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोलें और डाक्टर नहीं है तो अर्ली स्टेज में फर्स्ट ग्रेड कम्पाउण्डर को रखें। राजस्थान सरकार ने मुनासिब समझा कि लोगों को आराम मिले, अगर डाक्टर नहीं है तो फर्स्ट ग्रेड कम्पाउण्डर जिसको १५ साल सर्विस करते हुए हो गये उसे लगा दिया जाय। पर डाक्टर का काम अपनी जगह पर है। उस काम को एक दिन में कह कर नहीं करा सकते।

(श्री बरकतुल्ला खां)

५ साल डाक्टर को पढ़ने में लगते हैं। जैसा मैं कह रहा था राजस्थान सरसार ने इस बात पर भी कदम उठाया है। डाक्टरों की क्वालिटी कम नहीं होते हुए स्टुडेन्ट्स को पास होने के कितने मौके मिलने चाहिये। अब तक मेडिकल के फाइनल एग्जामिनेशन में जाते थे तो एक ही इम्तिहान देना पड़ता था, उसमें फेल हो जाता था तो फेल समझा जाता था।

हमने अपनी तरफ से कोशिश करके राजस्थान यूनिवर्सिटी से बात करके तय कराया कि फर्स्ट ईयर का स्टुडेंट अगर पहले इम्तिहान में फैल हो जाय, दूसरी सप्लीमेंटरी में हो जाय और दूसरी में फैल हो जाय तो तीसरी सप्लीमेंटरी में एपीअर हो जाय। इस तरीके से बजाय दो इम्तिहानों के तीन कर दिये। अगर उसके अन्दर क्वालीफिकेशन है, काबिल है तो पास हो जाय। ४॥ साल के अन्दर क्वालीफाई करके अस्पताल के किसी डाक्टर के नीचे काम करे।

अब सवाल उठाया गया है बीकानेर मेडिकल कॉलेज के बारे में। मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता। सदन में काफी बहस हो चुकी है। मुख्य मन्त्री और मैंने भी जवाब दिए हैं। मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हो सके तो हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो कान्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई है उसको बन्द कर दिया जाय और लड़के जो पढ़ना चाहते हैं उनको मौका दिया जाय....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप नहीं होने दे रहे हैं। जो लड़के पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने कभी स्ट्राइक नहीं की, उनसे बाकायदा माफी के फार्म पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। जिन लोगों ने डिसिप्लीन को फालो किया है उन लोगों से एपॉलॉजी का साइन करवाते हैं जिन्होंने लॉ एण्ड आर्डर ब्रेक नहीं किया।

श्री बरकतुल्लाखां : जो मेडिकल कॉलेज के अन्दर डिसिप्लीन भंग हुआ, इन्सीडेंट्स हुए, लड़के जख्मी हुए पुलिस के अन्दर केसेज़ रजिस्टर हुए उन हालात को देखते हुए कॉलेज बन्द किया गया और उसके बाद यहां से जिसको भेजा उनको इन्स्ट्रक्शन्स दीं कि लड़कों को और पेरेन्ट्स को लिखें कि कॉलेज शुरू हो रहा है और उनके पेरेन्ट्स या लड़के लिखकर भेजें कि हम डिसिप्लीन के अन्दर रहेंगे। करीब ४०० लड़कों और पैरेन्ट्स से जवाब आ चुके हैं जो कहते हैं कि हम डिसिप्लीव के अन्दर रहेंगे और अनुशासन कायम रखने के अन्दर मदद करेंगे। मैं समझता हूँ कि किन्हीं लड़कों से कहना कि अनुशासन कायम रखने के अन्दर मदद करेंगे, तो यह बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। इन जवाबों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने यह तय किया है कि २६ तारीख से मेडिकल कॉलेज, बीकानेर खोल दिया जाय और उसके साथ यह जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज के अन्दर डिसिप्लिन रहना चाहिये और डिसिप्लिन मेन्टेन करने के अन्दर...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of information, परीक्षाएं भी ली जायंगी न ? यह साल खराब तो नहीं होगा ?

श्री बरकत्तुल्ला खां : इसके अंदर मैं यही कह सकता हूं कि जहां तक प्रिन्सिपल

(श्री बरकतुल्ला खां)

को पावर्स हैं, वह तीन परसेंट एटेंडेंस माफ कर सकता है और पांच एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): एटेंडेंस में रियायत क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पहले भी आपने....

श्री बरकतुल्ला खां : मैं पहले बात कर लूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पहले आपने रिलेक्सेशन दिया है कि जो लड़कों का कम्पार्टमेंट आता है एक माह बाद परीक्षाएं ले ली थीं। एक महीने को छोड़कर उनके लेक्चर्स को पूरा करें, एक साल खराब न होने दिया जायगा, इस तरह का ऐलान सरकार करने को तैयार है ?

श्री बरकतुल्लाखां : जैसे अर्ज कर रहा था प्रिन्सिपल को पवॉर्स हैं तीन परसेंट अटेंडेंस वह कन्डोन करदे और पांच एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने की। जहां तक प्रिन्सिपल का ताल्लुक है, मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि हम इस रूल को रिबरली एडाप्ट करेंगे। इसके बाद तीन परसेंट अटेंडेंस यूनिवर्सिटी की संडीकेट कन्डोन करती है। प्रिन्सिपल साहब वहां गए और वाइस चांसलर साहब से इस संबंध में बात की लेकिन इसके ऊपर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और न ही इस बक्त मैं हाउस में इस प्रोजिशन में हूं कि डेफीनेट इन्फार्मेशन दे सकूं लेकिन यह जरूर कहता हूं कि जहां तक राज्य सरकार का ताल्लुक है, हम बराबर कोशिश करेंगे कि ये लड़के पहली परीक्षा में बैठें जो पहली में न बैठ सकें दूसरी में बैठें, तीसरी में बैठे हैं। एक्स्ट्रा क्लासेज, एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो लिए जा सकते हैं लिए जायं, इनका साल खराब न हो लेकिन इसके अंदर आखिरी अथोरिटी यूनिवर्सिटी है। हमने इन्डाइरेक्ट तरीके से एप्रोच किया है उसके बाद जो निर्णय होगा निकलेगा लेकिन जहां तक सरकार का तालुल्क है मैं कह सकता हूं कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि लड़कों और लड़कियों का साल खराब न हो इसके साथ साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस कालेज के अंदर डिसिप्लीन रहना चाहिए और जो लड़के, लड़कियां और स्टाफ मेम्वर्स मिस विहेव करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जायेंगे क्योंकि यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता कि हमारी इतनी बड़ी इन्स्टीट्यूशन कुछ लोगों की वजह से खराब हो जाय और उसको बन्द करना पड़े और उसकी वजह से स्टुडट्स को तकलीफ हो और जिन पर हम नजर लगाए बैठे हैं कि राजस्थान की हास्पिटल्स को मेंन करेंगे वह नहीं हों तो दुख होगा।

इस तरह से राज्य सरकार मेडीकल और हैल्थ के बजट को बड़े फ्लेक्सीवल रूप में देखना चाहती है। इसलिए कि जहां जहां जरूरत पड़े चाहे कोई चीज हमारे प्लान में हो चाहे न हो लेकिन फिर भी जरूरत हो तो पूरी करने की कोशिश की जाय। हमारी तीसरी प्लान के अंदर तय हुआ था कि हम केवल २ टी० बी० क्लीनिक्स खोलेंगे, राज्य सरकार ने इस साल तय किया कि दो नहीं बल्कि इस साल के अंदर ६ टी० बी० क्लीनिक्स खोलेंगे। जिससे

(श्री बरकतुल्ला खां)

कि डिस्ट्रक्ट हैडक्वार्टर्स के अंदर लोगों को सुविधा मिले। यूनीकेफ से जो फ्री दवाईयां मिलती हैं उनका एडवांटेज मिले, एक्सरे का एडवान्टेज मिले। पहले जो तीन टी. बी. क्लीनिक बन रही थीं अजमेर, जोधपुर और कोटा में उनको हम डिस्ट्रक्ट लेविल मानकर चलें। आइंदा दो तीन साल के अंदर हर डिस्ट्रक्ट हैडक्वार्टर्स पर कम से कम एक ऐसी टी. बी. क्लीनिक हो जाय जिसके अन्दर वहां के लोगों को सुविधा मिल जाय क्योंकि आज टी बी के अंदर जिसे ट्यूबर क्लॉसिस कहते हैं उसके अंदर...

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) ट्यूबर क्लॉसिस की स्पेलिंग क्या है ?

श्री बरकतुल्ला खां : ट्रीट्मेंट शुरू किया गया। अब तक तो यह होता था कि जो आदमी टी. बी. का मरीज होता था उसको अस्पताल में अलग रखते थे और आइसोलेट कर दिया करते थे। अब नया ट्रीटमेंट जिसे डोमीसियरी ट्रीटमेंट कहते हैं हिन्दुस्तान के अंदर, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर, इस पर जोर दिया गया है। यह कहा गया है कि बहुत एडवान्स्ड केसज हों उनको तो अस्पताल में लेकर रखना जरूरी है लेकिन आम तौर से मरीज अपने घर पर रहें, हाईजन को फॉलो करें और उसके साथ साथ उसे दवाइयां घर पर मिल जायं, इन्जेक्शन्स क्लीनिक से लें, इससे फेमिली लाइफ को भी डिस्ट्रप्ट न किया जाय। यह पेटर्न हिन्दुस्तान के अंदर एडॉप्ट किया गया है और वही पेटर्न राजस्थान ने एडॉप्ट कर लिया है। इसलिए ज्यादा अस्पतालों की जरूरत होगी वह टी. बी. क्लनिक्स जिनके अन्दर एक्सरे की मशीन मौजूद हो, जिनके अन्दर डोमीसियरी ट्रीटमेंट मौजूद हो वहां पर एक विहीकल हो जो लोगों के पास जाकर, गांवों में जाकर जो टी. बी. के मरीज हों उनको चैक करे और दवा दे सके।

इसी तरह से सवाल उठता है कि दवाइयों पर कितना खर्च करते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ५१,७६,००० रुपयों के करीब दवाइयों पर खर्च कर रही हैं। यह ५०–५१ में १२ लाख से शुरू हुआ और ६३–६४ में दवाइयों पर इतना खर्च हुआ।

(२·०० म. प.)

श्री भैरोंसिह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : इसमें मंहगाई के हिसाब से कितना है ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने आपको पर केपिटा का हिसाब दिया था उसके हिसाब से पोपुलेशन बेसिस पर इतना दे रहे हैं।

इसी बहस के दौरान बड़े २ मुद्दे उठाये गये हैं। मैं तो यह समझता था कि जो कुछ इस अर्से में मैंने इस विभाग में काम किया है उसके लिए मुझे धन्यवाद मिलेगा। राजस्थान में पहली मर्तबा ड्रग कंट्रोल एक्ट एम्प्लीमेन्ट कराने की कोशिश की उसके लिए मुझे श्रेय मिलेगा। लेकिन कोई भी अच्छा काम करो श्रेय मिलना तो दूर रहा, मैं मानता हूं, कमी अच्छे काम में रह जाती है तो उसको दूर करना

(श्री बरतुल्ला खां)

चाहिये, लेकिन पहली मर्तबा ड्रग कंट्रोल एक्ट की इम्प्लीमेन्टेशन की कार्यवाही राजस्थान के अन्दर की गई, पहले यहां यह नहीं था, और इसके अन्दर यह किया गया कि जिनके बारे में शुबा हुआ कि इन लोगों ने अपना अकाउन्ट प्रोपर्ली मेन्टेन नहीं किया, रिएम्वर्समेन्ट में धपला किया तो दूकानों पर जाकर रेड करते हैं, इस बेसिस पर करते है कि एन्टी बायोटिक और सल्फा ड्रग्स, जो अलग शिड्यूल में आती हैं उनका रजिस्टर मेन्टेन किया या नहीं। इनको लेकर पहली मर्तबा एज एवर्निंग देकर दूकानों को बन्द किया। वे लोग डाइरेक्टर से जाकर मिले, बात की, एसोशियेशन ने रिजोल्यूशन पास किया, एश्योरेन्स दिया कि ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन इनके अकाउन्ट्स, सेल रजिस्टर पर्चेज रजिस्टर वापिस नहीं किये गये बल्कि यह कोशिश की गई कि उन रजिस्टर्स को पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज करवाया जाय और उसके लिए अकाउन्ट्स ओफिसर्स के लिए लिखा। लेकिन अभी अकाउन्ट्स ओफिसर्स मिले नहीं हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात निकल सके। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के बारे में भी कई बातें निकल सकती हैं, कितने वाउचर्स सही बने या गलत बने यह भी निकल सकता है। पूरी चीजों को ऑडिट करवाना चाहते हैं। इसके लिए किसी को छोड़ा नहीं जायगा और मेरे तो कोई चचेरे बेटे भाई लगते नहीं हैं कि उनको छोड़ा जाय।

श्री भैरोंसिंह : चचे के बेटे भाई गल्ती करें तो हमदर्दी हो सकती है।

श्री बरकतुल्ला खां : तो इस चीज़ में मैं अर्ज कर रहा था कि कदम उठाया है।

लिसिन ड्राप्स के बारे में कहा गया। डाइरेक्टर ने खुद ने ओन हिज ओन जाकर पता लगाया और सील किया। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके कन्ट्रोल को एक्सरसाइज करें। जब ड्रग एक्ट आया, टीथिंग ट्रबल आना जरूरी है। आयगा। लेकिन अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं, गलत दवाइयां बनायें दवाइयों के अन्दर सिगरेट निकले, दवाइयों के अन्दर कीड़े निकलें, कुछ में कुछ निकला है, इस तरीके की चीजें निकलती हैं तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये, मैं समझता हूं, इसके लिए सदन की पूरी सिम्पेथी मेरे साथ होगी।

इसी तरीके से मैं अर्ज करना चाहता था कि फूड इन्स्पेक्टर के सम्बन्ध में बहुत सी बातें आयी हैं। मैं बताऊं कि फूड के बारे में सेन्ट्रल एक्ट था जिसको राजस्थान ने भी एडोप्ट किया है। फूड के सिलसिले के पावर्स म्युनिसिपैलिटी के इन्स्पेक्टर्स को दिये गये हैं। जैसा आप जानते हैं, अलग अलग म्युनिसिपेलिटीज़ हैं वहां फूड इन्स्पेक्टर्स हैं, डाइरेक्ट म्युनिसिपैलिटी के अन्डर में वे काम करते हैं और एक म्युनिसिपैलिटी से दूसरी म्युनिसिपैलिटी में ट्रान्सफर करने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए म्युनिसिपल टाउन्स में रहते हैं और कई दफा माननीय सदस्य फरमाते हैं कि वक्त पर ट्रान्सफर क्यों नहीं हुआ? मैं यह कह रहा था कि सबसे बड़ा कारण है वो म्युनिसिपैलिटीज़ में है और उनको वहां से बाहर निकालने में कुछ कठिनाइयों आती हैं। पिछले साल

(श्री बरकतुल्ला खां)

कम्पलीट होकर अकाउन्ट नहीं आया है। रफली यह कह सकता हूं कि ६२–६३ के अन्दर कोई १५ आदमियों को जेल हुई, १५ आदमियों को जेल या फाइन हुआ और दो लाख के ऊपर फाइन हुआ। जहा जहां इसके अन्दर कमियां हैं उनको पूरा करना हमारा फर्ज है और कोशिश की जायगी इस वात के अन्दर कि फूड के माने में कोई इन्स्पेक्टर मिसबिहेव करता है तो अधिक से अधिक उसको दंड दिया जा सकता है वह दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोसिक्यूशन के कितने केसेज हैं? सैकड़ों के होते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : हजारों के होते हैं। फाइन तो बहुत हुए हैं। दो लाख के ऊपर हुए हैं। यह तो मैं बता रहा हूं कनविक्शन। १५ को जेल हुई। १५ को जेल और फाइन हुआ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) : मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि स्पूरियस मेडीसिन और एडल्टरेशन ऑफ फूड स्टफ्स के सम्बन्ध में जो भी कानून की खिलाफवर्जी करते हैं उनकी समरी ट्रायल होनी चाहिये और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये। यह तो एन्टी सोशियल है, समाज के विरुद्ध अपराध है और सरकार को इसमें बहुत जागरूक होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : जागरूक होने की आवश्यकता इसलिए भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने फूड एडल्टरेशन के बारे में सर्वे कराया और सबसे ज्यादा राजस्थान में फूड एडल्टरेशन हुआ है यह ओपिनियन होल्ड की गई है।

श्री मानसिंह महार : वह तो होगी ही।

श्री बरकतुल्ला खां : यह बात सही नहीं है।

बहस के दौरान कुछ मुद्दे भी उठाये गये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of information, sir, एडल्टरेशन में मिल कः सूत खादी में मिला दिया जाय तो आपके उसमें आता है?

श्री बरकतुल्ला खां : अगर उसको किसी ने काता होगा तो जरूर आजायगा।

श्री भैरोंसिंह : अगर काता तो पहिना होगा।

श्री बरकतुल्ला खां : दो मुद्दे उठाये गये। मैंने टेलीफोन करके पता लगाया तो प्रिन्सिपल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज ने बताया कि माइक्रोटोम स्पेन्सर को दिल्ली भेजा गया था रिपेयर्स के लिए और वापिस आ गया है। मुझे यह अभी टेलीफोन पर बताया है।

डॉक्टर बनर्जी का जहां तक ताल्लुक है जब एपोइन्टमेन्ट हुआ तो उसके अन्दर श्री जोशी, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, वे, डॉक्टर बी. एन. शर्मा, डॉक्टर एस. सी. मेहता और विष्णुदत्त शर्मा मेडिकल सेक्रेटरी थे। उन्होंने इस कमेटी में बैठ कर

(श्री बरकतुल्ला खां)

सन् १६५६ में डॉक्टर बनर्जी का अपोइन्टमेंट किया और उस वक्त उस कमेटी के सामने यह इन्फोर्मेशन नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने कमेटी की रिकमन्डेशन के एस्ट्रेक्ट पढ़े हैं। सर्विस से वेस्ट बंगाल ने इनको रिमूव किया है।

श्री बरकतुल्ला खां : झूठे बिल बना कर पैसा उठाया इस तरह की बात हुई...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सीरियस मेटर इसलिए हुआ कि इन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन किया, बनर्जी के ऊपर चार्ज प्रुव हो गया, उसकी उसको जानकारी नहीं थी। मैंने सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट के एक्स्ट्रेक्ट पढ़ कर सुनाये हैं। वह उसकी रिपोर्ट है। उसमें क्लीयर है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको हो सकता है कन्फ्यूजन ।

श्री बरकतुल्ला खां : यह जो मुद्दा उठाया गया। उसका प्रायर नोटिस नहीं था। मैंने टेलीफोन से जानकारी हांसिल की और अफसर से पूछा। ओफ एन्ड ओन जो इन्फोर्मेशन हो सकती थी वह दी। कमेटी जरूर बैठी थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो यह कहिये। मैं आपको निश्चित ऑर्डर का हवाला दे रहा हूँ। सिलेक्शन कमेटी के सामने मसला गया और गिल्टी पाया।

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसी चीज हुई है तो मैं फाइल देख कर सदन के सामने आकर स्पीकर महोदय के सामने भी रख दूंगा, जैसा मुनासिब समझें वे करेंगे।

इसी तरह से बहस के दौरान यह भी कहा गया कि हमारे यहां डॉक्टरों की पे कम है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पंजाब को छोड़ कर हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के मुकाबले हम कम नहीं हैं। हमारे यहां का ग्रेड २०० से शुरू होकर ८०० तक जाता है।

बिहार	२००	से	४५०
बंगाल	२२५	से	४७५
मैसूर	२५०	से	४५०
केरल	२५०	से	४००
उड़ीसा	२५०	से	५४०

राजस्थान के जो ग्रेड हैं वे कम नहीं है। राजस्थान को अन्य प्रान्तों के ग्रेड से तुलना करते हैं, काफी स्टेट्स से अच्छे हैं।

एक चीज और अर्ज करना चाहता हूँ डिपार्टमेन्ट के इन्टीग्रेशन के बारे में जब तक इस डिपार्टमेन्ट का इन्टीग्रेशन नहीं हो जाता है तब तक कुछ गलतफहमी रह सकती है। यह ख्याल रहता है, कि हमारे साथ इन्साफ नहीं हुआ, मुझे मौका नहीं मिला। पिछले साल भर में पूरी कोशिश की गई यह मेडिकल डिपार्टमेन्ट का भी और दूसरे डिपार्टमेंटों की तरह इन्टीग्रेशन हो जायगा, सिनियोरिटी लिस्ट बन.. जायगी, डिप्टी डायरेक्टस को जुनियर स्पेसिस्टि की कर दी है, सी० ए० एस० की करदी है............

श्री फूलचन्द जैन : (बोलने खड़े हुए)

(अश्रव्य शोरगुल व्यवधना)

श्री बरकतुल्ला खां : मेडिकल डिपार्टमेंट के अन्दर हालत यह है कि जैसे अन्य विभागों का इन्टीग्रेशन हुआ उस तरह इसका भी किया जाय लेकिन वह अभी नहीं हो सका है। अजमेर के मिलने के बाद इन्टीग्रेशन कम्पलीट नहीं हुआ। पिछली बार कदम उठा कर कुछ इस ओर कदम बढ़ाया गया। मैं आशा करता हूं आयन्दा साल तक यह काम पूरा हो जायगा, फिर किसी को यह शिकायत नहीं रहेगी कि मिनिस्टर के दबाव के कारण या सेक्रेटरी के दबाव के कारण यह कर दिया गया। सिनियोरिटी फिक्स हो जावेगी और उसी के अनुसार उसको प्रामोशनल मिलता रहेगा। पहिले के कुछ पेन्डिग केसेज थे मेडिकल एज्यूकेशन और प्रोफेशनल। सर्विस अलग अलग थीं। जो टीचिंग का काम करते हैं उनकी पचास पर्सेन्ट सर्विस मानी जायगी, पुराने केसेज को इस आधार पर डिसाइड किया जा रहा है। दोनो सर्विसेज अलग अलग हो जायगी तो कोई दिक्कत पेश नहीं आयगी। इसी बहस के दौरान डायरेक्टर आफ मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज के बारे में यह कहा गया कि उनको पर्चेज कमेटी में क्यों नहीं लिया गया। मैं इस सम्बन्ध में क्लीअर कर देना चाहता हूँ इनको न बनाने के अन्दर गवर्नमेन्ट की कतई यह मन्शा नहीं थी कि इनमें सरकार को कोन्फीडेन्स नहीं है, या मुझे कोन्फीडेन्स नहीं है। जहां तक कोन्फीडेन्स का सवाल है पूरा कोन्फीडेन्स है और इसीलिए हम इनको डायरेक्टर की जगह लाये हैं। जब स्टोर पर्चेज कमेटी ज्यादा काम कर लेती है जब काम खत्म हो जाने को होता है तब डायरेक्टर चेन्ज हो जाता है। मेरे आने के बाद इस तरह से दो तीन बार हुआ है, दो तीन डायरेक्टर आ चुके हैं। इसलिये डायरेक्टर को वहां रखना ठीक नहीं समझा गया। यही हालत डा० मेहता के साथ है। अगर स्टोर पर्चेज कमेटी में गड़बड़ होती है तो उसके लिये जायज़ कदम उठाया जायगा, जो गड़बड़ करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिये और दी जायगी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मेहता साहब को ले लीजिये तो सब गड़बड़ दूर हो जायगी।

श्री बरकतुल्ला खां : आपकी मर्जी के मुताबिक हम कर नहीं सकते। इस तरह से हरेक की मर्जी के अनुसार करने लग जायं तो हमको आप सब लोगों का हुक्म मानना पड़ेगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह नहीं है, आप करें या न करें जो आपका कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट का फार्म छपा हुआ है उसके आइटम नं० ४ में लिखा हुआ है।

"The Director of Medical & Health Services will be the President of the Purchase Committee and he will have right of rejecting all or any quotations without assigning any reason. He will also have the right to rescind the contract."

इसके अनुसार आइटम नं० ४ पर जो टर्म्स हैं उनके अनुसार डी० एम० एच० एस० उसको प्रिसाइड करेंगे। जब डा० मेहता बीकानेर चले गये उसके बाद डा० ओझा आये तो वे करते रहे। अब फिर बदल गये तो इनको प्रेसाइड करने का चान्स क्यों नहीं दिया जाता जब कि आइटम नं० ४ पर स्पष्ट लिखा है।

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेन्ट रूल्स को रिलेक्स भी कर सकती है। यह नहीं कि किसी को पेट्रोनेज देना चाहते है और किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। डा० मेहता में पूरा कॉन्फिडेन्स है। लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है और अब भी यही किया गया है।

वाटरवर्क्स के बारे में भी जिक्र किया गया। इसके बारे में सभी माननीय सदस्यों को चिन्ता है और वह होना स्वाभाविक भी है। राजस्थान के अन्दर पानी मिलना चाहिये। मैंने मुख्य मन्त्री जी से और वित मन्त्री जी से और योजना मंत्री जी से इस बारे में बातचीत की है मैंने कहा किन्हीं परिस्थितियों की वजह से ऊपर से प्लान कट भी हो जाय और दूसरे विभागों के अन्दर पैसा बचता है और वह अवेलेबल है वह वाटर वर्क्स के लिये दिया जाय। राजस्थान के अन्दर पानी की समस्या को हम डयू इम्पोर्टेन्स देते हैं यह इससे अन्दाज हो जायगा कि हम इसके लिये १४३ लाख खर्च कर रहे हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : कोई नई बात कहें, यह तो हमने पढ़ लिया है।

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे क्या बात कहनी और क्या नहीं कहनी चाहिये इसके लिये आप मुझे मजबूर तो नहीं कर सकते ..

श्री मानसिंह महार (आमेर) टाइम बहुत हो गया है और भूख लगी है इसका भी ध्यान रखिये।

श्री बरकतुल्ला खां : वाटर वर्क्स के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। म्युनिसिपेलिटी के अन्दर जो वाटर वर्क्स लगते हैं वह पूरा का पूरा लोन होता है। जिस पर पांच से छः प्रतिशत कम्पाउन्ड इन्ट्रेरेस्ट लिया जाता है बीस, तीस साल में वह रकम अदा करनी होती है।

देहात के अन्दर जो वाटर वर्क्स का सवाल है उसके लिये लोकल कन्ट्रीब्यूशन पांच परसेंट होता है और ६५ परसेंट भारत सरकार और राजस्थान सरकार देती है। यह जो ६५ परसेंट रुपया मिलता है वह उधार नहीं मिलता है यह ग्रान्ट के रूप में मिलता है और वह ग्रान्ट मिलनी चाहिये। जहां तक अजमेर का ताल्लुक है उसके लिये पहले भी कह चुका हूं फिर दोहरा देना चाहता हूँ लाइफ इनूस्योरेन्स कोरपोरेशन से वह रुपया उधार मिला है आउट साइड दी प्लान मिला है इसने हमारे प्लान को एड्वान्टेज किया है राजस्थान सरकार इस सीज्ड ऑफ प्रोब्लेम से खुद चिंतित है। मुख्य मन्त्री इस बात के लिये चिंतित हैं कि कहीं न कहीं से रुपया लाया जाय और इस पर खर्च किया जाय। और गांवों में पानी के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाय। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं किसी भी सोर्स से रुपया मिलेगा लगाया जायगा।

एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ। बन्ध बैराठ के बारे में बात कही गई इससे एग्रीकल्चर पर एड्वर्स इफेक्ट होगा। इसके लिये तय कर लिया गया है वहां टयूब वेल खोदा जाय और टेस्ट कर लिया जाय पानी अवेलेबल हो जाय तो हम भरतपुर शहर के लिये टयूब बेल से पानी का इन्तजाम करेंगे नहीं तो मजबूरन इसको बन्द करना पड़ेगा।

बून्दी की एक्सरे मशीन के बारे में, मुझे अफसोस है कि जिस कम्पनी से मशीन

(श्री बरकतुल्ला खां)

लो थी उसके लिए वहां के पी० एम० एच० ग्रो० ने कहा कि ३००० रुपये रिपेयर के लिए चाहिए । वह भी हमने सेंक्शन कर दिया ग्रौर उसके बाद कम्पनी वालों को बार बार कहने के बाद भी उन्होंने ग्रपना इन्जीनियर नही भेजा । ग्रब यह तय किया है कि उनका इन्जीनियर ग्रा जाये इसी महिने में तो ठीक है उसको रिपेयर करा लिया जायेगा । ग्रगर वह ठीक नहीं हुई तो कोई पुरानी मशीन को ठीक करके या किसी न किसी तरह से कोई ग्रौर हम वहां पर लगा देंगे ग्रौर बूंदी में ३–४ महीने में एक्सरे मशीन का इन्तजाम हो जायेगा ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मेडीकल कम्पेन्सेशन के बारे में जो इन्क्वायरी बैठाई थी उसका जवाब नहीं दिया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मन्त्री राजस्व): There will be another opportunity when you will get reply to this.

श्री जुझारसिंह (चेचट) : रामगंज मण्डी के वाटर वर्क्स के बारे में नहीं कहा ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मेडीकल कॉलेज के एग्जामिनेशन्स के बारे में पोस्टपोन होने की रूमर चल रही है उसके बारे में ग्रापने नहीं कहा ।

श्री बरकतुल्लाखां : यूनिवर्सिटी से हमने बात की थी ग्रौर उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन्स को पोस्टपोन करने की स्थिति में हम नहीं हैं ।

श्री ग्रब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : ग्रजमेर में जो पानी लाने के लिए टेंक बनाये जा रहे हैं क्या पानी के लिए नसीराबाद को एक्सक्लूड किया जायेगा या उसको दिया जायेगा या नहीं क्या स्थिति है ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : पैसा देंगे तो मिलेगा । (ग्रश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इसकी परवाह नहीं करता लेकिन नसीराबाद से पानी गया ग्रौर पानी नसीराबाद को नहीं मिला ग्रौर उसको एक्सक्लूड कर दिया गया तो मैं सत्याग्रह कर दूंगा । क्योंकि यह खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था मेरी इलेक्शन की स्पीच में । मैं वहां से पानी नहीं जाने दूंगा चाहे कौल साहब ग्रागे ग्रायें या कोई ग्रौर ग्राये ।

(व्यवधान)

श्री बरकतुल्ला खां : मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक नसीराबाद का ताल्लुक है मेरे माननीय सदस्य जो नसीराबाद से ग्राये हैं वह जानते हैं नसीराबाद के लिए हमारे दिल में हमदर्दी है । उनके कहने के मुताबिक वहां पर डिस्पेन्सरी का प्रॉविजन तो कर दिया गया है ग्रौर जहां तक पानी का ताल्लुक है वह डिफेन्स मिनिस्ट्री से बातचीत चल रही है क्योंकि डिफेन्स मिनिस्ट्री उसमें कन्ट्रीब्यूट कर रही है ग्रौर वे पानी लेना चाहते हैं । हम सिफारिश कर रहे हैं कि इतना पानी भी हमको लेने की इजाजत दे दें ।

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय मन्त्री महोदय ने ग्रपने भाषण में एक बात का स्पष्टीकरण नहीं किया कि जो मेडिकल प्राफेसर्स ग्रौर रीडर्स का ग्रपाइन्ट-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मेंट हुआ और उसमें जो धांधली हुई है और जो रीडर्स पी० एस० सी० द्वारा एप्रूव्ड हैं उनके वावजूद दूसरे लोगों को मौका क्यों दिया है और मैंने स्पेसिफिकली कहा है कि डाक्टर माथुर पी० एस० सी० से एप्रूव्ड रीडर हैं उसके बावजूद आपने डाक्टर कोटिया को अपाइन्ट किया। बी० एन० शर्मा और आर० के० अग्रवाल का केस रेफर किया इसका मैं जवाब चाहता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६५,२२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(मत दान के पश्चात)

(हां पक्ष जीता)

श्री माणिकचन्द सुराणा : I demand division under the Rules, Sir यदि आप जवाब नहीं देंगे तो निश्चित रूप से डिवीजन के द्वारा आपका समय लिया जायगा।

श्रीमती सभानेत्री : मैं इस प्रश्न को फिर पूछ लूं Do you want division ?

श्री माणिकचन्द सुराणा : I claim division, Sir.

(विभाजन घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : मैं फिर से प्रश्न पूछती हूं।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६५,२२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १६ स्वीकार की गई

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,४०,३१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १७ स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

Page No. 142

(श्रीमती सभानेत्री)

१,०६,७०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६ स्वीकार की गयी।

(विराम)

श्रीमती सभानेत्री : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० २ बजकर २८ मिनट पर दिनांक २४ मार्च, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

सोमवार, दिनांक २३ मार्च, १९६४

स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	सरपंच का चार्ज-पंचायत भिरानी।	
ग्राम पंचायतों को अनुदान	इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट सूरतगढ़	
छात्राओं के लिए मिडिल स्कूल–भीनमाल	खराब बीज का वितरण-पंचायत समिति, अन्ता	
पंचायत समिति, कामां द्वारा बांध निर्माण कार्य	अलवर-भरतपुर जिले के पुरुषार्थियों के क्लेम।	
कुए की मरम्मत-ग्राम टला	रूरल हार्उसिंग लोन जिला जयपुर।	
प्राइवेट छात्रों के परीक्षा फार्म भरने की व्यवस्था	स्थगित प्रश्न।	
आयुर्वेदिक औषधियां	(९-३-६४)	
सार्वजनिक लाइब्रेरी, ग्राम पंचायत, घोसून्डा	मूर्तियों की चोरी, मैणाल मन्दिर जिला भीलवाड़ा।	
स्वर्णकारों का पुनर्वास-गंगानगर।	स्थगित प्रश्न।	
राज्य सरकार का विभिन्न कम्पनियों में इन्वेस्टमेंट।	(१०-३-६४)	
सीमावर्ती इलाकों के ग्राम सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें।	बी० एड ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा।	
सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा की ऑडिट रिपोर्ट।	स्थागित प्रश्न।	
	(१२-३-६४)	
अध्यापकों के प्रमोशन तथा प्राइवेट परीक्षा देने के नियम।	नये बांध का निर्माण, तहसील कामां।	

Page No. 144

स्कम्भ

(२) अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक

जयपुर डिवीजन के अध्यापकों की बकाया का भुगतान।

आयुर्वेदिक परामर्शदात्री मंडल

सीमेन्ट वर्क्स कर्मचारी संघ, सवाई माधोपुर की मांगें।

सहकारी समिति, ग्राम तलाव।

अध्यापकों की अस्थाई नियुक्तियां।

उत्तमा परीक्षा पास अध्यापकों के ग्रेड जिला बूंदी।

मैट्रिक ग्रेड में एम० ए० तथा बी० ए० पास अध्यापक।

(३) उप-मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री निरंजन नाथ आचार्य, उप-गृह मंत्री ने–

(i) उदयपुर में साम्यवादियों द्वारा सत्याग्रह एवं।

(ii) बूंदी में कुछ व्यक्तियों द्वारा भूख हड़ताल के संबंध में वक्तव्य दिये।

स्थगन-प्रस्ताव।

चम्बल नदी के दक्षिणी नहर के फाटक खोल दिये जाने के कारण अधिक पानी के बहाव से गेहूं व चने की हजारों बीघा जमीन डूब

स्कम्भ

जाने के संबंध में श्री कृष्ण कुमार गोयल, सदस्य विधान सभा के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

(५) आयव्ययक–१९ ४-६५

द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान।

(१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा।

(२) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य।

(३) मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत।

उपरोक्त मांगें श्री बरकतुल्ला खां, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गईं। इन मांगों पर कुल १४३ कटौती प्रस्ताव किये गये।

बहस का उत्तर सरकार की ओर से श्री दौलतराम सारण, उप-मन्त्री आयुर्वेद व श्री बरकतुल्ला खां, स्वास्थ्य मन्त्री ने दिया।

तत्पश्चात् मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गईं।

मंगलवार, दिनांक २४ मार्च, १९६४ की कार्य सूची

अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनायें।

स्कम्भ

(२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)।

४४-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक ४४-सिंचन (संयुक्त) स्थापना

स्कम्भ

तथा ओजारों और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

(३) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

९९-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५९९ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति अन्ता में जिन काश्त करों के खेतों में बीज नहीं उगा उसकी सूची :

क्रमांक	नाम	स्थान
१.	श्री यासीन खां	अन्ता
२.	श्री नत्थे खां	,,
३.	श्री बजरंग लाल	बमूलिया कलां
४.	श्री श्रवन माली	,, ,,
५.	श्री चतराटारडी	खेड़ा
६.	श्री कजोड़ बल्द ओंकार	सेरखंड कलां
७.	श्री गोरधन बल्द कजोड़	,, ,,
८.	श्री किशन लाल बल्द नारायण	,, ,,
९.	श्री देवी लाल बल्द जगन्नाथ	,, ,,

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २०४ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF TIME BARRED ARREAR CASES OF THE RANGE.

S.No.	Inspectorate	Amount of: Arrear due on a/c of fixation in U. P. S.	Amount of Arrears due on a/c of Fixation in R. P. S.	Payment of Arrears of Increment	Payments of Arrears of T.A. Bills	Payments of Arrears of leave salary & other allied matters	Total	Total amount Paid during 1963-64
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jaipur	37,590.64	27,842.78	...	3,652.84	1,58,481.33	2,27,567.59	1,43,085.32
2.	Alwar	...	...	...	1,072.66	11,979.68	13,052.34	74 680.00
3.	Jhunjhunu	...	...	...	3,568.00	3,470 08	7,038.01	Figurs not received.
4.	Karauli	...	...	...	4,858.11	56,039.86	60,897.97	-do-
5.	Bharatpur	...	25,950.00	...	4,386.00	46,646.39	76,982.39	-do-
6.	Ajmer	...	...	...	512.00	85,596.00	86,108,00	27.453.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Sikar	...	...	...	...	4,908.74	4,908,74	Figures not received.
8.	DY. I. G. S., Jaipur.	8,130.67	...	...	339.00	14,621.95	23,091.62	32,974.95
9.	DY. I. G. S., Ajmer.	...	...	...	404.00	13,829.00	14,233.00	35,632.00
	TOTAL	45,721.31	53,792.78	...	18,792.61	3,95,573.03	5,13,879.73	3,13,825,27

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रतारांकित प्रश्न संख्या २०५ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE MEMBERS OF THE STANDING BOARD.

S. N.	Name of the members	Designation.	Address
1.	Shri Bhikha Bhai.	Chairman,	Minister for Ayurved
2.	Dr. Ambalal.	Vice Chairman	Nahar Mohala Ajmer.
3.	Shri Janardanrai Nagar.	Member	Udaipur
4.	Shri Amritlal Vyas.	,,	Udaipur.
5.	Shri Bhawani Shanker.	,,	Udaipur.
6.	Shri Gori Shanker Upadhvay.	,,	Dungerpur.
7.	Shri Parmanand Sharma.	,,	Jodhpur.
8.	Shri Samlal Josi.	,,	Jodhpur.
9.	Shri Ramesh Chandra Vyas.	,,	Ajmer.
10.	Shri Shanker Dutt Sharma.	,,	Bikaner.
11.	Shri Acharya Gaurishanker.	,,	Ganganager.
12.	Shri Maniram Sharma.	,,	Rataagarh.
13.	Shri Jairam Dass Swami.	,,	Jaipur.
14.	Shri Mangaldass Swami.	,,	Jaipur.
15.	Shri Sita Ram Ji Mishra.	,,	Jaipur.
16.	Snri Nityanand Ji Sharma,	,,	Bundi.

1	2	3	4
17.	Shri Nityanand Ji Sharma.	"	Pilani.
18.	Shri Bahadur Singh Ji,	"	Dholpur.
19.	Shri Viranchi Lal.	"	Islampur.
20.	Shri Murli Manchar Sharan Ji.	"	Udaipur.
21.	Shri Prem Shanker Sharma.	Member Secretary	Jaipur.

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २१० का उत्तर देखिये)

District wise list of M.A. & B. A passed teachers running in third grade 75-160.

	Inspectorate.	M. A.	B. A.	Total.
1.	I. O. S. Alwar.	—	43	43
2.	I. O. S. Bikaner.	1	42	43
3.	Dy. Inspectress. Bikaner.	1	12	13
4.	I. O. S. Pali.	—	6	6
5.	I. O. S. Jaipur.	9	253	262
6.	Dy. Inspectress, Ajmer.	—	11	11
7.	I. O. S. Kota.	—	—	193
8.	Dy. Inspectrese, Kota.	6	15	21
9.	I. O. S. Ganganagar.	—	—	70
10.	I. O. S. Chittor.	—	—	44
11.	I. O. S. Bharatpur.	2	78	80
12.	I. O. S. Udaipur.	—	—	52
13.	Dy. Inspectress, Udaipur.	—	13	13
14.	I. O. S. Banswara.	1	26	27
15.	I. O. S. Churu.	—	31	31
16.	I. O. S. Nagaur.	—	—	113
17.	I. O. S. Karauli.	3	93	96
18.	I. O. S. Jodhpur,	—	—	214
19.	Dy. Inspectress, Jodhpnr.	—	—	11

Page No. 152

1	2	3	4	5
20.	I. O. S. Jhunjhunu.	—	—	96
21.	I. O. S. Barmer.	—	10	10
22.	I. O. S. Ajmer.	—	—	214
23.	I. O S. Jhalawar.	—	51	51
24.	I. O. S. Sirohi-Jalore.	3	8	11
25.	I, O. S. Bhilwara.	1	54	55
26.	I. O. S. Dungarpnr.	—	—	14

शुद्धि–पत्र*

(सोमवार, दिनांक २३ मार्च, १९६४)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४	१२	श्री विरदाराम फुलवारिया	५७६. श्री बिरदाराम फुलवारिया
,,	अन्तिम से १	आचार्य : (१) जी हां, बाधा	आचार्य) : (१) जी हां, बाधा
६	१०	मंदवाना) :	नन्दवाना) :
७	६	प्रश्न संख्या ५८,	प्रश्न संख्या ५८३
९	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	४	श्री दौलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
१०	अन्तिम से ३	श्री नत्थोसिंह	श्री नत्थीसिंह
१२	७	श्री केदादरनाथ	श्री केदारनाथ
,,	१२	Godsmiths	Goldsmiths
,,	१३	God	Gold
२१	६	श्री मानिकचन्दसु राणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
२१, २२ व २३	क्रमशः १०, १३ २४ व १	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
२५	शीर्षक	तारांकित प्रश्कोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	शीर्ष	(श्री मानकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
२७	,,	(श्री गोबिन्दसिंह)	(श्री गोविन्दसिंह)
,,	१५	श्री मानिकचंद सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
३०	१०	श्री भवानीशंकर नन्दवाना :	श्री भवानीशंकर नन्दवाना :

१	२	३	४
३२	१८	श्री विजयसिंह झ ला	श्री विजयसिंह झाला
३५	३	श्रम श्री भवानीशंकर	श्रम (श्री भवानीशंकर
४१	४	एक माननय सदस्य :	एक माननीय सदस्य :
४३	२२	श्री भवानीर्शंकर नन्दवाना :	श्री भवानीशंकर नन्दवाना
४४	६ व १३	श्रा	श्री
५०	१	श्रीमती लक्ष्मकुमारी चूंडावत :	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
५१	४	श्री निरंजननाथ आचाय :	श्री निरंजननाथ आचार्य :
,,	१२	श्रीमंती लक्ष्मोकुमारी चूंडावत :	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
५२ व ५३	४, २३ व १	श्री भैरोंसिह :	श्री भैरोंसिह
/५३	३	श्री निरंनाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	१७	श्री निरंजनाथ आचाय	श्री निरंजननाथ आचार्य
५४	२१	उप-मन्त्री विकास श्री भवानी शंकर नन्दवाना	उप-मंत्री, विकास (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) :
५६	१३	श्री निरंजनानथ आचार्य :	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	२१	श्रीनिरजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
५६	२४	(श्री नात्थोसिह ।	श्री नत्थीसिंह ।
५७	शीर्ष	—	(श्री अध्यक्ष)
६१ व ६३	,,	(प्री हरिप्रशाद वर्मा)	(श्री आयुर्वेद मन्त्री)
६७	,,	(श्री हरिप्रसाद शर्मा)	(श्री सहकारी मन्त्री)
६८	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नारत्त	अतारांकित प्रश्नोत्तर
७० से ७६	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव	स्थगन-प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य

१	२	३	४
७४	२५	(कालादत)	(कोलायत)
७५	शीर्ष	(श्री मनिकचन्द सुराणा)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
७६	अन्तिम से ३	स्थगत–प्रस्ताव	स्थगन–प्रस्ताव
८४	४	एक स्थगन-प्रल्ताव	एक स्थगन–प्रस्ताव
८५–८६	शीर्षक	मांग संख्या १६, १७, व ३६– २३ मार्च, ६४– पर कटौती प्रस्ताव	स्थगन–प्रस्ताव-२३ मार्च, ६४- मांग संख्या १६, १७ व ३६
८५	३ व २५	श्री बरक्कततुल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
,,	१६	श्री बरक्कततुल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
८६	२	श्री बरकततुल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
,,	१२	प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]	प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ––
८७	शीर्ष	(श्री गोविन्दसहाय वैद्य)	(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)
८६	२४	रविशंकर याज्ञनिक	श्री रविशंकर याज्ञनिक
९१	१२	श्री हरीराम चौहान	श्री हरिराम चौहान
१०३	६	श्री उमरावसिंह ढ़ावरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
१०७	१३	(मांग संख्या १६)	मांग संख्या १६
१०८	२३	श्री गंगासिंह राठौड	श्री गंगासिंह राठौड़
१०६	७	(गिरव)	(गिरवा)
,,	अन्तिम से ४	(सहाड़ा :	(सहाड़ा) :
११४	८	बहस करने हेतु–) ।	बहस करने हेतु) ।]
११४ व ११५	१२ व अन्तिम से २	श्री नाथूराम मिर्घा	श्री नाथूराम मिर्धा

१	२	३	४
११७-११८	शीर्षक	मांग संख्या १६, १७, ३६–२३ मार्च, ६४–पर वाद विवाद	कृषि मन्त्री का वक्तव्य–२३ मार्च, ६४–मांग संख्या १६, १७ व ३६ पर वाद–विवाद
११७	अन्तिम से ३	की लागत	की लागत (पूर्व क्रम से)
,,	,, २ व १	पर (पूर्वक्रम से , वहस	पर बहस ।
११६	शीर्षक	(महारावल श्री लक्षमणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
१२१	,,	(महारायल श्री लक्षमणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
१२३ से १२७	,,	(महारावल श्री लक्षमणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
१२६	शीर्षक	मांम संख्या	मांग संख्या
१३१	शीर्ष	(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)	(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)
१३३	शीर्षक	–२३ मार्च ६४–	–२३ मार्च, ६४–
१३६	शीर्ष	(वँद्य श्री गोविन्द सहाय)	(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)
१५५	,,	(श्री मानिकचद सुराणा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
१६१	२८	(श्रीमती लक्षमीकुमारी चूण्डावत	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
१६७-१६८	शीर्षक	–२३ लार्च, ६४–	–२३ मार्च, ६४-
१६७	४ व १७	श्री चन्दनमल बैंद	श्री चन्दनमल वैद
,,	अन्तिम से १	स्वायत शाशन) :	स्वायत्त शासन) :
१७१	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
१८०	शीर्षक	पर कटौती प्रस्ताव	पर वाद-विवाद
१८६	१	(पिडवाडा)	(पिंड वाड़ा)
२०१-२०२	शीर्षक	–२३ मार्च ६४–	–२३ मार्च, ६४–

१	२	३	४
२०१	११	श्री ज्वाला प्रशाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
२०२	२२	श्री जुंझारसिंह	श्री जुझारसिंह
२०३	शीर्ष	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)	(श्री जुझारसिंह)
२११	शीर्षक	मांग संख्यां	मांग संख्या
२१३	१२	श्री हरीराम चौहान	श्री हरिराम चौहान
२१५ व २१७	शीर्ष	(श्री हरीराम चौहान)	(श्री हरिराम चौहान)
२१६, २१७ व २१८	क्रमशः २८ व ३	श्री हरिराम (चौहान)	श्री हरिराम चौहान
२२१, २२५ व २२७	शीर्ष	(श्री गोकुल प्रशाद शर्मा)	(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
२२३	१	श्री गोकुल प्रशाद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
२३१	शीर्ष	(श्री मानिकचन्द सुराणा)	(श्री मानसिंह महार)
२३६	२६	वैद्य श्री गोविन्दसहाय	वैद्य श्री गोविन्दसहाय
२३७-२३८	शीर्षक	–२३ लार्च, ६४–	–२३ मार्च, ६४–
२३८	४	श्री दौलतराम हाण्डा	श्री दौलतरामसारण
२४७	शीर्ष	(श्री बरकतुल्ला खां)	(श्री बरकतुल्ला खां)
२५०	शीर्षक	पर कटौती प्रस्ताव	पर वाद-विवाद
२६५	१७	श्री बरकतुल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
२६८	१६	श्री भैरोंसिंह शेखावत	श्री भैरोंसिंह
२७१ व २७२	क्रमशः२६व१६	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह

१	२	३	४
२८० व	क्रमशः२६,१८व	श्री माणिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
२८१	२४		
२८३	शीर्षक	-२३ मार्च, ६४-	-२३ मार्च, ६४-
२८५	३	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक-?
२८७	शीर्षक	-११ मार्च, ६४-	-२३ मार्च, ६४-
,,	२	(२) अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक	(२) अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक-५६
,,	१४	उप-मन्त्री द्वारा वक्तव्य	उप-मन्त्री द्वारा वक्तव्य-६६
,,	२२	स्थगन प्रस्ताव	स्थगन-प्रस्ताव-७६
२८८	८	अनुदान की मांगों पर मतदान	अनुदान की मांगों पर मतदान-८५

❀विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।